हक्के मुबीन
(कटुसत्य)

इस्लाम धर्म को खेल तमाशा बनाने वालों के

प्रथम संस्करण
1438 हि0—2016 ई0

इस पुस्तक को छापने के संपूर्ण अधिकार लेखक हेतु सुरक्षित

दारुल फकीह
प्रकाशन एवं वितरण हेतु

DAR AL FAQUH
PUBLICATION & DISTRIBUTION

www.daralfaqih.com

दारुल फकीह से प्रकाशिक पुस्तकों को आप उक्त बेव साइट से खरीद सकते हैं।

दारुल फकीह
प्रकाशन एवं वितरण हेतु
अबू धाबी— संयुक्त अरब अमीरात
फोन नं0: +97126678920
फैक्स नं0: +97126678921

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हक्के मुबीन
(कटुसत्य)

इस्लाम धर्म को खेल तमाशा बनाने वालों के जवाब में

इख़्वानुल मुस्लिमीन से लेकर दाइश(I.S.I)तक के उग्रवादी विचार धराएँ ज्ञान और इन्साफ के तराजू में, उग्रवादियों के नज़दीक हाकिमिय्यत(संप्रभुता), जाहिलीयत का युग, जिहाद और वतन के अर्थ के ग़लत कल्पना, और उलमाए उम्मत के नज़दीक इन के सही अर्थ का उल्लेख

लेखक

शैख़ उसामा महमूद अज़हरी मिस्री

अनुवादक

गुलाम सैयद अली अलीमी अलीग

प्रस्तावना

प्रस्तावना

بسم اللہ الرحمن الرحیم

अल्हमदु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन, वस्सलातु वस्सलामु अ़ला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीना वल आख़िरीन, व अ़ला आलेहि व सहबेहि व मनित्तबअ़हुम बि एहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअ़द :

मुहतरम हज़रात! आप के हाथों में मौजूद यह किताब अज़हर यूनीवर्सिटी की इल्मी कोशिश और शोध का परिणाम है, इस में बड़ी मेहनत के साथ उन ग़लत बातों एवं विचारों और झूठे सिद्धांतों का सारांश पेश किया गया है, जो इस्लामी दुनिया मे पिछले अस्सी वर्षों से खराब राजनीतिक हालात की वजह से बने हुए हैं, इन झूठी विचारधाराओं को बुनियाद बना कर अपनी ग़लत सोच को इस्लाम का नाम दिया गया हैः लेहाजा हम पर फर्ज है कि लोगों के सामने सच्चाई का वर्णन करें। ताकि कुर्आने अज़ीम के अर्थों की रक्षा हो, और परेशान कुन खयालात और झूठी विचारधाराओं की काली घटाओं से कलामे इलाही सुरक्षित रहे।

इन अस्सी सालों में कुछ ऐसे दीनी निबंन्ध और लेख सामने आए, जो बज़ाहिर दीन की खिदमत की भावना और तालीम दे रहे हैं, इन मज़ामीन के पेश करने वालों ने अपनी तरफ से कुछ सिद्वांत और नज़रियात बना लिए हैं, फिर उन नज़रियात व खयालात को दीने इस्लाम की तरफ करके इन्हें अवाम में फैलाने के लिए किताबें और पत्रिकाऐं लिखी गयीं, कभी नज़्मों और नग़मों की धुनों जरिये ज़हर उगला और घोला गया, कभी पत्र–पत्रिकाओं के जरिये जहन साज़ी की गयी, कभी दूर दराज इलाकों के दौरे किये गये, इन तमाम तरीकों को प्रयोग कर के जिस नज़रिये को फैलाया जा रहा था, वह सिर्फ किसी की निजी राय तो हो सकती है इस्लाम नही हो सकता। इन गलत नजरियात के जन्म लेते ही मुसलमानों में मतभेद पैदा होते चले गये, और बड़े–बड़े एतिहासिक घटनाऐ घटीं

ऐसी तेज़ आंधी चली कि मुसलमान हैरान व परेशान होकर रह गया कि अब इस मोड़ पर आकर कौन सा रास्ता चुने, जाये तो आखिर कहां जाये! खिलाफत चली गयी, फिलिस्तीन मे इसराइली हुकूमत कायम हो गयी, कई युद्ध हुये, अरब हों या दूसरे मुस्लिम उम्मत इन तूफानी लहरों के समाने न ठहर सके, बहुत सारी ज़हनी उल्झनें और सामाजिक बदलाव हुए, जमाने के इस सदमे ने बड़ों बड़ों की अकल को हैरान कर दिया, कि आखिर इन

घटनाओं से कैसे निपटा जाये। और आखिर किस तरह इन मसायल को हल किया जाऐ।

इस दौरान यह भी होता रहा कि कुछ ग्रुप और संगठनें इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिये कुर्राने करीम और हदीसे पाक से समाधान खोजने लगीं, ताकि कोई कामयाबी का रास्ता मिले, अगरचे यह लोग धार्मिक भावना और लगन से ऐसा कर रहे थे, इस्लामी भावनाऐं इन्हें इस काम के लिए उभार रहे थे, वह दीन की मदद करना चाहते थे, लेकिन इनके पास कुर्आन व सुन्नत से मसायल हल करने के लिए योग्यता की कमी थी।

पेश आने वाले कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि जाहिरन किसी आयते करीमा या हदीस शरीफ से उन का हल नजर आता है या इन्सान को अपनी विचारधारा की दलील नजर आती है लेकिन हल निकालने वाले के पास उस ज्ञान की कमी होती है जो उस के लिए जरुरी होते हैं, यह उलूम अगरचे कुर्आन व हदीस से समाधान निकालने के लिए औज़ार की हैसियत रखते हैं, लेकिन इन उलूम और कलाओं के बेगैर किसी आयत या हदीस के सही अर्थ को हम हरगिज़ नहीं समझ सकते, यह उलूम कुर्आन व हदीस से सही नतीजा निकालने के लिए तराजू हैं, जो आदमी इन उलूम पर पूरी कुशलता रखता होगा वही बारीक निगाही के साथ कुर्आन व सुन्नत का अर्थ समझ सकेगा, वही आदमी दीन के सोतों से सैराब हो सकेगा। इस लिए कि कुर्आन व हदीस कोई साधारण चीज़ तो है नहीं जिसे हर कोई इस तरह समझ ले कि मसायल का समाधान खुद से निकाल सके, हो सकता है कि किसी आयत का एक अर्थ हमें समझ आ रहा हो, लेकिन जो माना हम ने समझा वह कलामे इलाही की सही मुराद के विपरीत हो, या यह भी हो सकता है कि आयत का जो मफहूम हम ने समझा वह माना अल्लाह तआला की शान के लायक़ ही न हो, या जानकारी की कमी की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जिस दृष्टिकोण का ज्ञान कुर्आन दे रहा है, हमारी अकल उसे समझ ही न सके।

इसी वजह से गुजशता अस्सी वर्ष के दौरान बहुत सारे ऐसे नजरियात, इसतिदलालात (अनुमान), लेख एवं मजामीन एकत्रित हुए, जिन की तैयारी में उन उलूम व फुनून का सहारा नहीं लिया गया जो कुर्आन व हदीस से समाधान निकालने के लिए ज़रुरी हैं। इन गलत नज़रियात को पेश करने वाले अगरचे वह लोग हैं जो लेखक, बुद्धि जीवि और दीन की भावना

रखने वाले, इस्लाम का प्रचार करने वाले हैं, लेकिन कुर्आन व हदीस को गलत तौर पर समझने की वजह से उस नज़रिए का प्रचार कर रहे हैं जो इस्लाम से कोसों दूर है, जब इल्म वाले अपनी कमी की वजह से इस्लाम को फायदा के बजाय नुक़सान पहॅुचा सकते हैं, तो फिर वह लोग जो व्यवसाय में डाक्टर, इन्जीनियर या अन्य व्यवसाय वाले हैं, लेकिन दीन का जज्बा रखते हुए दीन का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रखते हैं, और साथ ही अपने बुनियादी पेशे से भी जुड़े हैं, इसलिए कुर्आन एवं सुन्नत पर पूरी महारत नही रखते, वह किस तरह सही इस्तिदलाल(कुर्नान व हदीस से तर्क लेना) और इस्तिम्बात कर सकेंगें? और जाने अनजाने दीन को किस कदर नुक्सान पहुंचाते होंगें!

जब भी समाजिक दृष्टिकोण के मुकाबले मे निजी गलत ख़्याल को फैलाया जाएगा, तो नतीजा मे समाज मे बिगाड़ और फसाद ही पैदा होगा, इस की असल वजह दीने मतीन को सही और पूरे तौर पर न समझना है, ऐसे फसादी लोग बातिल ख्यालात को इस्लाम और दीन के नाम से पेश करते हैं, और कुर्आन व सुन्नत के मफहूम को तोड़–मरोड़ कर मजामीन तैयार किसे जाते हैं, और जब इस्लाम के खिलाफ सोच इस्लाम के नाम पर फैलेगी तो समाज में बड़ी–बड़ी मुसीबतें और परशानियां आऐगीं, हुकूमतों से जब गलत बुनियाद पर टकराव होगा तो बेचारी अवाम ही जेलों में सख्तियां झेलेगी, बेगुनाह लोग कत्ल किये जायेंगें, जुल्म का बाजार गर्म होगा, उन तमाम फसादों का असल सबब गलत तालीम और झूठे और निजी दृष्टिकोण हैं, जिन का दीन से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि सिर्फ स्वार्थ के कारण बेकार बहस व मुबाहसा और बेचैनी फैलाने वाली सोच जन्म लेती है।

अज़हर शरीफ वह इल्मी संस्थान है जिस की इन्मी समझ हर तरह के फित्ना व फसाद से मूल रूप से सुरक्षित है, इस इन्मी बाग की सिंचाई वह उलेमा कर रहे हैं, जिन का इल्म व कला में हजार साला अनुभव है, जो इन्मे दीन की बारीकियों के जानकार हैं, जहां से एक हज़ार साल के दौरान कई पीढ़ियों के बड़े–बड़े उलेमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की, जामिया अजहर से बड़ी–बड़ी नामवर शख्सियतों ने इल्म हासिल किया, बहुत जमाने से यह विद्या केन्द्र चमक दमक रहा है, इस के किले मज़बूत हैं, इस बाग के पेड़ जमे हुए और फलदार हैं, एक हजार साल हो गये कि दुनिया के कोने कोने से यहां उलेमा का आना जाना जारी है, उन उलेमा का संबंध दुनियां के विभिन्न इलाकों की विभिन्न भाषाओं और अलग–अलग पर्यावरण से है, भांति

भांति अर्थ व्यवस्था एवं समाज व्यवस्था से संबंध रखने वाले उलेमा यहां से पढ़ कर दुनिया के हर–हर हिस्से मे पढ़ा रहे हैं, मानो कि इस एतबार से अजहर शरीफ इस्लामी दुनिया का केन्द्र बना हुआ है।

अजहर शरीफ की शैक्षिक बुनियादें और उस की नदियों से बहने वाली तमाम नहरों का सोता कुर्आने करीम है, और नदियों के तट पर हर समय उलेमाए अजहर दिल व जान से उन की देखभाल करने मे हिम्मत भर लगे रहते हैं, ताकि किसी किस्म का मैल कुचैल इन नहरों के पानी को मैला न कर सके, अजहर शरीफ की सब से बड़ी खूबी यह है कि यहां कुर्आन व सुन्नत से इस्तिदलाल व इस्तिम्बात उन तमाम उलूम व फुनून (उसूले तफसीर, उसूले हदीस, और लुग़त आदि) को सामने रख कर किया जाता है, जिन का लिहाज़ रखना अत्यन्त अनिवार्य है, कुर्आन व सुन्नत की गहराई और उस के पवित्र तराज़ू पर खरा उतर कर ही किसी परिणाम तक पहुंचा जाता है, अन्तर्राष्टीय स्तर पर कोई घटना घटी, या कोई बड़ी मुसीबत आ पड़े, तो उसे परखना हो या उस का हल निकालना हो, या किसी तरह से कोई राय कायम करनी हो, उलेमाए अजहर किसी हाल मे कुर्आन व सुन्नत से बाहर नहीं निकलते, हां यह अलग बात है कि उनकी मेहनत कभी मशहूर हो जाती है, और कभी कोई राय अवाम के सामने नही आ पाती।

लेकिन इस के विपरीत दूसरे लोगों ने पिछले वर्षों के दौरान इस्तिदलाल एवं इस्तिम्बात को शर्मनाक हद तक पहुंचा दिया है, दृष्टिकोण एवं राय कायम करने में कुछ दलीलें कुर्आन करीम से लिया, और कुछ हिस्सा अपनी तरफ से बढ़ा दिया, इसी लिए पिछले अस्सी वर्षीय गढ़े नजरियात ने हमें यह फल दिया कि दीन के संबंध मे अवाम के लिए मुश्किलों में बढ़ोतरी होती रही, एक अर्थ एवं मफहूम जो तमाम लोगों के लिए था, उन्होने अपनी मर्जी से मन पसंद मखसूस लोगो के साथ खास कर दिया, जो गढ़े नजरियात और मजामीन, पत्रिकाओं और पुस्तकों मे छिपे हुए थे धीरे धीरे बाहर आने लगे, इन्हें दूसरों पर जबरदस्ती थोपा जाने लगा, परिणाम यह निकला कि गलत नजरिये युद्ध और लड़ाई मे परिवर्तित हो गये, धीरे–धीरे यह लोग ज्ञान वालों के स्तर से दूर होते चले गये, यहां तक कि इन लोगों की एक नस्ल ऐसी भी गुजरी जो इल्म की कुछ सूझ बूझ रखते थे, जिन की नजर में इल्म की कुछ कीमत भी थी, लेकिन इस के बाद अब मामला नई नस्ल के हाथों में आ गया, जिन की तहरीर व तक़रीर जज्बातियत से भरपूर

होती हैं, मगर यह लोग नज़रिया बनाने मे ऐसे मसरुफ हुए कि दीन को बदनाम करके रख दिया, लड़ाई झगड़े और बेजा मुठभेड को दीन का नाम देने लगे, शरीअत के उद्देश्यों को एक तरफ छोड़ दिया, बल्कि दीन के नाम पर खुद दीन को मिटाने लगे।

जैसा कि आज कल मुसलमानो को काफिर करार देने की साज़िश पहले कभी उग्रवाद पर आधारित किताबों में पाई जाती थी, फिर यह सोच धीरे धीरे विभिन्न संगठनों और पार्टियों मे स्थानांतरित होती रही, फिर इसी सोच वाली नस्ल के बाद दूसरी तीसरी नस्ल ने उग्रवाद की वजह से जो मुसलमान उन के हाथ लगा उसे काफिर कह कर उस की गर्दन मारने लगे, बेगुनाहों का खून बहाया जाने लगा, जो लोग अमन व अमान में थे, इन्हें डराया जाने लगा, करार तोड़े जाने लगे, दीन का हनन किया जाने लगा, दीन के साथ आश्चर्यजनक विचारधाराऐं जोड़ दी गयीं, आयाते कुर्आनिया की ऐसी तफसीरें की गयीं जो खुद कुर्आने करीम को नाराज़ कर दें, उग्रवाद लोग अपनी यह फिकर और सोच की निस्बत अगरचे वही (रहस्योद्घाटन) की तरफ करते हैं, लेकिन हकीकत में यह इस्लाम के खिलाफ बगावत और विद्रोह के सिवा कुछ नहीं।

यहां पर जामिया अज़हर के ऐतिहासिक किरदार और व्यवहार का समझना भी ज़रुरी है, जहां उलूम व फुनून (विज्ञान और कला), इतिहास, उलेमा और उनके व्यवहार को ध्यान मे रखा जाता है, सारी विचारधराऐं ज्ञान माइक्रोस्कोप द्वारा परखे जाते हैं, ताकि बहस तमहीस के बाद ऐसी राय सामने आये जो हक़ बातिल मे अंतर कर सके, यह इल्मी फैसला हद से आगे बढ़ने वालों की तरफ से की जाने वाली हेरा फेरी और जाहिलों तावील को अल्लाह तआला के दीन से दूर रख सके।

तजदीद दीन (दीन के नवीनीकरण) का यही मतलब है कि पवित्र शरीअत से झूठ, मुनहरिफ अकायद (मान्यतायें) और गलत अर्थ जो आयाते कुर्आनिया का मफहूम नही, इन्हे दूर कर दिया जाये, पुख्ता इस्तिम्बात द्वारा शरीअत की खूबी और अख्लाक़ की उम्दगी को दर्शाया जाये, ताकि इस दीन का जौहर साफ और चमकदार हो कर लोगों के सामने आ जाये, लोग हिदायत, इत्मिनान, उलूम व मआरिफ और समाजिक व्यवस्था को इस दीन में साफ तौर पर देख सकें, उस्दाज़े जलील शेख मुहम्मद अबू जोहरा फरमाते हैं कि:"तजदीदे दीन यही है कि दीन की रौनक़ को दोबारा बहाल किया जाये,

हर किस्म के वहम को दूर किया जाये, लोगों के सामने दीन के जौहर को निखारा जाये, और उस की अस्ल को दोबारा संवार कर पेश किया जाये"।

यह किताब जो हमारे हाथों में है, इस में जामिया अज़हर के एतिहासिक किरदार को बयान किया गया है, कि अज़हर शरीफ किस तरह इल्मी तहकीक की निगरानी करता है, किस तरह इस मे कुर्आन व सुन्नत के अर्थ एवं मतलब का सारांश और निचोड़ बयान किया जाता है, ताकि अमानतदारी से मकसदे इस्लाम निखर कर सामने आये ताकि मौजूदा ज़माना के मुसलमान इन सिद्वांतो और केन्द्रीय बिन्दुओं को समझ सकें जो इस ज़माना में लिखे जाने वाले लेखों की बुनियाद हैं, उदाहरणतः हाकिमियत का मामला, या जाहिलियत या जमाने जाहिलियत का मसला (यानि इस जमाने में कौन कौन से मुल्क जमाने जाहिलियत के हुक्म में हैं?) या मौजूदा हुकूमत से मुठभेड़ कब ज़रुरी है? जिहाद का मतलब, खिलाफत का मफहूम, इस्लामी व्यवस्था, मुस्लिम देशों और गैर मुस्लिम देशों के बीच में संबंध और बातचीत के बारे में इस्लामी कानून का मामला, शरीअत के लेहाज़ से वतन किसे कहते हैं इत्यादि, यह वह विषय हैं जिन को सही और ठीक से न समझने के कारण ही पिछली सताब्दी से लेकर आज तक मुसलमान एक दूसरे को काफिर करार दे रहे हैं, और एक दूसरे का खूने नाहक़ बहा रहे हैं।

इन मामलों में अज़हर शरीफ हज़रते सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो अनहुमा की अनुयायी करता है, जिस तरह आप खारजियों के पास चल कर गये, ताकि उन से बात चीत कर के उन्हें समझाया जाये, आप ने उन के ऐतराज़ो को सुना, फिर उन के तमाम सवालों का इल्मी जवाब दिया, और अपने ज्ञान और योग्यताओं के सहारे उन की परेशान कुन विचार धारा व सोच और दीन से दूर तावील को अच्छी तरह समझ कर उस के समाधान के लिए ज्ञान के द्वार को खोला, कुर्आन व सून्नत से इस्तिम्बात के सिद्धांत जो अहले इल्म की बुनियाद हैं, उन्हें काम में लाते हुए खारजियों को समझाया, आप की काशिश से खारजियों की एक बड़ी संख्या ने बदअक़ीदगी से तौबा की, निसंदेह हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा का व्यक्तित्व अनुसरणनीय है, आप रदियल्लाहु अन्हुमा के नक़्शे क़दम पर चलकर हम भी अपने ज़माना में पायी जाने वाली विचार धाराओं को सही दिशा दे सकते हैं, इल्मी चर्चा द्वारा ग़लत सोच और उग्रवाद का ख़ात्मा कर सकते हैं।

ये एक आश्चर्यजनक बात है कि हमारे ज़माने में मुस्लिम समाज को काफिर क़रार देकर उनके सामने हथियार उठाने के आंदोलन का जब आरंभ हुआ, तो उन्होंने अपनी बीमार सोच के कारण आयते करीमा के अर्थ को न समझकर अल्लाह तआ़ला के फरमान : (तर्जुमा) ﴿जो अल्लाह ﷻ के नाज़िल कर्दा (उतारे हुए) क़वानीन के मुताबिक़ फैसला न करे, तो वही लोग काफिर हैं,([1])﴾ इस फरमान से हाकिमिय्यत के मसला को अपने स्वार्थ के लिये सहारा बना लिया।

इस ज़माना में इख़्वान से लेकर दाइश तक जितनी भी उग्रवाद फिक्र व सोच पाई जाती है, उसका असल मामला हाकिमिय्यत है, उग्रवादी आंन्दोलन और उनसे निकली हुई जितनी छोटी बड़ी संगठनें हैं, सब की गुमराही का असल कारण यही है कि उन्होंने अल्लाह तआ़ला के इस फरमान : ﴿(तर्जुमा) जो अल्लाह ﷻ के नाज़िल कर्दा क़वानीन(उतारे हुए नियमों) के मुताबिक़ फैसला न करे, तो वही लोग काफिर हैं,﴾ के सही अर्थ समझे ही नहीं।

हमारे सामने दो रास्ते हैं, बीच वाला सीधा रास्ता, जो आपको अज़हर शरीफ में मिलेगा, दूसरा उसके विपरीत उग्रवाद का टेढ़ा रास्ता, जहां विचलन, बेजा मनोभाव और सरकशी पाई जाती है, उनके यहां धार्मिक भावना तो पाया जाता है, लेकिन न उनको दीन की समझ है, न उनके यहां दीन की गहन जानकारी एवं समझ जैसे गुण पाए जाते हैं, ये लोग समुंद्र की अलग अलग लहरों की तरह एक एक करके निकल रहे हैं, जब कुछ नसलें गुज़र जाती हैं, तो इस क्रुर समुद्र से एक और लहर निकलती है, जिस से एक नए नारा और नए नाम के साथ नया संप्रोदाय निकलता है, लेकिन हर मौज वही तकफीर का तरीक़ा अपने साथ लाती है, और उन्हीं बातों और नज़रियात को दोहराती है, और कलामे इलाही को समझने में वही शर्मनाक ग़लती करती है जो पहली जमाअ़त कर चुकी थी।

इस ज़माना में मुसलमानों में जितने भी उग्रवाद दल पाये जाते हैं, और जितने विषयों को वह विशेष तौर पर बहस में लाते हैं, चाहे वो हाकिमिय्यत की बात हो, या हुक्मरानी का, या साधारण लोगों को काफिर

([1]) प. 6, अल–माइदा : 44

क़रार देने का मामला हो, जाहिलीयत और ज़मानए जाहिलीयत के विषय द्वारा वह अपने अलावा तमाम लोगों को काफिर व मुरतद समझते हैं, और फिर हुकूमत से टकराव और उस पर जीत हासिल करके सिस्टम को सक्रिय बनाने का मामला हो, इन तमाम विषयों में जब हम उनकी इल्मी सनद और मकतबए फिक्र के बारे में ग़ौर करते हैं, तो उनकी कड़ी उस दल से जा मिलती है जिन्होंने हज़रत सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास رضي الله تعالى عنهما से मुनाज़रा किया था, जिन्हें किसी ज़माना में ख़वारिज कहा गया था, अगरचे हमारे ज़माने में इख़्वान से लेकर दाइश तक ये लोग विभिन्न नामों और विभिन्न लड़ाकू गुटों से पहचाने जाते हैं।

अगर हम अज़हर शरीफ इल्मी सनद और दृष्टिकोण को देखें, तो इसकी बेहतरीन ख़ूबसूरत कड़ी व अति उत्तम जन्जीर हज़रत सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से जा मिलता है, ख़वारिज भी इस्लाम के दावेदार और हज़रत सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله تعالى عنهما भी इस्लाम के अनुयायी हैं, दोनों में वही बुनियादी फर्क़ था जो आज अज़हर शरीफ और उग्रवादी दलों के बीच में है, एक के पास कुरआने अ़ज़ीम और उसके उ़लूम द्वारा हासिल होने वाली विचारधारा है, जो सहाबए किराम رضي الله تعالى عنهم ने मुस्तफा जाने रहमत ﷺ से डायरेक्ट हासिल किया था, जबकि दूसरे गिरोह के पास कुरआन का दावा तो है लेकिन उ़लूमे कुरआनिया से उन का दामन खाली होने की वजह कुरआन के अर्थ और आशय तक उनकी पहुंच नहीं, इस ज़माने के ये मौजूदा गिरोह भी कुरआन की आयाते मुबारका की वही व्याखा करते हैं जो हज़रत सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله تعالى عنهما के मद्दे मुक़ाबिल ख़वारिज किया करते थे, इन नये और उन पुराने ख़ारजियों का नज़रिया एक ही है।

जबकि अज़हर शरीफ का नज़रिया कोई नया नज़रिया नहीं, अज़हर शरीफ वह लंबा–चौड़ा कुआं और सहाबा رضي الله تعالى عنهم की मान्यताओं का अमीन है, जिसे अइम्मए किराम ने हज़रत सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله تعالى عنهما और उनकी पैरवी करने वालों से हासिल किया है, फिर उनके बाद ज्ञान के समुंद्र माने जाने वाले उ़लमाए किराम ने उन अइम्मए किराम से इल्म की वरासत पाई, वो वरासत जो वही की धरोहर है, उसके ज़रूरी

उलूम का लिहाज़ करते हुए, कुरआन व इस्लाम के उद्देश्यों को समझते हुए, हर दौर में उ़लमा दीन के ज्ञान की सेवा में कार्यरत रहे, हर ज़माने में विद्रोही विचारधारा और इन्तेहा पसन्द सोच पर कड़ी नज़र रखी, मुसलमानों को हर विद्रोह से ख़बरदार रखा, और हर हाल में अपने ओहदे के कर्तव्य और ज़िम्मादारी को निभाया, और जब भी बातिल नज़रिया ने दीन से अपने आप को मिलाने की कोशिश की, इन उ़लमा ने हर फित्ने को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया, और जब भी कुरआन व सुन्नत से कोई जाहिल इबादत व जुहदो तक़वा की चादर ओढ़कर दीन पर हमला किया उ़लमाए हक़ उसके आगे सीसा पिलाई दीवार बन गये।

यह इल्म और ज्ञान का प्रकाश हमेशा इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा के हाथ पर चमकता रहा, फिर यह अहले इल्म(ज्ञानियों) एवं अहले मदारिस की नसलों में स्थानान्त्रित होता रहा, यहां तक कि यह ज्ञान के समुंद्र की लहर, इस्लाम के क़िला अज़हर शरीफ में जमा हुआ, अज़हर शरीफ आज सहाबाرضي الله تعالی عنهمकी प्रतिनिधित्व में ज्ञान के धरोहर की हिफाज़त करते हुए वही किरदार अदा कर रहा है, जो आज से पहले हज़रत सय्यिदुना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा अदा करते रहे।

जल्द ही कुछ पन्नों के बाद हज़रत सय्यिदुना इब्ने अब्बास رضي الله تعالی عنهما की घटना का विस्तार से वर्णन किया जाएगा, साथ ही तर्क वितर्क के नियम, ज्ञान के वर्ग और जिन बिन्दुओं को वह घटना सम्मिलित है उन्हें भी बयान किया जाएगा।

हम अज़हर वाले अपने पक्ष के प्रमाण में तमाम आयात व अहादीस को मद्दे नज़र रखकर नतीजा निकालते हैं, ताकि हमारा अनुमान हर हर आयत को घेर ले, और तर्क में कोई ग़लती हो तो वो भी सामने आ जाए, जबकि उग्रवादियों के यहां इस बात का कोई लेहाज़ नहीं, ये लोग जो आयत जिस अर्थ तथा पृष्ठभूमि पर उतरी है, उस अर्थ को छोड़कर किसी और अर्थ के लिये ज़बरदस्ती चसपा कर लेते हैं, या अपनी तरफ से आयत की मनगढ़त तफ्सीर (व्याख्या) कर लेते हैं, तफ्सीर करते वक़्त इल्मे उसूल, उ़लूम बिलाग़त व अ़रबी भाषा एवं व्याकरण का भी ख़याल नहीं रखते और आम तौर से इस्तिंबात के नियमों की भी कोई परवाह नहीं करते।

प्रस्तावना

हमारे इस कलाम का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इस्तिंबात पर जामिआ़ अज़हर की कोई एकाधिकार है, न ही हमारा ये मक़सद है कि इस्तिंबात करना जामिआ़ अज़हर का ही हक़ है, और किसी दूसरे को ये हक़ हासिल नहीं, बल्कि बात दर असल इस्तिंबात की सुरक्षित विधि की है, कि जामिआ़ अज़हर शुरू से अब तक इस्तिंबात की सुरक्षित विधि पर क़ाइम रहा, और इसे दूसरों तक भी फैलाया और सिखाया, जामिआ़ अज़हर के लेख इसी मज़बूत बुनियाद पर अटल हुवा करते हैं, बल्कि इसी इस्तिंबात की सुरक्षित विधि की बुनियाद पर दुनिया भर में बहुत सारे मदारिस क़ाइम व दाइम हैं, जैसे तौंस में जामिआ़ ज़ैतूनह, मग़रिबे अ़रबी के शहर फास में जामिआ़ क़रविय्यिन, सूरिया दिमश्क़ में जामेआ़ उमवी, तुर्की इस्तंबूल में जामेउ़ल फातेह, हज़रत मौत यमन में मदारिसे इ़ल्म, शंकीत मोरीतानिया, सूडान, मलेशिया, तथा उप महाद्वीप पाक व हिन्द, इराक़ और अफ़्रीक़ा इत्यादि में पुरातन पद्धति के अनेक मदरसे, इनके अ़लावा इस्लामी देशों में पाए जाने वाले बहुत से मदरसे इस्तिंबात के इसी पथ पर चल हैं।

बात इ़ल्म पर एकाधिकार की नहीं, असल बात उस इस्तिंबात की सुरक्षित विधि की है, जिस के क़ानून कायदा ख़ुद शरीअ़त ने तै किये, हर एक क़वानीन इस्तिंबात का पाबन्द है, चाहे वो कोई भी हो, अब जो कोई इस्तिंबात के अ़मल में भागीदारी होना चाहता है उसके लिये ज़रूरी है कि इस ओहदे की योग्यता प्राप्त करने में कोई कमी न करे, अरबी व्याकरण में भी इसकी दृढ़ता अतियन्त ज़रूरी है, उसका प्रमाणपत्र धारी होना और उसके पास मोअ़तबर व मोअ़तमद उ़लमा से इ़ल्मी इजाज़त नामा होना भी अनिवार्य है, वरना वह इ़ल्म के मामले में सरकश, और सीखने सिखाने में हल्का गिना जाएगा।

आखिर में हम अल्लाह तआ़ला से गिड़गिड़ाकर दुआ़ करते हैं कि हम सबको कामिल तौफीक़ नसीब फरमाए, और ये कि हम सब को हिदायत के साथ इन्आ़म याफ्ता और राहे रास्त पर गामज़न रखे, वही पाक ज़ात इस पर क़ादिर है, अल्लाह तआ़ला की रहमत व सलामती हो हमारे आक़ा व मौला जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह और उनके आल व असहाब पर।

हाकिमिय्यत का मुद्दा
और
तमाम मुसलमानों को सामान्य रूप से काफिर कहना

हाकिमिय्यत और सामान्य रूप से मुसलमानों को काफिर करार देना वह नज़रिया है जो नाम के इस्लामी जिहादी संगठनों के लिये आधार और बुनियाद की हैसियत रखता है, और ये एक ऐसी मानसिकता है जो इन जिहादी संगठनों की तमाम भाषणों और लेखों का हासिल है, कि हम सबसे पहले हुकूमत हासिल करें, उसके बाद ही इस्लाम पर अ़मल हो सकता है, आम लोगों के ज़हनों में ये गलत फिक्र व सोच बैठाने के लिये जिस चीज़ को हथियार बनाते हैं वह यह है कि अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी को हाकिम मानना शिर्क है, और अ़क़ीदए तौहीद उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक इन की गलत फिक्र व सोच के मुताबिक़ हुकूमत न बना ली जाए, और चूंकि इन की नज़र में मौजूदा हुकूमतें गै़र इस्लामी हैं, इस लिये तमाम हुक्मरान और उस पर ख़ामोशी इख़्तियार करने वाले अ़वाम भी इन की नज़र में काफिर व मुश्रिक हैं।

हमारे यहां इस सोच व नज़रिया वाले सय्यद कुतुब और उनका भाई मुहम्मद कुतुब हैं, इन बुनियादी नज़रिया की कोख से निकलने वाली कुछ विचारधरायें यह हैं कि: जो इनके मुताबिक़ अ़क़ाइद रखता है वही मोमिन जमाअ़त है, और यह कि जो भी अल्लाह के वादे हैं, वो इन्ही की विशेष मोमिन जमाअ़त के लिये हैं, इनके सिवा बाक़ी तमाम मुसलमान ज़मानए जाहिलीयत[1] की ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं, यही फर्क़ इस कट्टर पंथ संगठन और अन्य तमाम मुसलमानों के बीच है, इस विशेष मोमिन गिरोह को जाहिलीयत और उस में पड़े मुसलमानों पर विजय प्राप्त करना ज़रूरी है, सय्यद कुतुब के नज़दीक अब आख़िरी और यकीनी समाधान यही रह गया है कि इनकी विशेष मोमिन गिरोह और बक़िया मुसलमानों के बीच टकराव हो, जिस की बिना पर ख़िलाफत स्थापित की जा सके, और आखिरी बात ये है कि ख़िलाफत प्राप्त करने के बाद ही इस्लाम पर अ़मल मुमकिन है। उपर्युक्त विचारधारायें एक हाकिमिय्यत के मसला से ही निकले हैं, जो पूरे तौर पर इन उग्रवादियों के दिमाग़ में बसे हुए हैं।

[1] इस्लाम धर्म के आने से पहले के युग को जाहिलियत का युग कहा जाता है।(अलीमी)

अगर गौर से देखा जाए तो उग्रवाद फैलाने में इस किताब "फी ज़िलालिल कुरआन"का बहुत बड़ा हाथ है, इसके अ़लावा सय्यद कुतुब की दूसरी किताब "मआ़लिम फित्तरीक़" की चुनी–चुनी बातों का मजमूआ है, शैख़ क़रदावी ने अपनी एक याददाश्त में यहां तक कहा कि: "हमारे जमाने में तमाम मुसलमानों को काफिर क़रार देने वाली किताब सिर्फ अल–मआ़लिम ही नहीं, बल्कि उसकी आधार **फी ज़िलालिल कुरआन** भी है, नीज़ इस तरह की और भी कुतुब हैं जिन में से एक अहम तरीन किताब **अल–अ़दालतुल इज्तिमाइयह** है।" ([1])

फी ज़िलालिल कुरआन वह बुनियादी किताब है जिस पर विभिन्न जिहादी संगठनो का दारो मदार है, तमाम तकफीरी रुझान इसी से निकलते हैं, इस किताब को प्रायोगिक माइक्रो स्कोप से देखना और इस की तहक़ीक़ व जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है, ताकि इस किताब की तमाम बातों का निचोड़ और ख़ुलासा लाया जा सके, इसके बुनियादी विचारधाराओं का ख़ुलासा मालूम हो, और फिर उन नज़रियात की व्याख्या में ग़ौर किया जा सके।

इस बात की पुष्टि इस से भी होती है कि सालेह सरिय्या और उसकी किताब रिसालतुल ईमान जो मौजूदा तमाम हुक्मरानों को काफिर क़रार देती है, और उस में ये भी लिखा है कि आज का समाज ज़मानए जाहिलीयत की तरह है, मुसलमानों के तमाम इलाक़े दारुल हरब, अर्थात युद्ध के मैदान हैं, जहां कुफ्फार को मुक़ाबला में क़त्ल करना जाइज़ होता है, ये किताब भी सय्यद कुतुब और उसकी किताब **फी ज़िलालिल कुरआन** के पेट से निकली है, **शकरी मुस्तफा** और उसका जिहादी संगठन जो तमाम मुसलमानों को काफिर समझती है, और तमाम अ़वाम पर जरूरी क़रार देती है कि वह उनकी फिक्र व सोच के मुताबिक़ इस्लाम क़बूल करें, फिर अपने अपने इलाक़े से हिजरत करके किसी एक जगह जमा हों, यही विचारधारायें मुहम्मद अ़ब्दुस्सलाम के हैं, जिसका आन्दोलन **तन्ज़ीमुल जिहाद** के नाम से है, और किताब **अल–फरीज़तुल ग़ाइबह**, भी ऐसी ही एक किताब है, और

[1] इब्नुल क़रिय्यह वल किताब, मलामिहु सीरतिन व मसीरतिन, 3/69

उसी की अंतिम तन्ज़ीम दाइश का भी यही हाल है, कि उसके लोग सय्यद कुतुब की **फी ज़िलालिल कुरआन** से प्रभावित हैं।

उसका ब्योरा कुछ इस तरह है कि तुर्की बिन मुबारक बिन अ़ली नामक व्यक्ति ने एक किताब लिखी, जो दाइश के दूसरे बड़े लीडर अबू मुहम्मद अ़दनानी की जीवनी है, उसमें लिखा गया है कि अबू मुहम्मद अ़दनानी सय्यद कुतुब की किताब **फी ज़िलालिल कुरआन** से बेहद प्रभावित है,उक्त किताब उसकी पसन्दीदा किताब है, लगभग बीस साल से ये किताब उसके अध्ययन में है, इस किताब को अपने हाथ से लिखने की भी इच्छा रखता है, एक दिन जब इस किताब को पढ़कर सुना रहा था, तो पढ़ते पढ़ते जब अल्लाह तआ़ला के फरमान पर पहुंचा : (तर्जुमा) : ﴿जो अल्लाह के उतारे हुए नियमों के अनुसार फैसला न करे, तो वही लोग काफिर हैं।﴾ तो इस आयत ने उसके दिल को हिलाकर रख दिया, उसने साथ बैठे शख़्स से पूछा : “सूरया के क़ानून की बुनियाद क्या है?” उसने जो जवाब देना था, दिया। फिर अ़दनानी ने उस से सवाल किया किः “क़ानून बनाने का अधिकार किसके पास है?” वह जो कुछ स्कूल मे पढ़ा था उसके अनुसार जवाब देता रहा, अ़दनानी ने उस से कहा : “ऐ फलां! इसका मतलब यह हुवा कि हमारी हुकूमत सारी की सारी काफिर हैं,” उसके साथी ने अस्सलामु अलैयकुम कहा और मुंह मोड़कर भाग गया। इस क़िस्म के मसाइल में तर्क वितर्क के आरम्भ के लिये यह घटना सबब बनी थी।

सालेह सरिय्या ने **रिसालतुल ईमान** में लिखा किः “आजकल इस्लामी देशों में जितनी भी हुकूमतें हैं, सब की सब काफिर हैं, इस में किसी क़िस्म का संदेह नहीं, और इन तमाम देशों में पाए जाने वाला समाज भी ज़मानए जाहिलीयत के समाज जैसा है।”

इन सब बातों से साफ ज़ाहिर है कि तन्ज़ीम दाइश हक़ीक़त में **फी ज़िलालिल कुरआन** के तकफीरी नज़रिये से उठने वाली लहरों में से एक लहर है और ज़िलाल नामक किताब इन सब तकफीरी फिक्र व सोच रखने वाली तन्ज़ीमों की जननी और आत्मा है।

इस क़िस्म के आन्दोलन एक ही सिलसिले की कड़ी हैं, इस लिए अत्यंत ज़रूरी है कि इस किताब का आलोचनातमक परिक्षण किया जाए, और इस झूट की गठरी का स्पष्टिकरण किया जाए जो इस किताब ने गढ़ रखे हैं, और उन झूठी विचारधाराओं स्पष्ट को भी किया जाए जो इस किताब के सबब पैदा हुए या हो रहे हैं।

हमें इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि हम सय्यद कुतुब की ज़ात से बहस करें, वह तो इस दुनिया से चले गये हैं, और मालिकुल मुल्क परवर दिगार की बारगाह में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम सय्यद कुतुब के उन लेखों को ज़रूर ज़िक्र करेंगे जो उन्होंने कुरआन समझने के नाम पर बयान किये हैं, जबकि कुरआनी अहकाम उनकी झूठी फिक्र से बरी हैं, और वहिये इलाहिया पर उन्होंने जो आकर्मण किये हैं, उन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे कुरआने अ़ज़ीम की तरफ संबंधित करके शरीअ़त के उद्देश्य रौंदे जा रहे हैं, उसी को बुनियाद बनाकर ये नाम की जिहादी संगठनें तमाम मुसलमानों को सामान्य रूप से काफिर क़रार दे कर उनके जान व माल, इज़्ज़त एवं आबरू को क्षति पहुंचा रही हैं।

हमारा असल मक़सद इस विचारधारा को इ़ल्मी निगाह से परखना है, ताकि शरए़ मुतह्हर की तरफ मन्सूब की जाने वाली ग़लत सोच को खत्म कर सकें, इसी के साथ इन ग़लत नज़रियात को फैलाने वाले को भी आलोचना का सामना करना होगा, क्योंकि ये नज़रियात उसी इन्सान से जुड़े हैं, हां! इतनी बात तो है कि हमारा असल मक़सद शख़्सियत नहीं बल्कि उसकी विचारधारा है, जिसकी हम छानबीन करके ग़लत सोच रखने वाले और दीन से हटे शख़्स की तावीले फासिद (बेकार बहाने) से कुरआने पाक के अर्थ एवं आशय की सुरक्षा कर सकेंगे।

और ये कैसे संभव है कि कोई कुरआनी आयत से उसके विशेषता या सामान्यता या मुक़य्यद अर्थ निकाल ले! क्योंकि किसी शख़्स को इस बात की हरगिज़ अनुमति नहीं कि वो कुरआने अ़ज़ीम के ऐसे अर्थ बयान करे, जो कुरआने पाक के आशय को बिगाड़ दे, और त्रुटिपूर्ण आशय लेकर उसके द्वारा हामिलीने कुरआन अर्थात उसके मानने वाले मुसलमानों को काफिर

क़रार दे दे, और गलत साधनों से वहिये इलाही और उसके उद्देश्यों पर आक्रमण करे।

उग्रवाद लेखों की सूची में सब से उपर हाकिमिय्यत का मसला है, सय्यद कुतुब ने ये सोच दर हक़ीक़त अबुल अअ़ला मौदूदी की फिक्र से ली है, मगर ये कि सय्यद कुतुब ने इस नज़रिया को कुछ और तरक़्क़ी देकर बढ़ावा भी दिया है, गारा मिट्टी तो मौदूदी ने तैयार किया था, मगर सय्यद कुतुब ने उस से ऐसी मूर्ती बनायी जिस से तकफीर टपक रही है, शैख़ क़रदावी ने अपनी याददाश्त में लिखा कि : “सय्यद कुतुब का ये एक नया मरहला है, जिसे हम इस्लामी हुकूमतों के ख़िलाफ नाम का इस्लामी इन्क़िलाब का नाम दे सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि यह इस्लामी गिरोह का इस्लामी समाज पर हमला है, या ये कि सय्यद कुतुब की संगठन वह संगठन है जो अपने इस्लामी होने का तो दावा करती है, लेकिन हक़ीक़त में इस जमाअ़त के नज़दीक रूए ज़मीन के तमाम लोग ज़मानए जाहिलीयत में चले गये हैं, काफिर व मुश्रिक हो चुके हैं, इनकी नाम निहाद इन्क़िलाबी सोच दर असल यही है कि समाज और उस से संबंधित तमाम लोगों को काफिर क़रार दे दिया जाए।”([1])

उसके बाद शैख़ क़रदावी कहते हैं कि: “इस मरहला में पहुंचकर सय्यद कुतुब के नये बयानात तकफीरी सोच को पुख़्ता करने वाले और पूरे समाज में उसे फैलाने वाले हैं।” ([2])

सय्यद कुतुब ने हाकिमिय्यत के नज़रिया में जिस चीज़ का बुनियाद बनाया है, वह अल्लाह तआ़ला के इस फरमान का अर्थ एवं आशय को ग़लत दिशा में समझना है : (तर्जुमा :) ﴿जो अल्लाह ﷻ के नाज़िल कर्दा क़वानीन के मुताबिक़ फैसला न करे, तो वही लोग काफिर हैं।﴾ सय्यद कुतुब ने इस आयत की तफ्सीर में मौदूदी की पैरवी की है कि इस समाज में हर वह शख़्स काफिर है, जो शरई आदेशों को जारी न करे, अगरचे वह शरई

---

[1]इब्नुल क़रिय्यह वल किताब, 3/56

[2] इब्नुल करिय्यह वल किताब, 3/58

आदेशों को हक़ और सत्य जानता हो, और ये एतक़ाद रखता हो कि ये शरई आदेश (जिस पर दूसरों को अ़मल न करवा सका) अल्लाह तआ़ला की तरफ से सच्ची वह़ी है, यहां तक कि वह शख़्स भी काफिर है जो शरई आदेशों को लागू करना चाहता था लेकिन किसी रुकावट के कारण उस पर अ़मल न करवा सका।

यह एक अ़जीब व ग़रीब मज़हब व मसलक है, जो उग्रवाद व तंग नज़री की अन्त को पहुंचा हुआ है, यह विचारधारा मुसलमानों को काफिर क़रार देने में जल्दबाज़ी और बड़ी फराख़ दिली से काम लेता है, सय्यद कुतुब ने इसमें इतना और बढ़ा दिया कि इस्लामी हुकूमत हासिल करना ईमान की जड़ में से क़रार दिया, और उसे अ़क़ाइद का एक जरूरी हिस्सा क़रार दिया, और जो लोग इस्लामी हुकूमत न बना सकें उन्हें काफिर क़रार दे दिया, और बिल्कुल यही अक़ीदा ख़वारिज है।

तब्क़ए सहाबए किराम رضي الله عنهم से लेकर आज तक तमाम उ़लमाए इस्लाम का पक्ष इसके ख़िलाफ है, उ़लमाए किराम के अनेक कथन और व्याखाऐं इस आयते करीमा की तफ्सीर में मौजूद हैं, जिन में सब से ज्यादा विश्वासनीय यह है कि इस आयत से मुराद वह शख़्स है जो अल्लाह तआ़ला के उतारे हुए आदेश को सत्य न मानता हो, उसके वह़ी होने का इन्कार करता हो, तो यह निसंदेह काफिर है, लेकिन जो इस बात को मानता हो कि कुरआन और हुक्मे इलाही सत्य पर है, लेकिन किसी वजह से उसे लागू न कर सका हो, तो वह गुनहगार है मगर काफिर नहीं।

इमाम फख़रुद्दीन राज़ी ने तफ्सीरे कबीर में फरमाया कि: "इ़करमा ने कहा कि अल्लाह ﷻ का फरमानः (तर्जुमा :) ﴿जो अल्लाह तआ़ला के उतारे हुए कानूनों के अनुसार फैसला न करे, तो वही लोग काफिर हैं।﴾ उसके बारे में है जो अल्लाह ﷻ के फैसले को दिल से भी न माने, और ज़बान से भी इसका इन्कार करे, लेकिन जो शख़्स दिल से इसे माने और ज़बान से इस बात का इक़रार भी करे कि ये अल्लाह का फैसला बरहक़ है, लेकिन उसका काम इसके विरूद्ध हो, तो ऐसा शख़्स अल्लाह ﷻ के हुक्म को मानने वाला है (यअ़नी काफिर नहीं), अलबत्ता अ़मल को छोड़ने वाला कहलाएगा, मानकर

अ़मल न करने वाला इस आयत के तहत कुफ्फार में दाख़िल नहीं, और यही जवाब सही है।" ([1])

हुज्जतुल इस्लाम इमाम ग़िज़ाली عليه الرحمه ने फरमाया कि: "अल्लाह ﷻ ने तौरात और उसके अहकाम के वर्णन के बाद इरशाद फरमाया: (तर्जुमा:) ﴿जो अल्लाह तआ़ला के नाज़िल कर्दा क़वानीन के मुताबिक़ फैसला न करे, तो वही लोग काफिर हैं﴾

हम कहते हैं कि इस से तात्पर्य वह शख़्स है जो अल्लाह तआ़ला के उतारे हुए फैसले को झुटलाए और उसे हक़ मानने से इन्कार करे।" ([2])

इमाम अबू मुहम्मद इब्ने अतिय्यह उन्दलुसी ने अल–मुहर्ररुल वजीज़ में फरमाया कि: "इस आयत के शब्द सामान्य नहीं, बल्कि मुश्तरक हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लफ्ज़े मुश्तरक मअ़नए ख़ास में इस्तेमाल होता है, जैसे अल्लाह तआ़ला का फरमान : (तर्जुमा:) ﴿जो अल्लाह ﷻ के नाज़िल कर्दा क़वानीन के मुताबिक़ फैसला न करे, तो वही लोग काफिर हैं﴾ इस से मुराद मुसलमानों के शासक नहीं जब वह किसी मुआ़मला में नाहक़ फैसला करें।" ([3])

जब भी कोई अइम्मए तफ्सीर के कलाम का अध्ययन करेगा, तो वह देखेगा कि हज़रत सय्यिदुना इब्ने मसऊ़द, हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास, हज़रत सय्यिदुना बरा बिन आ़ज़िब, हज़रत सय्यिदुना हुज़ैफा बिन यमान, इबराहीम नख़ई, सुद्दी, दह्हाक, अबू सालेह, अबू मजलज़, इ़करमा, क़तादा, आ़मिर शअ़बी, अ़ता व ताऊस और फिर इमाम तिबरी जामेउ़ल बयान में हुज्जतुल इस्लाम इमाम ग़िज़ाली ने मुस्तसफा में इब्ने अतिय्यह ने मुहर्ररे

---

[1] अत्तफ्सीरुल कबीर, प. 6, अल–माइदा, तहतल आयह : 45, 12/368

[2]अल–मुस्तसफा, अल–कुतुबुस्सानी फी अदिल्लतिल अहकाम, ख़ातिमतुल कुतुब मा यजुन्नु अन्नहु मिन उसूलिल अदिल्लह व लयसा मिन्हा, अल–असलुल अव्वल मिनल उसूलिल मौहूमह शरअ़ मिन क़ब्लेना, स. 168–

[3]अल–मुहर्ररुल वजीज़ फी तफ्सीरिल किताबिल अ़ज़ीज़, प. 5, अन्निसा, तहतल आयह : 93, 2/95–

वजीज़ में इमाम फख़रुद्दीन राज़ी ने मफातीहुल ग़ैब में, इमाम कुरतबी व इब्ने जुज़ी ने तसहील में, अबू हय्यान ने बहरे मुहीत में, इब्ने कसीर ने तफ्सीरे कुरआने अज़ीम में, अल्लामा आलूसी ने रूहुल मआ़नी में, ताहिर बिन आशूर ने अत्तहरीर वत्तनवीर और शैख़ शअ़रावी ने अपनी तफ्सीर में, इन तमाम हज़राते मुफस्सिरीन ने एक ही मअ़ना में इस आयत की तफ्सीर बयान की है।

इन तमाम हज़रात के मुक़ाबले में सय्यद कुतुब इस आयत की तफ्सीर में कहते हैं कि : "इस क़तई व यक़ीनी, सबके लिये आ़म और सबको शामिल बात में झगड़ना हक़ीक़त से मुंह फेरकर भागने के सिवा कुछ नहीं, इस क़िस्म के फैसले में तावील करना कुरआनी कलिमात (शब्दों) में तहरीफ (हेर फेर) करना है।" ([1])

ये बात कहकर सय्यद कुतुब ने तमाम अइम्मए किराम को कुरआन के कलिमात में तहरीफ करने वाला ठहरा दिया।

सय्यद कुतुब की इस तकफीरी सोच को अगर हम भूत काल में तलाश करें तो ख़ारजियों के सिवा और कोई इस सोच वाला नहीं मिलता, इमाम आजुर्री शरीआ़ में फरमाते हैं किः "अ़ता बिन दीनार से मरवी है कि सईद बिन जुबैर عليه الرحمه ने अल्लाह ﷻ के फरमान :﴿وأخر متشبهات﴾([2]) के बारे में फरमायाः "मुतशाबिहात कुरआने करीम में वह आयात हैं कि जब उनकी तिलावत की जाए तो पढ़ने वालों को उनके अर्थ समझने में संदेह हो, इसी कारण से वह शख़्स उन से गुमराह हो जाता है जो ये कहे कि इस आयत के यही अर्थ हैं जो मैंने समझा, हर गिरोह कुरआने मजीद की कोई आयत पढ़ता है, और वह समझता है कि वह सत्य मार्ग को पहुंच चुका है।

और जिस मुतशाबह आयत के मअ़ना के पीछे हुरूरियह (ये ख़वारिज का एक नाम है) लग गये वह अल्लाह तआ़ला का फरमान : (तर्जुमाः) ﴿जो अल्लाह तआ़ला के उतारे हुए कानूनों के आधार पर फैसला न करे, तो वही

[1]फी ज़िलालिल कुरआन, प. 6, अल–माइदा, तहतल आयह : 44, 2/898
[2] प. 3, आले इमरान : 7–

लोग काफिर हैं》 है, और उसी के साथ पढ़ते हैं : (तर्जुमाः) 《वह लोग जिन्होंने कुफ्र किया वह अपने रब के साथ बराबरी वाले ठहराते हैं, यअ़नी मुश्रिक हैं [1]》 इसलिए जब कोई शासक नाहक़ फैसला करता है तो वह कहते हैं कि उसने कुफ्र किया, और जो कुफ्र करे उसने रब ﷻ के साथ किसी को शरीक ठहराया, और जो रब तआ़ला के साथ किसी को शरीक (साझीदार) ठहराए, निसंदेह वह मुश्रिक है, लिहाज़ा ये उम्मत मुश्रिक है, फिर बग़ावत के लिये निकलते हैं, और वही कुछ करते हैं जो आपने देखा, वजह उसकी ये है कि वह इस आयते करीमा की ग़लत तफ्सीर करते हैं।" ([2]) –

सय्यद कुतुब की गुमराही का कारण यही है कि वहिये इलाही को समझने के लिये उ़लमाए इस्लाम के अनुभव से मुंह मोड़ा, वह अनुभव और ज्ञान एवं विद्या की पुख़्तगी जो इस्लामी इतिहास के तमाम घटनाओं के गुज़रने के बाद उन्हें प्राप्त हुआ, सय्यद कुतुब अपनी स्वार्थ की पैरवी में उ़लमाए इस्लाम की विचारधाराओं से जाहिल नहीं, बल्कि जान–बुझ कर जाहिल बन रहे हैं, बल्कि उन्होंने उ़लमाए हक़ के नजरियात को ज़मानए जाहिलीयत की संस्कृति क़रार दे दिया, कहते हैं कि: "बहुत सारी सभ्यताऐं जिन्हें हम इस्लामी सभ्यता और इस्लामी विचारधारा, या इस्लामी फलसफा या इस्लामी फिक्र समझते हैं, हालांकि हक़ीक़त में वो सब ज़मानए जाहिलीयत की बातें हुवा करते हैं।" ([3]) –

कुरआने करीम को समझने में सय्यद कुतुब ने अपने आप को विद्वानों के स्तर से गिरा दिया, और कुरआने करीम को समझने के लिये उसने अपने ही आईने और अपनी ही ज़ात पर भरोसा कर लिया, और अपने ख़ास कल्पनाओं पर ही उसका दारो मदार है, जैसा कि वह अपनी किताब "अत्तसवीरुल फन्नी" के आरम्भ में लिखते हैं कि : "मैं मदारिसे इल्मिया में दाख़िल हुआ, तफ्सीर की पुस्तकों में तफ्सीरे कुरआन पढ़ी, गुरुओं से तफ्सीर

---

[1] प. 7, अल–अन्आ़म : 1–

[2] अश्शरीआ़, बाबुन ज़िक्रुस्सुनने वल आसार फी मा ज़करनाहु, र : 44, 1/341 –

[3] मआ़लिम फित्तरीक़, जैले कुरआनी फरीद, स. 17, 18 –

सुनी तो जो कुरआन मैं गुरुओं से पढ़ता था, या सुनता था, उस कुरआन को इतना ख़ूबसूरत और स्वादिष्ट नहीं पाया, जो स्वादिष्ट व ज़मील कुरआन मैंने बचपन में पाया था, आह! कुरआन की सुन्दरता और जमाल की तमाम निशानियां मिट कर रह गईं, यह कुरआन स्वाद व शौक से ख़ाली है, बल्कि तुम भी दो कुरआन पाओगे : एक बचपन वाला, शौक़ दिलाने वाला, मीठा और आसान कुरआन, और दूसरा जवानी का कुरआन जो मुश्किल, तंग, पेचीदा और रेज़ा रेज़ा है, तफ्सीर के मुआ़मला में किसी और की पैरवी को एक जुर्म ख़याल करने लगा, ये सोच कर मैं उसी कुरआन की तरफ पलट आया जो तफ्सीर के बग़ैर मसहफ में है, उस कुरआने अ़ज़ीम की तरफ नहीं जो तफ्सीर की किताबों में है, तो अब जब मैंने तफ्सीर के बग़ैर कुरआन पढ़ा तो अपना ख़ूबसूरत और लज़ीज़ खोया हुआ कुरआन दोबारा पा लिया, जो शौक़ को उभारने वाला है।" ([1]) ...।

यह किस क़दर ख़तरनाक इ़बारत है, कुरआन को समझने के मुआ़मले में उस शख़्स की शैली और मानसिकता साफ मालूम हो रही है, उस शख़्स ने उ़लमाए उम्मत की उन कोशिशों से पूरे तौर पर मुंह मोड़ लिया जिन्होंने चौदह सौ साल पहले से नस्से कुरआनी और उसके समझने के लिये मेहनत की, बल्कि उन्होंने जो इल्मी ख़ुलासा व नतीजा पेश किया उसे ये शख़्स ज़मानए जाहिलीयत की सोच क़रार देता है, और अपनी उस समझ पर भरोसा करता है जो ख़ुद बचपन में महसूस करता था, उस इ़ल्मी बारीक व पुख़्ता शऊर के बग़ैर जो उ़लमाए उम्मत को हासिल है, वो अपने इस कलाम से यही बताना चाहता है कि किसी भी आयत के कोई बारीक अर्थ नहीं हुवा करते, जिस के इस्तिंबात (अहकाम निकालने) के लिये उ़लमा की ज़रूरत हो, हालांकि उसकी ये बात ख़ुद कुरआने करीम के भी ख़िलाफ है, अल्लाह عَزَّوَجَلَّ इरशाद फरमाता है : (तर्जुमा:) ﴿अगर वो इस मुआ़मले को रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم और अहले इख़्तियार की तरफ ले जाते, तो उनमें से इस्तिंबात करने वाले उसे जान लेते।﴾ ([2])

---

[1] अत्तसवीरुल फन्नी फिल कुरआन, लक़द वजद्तुल कुरआन, स. 8 –
[2] प. 5, अन्निसा : 83 –

तकफीरी विचारधाराओं एवं सोच द्वारा हर ज़माने में इस आयत की तफ्सीर में बिगाड़ करके पैदा की गई है, और इस्लामी इतिहास के हर दौर में इस आयत के सही अर्थ व आशय को जो इस्लामी विद्वान लोग बयान करते चले आये हैं, उसे छोड़कर ख़ारजी लोग इस आयत के ग़लत अर्थ व आशय बयान करके विद्रोह व क़त्लो ग़ारतगरी करते चले आ रहे हैं, जैसा कि ख़तीब बग़दादी ने तारीख़े बग़दाद में रिवायत किया कि : इब्ने अबी दाऊद कहा करते थे कि : ख़वारिज में से एक शख़्स मामून रशीद के पास गया, मामून ने पूछाः “तुम्हें हमारे खिलाफ किसने उभारा?” उसने कहाः “अल्लाह की किताब की एक आयत ने।” मामून ने कहा : “कौन सी आयत?” उसने कहा कि अल्लाह का फरमान है : (तर्जुमाः) ﴿जो अल्लाह ﷻ के नाज़िल कर्दा क़वानीन के मुताबिक़ फैसला न करे, तो वही लोग काफिर हैं।﴾ मामून ने कहा : “क्या तुम जानते हो कि ये आयत अल्लाह ﷻ की तरफ से उतारी गई है?” उसने कहा : “जी, हां!” मामून ने कहा तुम्हारे पास क्या दलील है? उसने कहा : इजमाए उम्मत। मामून ने कहा : जिस तरह तुमने इसके अल्लाह तआ़ला की तरफ से नाज़िल होने पर इजमाए उम्मत की बात मान ली, उसी तरह इस की तफ्सीर के मुआ़मले में भी इजमाए उम्मत की बात मान लो! इस पर उस ख़ारजी ने कहा कि आप ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और अस्सलामु अलैयकुम या अमीरुल मोमिनीन कहता हुवा चला गया।” ([1]) –

नबीये करीम ﷺ ने हमें पहले ही से तकफीरी रास्ते से बचने पर पूरा बल दिया है, चुनांचे हज़रत सय्यिदुना हुज़ैफा رضي الله عنه ने फरमाया किः “रसूलुल्लाह ﷺ ने इरशाद फरमायाः (तर्जुमाः) तुम्हारे बारे में मुझे उस आदमी से बड़ा डर लगता है, जो कुरआन पढ़ेगा यहां तक कि कुरआन की ताज़गी उसके चेहरे से नुमायां होगी ओर साथ साथ (बज़ाहिर) इस्लाम की मदद भी करेगा, दर हक़ीक़त बक़दरे मशियते इलाही वो इस्लाम का नुक़सान पहुंचाता

[1] तारीख़े बग़दाद, हर्फुल हा मिन आबाइल इबादिला, र : 5330, अ़ब्दुल्लाह अमीरुल मोमिनीन अल–मामून बिन हारून अर्रशीद..... अल–आख़िर, 10/183,184 –

होगा, इस्लाम से बाहर निकल जाएगा, इस्लाम को पीठ पीछे फेंक देगा, अपने पड़ोसियों पर तलवार उठाएगा, उन पर शिर्क की तोहमत लगाएगा। (हज़रत सय्यिदुना हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं कि :) मैंने अर्ज़ की : या रसूलुल्लाह! शिर्क की तोहमत लगाने वाला मुश्रिक होगा या जिस पर तोहमत लगाई जाएगी वो मुश्रिक होगा? नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :बल्कि शिर्क की तोहमत लगाने वाला ख़ुद मुश्रिक होगा।"

जलीलुल क़द्र मुहद्दिस इमाम बज़्ज़र ने इस हदीस को अपनी मुसनद में रिवायत किया। और इमाम हैसमी ने बज़्ज़ार की सनद को हसन क़रार दिया, इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में अबू यअ़ला ने अपनी मुसनद में और इब्ने कसीर ने इसकी सनद के बारे में फरमाय कि : ये सनसद उ़म्दा है, और तहावी ने शरहे मुश्किलुल आसार और हरवी ने ज़िम्मुल कलाम व अहलेहि में, और इब्ने अ़साकिर ने तबयीनु किज़्बुल मुफ्तरी में इसे रिवायत किया है।

और ये हदीस सय्यिदुना मुआ़ज़ बिन जबल رضي الله عنه से भी मरवी है, इसे तिबरानी ने मुसनदुश्शामिय्यिन में, यअ़कूब बिन सुफियान ने अल–मअ़रिफतु वत्तारीख़ में, इब्ने अबी आसिम ने किताबुस्सुन्नह में, हरवी ने ज़िम्मुल कलामे व अहलेहि में और अबुल क़ासिम असबहानी ने अल–हुज्जह में इसे रिवायत किया,

और कुछ पृष्ठों के बाद इस हदीस की कुछ और व्याख्या जल्द ही आ रही है।

ऐसा भी हो सकता है कि उम्मते मुहम्मदिया तमाम की तमाम कुफ्र की तरफ लौटकर इस्लाम से मुकर जाए, जैसा कि सय्यद कुतुब की अवधारणा है, या जैसा ख़याल उनके पीछे चलने वाली नाम निहाद दीनी जमाअ़तो, टोलियों को है, नबीये करीम ﷺ पहले ही से इस बात की ख़बर दे चुके हैं कि उम्मते इस्लामिया शिर्क व कुफ्र से महफूज़ रहेगी। इमाम बुख़ारी ने अपनी सही में हज़रत सय्यिदुना उ़क़्बा बिन आ़मिरرضي الله عنه से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया : (तर्जुमा : मुझे तुम्हारे बारे में इस बात का डर नहीं कि तुम शिर्क करोगे, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में डर है

कि तुम दुनिया के लालच पड़ जाओगे।([1]) यहां तक कि इमाम हाफिज़ अबू उ़मर इब्ने अ़ब्दुल बर्र ने तम्हीद में फरमाया : जो शख़्स उम्मते मुहम्मद के बारे में उस चीज़ का ख़ौफ रखे जिस का डर उम्मत के नबी को नहीं था ऐसा शख़्स वाक़ई उजड और बे सोचे समझे बकता है। ([2]) –

यह एक स्पष्ट उदाहरण है उस शख़्स की जो कुरआने अज़ीम को सही समझने से मुकर चुका है, और ऐसा उस वक़्त होता है जब वहिये इलाही को सही तौर पर समझने के श्रोत मौजूद न हों, इसलिये कलामुल्लाह को समझने के लिये सिर्फ अ़क्ल काफी नहीं, कभी–कभी बुद्दिमान होने के बावजूद इन्सान की अ़क्ल पर गुमराही और स्वार्थ का प्रभाव रहता है, फिर धर्म से जाहिल इन्सान अल्लाह के धर्म को रहमत और राहत से बदलकर नर–संहार का नाम धर्म रख लेते हैं, ऐसे में सच्चे उ़लमा पर फर्ज़ है कि अपनी ज़िम्मादारी अदा करते हुए इस ग़लत विचारधारा को वहिये इलाही के सही मफहूम से दूर रखें, जो उग्रवादियों ने कुरआने अ़जीम से संबधित कर रखे हैं, ताकि अल्लाह तआ़ला के सच्चे धर्म की पाकीज़गी वाज़ेह हो, और भटकी हुई परेशान व बीमार सोच से अल्लाह का धर्म महफूज़ रहे, और कुरआने अ़जीम का सही अर्थ समझने के लिये राह हमवार हो सके।

[1] सहीहुल बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाबुन ग़ज़वतु उहद, र : 4042, 5/94 –

[2] अत्तम्हीद लिमा फिल मोत्ता मिनल मआ़नी वल असानीद, बाबुन बलाग़ातु मालिक व मुरसलातेहि, तहत र : 908, 24/267 –

समस्त उ़लमाए उम्मत के समक्ष सय्यद कुतुब की तुलना

समस्त उम्मत एक जानिब	तकफीरी टोला दूसरी तरफ
हज़रत सय्यिदुना इब्ने मसऊ़द, इब्ने अ़ब्बास, बरा बिन आ़ज़िब, हुज़ैफा बिन यमान, इबराहीम नख़ई, सुद्दी, ज़ह्हाक, अबू सालेह, अबू मजलज़, इ़करमा, क़तादा, आ़मिर शअ़बी, अता, ताऊस अबू रिजा, अ़तारुदी, उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह, हसन बसरी, फिर इमाम तिबरी जामेउ़ल बयान में, हुज्जतुल इस्लाम इमाम ग़िज़ाली मुस्तसफा में, इमाम बग़वी अपनी तफ्सीर में व इब्ने जौज़ी ज़ादुल मसीर में इमाम फख़रुद्दीन राज़ी मफातीहुल ग़ैब में इमाम कुरतबी व इब्ने जुज़ी तसहील में, अबू हय्यान बहरे मुहीत में इब्ने कसीर अपनी तफ्सीरे कुरआन में, आलूसी रूहुल मआ़नी में, ताहिर बिन आशूर तहरीरो तनवीर में और शैख़ शअ़रावी अपनी तफ्सीर में। ✣✣✣✣ इस आयत के अर्थ में इन अइम्मए मुफस्सिरीन ने कई तरीक़ों से तफ्सीर बयान की है, जिसका ख़ुलासा ये है कि आयत अल्लाह के नाज़िल कर्दा फैसला के मुताबिक़	सय्यद कुतुब ✣✣✣✣ हमने सय्यद कुतुब जैसी तकफीरी सोच वाला किसी को नहीं पाया, इमाम आजिर्री ने किताब अश्शरीआ में सय्यिदुना सईद बिन मुसय्यब की बात नक़ल फरमाया है कि : ख़वारिज ने अल्लाह तआ़ला का ये फरमान पढ़ा : (तर्जुमा : जो अल्लाह के नाज़िल किये पर फैसला न करें वही काफिर हैं।) और इसी के साथ कुरआन की ये आयत भी पढ़ते हैं : (तर्जुमा : वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो अपने रब के साथ बराबरी वाले ठहराते हैं, यअ़नी मुश्रिक हैं।) लिहाज़ा जब कोई हाकिम नाहक़ फैसला करता है तो वह कहते हैं कि उसने कुफ्र किया, और जो कुफ्र करे उसने रब तआ़ला के साथ किसी को बराबर का ठहराया और जो रब तआ़ला के साथ किसी को बराबर ठहराए तो निसंदेह वह

फैसला न करने वाले के बहुत सख्त गुनहगार होने के बयान में है, मगर ऐसा करना कुफ्र नहीं, किसी मुफस्सिर ने भी वो तफ्सीर नहीं की जो तकफीरी उग्रवाद सय्यद कुतुब ने की है।	मुश्रिक है, लिहाज़ा यह उम्मत मुश्रिक है। ऐसा कहने के सबब यह उग्रवाद लोग इस्लाम धर्म के सही तरीक़े से निकल जाते हैं और वह कुछ करते हैं जो आपने देखा।

नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ख़बरदार फरमा दिया

हज़रत सय्यिदुना हुज़ैफा رضي الله عنه ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है : (तर्जुमा : तुम्हारे बारे में मुझे उस आदमी से बड़ा डर लगता है जो कुरआन पढ़ेगा यहां तक कि कुरआन की ताज़गी उसके चेहरे से नुमायां होगी, और साथ साथ (बज़ाहिर) इस्लाम की मदद भी करेगा, दर हक़ीक़त बक़दरे मशियते इलाही वह इस्लाम को नुक़सान पहुंचाता होगा, इस्लाम से बाहर निकल जाएगा, इस्लाम को पीठ पीछे फेंक देगा, अपने पड़ौसियों पर तलवार उठाएगा, उन पर शिर्क की तोहमत लगाएगा। हज़रत सय्यिदुना हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं कि : मैंने अ़र्ज़ की या रसूलुल्लाह! शिर्क की तोहमत लगाने वाला मुश्रिक होगा या जिस पर तोहमत लगाई जाएगी वो मुश्रिक होगा? नबीये करीम ﷺ ने फरमाया : बल्कि शिर्क की तोहमत लगाने वाला ख़ुद मुश्रिक होगा।

जलीलुल क़द्र मुहद्दिस इमाम बज़्ज़ार ने इस हदीस को अपनी मुसनद में रिवायत किया। और इमाम हैसमी ने बज़्ज़ार की सनद को हसन क़रार दिया, इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में अबू यअ़ला ने अपनी मुसनद में और इब्ने कसीर ने इसकी सनद के बारे में फरमाया कि : ये सनद उ़म्दा है,([1])

[1] मुसनदुल बज्जार 7/220, प्रकाशनः मुअस्ससतुल कुर्आन, मकतबतुल अलूम वल हेकम,बैरुत, अलमदीना, सन् 1409 हिजरी, एवं मजमउ जवाएद 1/178/, प्रकाशन दारुल रय्यान लिततुरास, व दारुल किताबिल अरबी, काहरा, बैरुत, सन्1407 हिजरी, व सहीह इब्ने हिब्बान 1/281/, बाबो जिकरे मा काना यतखव्वफो सल्लल्लाहु अलैहि=

ये हदीसे पाक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिये कि इस हदीस में मुस्तफा जाने रहमत ﷺ इस्लाम का जज़्बा रखने वालों की एक अ़जीब हालत बयान फरमा रहे हैं, जो अनेक हालतों में होंगे, अ़जीब तरीक़ा से अपनी एक हालत से दूसरी हालत की तरफ पलट जाऐंगे, उनमें तिलावते कुरआने करीम का अ़जीब शौक़ नज़र आएगा, बड़ी लगन नज़र आएगी, यहां तक कि उनके चेहरों पर कुरआन का नूर चमकता होगा, वो सामान्यतः मुसलमानों की तकफीर करेंगे, आ़म मुसलमानों के ख़िलाफ शस्त्र एवं हथियार उठाकर उनका नाहक़ ख़ून बहाऐंगे।

रहमते आलमियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में तीन तीन बातें इरशाद फरमाईं :

पहली बातः यह कि अल्लाह तआ़ला उन्हें कुरआने करीम अ़ता फरमाएगा, वह कुरआन से जाहिल नहीं होंगे, बल्कि कुरआन ही से संबंधित होंगे, कुरआन की सेवा भी कर चुके होंगे, उसे हिफ्ज़ भी किया होगा, कुरआन की सुन्नत से मशहूर भी होंगे, लोग उन्हें ख़िदमते कुरआन के सबब अच्छा समझते होंगे।

दूसरी बातः यह कि उन में यह बात होगी कि उन पर कुरआन की ताज़गी ज़ाहिर होगी, इसलिये कि कुरआन नूर है, कुरआन शरीफ की अपनी एक ताज़गी है जो पढ़ने वाले को हासिल होती है, कुरआन के शौक़ और ज्यादा से ज्यादा तिलावत के सबब लोग उन उग्रवादियों पर कुरआन की रोशनी देखेंगे, जो कोई कुरआन की ख़िदमत करे, हमेशा उसकी तिलावत करे, नूरे कुरआन उस में अपना असर ज़रूर छोड़ता है, उस असर के सबब उनके बारे में लोगों का गुमान और ज्यादा अच्छा हो जाता है।

तीसरी बातः यह कि ये इन्तेहा पसन्द लोग धर्म का बहुत ज़्यादा जज़्बा रखने वाले दिखाई देंगे, यहां तक कि लोग उन्हें इस्लाम का मददगार, रक्षक और हिफाज़त करने वाला समझेंगे, इन लोगों की गतिविधियों के कारण समाज में उनके लिये एक अच्छी अवधारणा स्थापित होगी, लोग अच्छा

=वसल्लम अला उम्मतिहि जिदालल मुनाफिकीन, प्रकाशन मुअस्ससतुर रिसाला, बैरुत, सन्1414 हिजरी, 1993 ई0, व तफसीरे इब्ने कसीर 2/266, प्रकाशन दारुल फिकर, बैरुत, सन् 1401 हिजरी।

समझते हुए उनके हम ख़याल बन जाऐंगे, जब कुछ लोग उनकी मुख़ालिफत करेंगे तो यह हम ख़याल लोग उन उग्रवादियों की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि लोगों के सामने तो उग्रवादियों की कुरआन की सेवा और इस्लामी भावना होगा, यूं लोगों के बीच उनकी सहायता एवं विराध के कारण इख़्तिलाफ व इन्तिशार बढ़ जाएगा।

फिर उन लोगों में एक आश्चर्यजनक बदलाव होगा, जिसे नबीये पाक ﷺ ने : (तर्जुमा : बक़दरे मशियते इलाही वो इस्लाम को नुक़सान पहुंचाऐंगे, से ताबीर फरमाया। और ये तब्दीली कुरआन के अल्फाज, उसकी इबारत, और उसके शब्दों में नहीं करेंगे बल्कि यह तब्दीली कुरआन के अर्थ और तफ्सीर में करेंगे, बढ़ चढ़ कर कुरआन में तावीलाते बातिला (गलत मतलब) के ज़रिये आकर्मण करेंगे, वह इसी धोका में रहेंगे कि : हम कुरआने करीम की तिलावत बड़ी मेहनत व मशक्कत से करते हैं, और यही कुरआन को समझने के लिये काफी है, यह नहीं देखेंगे कि हम कुरआन से इस्तिंबात सही कर रहे हैं या ग़लत, अच्छी तरह तिलावत का ख़याल रखेंगे, अच्छी तरह इस्तिंबात को भूल जाऐंगे, इस्लाम से हटा हुआ इस्तिंबात, गलत और गुमराह ख़यालात में इसीलिये लुप्त होंगे कि कुरआन को समझने के लिये जिन उ़लूम व क़वानीन व ज़वाबित की ज़रूरत है वो उनसे महरूम होंगे, कुरआने करीम के उद्देश्यो कों न समझने के कारण मुसलमानों की तकफीर करेंगे, अपने समाज में मुसलमानों पर शिर्क की तोहमत लगाऐंगे, फिर सिर्फ इसी पर बस नहीं करेंगे, मुसलमानों पर तलवार और असलहा भी उठाऐंगे, नाहक़ ख़ून भी बहाऐंगे, और जब भी कोई उन्हें रोकेगा, तब उनकी ज़िद व दुश्मनी में और ज्यादा इज़ाफा होगा, क्योंकि वो कुरआने करीम के मनपसन्द मअ़ना व मफहूम बयान करने में अकेले होंगे, और आयाते कुरआनिया की ऐसी तफ्सीर करेंगे जिस से लोग कुरआन के मुआ़मला में शक और संदेह में हो जाऐंगे, जबकि वो ख़ुद भी शक व संदेह में होंगे।

वह किस तरह कुरआने करीम के मअ़ना में तब्दीली करेगा? किस तरह दर्जा बदर्जा आगे बढ़ेगा? यही करेगा कि कुरआने करीम की तफ्सीर अपनी तरफ से बयान करेगा, उस के मआ़नी मोड़ तोड़कर बिगाड़ेगा, इस्लाम के उद्देश्यों का पतन करेगा, और उसे इस बात का शऊ़र भी नहीं होगा।

मनमानी तफ्सीर के दलदल में इस तरह फंसता चला जाएगा कि आयाते कुरआन में मनघड़त मफहूम और नज़रियात तराशेगा, जिसके कारण ख़ुद बनाये हुए नज़रियात व नियम जन्म लेंगे, अ़जीब व ग़रीब परिणाम निकल कर आयेंगें, और उसे इसका अहसास ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास उन नियमों का ज्ञान ही नहीं होगा, जिससे उ़लमाए इस्लाम परिपूर्ण हैं, उसके पास कोई इ़ल्मी तराज़ू नहीं जिससे अपनी कही हुई बात का नुक़्स व ग़लती मालूम कर सके, बल्कि वो कुरआने करीम के साथ अपने नज़रियात जोड़ता रहेगा, फिर उन्हें ज़बरदस्ती कुरआन से साबित करने की कोशिश करेगा, और वो बातें घड़ेगा जो कुरआने करीम ने नहीं कहीं।

कुरआन के उद्देश्यों के बरअक्स मअ़ना कुरआने करीम पर चसपा करेगा, जिन्हें सुनकर लोग हैरानो परेशान हो जाऐंगे, लोग उसे उसकी ग़लती नहीं बता सकेंगे, क्योंकि लोगों का उसके बारे में यही गुमान होगा कि ये हमेशा से बड़ी मेहनत से कुरआन पढ़ता, पढ़ाता है, उसकी ज्यादा से ज्यादा तिलावत को देखकर लोग शक में पड़ जाऐंगे कि यह पूरी उम्मत की मुख़ालिफत करके बातिल पर है, या सही रास्ते पर चल रहा है!!!

उपर्युक्त हदीस शरीफ से ज़रा अन्दाज़ा लगाइये कि यह उग्रवादी लोगों को किस क़दर परेशानी और दीनी नुक़सान में मुब्तला करेगा, कुछ लोग उसकी की तकफीरे मुस्लिमीन से होने वाले नुक़सान को देखकर यही समझेंगे कि यह उग्रवादी व्यक्ति कुरआन को रात दिन पढ़ता रहता है, अतः यह शख़्स तो ग़लत नहीं हो सकता कि (नऊजु बिल्लाह) ख़ुद कुरआन ही क़त्लो ग़ारतगरी की शिक्षा दे रहा हो, तो उस उग्रवादी की जिहालत के कारण लोग कुरआने पाक के बारे में बदगुमान हो जाऐंगे।

कुछ लोग समाज में ऐसे भी होंगे कि एक तरफ इन्तेहा पसन्दों की ग़लती देखेंगे, दूसरी तरफ उसके बकसरत तिलावते कुरआन को देखेंगे, और फैसला नहीं कर पाऐंगे कि आख़िर क्या सही है क्या ग़लत? यअ़नी हैरत में पड़ जाऐंगे।

कुछ लोग वह होंगे कि जो बड़ी तेजी के साथ इस बात पर इसरार करेंगे कि ये इन्तेहा पसन्द ही कुरआन के ज़्यादा क़रीब है, लिहाज़ा इस

इन्तेहा पसन्द के सबब लोग असल धर्म ही से दूर हो जाऐंगे, और धर्म को बदनाम करेंगे।

इमाम बुख़ारी عليه الرحمه ने अपनी सही में रिवायत की कि : हज़रत सय्यिदुना अबू मसऊ़द रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि किसी ने अ़र्ज़ की : या रसूलुल्लाह! फलां साहब, नमाज़े फज्र में बहुत लम्बी तिलावत करते हैं, लिहाज़ा में ताख़ीर से नमाज़ में दाख़िल होता हूं, इस पर रसूलुल्लाह ﷺ ने ऐसा ग़ज़ब फरमाया कि इतना ग़ज़ब फरमाते मैंने इस से पहले कभी नहीं देखा था, फिर आपने फरमाया : ([1]) (तर्जुमा : ऐ लोगों! तुम में से कुछ लोग लोगों को धर्म से नफरत दिला रहे हैं, जो कोई लोगों की इमामत करे, उसे चाहिये कि संक्षिप्त तिलावत करे, क्योंकि पीछे नमाज़ अदा करने वालों में कमज़ोर, उम्र दराज़ बुजुर्ग और कामकाज पर जाने वाले लोग भी हैं।

इमाम बुख़ारी ने सय्यिदुना जाबिन बिन अ़ब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत किया कि आपने फरमाया : एक शख़्स दो ऊंटनियां लेकर आया, रात हो चुकी थी, हज़रत सय्यिदुना मुआ़ज़ रदियल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ाने लगे, वो शख़्स अपनी ऊंटनी छोड़कर नमाज़ में शामिल हो गया, हज़रत सय्यिदुना मुआ़ज़ रदियल्लाहु अन्हु सूरए अल–बक़रह या सूरए अन्निसा पढ़ने लगे, वो शख़्स नमाज़ छोड़कर चला गया, फिर उसे पता चला कि सय्यिदुना मुआ़ज़ रदियल्लाहु मेरे इस अ़मल से नाराज़ हुए हैं, उसने नबीये करीम ﷺ की बारगाह में हज़रत सय्यिदुना मुआ़ज़ رضي الله عنه की शिकायत की, नबीये रहमत ﷺ ने तीन बार इरशाद फरमाया : (तर्जुमा :) ऐ मुआ़ज़! क्या तुम लोगों में फित्ने डालना चाहते हो? फिर इरशाद फरमाया : (तर्जुमा:) तुम्हें चाहिये था कि नमाज़ में सूरए अअ़ला या सूरए शम्स या सूरए लैल की तिलावत करते, क्योंकि पीछे नमाज़ अदा करने वालों में कमज़ोर, उ़म्र दराज़ बुजुर्ग और काम काज पर जाने वाले लोग भी होते हैं।

यह ज़मानए नबुव्वत मे होने वाली घटनाऐं हैं, कि बड़े बड़े सहाबा में से एक सहाबी के अ़मल के कारण लोग परेशानी में मुब्तला हुए, हालांकि वो

---

[1]सहीहुल बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाबुन मन ाका इमामेहि इज़ा तवला, र : 704, 1/142–

सहाबी दीनी भावना के कारण ऐसा करते हुए नमाज़ को लम्बी कर रहे थे, जिसके कारण लोग नमाज़ मे देर से आने लगे, या यह हुआ कि एक ने अलग होकर अपनी नमाज़ संक्षिप्त में पढ़ ली और अपने काम पर चला गया, एक रिवायत में आया कि कुछ लोगों ने भाविक होकर उस नमाज़ी को मुनाफिक़ कह दिया, वह शख़्स शिकायत करते हुए आया, न वो अ़मल और न ही ये शिकायत किसी गुनाह और नाफरमानी के बारे में थी, बल्कि दीनी काम में ज़्यादती की शिकायत थी, जिसके कारण लोग बेचैनी, परिक्षा और दीनी उमूर से दूरी में मुब्तला हुए।

फिर आपने देखा कि रहमते आलम ﷺ कितने नाराज़ हुए कि पहले कभी ऐसे नाराज़ नहीं हुए थे, नमाज़ में लम्बी किरअत करने वाले को धर्म से नफरत दिलाने वाला क़रार दिया, और फिर ख़ास तौर पर सहाबीए जलील को मुख़ातब करके सरज़निश फरमाई कि : क्या तुम लोगों में फित्ने डालोगे? फिर उन्हें दीन में आसानी पैदा फरमाने का हुक्म दिया, ताकि लोग धर्म से दूर न हों, यहां आप ﷺ ने अपने सहाबी की रिआयत नहीं फरमाई बल्कि उन्हें सख़्ती से मना फरमाया कि आइन्दा ऐसा न करें।

यहीं से हम अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि उस शख़्स से नबीए करीम ﷺ हमारे बारे में किस क़दर ख़ौफ व ख़तरा महसूस फरमाते हैं, जो कुरआन पढ़कर, उसके मअ़ना बिगाड़कर मुस्लिम उम्मत को काफिर क़रार दे।

ख़ुलासए कलाम ये है कि तकफीर की तरफ क़दम बढ़ाना इन्तेहाई ख़तरनाक मुआ़मला है, और अहले इस्लाम के लिये इस से भी ज़्यादा ख़तरनाक बात ये है कि कोई कुरआन और शरीअ़त का दावा करते हुए, बग़ैर इल्मे दीन, दीनी भावना ज़ाहिर करते हुए मुस्लमानों को काफिर कहे, और उस पर ज़्यादा यह कि हुक्मरान स्तर को उन की कमी या ज़्यादती के कारण काफिर ठहराए।

हज़रत सय्यिदा उम्मे सलमा رضي الله تعالي عنها से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया : (तर्जुमा : अनक़रीब ऐसे हुक्मरान आऐंगे जो भलाइयां भी करेंगे और बुराईयां भी, तो जिस ने उनकी बुराई को पहचाना (रोकने की ताक़त न होने के कारण सिर्फ दिल में बुरा जाना) तो ऐसा शख़्स गुनाह से बरी है, और जिसने बुराई को (ज़बान या हाथ से) रोका वो भी

सलामत रहा, (गुनाहगार वो है जो हाकिम की बुराई पर) राज़ी रहा और उसकी पैरवी की)। सहाबए किराम رضي الله عنهم ने फरमाया : (नहीं, जब तक वो नमाज़ पढ़ते हैं उन से लड़ाई मत करना)। इसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया, इसी लिये उ़लमाए किराम ने बड़ी सख़्ती के साथ तकफीरे मुस्लिम से रोका है।([1])

इमाम बाक़िल्लानी ने फरमाया कि : किसी कथन और किसी राय के कारण किसी को काफिर क़रार नहीं दिया जाएगा। जब तक कोई ऐसी बात न पाई जाए जिस पर मुसलमानों का इजमाअ़ हो जाए कि ये बात सिवाए काफिर के किसी में नहीं पाई जाती, और इस पर दलील भी क़ाइम हो। ([2])

इब्ने हज़्म ने कहा है कि : सत्य यह है कि जिस शख़्स का इस्लाम साबित हो जाए, अब यह इस्लाम खत्म नहीं होगा, सिवाय इसके कि किसी नस या इजमाअ़ का इन्कार पाया जाए, सिर्फ किसी शख़्स के दूसरे शख़्स पर कुफ्र का दावा या आरोप लगाने से कुफ्र साबित नहीं होगा। ([3])

इमाम अबू फतह कशीरी ने कहा कि : उस शख़्स के लिये सख़्त धमकी है जो मुसलमानों में से किसी को काफिर क़रार दे, हालांकि वो काफिर न हो। ([4]) –

हुज्जतुल इस्लाम इमाम ग़िज़ाली عليه الرحمه ने फैसलुत्तफरक़ते बयनल इस्लाम वज़िन्दक़ह, में फरमाया कि : जब तक गुंजाइश हो तकफीर से बचना चाहिये, इसलिये कि तौहीद का इक़रार करने वाले नमाज़ियों के ख़ून

---

[1] (1) सही मुस्लिम, किताबुल इमारह, बाबुन अन्नहियु अन कितालिल अइम्मा मा सल्लू, र : 4728, 6/23–

[2] उन्ज़ुर, अल–फतावा, बाबुन जामेअ़, फसलुन सब्बुन्नबी, 2/578

[3] अल–फसलु फिल मिलले वल अहवाए वन्नहल, अल–कलामु फी तसमियतिल मोमिन बिल मुस्लिम, वल मुस्लिम बिल मोमिन, व हलिल ईमानु वल इस्लामु इस्माने लिमुसम्मा वाहिदिन व मअ़ना वाहिदिन अव लेमुसलिमैन व मअ़नैन, 3/138 –

[4] उन्ज़ुर : अल–मन्सूर फिल क़वाइदिल फिक़हिय्यह, हरफुल काफ, अल–कुफ्रो यतअ़ल्लकु बेहि मबाहिस, 3/91 अ़निल इमाम अबिल फतह अल–कशीरी –

को मुबाह क़रार देना सख़्त तरीन जुर्म है, हज़ारों काफिरों की ज़िन्दगी का मुआमला, एक मुसलमान के ख़ून बहाने के मुआमले से आसानतर है। ([1])

इब्ने वज़ीर यमनी ने कहा कि : मुसलमानों में बहुत से गिरोह पाए जाते हैं, अवाम हों या उ़लमा, सब मिल्लते इस्लामिया के साथ संबंध रखते हैं, हमें तो यही कोशिश करनी है कि मुसलमानों की संख्या में बढ़ोतरी हो, जो ग़ैर मुस्लिम हैं उन्हें इस्लाम में दाख़िल करके उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिये, ताकि इस्लाम में दाख़िल होने वालों की तादाद बढ़े और उनका इस्लाम मज़बूत हो, किसी भी तरह ये जाइज़ नहीं कि तकफीरे मुस्लिमीन करके उम्मत के प्रबंध को छिन्न–भिन्न किया जाए, और किसी की तकफीर की ख़ातिर जानबूझकर अत्यन्त दलीलों को नज़र अन्दाज़ करके कमज़ोर दलीलों का सहारा लिया जाए, किसी गुमराह शख़्स को उस वक़्त तक काफिर नहीं क़रार दिया जा सकता, जब तक उस का कुफ्र दिन चढ़े सूरज की तरह रोशन न हो जाए, किसी की तकफीर उसी वक़्त की जा सकती है जब उसके कुफ्र पर मुसलमानों का इत्तेफाक़ हो जाए, या तकफीर करना शरअ़न ज़रूरी हो जाए। ([2])

हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله تعالي عنه का ख़ारजी समुदाय से मुनाज़रा

अबू ज़मील सम्माक बिन वलीद हन्फी ने कहा कि मुझे हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने बताया कि : जब ख़वारिज अपने घर में जमा हुए, और सब छः हज़ार या उसके आस पास थे, मैंने हज़रत सय्यिदुना अ़ली बिन अबी तालिब رضي الله عنه से कहा : या अमीरुल मोमिनीन! आप नमाज़ को ठन्डा करके पढ़ें (यअ़नी धूप की शिद्दत ख़त्म हो और कुछ वक़्त गुज़र जाए) ताकि मैं इस क़ौम से मुलाक़ात कर लूं, आप رضي الله عنه ने फरमाया कि मुझे डर है कि वह तुम्हें नुक़सान पहुंचाएंगे! हज़रत सय्यिदुना

---

[1] अल–मरजउस्साबिक़, स : 88, अ़न ग़िज़ाली फि किताब : अत्तफरक़तु बयनल इस्लाम वज़्ज़िन्दक़ह –

[2] ईसारुल हक़ अलल ख़ल्क़, व क़द तक़द्दमा फी हाज़ल बाब मा जाआ फिल मशाहिना.... ..अल–आख़िर, स. 401–402

इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने कहा : हरगिज़ नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकते, फिर फरमाते हैं : मैं उनकी तरफ गया और यमन के हुल्लों में से सबसे अच्छा हुल्ला पहना, (अबू ज़मील कहते हैं कि हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ख़ूबसूरत चेहरे और बुलन्द आवाज़ वाले थे)।

हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि : मैं ख़वारिज के पास आया, जब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे : मरहबा मरहबा या इब्ने अ़ब्बास! ये आप ने कैसा हुल्ला पहन रखा है? हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया : तुम इसे बुराई समझते हो? मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इस से भी उ़म्दा हुल्ला पहने देखा है, फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई : ([1])

(तर्जुमा :) ﴿फरमा दीजिये कि : कौन है जिसने अल्लाह की पैदा कर्दा ज़ीनत व ख़ूबसूरती को हराम ठहरा दिया, जो उसने अपने बन्दों के लिये ज़ाहिर फरमाई है?!﴾

उन्होंने कहा : आप किसलिये आए हैं? हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने फरमाया : मैं अमीरुल मोमिनीन के पास से आया हूं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के असहाब की तरफ से आया हूं, मैं मुहाजिरीन व अन्सार की तरफ से आया हूं, और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे गिरोह में उनमें से एक भी नहीं हैं, मैं उनके पास से आया हूं जिनके सामने कुरआन उतरा है, वो, वो हैं जो कुरआन की तफ्सीर तुम से बेहतर जानते हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, मैं इसलिये आया हूं कि उनकी बात तुम तक पहुंचाऊं, और तुम्हारी बात उन तक पहुंचाऊं, मुझे ये बताओ कि रसूलुल्लाह ﷺ के चचाज़ाद भाई और उनके दामाद की कौन सी बात है जो तुम्हें नापसन्द है जिस पर उनके ख़िलाफ बग़ावत पर उतर आए हो? हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने फरमाया : उन में से कुछ लोग आपस में इकट्ठे होकर कहने लगे कि : इन से बात मत करो ये करशी हैं, और अल्लाह तआ़ला ने

[1] प. 8, अल–अअ़राफ : 32 –

कुरैश वालों के बारे में फरमाया ([1]) : (तर्जुमा :) ﴾बल्कि वो तो झगड़ालू क़ौम हैं।﴿ जबकि दूसरे कुछ कहने लगे कि : इस में क्या हरज है कि हम रसूलुल्लाह ﷺ के चचाज़ाद भाई से बातचीत कर लें, शायद वह हमें कुरआन की आयत सुनाऐं।

हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने फरमाया कि उन्होंने कहा : हमें उनकी तीन बातें नापसन्द हैं, हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने फरमाया : कौन सी तीन बातें? उन्होंने कहा : पहली बात ये है कि उन्होंने अल्लाह तआ़ला के मामले में दो आदमियों को फैसले के लिये नियुक्त किया है, अल्लाह तआ़ला का फैसले करते हुए आदमियों के फैसले की क्या ज़रूरत? जबकि दूसरी बात ये कि उन्होंने जंग की, लेकिन जंग हारने वाले मुख़ालिफीन को क़ैद करके गुलाम नहीं बनाया, और न ही उनसे हासिल होने वाले माल को ग़नीमत बनाया, अगर उनसे जंग करना जाइज़ था तो क़ैदियों को गुलाम बनाना भी जाइज़ था, अगर गुलाम बनाना जाइज़ न था तो मद्दे मुक़ाबिल से जंग भी जाइज़ नहीं थी, तीसरी बात ये कि उन्होंने अपने नाम अली बिन अबी तालिब के साथ अमीरुल मोमिनीन मिटा दिया (1), अगर वो अमीरुल मोमिनीन नहीं रहे तो वो (नऊजु बिल्लाह) अमीरुल मुश्रिकीन हैं।

हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने फरमाया : इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं? उन्होंने कहा : हमें यही काफी है, हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने फरमाया : मुझे ज़रा ये बताओ कि अगर तुम्हारे इन सवालात के जवाबात मैं अल्लाह तआ़ला की किताब और उसके रसूल ﷺकी सुन्नत से निकाल कर दे दूं, तो क्या तुम हमारी तरफ पलट आओगे? उन्होंने कहा कि फिर हमें क्या रुकावट हो सकती है! हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने फरमाया कि : जहां तक तुम्हारी ये बात कि : उन्होंने अल्लाह के मामला में आदमियों को फैसले के लिये नियुक्त किया है, और अल्लाह तआ़ला का फैसला होते हुए आदमियों के फैसले की क्या ज़रूरत? उसका जवाब ये है कि : मैंने कुरआने करीम में अल्लाह तआ़ला का फरमान

[1] प. 25, अज्ज़ुख़रुफ : 58 –

देखा है : (तर्जुमा :) ﴾तुम में से दो अद्लो इन्साफ वाले फैसला करें﴿([1]) इस आयत में खरगोश या इस तरह के जानवर की क़ीमत का अन्दाज़ा लगाने के मुआमले में जिस की क़ीमत दिरहम के चौथे हिस्से के बराबर होती है, अल्लाह तआ़ला ने आदमियों पर इस मामले को छोड़ दिया कि दो अ़द्लो इन्साफ करने वाले फैसला कर लें। अगर अल्लाह तआ़ला चाहता तो ख़ुद कोई जुर्माना या सज़ा हुक्म फरमा देता, और अल्लाह तआ़ला ने फरमाया : (तर्जुमा :) ﴾अगर तुम्हें मियां बीवी के दरमियान झगड़े का ख़ौफ हो तो एक फैसला करने वाला मर्द के घर वालों में से, और एक फैसला करने वाला औरत के घर वालों में से भेजो, अगर उनका इरादा इसलाह का है तो अल्लाह तआ़ला इन को﴿([2]) आपस में मिला देगा, इस आयत में मियां बीवी के झगड़े का फैसला करने का इख़्तियार दो मर्दों को दिया है। फिर हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि क्या इन आयात से जवाब हो गया? उन्होंने कहा : जी हां! हो गया।

हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने फरमाया कि : जहां तक तुम्हारी ये बात है कि उन्होंने जंग जमल में लड़ाई की और जंग हारने वाले मुख़ालिफीन को बान्दी या गुलाम नहीं बनाया, और न ही हासिल शुदा माल का ग़नीमत बनाया, ज़रा यह तो सोचो कि ये जंग किस से हुई थी? ये जंग तुम्हारी मां सय्यिदा आइशा सिद्दीक़ा तय्यिबा ताहिरा رضي الله عنها से हुई थी, अल्लाह तआ़ला ने फरमाया ([3]) : (तर्जुमा :) ﴾नबी मोमिनीन के लिये उनकी जानों से ज़्यादा हक़ रखते हैं, और उनकी अज़वाज मोमिनीन की माएं हैं।﴿ तो क्या उनको बान्दी बनाना हलाल है? तुम दोनों तरफ से गुमराही में फंस गये हो! हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने फरमाया : क्या इस आयते से तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब हो गया? उन्होंने कहा : जी हां! हो गया।

[1] प. 7, अल–माइदा : 95 –
[2] प. 5, अन्निसा : 35 –
[3] प. 21, अल–अहज़ाब : 6 –

हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया : जहां तक तुम्हारी ये बात है कि : उन्होंने अपने नाम के साथ लफ्ज़े अमीरुल मोमिनीन मिटा दिया, और तुम्हारा ये कहना कि : अली अमीरुल मोमिनीन नहीं बल्कि अमीरुल मुश्रिकीन हैं, तो मैं तुम्हें उसी की बात बताऊंगा जिन से तुम राज़ी हो, और मुझे लगता है कि तुम लोग जान बूझकर इस से अनजान बन रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह ﷺ और सुहैल बिन अम्र के दरमियान सुलहे हुदैबिया के दिन सुलह नामा लिखा गया था, आप ﷺ ने फरमाया था (तर्जुमा : ऐ अ़ली! लिखो कि ये मुहम्मद रसूलुल्लाह और सुहैल बिन अम्र के दरमियान सुलह नामा है)। तो कुफ्फारे कुरैश ने कहा कि : अगर हमें इस बात का यक़ीन होता कि आप रसूलुल्लाह हैं, तो हम आपसे जंग ही क्यों करते! लिहाज़ा आप अपना नाम अपने वालिद के नाम के साथ लिखें, इस पर आप ﷺ ने फरमाया : (तर्जुमा : ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैं तेरा रसूल हूं)। हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने फरमाया : आप ﷺ ने सुलहनामा हाथ में पकड़ा और उसे अपने हाथ से मिटाया, फिर फरमाया : (ऐ अली! लिखो कि ये सुलह नामा मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह और सुहैल बिन अम्र के दरमियान है)। ख़ुदा की क़सम! नबीये पाक ﷺ ने अपने हाथ से रसूलुल्लाह शब्द को मिटाया, लेकिन आप के अ़मल ने आप को नबुव्वत के मन्सब से नहीं उतारा, इसी तरह अमीरुल मोमिनीन के शब्द को मिटाने का अ़मल हज़रत अ़ली को मन्सबे इमारत से नहीं उतारेगा। फिर हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने फरमाया कि क्या तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब हो गया? उन्होंने कहा : जी हां! हो गया। ([1])

इस रिवायत से कुछ मसाइल मालूम हुए : –

पहला मसला : हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه उन के पास ख़ुद चल कर गये इस बात की प्रतिक्षा में न रहे कि पहले ख़वारिज आपके पास आऐं और सवाल करें, इस से हमें ये पाठ मिलता है कि हमारे हां एक ऐसी संस्था होना चाहिये जो नई छपने वाली किताबों की निगरानी करता रहे, और देखता रहे कि इन किताबों द्वारा कौन सी विचारधाराऐं फैलाई जा रही हैं, या

[1]तारीख़े दिमश्क़, हरफुल ऐन, तहत र : 4933, अली बिन अबी तालिब व इस्मुहू –

किस तरह के फलसफी लेख प्रकाशित हो रहे हैं, या किस तरह का जोशीला लिटरेचर बांटा जा रहा है, यह संस्था निगरानी के साथ शोध व तर्क–वितर्क जारी रखे, फिर उन निबन्धों का निचोड़ निकाल कर उन विचारधाराओं को सामने लाए जिन्हें बुनियाद बनाया जा रहा है, झूठी विचारधाराओं का दलीलों के साथ रद किया जाए, और इस इल्मी रद को गुमराह समुदाय तक पहुंचाए, ताकि बदमज़हबी का क़िला चूर–चूर हो।

दूसरा मसला : हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ख़वारिज से मुनाज़रा करने के लिये चल कर गये तो आप का अन्दाज़ निहायत अलग था, आपने सबसे पहले यमन के बेहतरीन लिबास सुसज्जित हुए, विशेष शैली का वस्त्र पहनने का यह कौन सा अवसर एवं स्थान था? इस अन्दाज़ से मुनाज़रा के लिये जाने का कारण क्या था? इसका उत्तर ये है कि : आप रदियल्लाहु अन्हु का उद्देश्य यह था कि अच्छे वत्र के कारण लोग आपकी तरफ ध्यान हो जाए और उनकी फिक्र व सोच में हरकत पैदा हो गई, सुन्नते नबवी की सुन्दरता की तरफ गौर करने के लिये तैयार होंगे, जो उनकी नज़रों से ग़ायब हो गई थी, वह शहंशाहे मदीना ﷺके पथ को भुला चुके थे, जिस के द्वारा वह लोग आप ﷺकी शिक्षाओं और निर्देशों के उद्देश्यों को समझते, जब खाने पीने और ज़ाहिरी मामलों में ख़ूबसूरती व सफाई का एहसास नहीं होगा तो ये एहसासे पाकीज़गी आहिस्ता आहिस्ता ख़यालात से भी मिटता चला जाएगा, परिणाम यह होगा कि सोच भी ख़राब और मैली होती चली जाएगी, ज़हन भी स्थिरता से ख़ाली और शरीअ़त के उच्च उद्देश्यों को समझने से कोरा रह जाएगा, ज़ाहिरी गन्दगी, मानसिक गन्दगी की दर्शाया करती है, इसी तरह पाकीज़गी का ख़याल रखना पवित्र मानसिकता की व्याख्या करता है, इसका उदाहरण कुरआन अज़ीम की ये आयते मुबारका है : तर्जुमा : ﴿फिर गौर करे कि वहां कौन सा खाना ज़्यादा सुथरा है ताकि तुम्हारे लिये उस में से खाने को कुछ लाए, और चाहिये कि नरमी करे,﴾([1])

इस आयते मुबारका से मालूम हुआ कि असहाबे कहफ ने बेदार होकर जब अपने एक साथी को खाना लाने के लिये भेजा, तो साथ ही ताकीद की

[1] प. 15, अल–कहफ : 19 –

कि खाना खरीदने वाला इस बात का ख़याल रखे कि खाना साफ सुथरा हो, इन हज़रात ने अगरचे गुफा की मिट्टी में वक़्त गुज़ारा था, ख़ौफ की हालत में थे, फिर भी खाना खरीदने में सफाई का ख़याल रखना इस बात की दलील है कि यह हज़रात पाकीज़ा तबीअ़त के थे, उनकी बातिनी फितरत साफ सुथरी थी, जिसकी ज़हनियत साफ होती है वो ज़ाहिर में भी पाकीज़गी का ख़याल रखता है।

हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه अपनी इस हिकमते अ़मली में कामयाब भी हुए, कि जैसे ही ख़वारिज के दरमियान पहुंचे, उनका ध्यान अपनी तरफ कर लिया, आप का अच्छा कपड़ा देखकर उनमें हरकत भी पैदा हुई, वह अपनी बातें और सब काम छोड़कर आप से सवाल करने लगे, हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने फरमाया : कि जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो कहने लगे : मरहबा मरहबा ऐ इब्ने अ़ब्बास! ये आप ने कैसा लिबास पहन रखा है? हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने फरमाया : इस में तुम्हें क्या बुराई नज़र आ रही है? हालांकि मैंने रसूलुल्लाह ﷺको इससे ज़्यादा अच्छे लिबास में देखा है। हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं : फिर मैंने उनके सामने ये आयत तिलावत की : (तर्जुमा : ऐ हबीब आप फरमा दीजिये कि : कौन है जिसने अल्लाह की पैदा कर्दा ज़ीनत व ख़ूबसूरती को हराम ठहरा दिया, जो उसने अपने बन्दों के लिये ज़ाहिर फरमाई है?!.....)([1])

हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنهजानते थे कि ख़वारिज क़ीमती और उ़म्दा, मर्दाना ज़ीनत वाले कपड़े पहनना इस्लाम और सुन्नत के ख़िलाफ समझते है, वह मेरे क़ीमती और उ़म्दा लिबास को देखकर ज़रूर एतराज़ करेंगे, यूं मुझे उन्हें समझाने का मौक़ा मिल जाएगा, लिहाज़ा जैसे ही ख़ारजियों ने आप के क़ीमती हुल्ले पर एतराज़ किया, आपने उनके सामने उस सुन्नत का बयान कर दिया, जिसे ख़ारजी लोग नहीं जानते थे, अतः आप रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें यह जतला दिया कि लिबास के मामले में तुम्हारी ज्ञानहीनता का ये हाल है कि तुम्हें एक सुन्नत का पूरा ज्ञान नहीं, और तुम वह लोग हो जिन्होंने तमाम सहाबए किराम को ग़लत क़रार देकर

[1] सूरतुल आराफ, आयत 32

उनके ख़िलाफ विद्रोह किया है, सख़्त स्टैंड इख़्यियार किया है, तुम्हारा ये गुमान है कि तुम लोग हज़रत सय्यिदुना अ़ली बिन अबी तालिब رضي الله عنه और दूसरे सहाबा से ज़्यादा दीने इस्लाम को जानते हो, तुम्हारा ये ख़याल है कि तुम धर्म के मददगार हो, जिस तरह इस मसअला में बेजा सख़्ती की है, इसी तरह ज्ञान की कमी के कारण दूसरे कई मसाइल में भी तुम पत्थर बन गये हो।

जिस तरह ख़वारिज क़ीमती और उ़म्दा लिबास इस्लामी निर्देशों के ख़िलाफ समझते थे उसी तरह आजकल भी इन्तेहा पसन्द लोग जब अ़वाम के सामने आते हैं, तो खुदरे फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ करें, और वह यह समझते हैं कि यही सुन्नते नबवी है, हालांकि सुन्नत इसके बिल्कुल विपरीत है, बल्कि उन्होंने उ़म्दा और क़ीमती लिबास पहनने की सुन्नत को बुरा समझ लिया है, इसीलिये हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया : कि इस में तुम्हें क्या बुराई नज़र आ रही है? मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इससे ज़्यादा उ़म्दा तरीन लिबास पहने देखा है, उसके साथ आपने आयत भी तिलावत फरमाई : (तर्जुमा : ऐ हबीब आप फरमा दीजिये कि : कौन है जिसने अल्लाह की पैदा कर्दा ज़ीनत व ख़ूबसूरती को हराम ठहरा दिया, जो उसने अपने बन्दों के लिये ज़ाहिर फरमाई है)।

तीसरा मसला : हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने ख़वारिज पर अपनी विचारधारा और तरीक़े की परिपक्वता और अपने प्रारंभिक कथन द्वारा उन्हीं पर उनकी विचारधारा की ख़राबी और तंगी को ज़ाहिर किया, आप रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया : मैं अमीरुल मोमिनीन के पास से आया हूं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के असहाब की तरफ से आया हूं, मैं मुहाजिरीन व अन्सार की तरफ से आया हूं, और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे गिरोह में उन हज़रात में से कोई भी नहीं, मैं उनके पास से आया हूं जिनके सामने कुरआन उतरा, वह, वह हैं जो कुरआने करीम की तफ्सीर तुम से ज़्यादा जानते हैं, उन में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है।

हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने ख़वारिज के नज़रिये की कमज़ोरी बयान की, ताकि उन्हें अपने ज्ञान की कमी का एहसास हो, और यह एहसास हो जाए कि इस ज्ञान की कमी के कारण हम कुरआन एवं हदीस से दिक़्क़ते नज़री के साथ मसाइल का हल और अनुमान नहीं कर

पाते, हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने अपने कलाम से ख़वारिज को यह समझाया कि तुम्हारे मद्दे मुक़ाबिल जिन की तुम मुख़ालिफत और इन्कार करते हो, यह वह गिरोह है जिनको बड़ा ज्ञान है, क्योंकि इस गिरोह में हज़रत सय्यिदुना अ़ली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु के साथ उन के हक़ पर होने की गारंटी सहाबा किराम के रूप में मौजूद है, ऐ ख़ारजियों! ये सब कुछ तुम्हारे पास नहीं, और वह निम्न तीन बातें हैं:

प्रथम यह कि : हज़रत सय्यिदुना अ़ली रदियल्लाहु अन्हु के इर्द गिर्द रसूलुल्लाह رضي الله عنه के सहाबए किराम जमा हैं, और यह जमात बड़े ज्ञान वाली और आलीशान है, जिसने हज़रत सय्यिदुना अ़ली बिन अबी तालिब رضي الله عنه को अपने घेरे में ले रखा है।

द्वितीय यह कि : कुरआने करीम इन हज़रात के विभिन्न मामलों में उतरता रहा, कुरआने करीम के उतरने के समय और ज़माने में यह हज़रात सहाबए किराम मौजूद रहे, जैसे जैसे कुरआन उतरता रहा, ये हज़रात कुरआने करीम के उद्देश्यों को अप्रत्यक्ष सरकारे दो आलम ﷺ से सीखते समझते रहे, साथ साथ हज़राते सहाबए किराम رضي الله عنهم कुरआन पर अ़मल भी करते रहे, यही लोग कुरआन करीम के मअ़ना व मफहूम के सच्चे वारिस हैं, मआ़रिफे कुरआन के ख़ज़ानों की चाबियां इन्हीं हज़रात के पास है, इन्हीं हज़रात ने ताजदारे रिसालत ﷺ से अप्रत्यक्ष लाभान्वित हुए हैं।

तृतीय यह कि : लोगों में कुरआने करीम की तफ्सीर सबसे ज़्यादा जानने समझने वाले हज़राते सहाबए किराम रदियल्लाहु अन्हुम हैं, इसलिये कि ये हज़रात अ़रबी भाषा के भेद एवं रहस्य के विद्वान हैं, नबीये करीम ﷺ की संगति से सम्मानित हैं, शरीअ़ते मुतह्हरा के उद्देश्यों को अच्छी तरह जानते हैं, बड़े शौक़ व मुहब्बत के साथ कुरआने करीम सीखा, कुरआने करीम के सच्चे अमीन और पासबान हैं, इन हज़रात की ईमानी ग़ैरत कदापि गवारा नहीं करती कि कुरआने करीम को अनुचित अर्थ में समझा जाये।

चतुर्थ यह कि : ऐ ख़ारजियों! तुम्हारे बीच सहाबए किराम में से कोई भी नहीं, अतः कुरआन के ख़िलाफ तुम्हारी किसी राय का कोई भरोसा नहीं, बल्कि तुम स्वाभाविक भावुकता में हो, इल्म के बग़ैर कुरआन का वह अर्थ लेते हो, जिस से खुद कुरआन भी नाराज़ हो जाए, ख़ुद कुरआन के ख़िलाफ तफ्सीर करते हो, अपनी विराधी पार्टी की ज़िद में अपने मतलब के लिये

ग़लत तफ्सीर करते हो, हालांकि तुम्हारी तफ्सीर कुरआने करीम के ख़िलाफ हो, सिर्फ अपने अन्दर कुरआन समझने की योग्यता के दावेदार हो, दूसरों को तुच्छ जानते हो, हालांकि वह ज्ञान और समझ में तुम से ज़्यादा हैं।

हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه के इस घटना में किस तरह दिक़्क़त बयानी व गहराई है! जिसे समझकर तकफीर और इन्तेहा पसन्दी का दरवाजा बन्द हो सकता है।

चौथा मसला : आप رضي الله عنه ख़वारिज की तरफ ख़ुद चलकर गये, उनसे मुनाज़रा करने में कुछ विलम्ब नहीं किया, इस प्रतिक्षा में न रहे कि वह इन से कोई राय तलब करें, या लोग इन से सवाल करें फिर वह जवाब दें, इस से मालूम हुआ कि उ़लमा के एक गिरोह को इस काम के लिये तैयार रहना चाहिये कि फिक्री रुझानों और लेखों में जो विभिन्न पार्टियों के द्वारा से फैलाए जाते हैं, उनकी निगरानी की जाए, उन मज़ामीन को ज्ञान के तराजू में परखा जाए, और इस काम में किसी क़िस्म की आलस और विलम्ब न किया जाए।

इससे यह भी ज़ाहिर हुआ कि सिर्फ इस बात को काफी न समझा जाए कि हम किसी मज़मून व तक़रीर की ग़लती बयान कर दें और बस बल्कि ज़रूरत इस बात की भी है कि उग्रवाद और ख़ूनरेज़ी पर उभारने वाले मज़मून या तक़रीर के पीछे जो विचारधारा छुप है उसका भी अन्त किया जाए जो फित्ने की अस्ल जड़ है, ये उ़लमाए किराम पर एक अहम ज़िम्मादारी है कि ऐसी विचारधाराओं और मज़ामीन को इल्मी ख़ुर्दबीन से जांचते रहें।

पांचवा मसला : यह है कि हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने ख़ारजियों के वह अहम मसाइल जमा किये जिन पर उन के नज़रियात की बुनियाद खड़ी थी फिर उन से बात करते हुए उन्हें इस बात पर राज़ी किया कि उन के यही तीन सवालात हैं जिन का सहारा लेकर उन्होंने इख़्तिलाफ और विद्रोह किया है, फिर आख़िर में उनके कह लेने के बाद भी आपने पूछा कि क्या और कुछ भी है? उन्होंने कहा : हमारे लिये यहीं बहुत हैं। इस अन्दाज से गुफ्तगू का फायदा यह होता है कि मुनाज़रा किसी नतीजा तक पहुंच पाता है, अगर मुनाज़रे में मसाइल और उसका विषय ही तय न हो, तो फिर बहस बराए बहस होगी, इसलिए आपने जिन मसाइल में बहस करनी थी उन्हें एक बार जमा करके विराधी पार्टी से कहला लिया कि यही तीन हैं।

उनके हां करने का यह फायदा होगा कि सामने वाले का पूरा नज़रिया सामने आ जाएगा। उसके नज़रिया को समझने में कोई दिक़्क़त नहीं रहेगी, इस के अलावा यह कि सामने वाला और कोई नया मसला नहीं छेड़ सकेगा, इस तरह फिजूल बहस से बचकर असल मसलों को समझ लेगा, जिस में हक़ीक़त में सामने वाले का फायदा व सुधार है, उसे सिर्फ नीचा दिखाना मुनाज़रे का मक़सूद नहीं।

फिर आप رضي الله عنه एक एक मसअले को इल्म के तराजू में रखकर हर एक मर पुरानी दलील देते रहे, आयत का सही मफहूम उन्हें समझाते रहे, और उनकी ग़लत फिक्र पर उन्हें चेताते भी रहे, कलाम में दिक़्क़ते नज़री व गहराई का यह फायदा होता है कि फिक्री रुझान का ख़ुलासा उभर कर सामने आ जाता है, जिस की सुधार के ज़रिये उस से निकलने वाले अनेक और विभिन्न कथनों और विचारधाराओं का जवाब भी हो जाता है, जब इन्सान किसी उसूल को समझ जाए तो उस उसूल के तहत छोटी छोटी बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं रहती।

किसी भी समुदाय की विचारधाराओ का सारांश निकालना और उस पर उसूली बहस करना हमेशा से उ़लमाए मुतकल्लिमीन का विषय रहा है, जिसको इल्मुल कलाम का नाम देते हैं, यह एक अ़जीम इल्म है, इसी इल्म द्वारा मुनाज़रा करने वाला उसूली बहस के लिये मदद हासिल करता है, हज़राते सहाबए किराम व ताबेईन के बाद इल्मुल कलाम में प्रसिद्ध शख़्सियत इमाम अबुल हसन अशरअ़री हैं, उन्होंने अपने दौर में मक़ालाते इस्लामिय्यीन लिखी इस किताब में आपने मुसलमानों के विभिन्न समूहों के अक़ाइद व नज़रियात एकत्रित फरमाए, आप की एक पुस्तक मक़ालाते मुल्हिदीन भी है, इस किताब में गुमराह समुदायों के उन विचारधाराओं को जमा किया है जो आपके ज़माने में सामने आए, हालांकि ये किताब उपलब्ध नहीं, लेकिन इस का उल्लेख अन्य पुस्तकों में मिलता है।

इस के बाद हुज्जतुल इस्लाम इमाम गिज़ाली हैं। उन्होंने अपने ज़माने के फिरक़ों के उन विचारों को एकत्रित किया जो आप पर ज़ाहिर हुए, आप की तालीफ मक़ासिदे फलासफा है, इस किताब में आप अलैहिर्रहमा ने फलासफा (दार्शनिकों) के अक़वाल बयान फरमाए, उस में आपने उन की हर हर बात का रद नहीं किया, बल्कि उन के विचारों का सारांश और निचोड़ बयान फरमाया है, जो विभिन्न इस्तिदलालात और मुनाज़रों के दौरान आपके

सामने आए क्योंकि किसी भी गिरोह की एक एक बात का रद नहीं किया जा सकता, अगर सिरे से उसूल का रद कर दिया जाए तो उस से निकलने वाली विचारधाराओं का स्वतः रद हो जाता है, इसी तरह इमाम राज़ी की किताब मुहस्सल अफकारुल मुतक़द्दिमीन वल मुताख़्ख़िरीन है, यूं इस विषय की अन्य पुस्तकों में भी विभिन्न फिरकों के अक़ाइद व नज़रियात का ख़ुलासा बयान किया गया है।

उ़लमाए मुतकल्लिमीन का लक्ष्य अपनी इन पुस्तकों से यही था कि आने वाली नसलों तक इन विचारधाराओं का विवरण स्थानांत्रित कर दिया जाऐ जो गुजरे हुए या वर्तमान दौर में विभिन्न दलों की बातों में पाई जाती हैं, ताकि उन्हें इस्लामी सिद्धांतों का तर्क मालूम हो जाए, या इस्लाम विराधी सिद्धांतों के रद का विवरण मालूम हो जाए, इस इल्म का इल्मे मक़ालात भी कहते हैं, इस में बड़ी ईमानदारी के साथ हर फिरक़े के अक़ीदे को सुरक्षित किया जाता है, ताकि चर्चा के दौरान उल्लेखित तर्क द्वारा आने वाले समय मे मदद ली जा सके।

यह सब बड़ी मेहनत और ज़िम्मादारी का काम है, जिसे हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने अपने दौर में किया, हमारे लिये भी ज़रूरी है कि इस ख़िदमत को ज़िन्दा रखें, वर्तमान में पाए जाने वाले मुसलमानों के गिरोहों के मक़ालाजात की दिक़्क़ते नज़री व गहराई के साथ निगरानी की जाए, उन की कुतुब और उन से हासिल होने वाले बौद्धिक परिणाम को जमा करके उनका सारांश निकाला जाए, उन तर्कों की बुनियादों को मालूम किया जाए, जिस पर किसी फिरक़े ने अपने अक़ीदे की इमारत बनाई है।

सतवां मसला : हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु अन्हु की इस रिवायत में सातवीं बात हाकिमिय्यत का मसला है, यही वो अहम मसला है जिसे इन्तेहा पसन्द गिरोह ने बुनयाद बनाया है, इस रिवायत से साफ तौर पर मालूम हो रहा है कि हमारे ज़माने की उग्रवाद दलों और हज़रत सय्यिदुना अ़ली रदियल्लाहु अन्हु के विराध में आने वाले ख़वारिज के विचार, विशेषताए और कथन एक ही हैं, लेकिन हर दौर में ये नए नाम और नई जमात के रूप में ज़ाहिर होते रहे हैं, मगर इन सबकी बुनियादी सोच एक ही है।

हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه ने बहुत बढ़िया और पुख़्ता अन्दाज़ से हाकिमिय्यत के मसला में ख़वारिज से मुनाज़रा किया, यही लोग

हाकिमिय्यत के मसला को बुनियाद बनाकर लोगों की तकफीर कर रहे थे, मुनाज़रे के बाद उनके पास कोई ऐसी दलील न रही जिस की बुनियाद पर वह तकफीर करते, नाचार उनकी एक बड़ी तादाद ने तौबा कर ली, आपने उनके सामने कुरआने करीम से इस्तिंबात का तरीक़ा स्पष्ट किया, आपने उन्हें यही समझाया कि इस्तिदलाल के लिये ये काफी नहीं कि किसी मसला में कुरआन से एक लफ्ज़ या आयत को पकड़ लिया जाए और उसी मसला में उतरने वाली दूसरी आयाते कुरआनिया छोड़ दी जाऐं, कोई आयत किसी मसअला में उस वक़्त दलील बन सकती है जब उस से संबंधित तमाम आयात को एक जगह जमा किया जाए, आम व ख़ास का देखा जाए, मुतलक़ व मुक़य्यद का लिहाज़ किया जाए, शब्दों के अर्थों के साथ शरीअ़त के उद्देश्य मद्दे नज़र रहें फिर कहीं जाकर किसी मसला में दलील बनाया जा सकता है, तभी हम इस अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं जो कुरआन की मूल अर्थ है। इन ख़वारिज की ग़लती थी कि वो बेसब्री और जल्दबाज़ी में किसी शब्द या ज़ाहिर आयत को पकड़ लिया करते थे।

अल्लाह हज़रत सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رضي الله عنه से अल्लाह राज़ी हो! और उन्हें अच्छा बदला दे, कि उन्होंने मुनाज़रा और कलाम के कानून बनाए, हमारे लिये ऐसा तरीक़ए इस्तिदलाल बयान फरमाया जिस के ज़रिये उग्रवाद का अन्त सम्भव हो सके, जिसके ज़रिये हम इल्मे दीन के आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, जिसके ज़रिये हम ग़लत अर्थ कुरआने अ़जीम से संबंधित करने से बच सकते हैं, कोई चाहे कितना ही बड़ा कारीगर हो, बग़ैर औजार के, अपने हुनर का नहीं दिखा सकता, इसी तरह उलूमे कुरआन के बग़ैर कोई शख़्स सिर्फ जज़्बा और लगन के ज़रिये कुरआन के सही अर्थ तक नहीं पहुंच सकता।

(2)
जाहिलीयत, दीने इस्लाम के खत्म होने
और
स्टेट से टकराव का अर्थ

ज़मानए जाहिलीयत और रियासत से टकराव

जाहिलीयत की विचारधारा सय्यद कुतुब के नज़दीक कुछ मसलों से मिलकर बना है, विभिन्न मसलों को आपस में तोड़ जोड़कर उसने यह परिणाम निकाला है कि : इस ज़माने के तमाम लोग जाहिलीयत के युग की तरफ पलट चुके हैं, अर्थात सारी दुनिया के सब लोग काफिर हैं।

सय्यद कुतुब को नज़रियए जाहिलीयत से बड़ा प्रेम और लगाव है, उसे इस शब्द से बड़ी मुहब्बत है, उसने अपनी किताब फी–ज़िलालिल कुरआन में ज़मानए जाहिलीयत का बार बार वर्णन किया है, यहां तक कि ज़मानए जाहिलीयत के शब्द को उसने अपनी किताब फी ज़िलालिल कुरआन में एक हज़ार सात सो चालीस 1740 बार प्रयोग किया है, बल्कि एक पेज में उसने इस शब्द की नौ बार दुहराया है, जिसे आसानी से गिना जा सकता है, जबकि इसी किताब फी ज़िलालिल कुरआन में उसने नूर शब्द का प्रयोग लगभग चार सौ पैंतीस 435 बार किया है, यह आंकड़े हालांकि प्रारंभिक सूची की हैसियत रखते हैं, इस गिनती से कोई ख़ास बात साबित नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर मालूम होता है कि लेखक की मानसिकता क्या है, इतना ज़रूर पता चलता है कि ज़मानए जाहिलीयत की कल्पना उस व्यक्ति के मन में किस क़दर रचा बसा हुआ है।

सय्यद कुतुब ने खुदा के आदेश और बन्दों के इस हुक्म को लागू करने को आपस में मिला दिया है, उस से बढ़ कर यह कि अल्लाह तआ़ला के आदेशों को लागू करने की ज़िम्मादारी समाज के हर हर व्यक्ति पर अनिवार्य क़रार दे दिया है, इस अहकाम को लागू करने को इस तरह ज़रूरी क़रार दिया है कि ऐसा मालूम होता है ये काम उसके नज़दीक अक़ीदा में दाख़िल है, और जो कोई इस बारे में कमी करेगा उसके ईमान में बाधा आयेगी, जिस के कारण वह काफिर हो जाएगा, अहकामे खुदावन्दी को अवाम में जारी न करने वाले को काफिर क़रार देना, और इस्लाम को लागू करने को ईमान का हिस्सा ठहराना, सय्यद कुतुब की बहुत बड़ी ग़लती है, जिस के दलदल में वह खुद भी बुरी तरह फंस चुका है, सय्यद कुतुब के यह नज़रियात अत्यन्त अजीबो ग़रीब और ख़तरनाक हैं, एक तो यह कि उसने अ़मल व फरअ़ को असले दीन में शामिल समझ लिया, (पेड़ के तने और डाल में फर्क़ नहीं किया) साथ साथ पांच 5 उसूले दीन में छठे को बढ़ा भी

दिया, और यह बिल्कुल ख़ारजियों का तरीक़ा है, जिन्होंने अ़मल को ईमान का हिस्सा क़रार दिया, इसलिये बेअ़मल गुनहगार को काफिर क़रार देते रहे।

दूसरा ये कि इसी वजह से वह इस बात को भी कहते हैं कि फी ज़माना दीने इस्लाम ख़त्म हो चुका है, यानी नमाज़ी रोज़ादार भी काफिर हैं क्योंकि वह लोग दीन लागू नहीं करते।

इसका तीसरा नज़रिया यह है कि इसके मुताबिक़ जो कुछ लोग ईमान वाले हैं, उस मोमिन समूह के लिये ज़रूरी है कि वह सारी दुनिया के लोगों से युद्ध के लिये तैयार हो जाऐं।

अब पाठकों के सामने इन बातों को विस्तार के साथ पेश किया जाता है :

(1) अक़ाइद व फुरूअ़ (आमाल) में ख़ल्त मल्त : चुनांचे फी ज़िलालिल कुरआन में लिखता है : अ़क़ीदे का अर्थ व्यापक है, यहां तक कि जीवन के सभी क्षेत्रों में वह दाख़िल है, इस्लाम में हाकिमिय्यत (संप्रभुता) का मुद्दा अपनी तमाम रुपों के साथ अ़क़ीदे में दाख़िल है, जिस तरह अख़लाक़ियात (नैतिकता) तमाम के तमाम अ़क़ीदे में दाख़िल हैं। ([1])

ये एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि अख़लाक़ियात(नैतिकता) को अक़ाइद में दाख़िल कहना सही नहीं, इस से यही लाज़िम लाएगा कि जो कोई अख़लाक़ियात (नैतिकता) में कमी करेगा काफिर ठहरेगा, अहले सुन्नत वल जमाअ़त के एतक़ाद के मुताबिक़ अक़ीदे का तअ़ल्लुक़ दिल से है, जबकि अ़मल अक़ीदे के ढांचे से अलग एक चीज़ है, एतक़ाद की ढ़ांचे से उसका संबंध नहीं, यह अ़जीब खिलवाड़ है कि सय्यद कुतुब ने अक़ीदा व अ़मल को मिलाकर उसूले ईमान में अपनी ओर से बढ़ा दिया है।

(2) उसूले दीन में वृद्धि : सय्यद कुतुब ने हाकिमिय्यते आला (उच्च संप्रभुता) जो अल्लाह तआ़ला के लिये ख़ास है, और अल्लाह के आदेशों को लागू करने, को एक ठहराकर तौहीद अल–हाकिमिय्यह का नाम दिया, जिसकी ज़िद उसके नज़दीक शिर्क अल–हाकिमिय्यह है, यानी अल्लाह तआ़ला को हाकिम मानना तौहीद, और अल्लाह के सिवा किसी को हाकिम मानना शिर्क है, फी ज़िलालिल कुरआन में कहता है : शरीअ़त का जारी

[1] फी ज़िलालिल कुरआन, प. 13, इबराहीम, तहतल आयह : 52, 4/2114–

करना हाकिमिय्यत ही है, और हाकिमिय्यत ईमान में दाख़िल है। ([1]), यह भी कहता है : से बात दूबारा कही जाती है कि शरीअ़त के अहकाम लागू करना और हाकिमिय्यत, यह दीन और अक़ीदे का मसला है। ([2])

एक और जगह लिखता है : तौहीद का अर्थ यह है कि इन्सान यह अक़ीदा रखे कि अल्लाह ही ख़ुदा है, अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही क़य्यूम है, अल्लाह ही हाकिम है, ज़िन्दगी गुज़ारने का तरीक़ा तौहीद है, और पूरा दीन (एतक़ाद व अ़मल) तौहीद है (यअ़नी अ़मल न करने वाला काफिर है) यही वह अक़ीदा है जो इस बात का हकदार है कि उसके लिये रसूलों को भेजा जाए, और इसी तौहीद के लिये सारी मेहनत और कोशिश की जाए, इसी तौहीद के लागू करने के लिये सज़ाऐं निर्धारित की गईं और हमेशा इसी के लिये मशक्कतों का सहन किया जाता रहा, इसलिये नहीं कि अल्लाह तआ़ला को ज़रूरत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआ़ला तो तमाम जहानों से बेनियाज़ है। ([3])

एक जगह लिखा : इस दुनिया में कुछ लोग मुख़्तसर वक़्त पर तौहीद पर क़ाइम रहे, उनके अलावा जितने लोग हैं सब शिर्क में मुब्तला रहे, ऐसा नहीं हुवा कि लोग अल्लाह के वजूद और उसके ख़ुदा होने का इन्कार करते थे, बल्कि उनका शिर्क यही था कि वो अपने सच्चे रब की हक़ीक़त को पहचानने में गलती कर गये, या उन्होंने अल्लाह के साथ किसी और को भी ख़ुदा ठहराया, अल्लाह के साथ किसी को ख़ुदा ठहराना दो तरह से था, एक तो यह कि अल्लाह के सिवा किसी को पूजनीय समझ लिया, दूसरी सूरत शिर्क की यह थी कि अल्लाह के सिवा किसी को हाकिम समझ लिया और उसकी पैरवी में लग गये, यह दोनों ही शिर्क हैं, अल्लाह के सिवा किसी को पूजनीय माने या हाकिम माने, शिर्क होने में दोनों बराबर हैं, इन दोनों में से किसी क़िस्म का शिर्क इन्सान को दीन से बाहर कर देगा। ([4])

---

[1] फी ज़िलालिल कुरआन, प. 8, अल–अन्आ़म, तहतल आयह : 128, 3 / 1205–

[2] फी ज़िलालिल कुरआन, प. 8, अल–अन्आ़म, तहतल आयात : 136–153, 3 / 1235–

[3] फी ज़िलालिल कुरआन, प. 12, हूद, तहतल आयह : 59, 3 / 1903–

[4] फी ज़िलालिल कुरआन, प. 10, अल–अन्फाल, तहतल आयह : 75, 3 / 1555–

इस शख़्स ने यहां पर किसी इन्सान की पैरवी, फ़िक़्ह के मामलात और अ़मल सबको बिल्कुल अक़ाइद के बराबर ठहरा दिया, और जो इन आमाल में से किसी एक चीज़ में भी कमी करे, उसे काफिर व मुश्रिक बना दिया। यह उस की बहुत बड़ी गलती है।

एक और जगह लिखता है : तमाम इन्सानी तारीख़ में वह बुनियादी सिद्धांत जिस पर इस्लाम स्थापित है, वह सिद्धांत इस बात की गवाही है कि अल्लाह के सिवा कोई और पूजनीय नहीं, यानी सिर्फ अल्लाह ही को इलाह, रब, क़य्यूम, सुल्तान और हाकिम माना जाए, इसी नज़रिया का दिल में एतक़ाद रखकर शआइरे दीन (नमाज़, रोज़ा, ज़कात व हज) अदायगी करे, और ज़िन्दगी के विभिन्न मामलों में शरीअ़त की पाबन्दी करे, यह सब कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देनें में दाख़िल है, यह गवाही उस वक़्त तक स्वीकारनीय नहीं, उस वक़्त तक इसका एतबार नहीं जब तक इस्लाम पर पूरे तौर पर अ़मल न कर लिया जाए, किसी के मुसलमान होने न होने का दारो मदार इसी बात पर है। ([1])

इस इबारत में सय्यद क़ुतुब ने साफ कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने की कोई हैसियत नहीं, जब तक इन्सान दीने इस्लाम पर अ़मल और शआइर (नमाज़, रोज़ा वग़ैरहुमा) को क़ाइम न कर ले, उस व्यक्ति ने यह कहकर तमाम मुसलमानों के अक़ीदे का विरोध कर दिया, इस्लाम के आने लेकर अब तक तमाम अहले इस्लाम का ये अक़ीदा रहा है कि मुसलमान के अ़मल का उसके दिल में मौजूद सही अक़ीदा पर कोई असर नहीं, (यानी बद अ़मली के कारण ईमान ख़त्म नहीं होगा) अलबत्ता अ़मल का असर यह हो सकता है कि ईमान सम्पूर्ण या आधा हो जाए, अहले इस्लाम ने अ़मल में कमी को उसकी तौहीद के विपरीत व प्रतिपक्ष क़रार नहीं दिया, जो अक़ीदए तौहीद उसके दिल में बैठा है, किसी बड़े से बड़े गुनहगार मुसलमान के बारे में उसकी बदअ़मली के कारण यह नहीं कह सकते कि ये शख़्स अल्लाह के अलावा किसी को ख़ुदा मानता है, या इस्लाम का इन्कार करता है।

एक मक़ाम पर लिखता है : जो लोग सिर्फ अल्लाह को हाकिम नहीं मानते, अल्लाह के सिवा किसी और को भी हाकिम मानते हैं चाहे वह किसी

[1] फी ज़िलालिल कुरआन, प. 10, अल–अन्फाल, तहतल आयह : 75, 3/1556–

जगह हों या किसी भी वक़्त ऐसा करें, वह सब मुश्रिक हैं, उनका अ़क़ीदा ला इलाहा इल्लल्लाह उन्हें शिर्क से नहीं निकाल सकता, अगरचे वो नमाज़, रोज़ा, ज़कात सिर्फ अल्लाह के लिये अदा करते हों, फिर भी वो मुश्रिक हैं, ऐसे लोग हरगिज़ मुसलमान नहीं, ये मुसलमान उस वक़्त कहलाऐंगे जब ज़ंजीर की तमाम कड़ियों को पूरा कर लें, जब तक वह अ़क़ीदा और अ़मल को साथ न कर लें और सिर्फ एक अल्लाह को हाकिम न मान लें, और उस वक़्त तक शिर्क से नहीं बच सकते जब तक किसी भी शासक के फैसले को मानना छोड़ न दें, जब तक हर क़िस्म के क़ानून और तक़लीद को न छोड़ दें, जो क़ानून सिर्फ अल्लाह की तरफ से आया है। ([1])

एक जगह लिखता है : इस्लाम में अक़ीदे की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है, इस गवाही के ज़रिये मुसलमान अपने दिल से बन्दें के लिये उलूहियत (ख़ुदा होने की अवधारणा) को अलग कर देता है, और उलूहियत को अल्लाह तआ़ला के साथ ख़ास कर देता है, और इसी गवाही के ज़रिये बन्दों की हाकिमिय्यत को भी जुदा कर देता है, हाकिमिय्यत को सिर्फ अल्लाह तआ़ला के लिये मानता है, कानून बनाने के नाम पर छोटे बड़े मामलों के लिये अनेक कानूनों का अविष्कार करना भी जाइज़ नहीं, यह सिर्फ अल्लाह का अधिकार है, और मुसलमान ऐसा अधिकार सिर्फ अल्लाह के लिये मानता है, इस्लाम में दीन बन्दों के अ़मल का नाम है, और अ़मल का तअ़ल्लुक़ दिल के अक़ीदे से है और अक़ीदा उलूहियत एक ज़ात के लिये है, और वह सिर्फ अल्लाह तआ़ला की ज़ात है, और अल्लाह के सिवा जितने भी ख़ुदा बनने वाले बन्दे हैं, उन के बनाए हुए क़ानूनों पर अ़मल मत करो, शरीअ़त बनाना अल्लाह का हक़ है, और शरीअ़त के लिये सर झुकाना ही दीन है, इसलिये मुसलमान दीन सिर्फ अल्लाह के लिये मानता है, और दीन ख़ुदा बनने वाले बन्दों के लिये नहीं, सबको एक तरफ करके छोड़ देता है, यह कुरआनी बयान एतक़ादी उसूल की बुनियाद पर है, जिस का एक रूप हम इस मक्की सूरत में देख रहे हैं। ([2])

ये भी लिखा : इस दीन के दुश्मन और मज़ाक़ उड़ाने वालों (यानी जो इस दीन से खुश नहीं) को छोड़ दो, इस दीन के लिये भावना रखने

---

[1] फी ज़िलालिल कुरआन, प. 9, अल–अन्फाल, तहतल आयह : 19, 3／1492–

[2] फी ज़िलालिल कुरआन, प. 8, अल–अन्आ़म, तहतल आयह : 135, 3／1211–

वाले अधिकतर लोगों के नज़दीक हाकिमिय्यत का मद्दा अक़ीदे के मुद्दे से जुदा है, उनके दिलों में हाकिमिय्यत के लिये जोश और वलवला नहीं, जो जोश व जज़्बा अक़ीदे के लिये पैदा होता है, हाकिमिय्यत को छोड़ना उनके नज़दीक दीन छोड़ने की तरह नहीं है, हाकिमिय्यत को छोड़ना उनके नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह अ़क़ीदा और इबादत छोड़ना बड़ी बात है, हालांकि दीन में अक़ीदा, इबादत और शरीअ़त पर अ़मल के दरमियान कोई फर्क़ नहीं, इस दीन पर अ़मल करने की गुहार सदियों से दी जा रही है, लेकिन दीन का बहुत ज्यादा भावना रखने वालों के नज़दीक भी हाकिमिय्यत का मुद्दा हैरान कुन और ख़ामोश सूरत इख़्तियार कर गया है, हालांकि ये मुद्दा वह है जिस के लिये मक्की सूरत हमें जोश दिला रही है यह सारी प्रभावशाली आयात और सारे बयानात समाजी रस्मो रिवाज को ललकार रहे हैं, इनका संबंध दीन की बड़े सिद्धांत से है, और वह सिद्धांत हाकिमिय्यत है। जो लोग मूर्तियों की पूजा करने वाले को मुश्रिक कहते हैं, और तागूत (शैतान) से फैसला कराने वाले को मुश्रिक नहीं मानते, एक शिर्क में हरज महसूस करते हैं, दूसरे में हरज महसूस नहीं करते, ऐसे लोग कुरआन नहीं पढ़ते, इस दीन की खूबी को नहीं जानते, उन्हें चाहिये कि कुरआन पढ़ें और अल्लाह के फरमान को बड़ी मज़बूती से पकड़ लें, कुरआन में फरमाया : (तर्जुमा : ﴾अगर तुम उनकी बात मानों तो बेशक तुम मुश्रिक हो﴿[1]

इस दीन का जज़्बा रखने वाले कुछ अपने आप को और दूसरे लोगों को इस बात में लगाए रखते हैं कि यह क़ानून या यह बात अल्लाह की शरीअ़त के मुताबिक़ है या नहीं, और कभी–कभी, जब दीन की मुख़ालिफ होती है तो उन्हें ग़ैरत नहीं आती, अगर सिर्फ दीन के विरोध से बच लिया जाए तो यूं समझें कि उन हज़रात के नज़दीक इस्लाम पूरे तौर पर क़ाइम है, गोया अभी इस दीन का वजूद व स्थापना और कमाल कुछ भी कम नहीं हुआ, ऐसा जज़्बा रखने वाले ग़ैरतमन्द लोग दीन को नुक़सान पहुंचा रहे हैं, हालांकि उन्हें शऊ़र नहीं, बल्कि दीन पर व्यंग्य कर रहे हैं, और बेकार क़िस्म की कोशिश ज़मानए जाहिलीयत की हालत में रहकर गवाही दे रहे हैं, उनके नज़दीक दीन क़ाइम है, उनके नज़दीक ईमान आधा नहीं बस थोड़ी सी नाफरमानियों से बचना ज़रूरी है, हालांकि मेरे नज़दीक दीन का वजूद सिरे

---

[1] प. 8, अल–अन्आ़म : 121–

से रहा ही नहीं, जब तक कि ये दीन निज़ाम और हालात में अपना किरदार अदा न करे, हाकिमिय्यत तो सिर्फ एक अल्लाह की है, उसके बन्दों के लिये नहीं, इस दीन का वजूद यही है कि हाकिमिय्यत अल्लाह के लिये हो, अगर हाकिमिय्यत की यह बुनियाद न रही तो दीन ही नहीं रहेगा। ([1])

सय्यद कुतुब ने यहां आकर हाकिमिय्यत को अक़ीदा से अलग स्वीकार नहीं किया, और उसके नज़दीक हाकिमिय्यत को छोड़ना दीन को छोड़ने के बराबर है, इसी बुनियाद पर वह तमाम मुसलमानों पर कुफ्र का फतवा लगाता है, बल्कि मुसलमानों को शरई आदेशों में कमी करने के कारण मूर्ती के पुजारियों के बराबर ठहराता है, अगरचे उनका अल्लाह पर पुख़्ता ईमान है। लिहाज़ा हम ये कह सकते हैं कि : किताब फी ज़िलालिल कुरआन से सरासर तकफीर टपक रही है, जैसा कि शैख़ क़रदावी का भी यही कहना है।

एक मक़ाम पर ये लिखा : यहां ज़रूरी है कि हम आयते कुरआन का उल्लेख करें और उस कलाम का ज़िक्र करें जो हमने गुज़रे हुए पेजों में किया, ताकि मालूम हो जाए कि वह कौन सा शिर्क है जिस से रुकने की कुरआन हमें तालीम दे रहा है, वह शिर्क अक़ीदे का शिर्क है, जिस तरह वही शिर्क हाकिमिय्यत में भी होता है, यहां पिछली और अगली आयात की मुनासिबत से यही समझ आ रहा है, और हम पर लाज़िम है कि लगातार याद दहानी कराते रहें क्योंकि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दीन के मूल अर्थों को हिलाने में शैतानों की कोशिश फल ले आई है, आज हाकिमिय्यत का मुद्दा अक़ीदा से दूर और एतक़ादी बुनियाद से अलग हो चुका है, इसीलिये इस्लाम के गैरत मन्द हज़रात को देखते हैं कि दाने बराबर कोई सवाब का काम हो, या कोई छोटी नैतिक ख़राबी हो, या कोई क़ानूनी विराध हो, इन पर विचार–विमर्श तो करते हैं, लेकिन हाकिमिय्यत के मुद्दे में कुछ नहीं बोलते, छोटी फुरूई बुराई को तो बुरा जानते हैं जो सब बुराईयों से बड़ी बुराई है उसे बुरा नहीं समझते, वह बुराई ये है कि इन्सान अपनी ज़िन्दगी

[1] फी ज़िलालिल कुरआन, प. 8, अल–अन्आम, तहतल आयात : 136–153, 3/1216,1217–

इस तरह गुज़ारे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआ़ला के सिवा किसी और को हाकिम समझता रहे। ([1])

(3) सय्यद कुतुब के नज़दीक ज़मानए जाहिलीयत कोई गुजरा हुआ ऐतिहासिक ज़माना नहीं बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक युगों पर फैला हुआ ज़माना है, चाहे वह वक़्त इस्लाम से पहले का हो या बाद का, यह शख़्स इस बात को संभव समझता है कि इन्सान दोबारा ज़मानए जाहिलीयत की तरफ पलट जाए, चाहे वह शिर्क व कुफ्र या इज्तिमाई बेचैनी हो।

आ़म मुसलमानों का अक़ीदा है कि अहले इस्लाम कभी काफिर नहीं हो सकते, और मुसलमानों से जो शरीअ़त के खिलाफ हो जाता है, उस का संबंध गुनाह और मुख़ालिफत से है, कुफ्र व इरतिदाद से नहीं, बल्कि नबीये करीम ﷺने खुले शब्दों में इसे बयान फरमा दिया है, जैसा कि इमाम बुख़ारी ने अपनी सही में रिवायत किया : हज़रत सय्यिदुना उक़्बा बिन आ़मिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि नबीये मुकर्रम ﷺने फरमाया : (तर्जुमा :) मुझे तुम्हारे बारे में इस बात का ख़ौफ नहीं कि तुम लोग शिर्क करोगे, लेकिन मुझे डर है कि तुम लोग दुनिया के लालच में पड़ जाओगे।

लेकिन सय्यद कुतुब की विचारधारा यह है कि उम्मते इस्लामिया उसी जिहालत की तरफ पलट आई है, जिस पर अपने कुफ्रो शिर्क के साथ नबीये पाक ﷺ के आगमन से पहले थी, फी जिलालिल कुरआन में कहता है : जाहिलीयत की इतिहास का कोई गुजरा हुआ युग नहीं, यह तो हर उस तरीक़ा का नाम है जिस में इन्सान इन्सान का गुलाम बन जाए, और यह विशेषता आज बिना अपवाद ज़मीन पर बसने वाले तमाम माहौल और समाज में घुल चुकी है, जाहिलीयत हर उस रास्ते और तरीक़े में पाई जाती है जिसे आज के इन्सान ने अपने गले से लगा रखा है, उसकी मिसाल इन्सान का एक दूसरे से कभी कोई अवधारणा और विचार हासिल करना, कभी किसी दूसरे के तरीक़ों और नियमों पर अ़मल करना, कभी विभिन्न हालतों में ख़ानदानी रस्मो रिवाज की पैरवी करना है। ([2]) –

ये भी कहा : जाहिलीयत कोई तारीख़ी दौर नहीं, ये तो एक हालत का नाम है जो कहीं भी पाई जा सकती है, चाहे किसी भी जगह किसी भी

[1] फी ज़िलालिल कुरआन, प. 8, अल–अन्आ़म, तहतल आयह : 136–153, 3 / 1230–

[2] फी ज़िलालिल कुरआन, प : 4, अन्निसा, 1 / 557

क़ानून के तहत हो, जैसे अल्लाह के सिवा किसी को हाकिम बनाना, और इन्सानी इच्छाओं की पैरवी करते हुए कोई क़ानून साज़ी करना। ([1])

ये भी कहा : जाहिलीयत इस आयत की रोशनी में किसी ज़माने के हिस्सा का नाम नहीं, बल्कि यह एक हालत का नाम है, चाहे गुजरे हुए कल में पाई जाती थी, या आज पाई जाए, या भविष्य में पाई जाए, हर दिन, हर जगह जो अपने अन्दर इस्लाम की मुख़ालिफत या टकराव रखता हो, वह जाहिलीयत है। ([2])

एक जगह लिखा : जाहिलीयत किसी वक़्त का नाम नहीं, ये तो एक हालत है जो विभिन्न रूपों और युगों में पाई जाती है। ([3])

इन सब से सख़्त तरीन बात उस की यह बात है कि : दीन और दुनिया अलग अलग और जुदा जुदा नहीं जैसा कि जाहिलीयत में समझा जाता है, वह जाहिलीयत जो आज सारी ज़मीन पर स्थापित है। ([4])

ज़रा ग़ौर कीजिये कि यह उम्मते मुहम्मदिया मरहूमा पर कितना बड़ा जुल्म है, और सारे के सारे दीने इस्लाम पर कितनी बड़ी ज़्यादती है! कि इस के बारे में यह कल्पना किया जाए कि अब इस्लाम दुनिया से जा चुका है, और जाहिलीयत यानी कुफ्रो शिर्क से सारी ज़मीन भर चुकी है।

देखें वह क्या कह रहा है : ये जाहिलीयत आज सारी ज़मीन पर फैल चुकी है, दिल, दिमाग़ और हर हरकत में जाहिलीयत भर चुकी है, ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम को अपने और लोगों के दिल में पैदा किया जाए, अपनी और लोगों की ज़िन्दगी में पैदा किया जाए, एक बार फिर जाहिलीयत के मुक़ाबले में इस्लाम को पैदा किया जाए, जाहिलीयत की तमाम कल्पनाओं, तमाम अनुकरणों के मुक़ाबले में इस्लाम को ज़िन्दा किया जाए, व्यावहारिक बल से पूरे ज़ोर के साथ इस्लाम के लिये जाहिलीयत से लड़ते हुए उसके रब्बानी अक़ीदे को सरबुलन्द करने के लिये उसके रब्बानी जीवन शैली के लिये इस्लाम को फिर से ज़िन्दा किया जाए। ([5])

---

[1] फी ज़िलालिल कुरआन, प : 6, अल–माइदा, तहतल आयात : 41–50, 2 / 891 –

[2] फी ज़िलालिल कुरआन, प : 6, अल–माइदा, तहतल आयह : 50, 2 / 904 –

[3] फी ज़िलालिल कुरआन, प : 7, अल–माइदा, तहतल आयह : 103, 2 / 990 –

[4] फी ज़िलालिल कुरआन, प : 6, अल–माइदा, तहतल आयह : 66, 2 / 933 –

[5] फी ज़िलालिल कुरआन, प : 7, अल–अन्आम, 2 / 1017 –

सय्यद कुतुब कहता है : इस्लाम की तरफ बुलाने वाला जब सोचता है और लोगों की बातें सुनता है कि : मुसलमानों की कुछ हैसियत नहीं रही, क्योंकि वह अल्लाह की उतारी हुई किताब की शिक्षाओं पर अ़मल नहीं करते, तो ऐसे में इस्लाम के प्रचारक को दावते इस्लाम का काम बड़ा मुश्किल मालूम होता है, दावते इस्लाम का काम उसे असंभव नज़र आता है, कि सारी भटकी इन्सानियत को वह किस तरह सही रास्ते पर ला सकता है, सब को दावते हक़ क्योंकर पहुंचा सकता है, उन को किस तरह समझाए जिन को कुछ हैसियत नहीं रही, उसका हल व तरीक़ा यह है कि अपना ज़हन बनाए कि जाहिलीयत बहर हाल जाहिलीयत है, अगरचे सारी ज़मीन में फैल जाए, अगरचे सारे ही इन्सान उसमें गिरफ्तार हो जाऐं। इस्लाम के प्रचारक के लिये प्रचार–प्रसार करना जरूरी है कि गुमराहों की ज्यादती और गलत लोगों की भारी संख्या उसको रोकने न पाए, बातिल ढेर के सिवा कुछ नहीं, जैसा कि इस्लाम के प्रचार के आरंभ के वक़्त पूरी ज़मीन को दावत देने का काम शुरू किया गया था। तब उनकी कोई हैसियत नहीं थी, अब ज़माना दोबारा उसी हालत पर लौट आया है, जैसा उस हालत में था जब अल्लाह ने अपने रसूल ﷺको भेजा था। ([1])

(4) दीने इस्लाम का ख़त्म हो जाना, लंबे समय से रुक जाना और पलटकर न आना

सय्यद कुतुब इस काली कल्पना में डूब चुका है, इस मानसिकता ने उसे ग़मगीन कल्पना में पहुंचा दिया है कि सारी ज़मीन शिर्क में लिप्त हो चुकी है और यह कि उम्मते मुस्लिमा ने इस्लाम छोड़ दिया है, और सारी दुनिया जाहिलीयत और कुफ्र में डूब चुकी है।

ये शख़्स हमेशा से उस अंधकारी और उदास कल्पना में डूबा रहा है, यहां तक कि उस ने स्पष्ट रूप से इस अ़जीब व ग़रीब और हैरत अंगेज़ ख़याल का अविष्कार भी कर दिया कि एक ज़माना हुआ दीने इस्लाम दुनिया से ख़त्म हो चुका है।

वो अपनी किताब अल–अदालतुल इज्तिमाइया फिल इस्लाम में कहता है : दीन व इस्लाम के अर्थ के बारे में जब हम इस इलाही स्पष्टिकरण की रोशनी में सारी ज़मीन का जाइज़ा लेते हैं तो हमें इस दीन का कही भी

[1] फी ज़िलालिल कुरआन, प : 6, अल–माइदा, तहतल आयह : 67, 2/941 –

वजूद नज़र नहीं आता, इस दीन का वजूद तो कब का ख़त्म हो चुका है, जब से मुसलमानों की वह आख़िरी जमाअ़त दुनिया से चली गई थी, जिन का ये अ़क़ीदा था कि इन्सानी ज़िन्दगी में हाकिम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू है। ([1])

अपनी पुस्तक मुआलिम फित तरीक मे कहता है : निसंदेह मुस्लिम उम्मत को खतम हुए एक लम्बा समय बीत चुका है। [2]

यह उम्मते मुहम्मदिया पर खुला हुआ आक्रमण है जो कि सब से अच्छी उम्मत है। और उस ने उस को काफिर और मुश्रिक कहा हालांकि जो लोगो को यह कहे कि वह बर्बाद हो जायें तो वह सब से ज्यादा बर्बाद होता है।

फी जिलालिल कुर्आन में कहता हैः वही समय पलट आया जिस में यह दीन ला इलाहा इल्लल्लाह के पैग़ाम के साथ आया था। तमाम लोग इन्सानो की पूजा की तरफ पलट गये और ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर हो गये। अगरचे उनमे का एक दल अजानों मे ला इलाहा इल्लल्लाह को बिना उस का अर्थ जाने दुहराता है, वह बन्दे जो अपने हाकिम होने का दावा करते हैं, उनकी हाकिमिय्यत को ये अज़ान देने वाले नहीं छोड़ते, हालांकि हाकिम मानना किसी का इलाह (ख़ुदा) मानने की तरह है, चाहे ये हाकिमिय्यत वह कुछ लोगों के लिये मानें, उनमें से कोई भी इलाह नहीं है, उनमें से किसी को भी हाकिम बनने का हक़ नहीं, यहां इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता कि इन्सानियत जाहिलीयत की तरफ पलट चुकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़कर मुरतद हो चुकी है, उन्होंने इन बन्दों को वो हक़ दे दिया है जो हक़ अल्लाह का था, लोग तौहीद पर क़ाइम नहीं रहे, उनकी मुहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिये नहीं रही, तमाम इन्सानियत में वह भी शामिल हैं जो पूरब और पक्षिम में मीनारों पर अज़ानें देते हैं, जो अर्थ और हक़ीक़त को समझे बग़ैर ला इलाहा इल्लललाह की सदाऐं बुलन्द कर रहे हैं, ये वो लोग हैं कि क़यामत के दिन उनके गुनाहों को बोझ सबसे ज़्यादा और उनका अज़ाब सबसे सख़्त होगा, क्योंकि उनके सामने सही रास्ता स्पष्ट हो चुका, और वो दीनदार थे, फिर भी ये बन्दों की इबादत में लीन होकर मुरतद

[1] अल–अदालतुल इज्तिमाइया फिल इस्लाम, हाज़िरल इस्लाम व मुस्तक़बिलेहि, स. 183

[2] मअ़ालिम फित्तरीक़, मुक़द्दमा, स. 5 –

हो गये थे, मोमिन गिरोह के लिये निहायत ज़रूरी है कि वो इन खुली हुई आयातों पर क़ाइम रहें। ([1])

सय्यद कुतुब ने यहां आकर खुले शब्दों में कह दिया है कि सारी उम्मत मुरतद हो चुकी है, यहां तक कि अज़ान देने वाले भी, न सिर्फ मुरतद बल्कि बरोज़े क़यामत सबसे बड़े गुनाहों के बोझ और सख्त अज़ाब में यही लोग गिरफ्तार होंगे।

किसी को भी उस अज़ाब से इसने छुटकारा नहीं दिया, फिर इसके बावजूद मोमिन गिरोह को मुख़ातब करते हुए कहता है : मोमिन गिरोह के लिये यही मुनासिब है कि इस दर्से रब्बानी पर क़ाइम रहें, क्योंकि ये मोमिन गिरोह आज ज़मीन पर फैली हुई जाहिलीयत का इसी तरह सामना कर रहा है, जिस तरह वो गिरोह जाहिलीयत का सामना कर रहा था जिन के बारे में ये खुली हुई आयातें उतरी हैं। ([2])

एक जगह कहता है : मोमिन गिरोह के लिये ज़रूरी है कि इस जाहिलीयत के मुक़ाबले के लिये डट जाए, जिस जाहिलीयत के अन्धेरों ने सारी दुनिया को लपेट रखा है। ([3])

सालेह सरिय्या अपनी किताब रिसालतुल ईमान में कहता है : जितने भी इस्लाम विरोधी सरकरी नियम हैं, वह सब के सब कुफ्र के नियम हैं, जिसने ये नियम बनाए या जिसने नियम बनाने में हिस्सा लिया है, या जिसने उन्हें सरकारी सतह पर लाज़मी ठहराया, या जिसने बिला एतराज़ व बिला इन्कार उन नियमों की सहायता की, वो सब काफिर हैं, इसी बिना पर मजलिसे मुक़न्नना (विधान सभा) के परामर्श सदस्य जिन्होंने यह नियम बनाए, पार्लिमेन्ट के वो तमाम सदस्य जिन्होंने इसकी पुष्टि की, जिन मंत्रियों ने इन्हें पेश किया, और अध्यक्ष जिसने हस्ताक्षर किये, सारे जजेज और उनके नायब पुलिस, और उनके सहायक, क़ानून लागू करने वाली सस्थाऐं , अगर उन लोगों ने उन कानूनों पर बिना एतराज़ अगरचे अच्छी नीयत से अ़मल किया, सबके सब काफिर हैं, समाज के वह तमाम लोग जो इन नियमों पर राज़ी हैं, या ख़ामोश, या लापरवाह, सब काफिर हैं, क्योंकि इन सब ने इन्सान की

---

[1] फी ज़िलालिल कुरआन, प : 6, अल–माइदा, तहतल आयह : 19, 2/1057 –

[2] फी ज़िलालिल कुरआन, प : 6, अल–माइदा, तहतल आयात : 19, 2/1057

[3] फी ज़िलालिल कुरआन, प : 6, अल–माइदा, तहतल आयात : 19, 2/1057

बनाई हुई शरीअ़त को अल्लाह की शरीअ़त पर तरजीह दी, और ये कुफ्र है, इसलिये कि उन्होंने ग़ैरुल्लाह को (ख़ुदा) बना लिया, और अल्लाह के उतारे हुए क़ानून के बग़ैर फैसला किया ।

ज़मीन के तमाम लोगों के साथ टकराव, सय्यद कुतुब के मुताबिक़ अहकामे जाहिलीयत का लौट आना और मुसलमानों का ग़ैर मुस्लिमों से सिर्फ यूद्ध का संबंध बाक़ी रहना

सय्यद कुतुब ने कहा : इस दीन के लिये ज़रूरी है कि इस पर हमला करने वालों से मुक़ाबला किया जाए, यह दीन अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने का ऐलान करता है और इन्सानों को अल्लाह के अलावा की बन्दगी से आज़ाद करता है, यह उसी वक़्त मुमकिन है जब एक व्यवस्थित और आंदोलनकारी दल नवीन अगुवाई संभाले, जो जाहिलीयत की अगुवाई न हो, एक ऐसा समाज हो जो स्थयी और सबसे अलग हो, जो किसी इन्सान की हाकिमिय्यत को क़बूल न करे, क्योंकि हाकिमिय्यत तो सिर्फ अल्लाह के लिये है, इस सूरत में दीन के वजूद के लिये ज़रूरी है कि जाहिलीयत वाली आबादियों से मुक़ाबला किया जाए, जिस की बुनियाद में बन्दों की बन्दगी हैं, जो इस दीन का बुरा चाहते हैं, इस दीन को बचाने के लिये उन से टकराव ज़रूरी है, और एक नए समाज के लिये निहायत ज़रूरी है, इस्लाम के वजूद के साथ इस मुक़ाबला का वजूद है, ये लड़ाई फर्ज़ है, इसके बारे में सोचने का इख़्तियार नहीं, यह लड़ाई तो तबीअ़त की अभिलाषा है, ऐसे दो वजूद रखने वालों के बीच जो लम्बे समय तक एक साथ ज़िन्दगी नहीं गुज़ार सकते। ([1])

और कहता है : वह जानते हैं कि जाहिलीयत जिस की तरफ वह पलट कर जा चुके हैं, उन की क़ौम के हालात नैतिकता और संगठनें उस जाहिलीयत की तरफ पलट चुकी हैं, इस दीन की जाहिलीयत से कभी सुलह नहीं हो सकती, इसलिये एक न थमने वाला युद्ध ज़रूरी है, यहां तक कि ज़मीन से जाहिलीयत छट जाए, और दीन प्रतिष्ठित हो जाए, और सारा दीन शुद्ध तौर पर अल्लाह का दीन हो जाए, यानी सारी ज़मीन में अल्लाह की

[1] फी ज़िलालिल कुरआन, प : 9, अल–अन्फाल, 3 / 1441 –

सल्तनत के सामने विद्राह करने वालों को धकेल दिया जाए, ऐसा करते ही दीन शुद्धता के साथ सिर्फ अल्लाह का दीन हो जाएगा। ([1])

क्या उम्मते इस्लाम का दूसरी कौमों से सिंफ लड़ाई और तबाही का संबंध रह गया है? फिर ज़रा बताया जाए कि सय्यद कुतुब की सोच और सैमुअल फिलिप्स हिन्टनगोन की सभ्यताओं के टकराव वाली विचारधारा में क्या फर्क़ रह गया? दूसरी सभ्यताओं के टकराव को आप दीन कहते हैं, तो बताइये अल्लाह के इस फरमान (3) : (तर्जुमा :) ﴿ऐ लोगों! हमने तुम को एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया है और तुम्हारे ख़ानदान और क़बाइल बनाए, ताकि तुम्हारा आपस में परिचय हो,﴾([2])

और अल्लाह के फरमान : (तर्जुमा :) ﴿हम ने आप को तमाम जहानों के लिये रहमत ही बनाकर भेजा है [3]﴾ का क्या मतलब है? आप की विचारधारा को मान लिया जाए तो इन आयातों को कहां ले जाऐं?–

इस का सारांश यह है कि सय्यद कुतुब की जाहिलीयत की विचारधारा बहुत सारी परेशान करने वाली विचारधाराओं का मिश्रण है, कहीं उसने उसूले ईमान में अपनी तरफ से ज़्यादती की, कहीं अक़ाइद व आमाल को मिलाकर एक कर दिया, कि असल व फरअ में बिल्कुल फर्क़ नहीं कर पाया, और एक नई चीज़ : हाकिमिय्यत निकाली, जिसे तौहीद का जरूरी हिस्सा क़रार दिया, इन तमाम विचारधाराओं को मिलाकर ये नतीजा निकाला कि कुफ्र व शिर्क सारी ज़मीन में फैल चुका है, और उम्मते मुहम्मदिया मुरतद हो चुकी है, दीन ख़त्म हो चुका है, और विरोधियों से अब टकराव अनिवार्य है, उसकी इन तमाम विचारधाराओं को पाठकों ने खुद उसके अपने लेखों में मुलाहिज़ा किया और जो कोई फी ज़िलालिल कुरआन का अध्ययन करेगा, उस पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि उस शख़्स का मिज़ाज व नज़रिया सब से हट कर और अलग है, उसकी बातों से साफ ज़ाहिर है कि वह उम्मते मुस्लिमा को बड़ी नफरत की निगाह से देखता है, उसका दिमाग़ युद्ध के

---

[1] फी ज़िलालिल कुरआन, प : 7, अल अन्आ़म, तहतल आयात : 20–32, 2/1061 –

[2] प 26, अल–हजरात, : 13 –

[3] प. 17, अल–अंबिया : 107 –

पागलपन और टकराव से भरपूर है, जिस से पूरी की पूरी तकफीर टपक रही है।

(6) सब से अजीब बात यह है कि यह आदमी उन लोगों से तो छूट देने को तैयार है जो अक़ीदे में इस्लाम के ख़ुले विराधी हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ किसी क़िस्म की नरमी और छूट देने को तैयार नहीं, यह मुसलमानों के बारे में इतनी हिम्मत करता है कि उन्हें काफिर क़रार देता है, उसकी ये शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जिसे आज हम दाइश के रुप में देख रहे हैं, कि वह किसी के साथ पक्षपात करने को तैयार नहीं, बल्कि वह इस हद तक चले गये हैं कि मुसलमानों की गर्दनें काटीं, दोबारा उन्हें दासी और दास बनाना आरंभ कर दिया।

सय्यद कुतुब फी ज़िलालिल कुरआन में कहता है : इस्लाम अपनी यह नरमी उन लोगों के साथ तो कर सकता है जो खुले तौर पर दिन दहाड़े अक़ाइद में इस्लाम का विराध करते हैं लेकिन उन लोगों के साथ नरमी नहीं कर सकता जो ज़बान से इस्लाम इस्लाम कहें लेकिन अपने कामों से इस्लाम को झुटलाते रहें, उन लोगों के साथ नरमी नहीं कर सकता जो तौहीद का कबूल करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दें, फिर अल्लाह के अलावा के लिये इस बात को जाइज़ रखें जो अल्लाह तआला के साथ खास है, उदाहरणतः अल्लाह के अलावा किसी को हाकिम मान लें, या लोगों के बनाये हुए कवानीन को स्वीकार कर लें।[1]

यह एक ऐसी अजीब कल्पना है जिस ने हमेशा उग्रवादी तकफीरी झुकाव को प्रगति दिया, इसी को बुनियाद बना कर उग्रवादियों ने खून रेजी की, अहले इस्लाम पर हमले किये, और इस्लाम को बदनाम किया, उन को इस से कुछ गरज नहीं कि गैर मुस्लिम कौमों, गैर मुस्लिम समाज, सभ्यता को क्या पैगाम देना चाहिए, और हमारी तरफ से इन्हें क्या पैगाम जा रहा है, हालांकि यह दीन तो हिदायत, ज्ञान–विज्ञान, अच्छी खूबियों और उच्च सभ्यता को लिए हुए है, इन्होंने अपने हाथों इस्लाम का उद्देश्य पलट कर रख दिया। पैगाम मुहम्मदी मक़सद को उलट कर रख दिया, इस उम्मत का मुकाम व मरतबा तो यह है कि यह दूसरों को सही मार्ग और अल्लाह अज्जवजल के आगे सर झुकाने की दावत दे, शरअ शरीफ की खूबियाँ दूसरों तक पहुँचाये,

[1] फी जिलालिल कुर्आन 2/732

इसके बजाये इन्होंने खुद मुसलमानों को नोचना और इन्हीं का खून बहाना शुरू कर दिया।

ख्वारिज के बारे में हाफिज इब्ने कसिर अलबदाया वलनहाया में कहते हैं यह लोग औलादे आदम की अजीब व गरीब किस्म हैं, कुछ पूर्वजों ने ख्वारिज के बारे में फरमाया कि इन को तकलीफ उन लोगों से है जिन के बारे में अल्लाह तआला फरमाता है :

तर्जुमा – ﴾ऐ हबीब! आप फरमा दीजिए कि : क्या हम तुम्हें बता दें की सब से बढ़ कर नाकिस आमाल किन के हैं ? उन के जिन की सारी कोशिश दुनिया की जिन्दगी में गुम हो गई, और वह इस ख्याल में हैं, कि अच्छा काम कर रहे हैं, यह लोग जिन्होंने अपने रब की आयतें और उस की मुलाकात को ना माना, तो उन का किया धरा सब बेकार है, तो ;क्या वह इस गुमान में हैं कि हम उन के लिये कयामत के दिन कोई तराजू काईम नहीं करेंगे!﴿[1]

उद्देश्य यह है कि गुमराह जाहिल, कथनी और करनी के लिहाज से बदबख्त लोग, तमाम मुसलमानों के मुकाबले में विद्रोह के लिये इकट्ठे हो गये, लोगों के माल व दौलत पर कब्जा करने के लिये शहरों की तरफ चल पड़े, बस्तियों को घेर लिया, और अहले बसरा में से जो उन के हम ख्याल थे उन्हें अपने साथ मिला कर हमला वर हुए।[2]

[1] सूरह कहफ आयत नं0 105

[2] अलविदाया वल निहाया 7/276

दारूल कुफ्र और दारूल इस्लाम का अर्थ

दारूल कुफ्र व दारूल इस्लाम का मुद्दा

शरीअत के निर्देशानुसार ओलमाये किराम ने दुनिया को दो प्रकार में विभाजित किया है, इस्लामी देश, और कुफ्र वाले देश, इस विभाजन का कारण क्या है ? इसमें क्या हिकमत है ? यह विभाजन वास्तव में शरीअी निर्देशों की दो सूरतों के कारण है, यानी स्थाई और अस्थाई,

इस विभाजन द्वारा एक मुसलमान जान सकता है कि शरीअत के आदेश जो उस के दिमाग में है, भू—भाग के अनुसार उस की क्या सरहद है, और आदेश कहाँ तक स्थाई रूप से जारी होंगे, फिर इस हद बन्दी के बाद कुछ परिस्थितियों और कुछ मुद्दों में इस के लिये क्या छूट है या अलग आदेश है, जब मुसलमान इस भू—भाग में जाएगा तो कुफ्र वाले देशों में शरई आदेश वह नहीं होगा जो सरहद के अन्दर रहते हुये है, बल्की अस्थाई रूप से यह हुक्म अलग होगा।

इस की वजह यह है कि एक मुसलमान की हमेशा जरूरज रहती है कि वह एक जगह से दूसरे जगह जाये, सफर करे, अपने आस—पास की दुनिया में लेनदेन करे, व्यापारिक संबंधों में इस का विभिन्न लोगों से संपर्क होगा, जिन का फलसफा और अकीदा जुदा जुदा होगा, अगर यह सफर मुस्लिम मुमालिक में हो तो इबादात व लेनदेन और दूसरे कार्यों में शरई आदेश जारी होंगे।

जैसे की इब्ने बतूता कि उस ने पश्चिमी देशों के आखरी किनारे तन्जाह से यात्रा शुरू किया, और वहाँ से चीन तक सफर करता चला गया, तो जो मुसलमान मुस्लिम देशों में रहे, उसे यह सोचने की जरूरत पेश नहीं आती कि यहाँ का हुक्म बदल तो नहीं गया ? इस सूरते हाल का सामना तो दारूल कुफ्र में ही होता है।

लेकिन जो मुसलमान दुनिया के विभिन्न देशों में आता जाता हो, उसे गैर मुस्लिम देशों में आवश्य जाना पड़ेगा, कभी मुकीम होगा कभी मुसाफिर, कभी लेन—देन करेगा, निकाह करेगा या विरासत पायेगा, उस के आस पास समाजी संबंधों का जाल विभिन्न रूप से बिछ जायेगा, गैर मुस्लिमों के बीच रहते हुए शरई आदेशों के पालन के लिये उस के दिमाग में अनेक प्रश्न पैदा होंगे, की अब वह दयारे कुफ्र में रहते हुए अपना गुजर बसर कैसे करे ? जहाँ का नियम, व्यवस्था और सभ्यता मुस्लिम समाज से बिल्कुल अलग है।

अतः दीन की समझ वाले के लिये जरूरी है कि इस भू–भाग के बारे में गौर करे! ताकी दारूल इस्लाम व दारूल कुफ्र के मध्य फर्क कर सके। और विस्तार रूप से प्रश्नों के उत्तर वही, (कुरआन व सुन्नत) की रौशनी में दे सके, जो ऐसे इलाकों में सफर करने वाले हर मुसलमान को काम आयें।

इस दुनिया में कई इलाके, कई देश और कई कौम और खनदान गैर मुस्लिम भी हैं, कभी–कभी मुसलमान उन के बीच समय व्यतीत कर रहा होता है, अपनी जिन्दगी बसर कर रहा होता है, वह वहाँ रहते हुए समझौता भी करेगा, खरीद व फरोख्त, आना–जाना, इल्मी शोध और शिक्षा गर्हण करने में भी व्यस्त होगा, ऐसे में इस की जिन्दगी एक विशेष हालत से दो चार होगी, जो विशेष आदेशों की इच्छा करेगी, अतः निस्चित रूप से वहाँ के आदेश इस्लामी देशों के आदेशों से जुदा होंगे।

इसी लिये फकहाए किराम के दरमियान दारूल कुफ्र व दारूल इस्लाम की परिभाषा के मामले में मतभेद भी पाया जाता है, जिन के द्वारा दारूल कुफ्र और दारूल इस्लाम की हदबन्दी की जाये, इस के अलावा वह क्या कारण हैं जिन को काम में लाकर ला कर दोनों में फर्क किया जा सके ? और यह जरूरत उस वक्त पेश आती है जब एक इन्सान के सामने जिन्दगी के दौरान सफर के मरहले में वह पेश आते हैं जिन का हल जरूरी होता है, वह सवालात उभरते हैं जिन का जवाब दिये बगैर छुटकारा नहीं रहता, सिर्फ आसानी उद्देश्य नहीं होता।

दो अलग अलग भू–भाग को दारूल कुफ्र व दारूल इस्लाम नाम देना, इस मकसद के लिये नहीं जिसे इन्तेहा उग्रवादियों ने टकराव के लिए प्रयोग किया है,

एक आलिम जब जमीन को दारूल इस्लाम और दारूल कुफ्र में विभाजित करता है, तो उस का मकसद उस अंतर का उल्लेख करना होता है जो स्थाई शरई आदेशों और अस्थाई शरई आदेशों के दरमियान पाया जाता है, और इस फर्क को बयान करने का मकसद दोनों इलाकों के बीच अलग होने के संबंध को तलाश करना मकसूद नहीं होता, क्योंकि मुसलमान और गैर मुस्लिम के बीच पाये जाने वाले संबंध बहुत व्यापक हैं, जिस का दारोमदार एक धर्म ज्ञानी और नैतिक मान्यता है, इस का दारोमदार उन इलाही सुन्नतों पर है जिन का संबंध एक इन्सानी समाज से हुआ करता है, इस संबंध का आधार सत्य पथ पर है, जो मुस्लिम व गैर मुस्लिम के मध्य

संबंधों में विस्तार प्रदान करता है, उस का मूल उद्देश्य सच्चे रास्ते, अल्लाह की तरफ बुलाने और नैतिकता ज्ञान देना है, इस के अलावा कुफ्फार से संबंध की विभिन्न हालतें अस्थाई और वक्ती हैं, जो कभी रहेगी कभी खत्म हो जायेगी। लेकिन मूल वस्तु तो हर हाल में बाकी रहेगी, और वह अल्लाह की तरफ बुलाना और नैतिकता हैं।

इमाम जलील तकीयुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैय अपने फतवा में लिखते हैं, नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे व सल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तआला तुम्हारे द्वारा किसी एक शख्स को सच्चा रास्ता दिखाये, यह तुम्हारे लिये लाल रंग के ऊटों से बेहतर है। जब गैर मुस्लिम मुसलमानों के साथ लेन–देन नहीं करेंगे तो वह इस्लाम की खुबियों को कैसे जानेगें ? क्या तुम नहीं देखते कि हिजरत के जमाने से ले कर हदीबिया के समझौते तक सिवाये कुछ सहाबा के कोई इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। और हदीबिया के समझौते से लेकर मक्का की विजय तक दस हजार मुशरेकीन इस्लाम में दाखिल हो गये, और यह कामयाबी उन के साथ दुनियावी मामलात में मेलजोल और उस जंग बंदी के कारण हुई जो उन के बीच कायम हुई थी। इस्लामी राज में जिजया के बदले गैर मुस्लिम को अमनो अमान देने के लिये जिम्मी काफिर से लेन–देन जायज है, इसमें भी यही हिकमत है।[1]

अल्लाह की जमीन को दारूल कुफ्र व दारूल इस्लाम में तकसीम करना, और इस में स्थाई आदेश और अस्थाई आदेश का नियोजन करना, ऐसा ही है जैसे समय के आधार पर हम पृथ्वी को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं, एक वह हिस्सा जहाँ दिन रात मध्य स्तर के होते हैं, जहाँ शरई आदेश स्थाई होते हैं, और जमीन का दूसरा हिस्सा वह जहाँ दिन रात में बहुत ज्यादा फर्क होता है, वहाँ के लिये शरई आदेश अस्थाई होते हैं।

इस का इस से ज्यादा उल्लेख यह है कि दुनिया में कोई इलाका ऐसा होता है जहाँ शरई अहकाम की निशानियां स्थाई यानी साल भर एक जैसी रहती हैं, और यह निशानियां शरई अहकाम के वजूद के लिये कारण हुआ करते हैं, जैसे हम सूरज के निकलने और डूबने के नियम द्वारा नमाजों का समय मालूम करते हैं, चांद के जाहिर होने के नियम द्वारा रमजान का

[1] फतावा सुबकी 2/404/प्रकाशन दारुल फिकर बैरूत

दाखिल होना या ना होना मालूम होता है, और फज्र निकलने और सूर्य डूबने द्वारा रोजा दार सहरी व इफ्तार का वक्त मालूम करता है।

अगर हम जमीन के देशांतर रेखा को देखें तो शून्य से 42^0 के हिस्से में सूरज चाँद की निशानिया स्थाई होती हैं, देशांतर 42^0 से 62^0 तक समय की निशानियां और कारक विभिन्न होते हैं, उन इलाकों में रात सिर्फ चार या पाँच घण्टों की होती है, बाकी समय दिन रहता है, और यह घटता बढ़ता रहता है, अतः इन इलाकों में रहने वाले मुसलमानों लिए रोजा और इफ्तार किस तरह होगा ? इसलिए यहाँ के लिये फिकही आदेश खास होना चाहिए, क्योंकि शरिअते मुतह्हरा बहुत व्यापक है, और इस में इन्सानी जरूरतों का लिहाज भी किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुसलमान सिर्फ खास इलाकों में आबाद हैं, बल्की शरियत इस्लामिया के अनुयायी सारी दुनिया में पाये जाते हैं।

देशांतर 62^0 के बाद तो शरई निशानियां ही खत्म हो जाती है, जैसा की इस्कन्डे नीविया, स्विडन और नार्वे के रहने वाले जानते हैं, और जो लोग उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं, वहाँ तो छः माह सूरज आसमान पर लटका रहता है, डूबता ही नहीं है, तब इन इलाकों में नमाज फज्र, कोई किस तरह अदा करेगा ? किस तरह? रोजा बन्द करेगा ? किस तरह इफ्तार करेगा ? कि इन इलाकों में शरई अलामात पाई ही नहीं जाती और वह शख्स जो शरई निशानियां ही ना पाये वह क्या करेगा ?

यही वह फल्सफा और विचारधारा है जो ओलमा को जमीन का बटवारा करने पर उभारता है कि ;(1) वह इलाके जहाँ शरई निशानियां स्थाई हैं। (2) वह इलाके जहाँ शरई निशानियों में खलल है, (3) और वो इलाके जहाँ शरई अलामात विलुप्त हैं, और ओलमाए दीन का इस तकसीम से यही मकसद है कि उस शख्स की मदद करे जो उन इलाकों में दीन पर अमल करना चाहता है।

यही हाल जमीन के दारूल कुफ्र व दारूल इस्लाम के रूप में विभाजन का है, यानी अहले इस्लाम का एक ऐसा इलाका है जहाँ अहकामे शरईया जारी हैं, और दूसरा इलाका ऐसा है जो गैर मुस्लिमों का है मगर वहाँ मुसलमान भी आबाद हैं, इन के लिये खास नियम बनाने की जरूरत हो गई, ताकी इन के लिये गैर मुस्लिम देश में रहते हुए अहकामे शरई पर अमल मुमकिन बनाया जा सके, इसी कारण ओलमा–ए–हनफिया ने दारूल

कुफ्र उकूदे फासदा के जायज होने और विरासत के जवाज पर सोचना शुरू किया।

वह कौन सा फल्सफा था जिस के पेशे नजर दारूल इस्लाम व दारूल कुफ्र का विभाजन ओलमाए किराम ने किया , चाहे वह इमामे आजम अबू हनीफा हों या उन के बाद उन मजहब के विद्धान जैसे मबसूत नामी पुस्तक के लेखक इमाम सरखसी या बदाअ अल सनाए नामक पुस्तक के लेखक इमाम या इमाम शाफई और उन के मजहब के बड़े विद्धान और उन के अलावा बहुत से ओलमा हों। इन धर्म ज्ञानियों ने अलग–अलग देशों का नक्शा बनाया है कि कौन सा भू–भाग है जहाँ अहकामे शरईआ स्थाई हैं, और कौन से इलाके हैं, जहाँ किसी परेशानी के कारण अहकामे शरईया अस्थाई हैं, ताकी कुफ्र के देशों में रहने वाले मुसलमान अहकामे शरीअत पर अमल के साथ जिन्दगी गुजारने में कामयाब हो सकें।

सब से बड़ा फल्सफा जिस ने दारूल इस्लाम और दारूल कुफ्र के बारे में गौर व फिक्र पर जहन को मजबूर किया वह जीवन और मौत का फल्सफा है, कत्ल और गारतगरी और सब से टकराव का फल्सफा नहीं।

आओ जरा हम देखें कि गत अस्सी 80 वर्षों से उग्रवादी दल किस तरह भटक गये हैं, उग्रवादियों ने दारूल कुफ्र व दारूल इस्लाम के मुद्दे को उसके दायरे से बाहर निकाल फेंका है, इस मुद्दे को अपने असल उद्देश्य से बिल्कुल हटा दिया है। इस जीवन के फल्सफे को मौत व तबाही और खूनरेजी का फल्सफा बना दिया है, लोग इस मसले को मुसलमानों और इन्सानियत के लिये जरूर अभाग्य का दरवाजा समझने लगे हैं, लोग मुस्लिम विद्धानों की अकल के बारे में बदगुमानी में मुबतला हो गई हैं, बल्की इस्लाम के बारे में भी बदगुमान होने लगे हैं।

दारूल कुफ्र और दारूल इस्लाम का मुद्दे सय्यद कुतुब और इस की फिक्र से प्रभावित लोगों ने बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया है, जैसे सालहे सरिया ने अपनी किताब रिसालतु इमान में शक्री मुस्तफा और मुहम्मद अब्दुस्सलाम फरज ने अपनी किताब अलफरीजतुल गायबह में और आखिर में आकर तन्जीम दाअश ने इस मसले को बिगाड़ कर बिल्कुल उल्टा कर दिया है।

सैयद कुतुब फि जिलालिल कुरआन में कहता है : इस्लाम और मुसलमान की नजर में सारा जहाँ दो किस्मों में बंटा हुआ है, जिन की कोई

तीसरी किस्म नहीं पहली किस्म : दारूल इस्लाम है, इस से मुराद हर वह मुल्क है जहाँ इस्लामी कानून हैं, जहाँ शरीअते इस्लाम की हुकूमत है, चाहे वहाँ के सारे लोग मुस्लिम हों, या वहाँ मुस्लिम व जिम्मी दोनों आबाद हों, या वहाँ सब लोग जिम्मी हों, मगर हुकमरान मुसलमान हों, जो इस्लाम कानून को लागू कर रहे हों, और इस्लामी नियमानुसार हुकूमत चला रहे हों, या इस मुल्क के सब लोग मुसलमान थे, या मुसलमान व जिम्मी थे, लेकिन इस मुल्क पर गैर मुस्लिमों का कब्जा हो गया, मगर वहाँ के लोग अब भी इस्लामी कानून को लागू करते रहे, और शरीअत के मुताबिक फैसला करते रहे, तो दारूल इस्लाम होने ना होने का दारोमदार कवानीने इस्लाम के लागू होने और शरीअते इस्लाम के अनुसार फैसला करने पर है।

दूसरी किस्म : दारूल हरब, इस में हर वो मुल्क दाखिल है जहाँ इस्लामी कानून ना हों, और ना इस्लामी शरीअत के अनुसार फैसले किये जाते हों, उस मुल्क के रहने वाले चाहे कोई भी हों, अगरचे वह लोग अपने आप को मुसलमान कहें, या अहले किताब या दूसरे कुफ्फार हों, दारूल हरब का सारा दारोमदार इस्लामी नियमों के लागू करने पर है, जहाँ शरीअत के मुताबिक फैसला ना होते हों वह दारूल हरब है,

इस्लामी मुआशरा वही है जहाँ उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार दारूल इस्लाम में इस्लाम लागू करे, वह समाज जो अल्लाह के बनाये हुए नियमों पर आधारित है, जहाँ अल्लाह की शरीअत के मुताबिक फैसले किये जाते हों, ऐसा मुआशरा ही यह हक रखता है कि वहाँ सब की जान व माल महफूज हो, वहीं हर व्यवस्था सलामत रहेगा, वहीं व्यवस्था को खराब करने वालों और लोगों की जान व माल और इज्जत पर डाका डालने वालों से निपटा जा सकता है। जहाँ शरीअते इस्लामी में उल्लेखित सजायें मुकर्रर हैं, यही वह समाज है जो बुलन्दी और इज्जत वाला है, ऐसा समाज ही आजादी और न्याय आधीन समाज है, वही मुआशरा हर काम का कफील और जामिन है। ऐसे मुआशरे में भलाई के कारक बहुत ज्यादा और बुराई के कारक बहुत कम होते हैं, इस मुआशरे में हरने वाला उन वरदानों से फायदा उठायेगा जिसे व्यवस्था पेश कर रहा है, जहाँ दूसरों की जान व माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी, जहाँ दारूल इस्लाम हमारी हिफाजत करता है, अमन, सलामती, गनीमत और अधिकारों की जमानत लेता है, जहाँ निजी और समाजी अधिकारों का ख्याल रखा जाता है, अब जो इस व्यवस्था यानी

दारूल इस्लाम के विरुद्ध विद्रोह करेगा, वह हद से बढ़ने वाला, चपल और गुनाहगार है, वह इस बात का लायक़ है कि सख्त तरीन सजा के जरिये इस की पकड़ की जाये, लकिन यह गिरफ्तारी संदेह की बुनियाद पर ना हो, बल्की संदेह की बुनियाद पर हदूद को दूर किया जायेगा,

जब कि दारूल हरब अपनी उपर्युक्त परिभाषा के साथ इस बात के लायक़ नहीं, और ना ही वहाँ के रहने वालों का यह हक है कि उन जमानतों से फायदा उठाये जो इस्लामी सजाओं के बाद हासिल होती है, क्योंकि उन्होंने आरंभ ही शरीअत के अनुसार नहीं किया, और ना ही उन्होंने इस्लामी फैसलों को कबूल किया, इन मुसलमानों के मुकाबले में ;जो दारूल इस्लाम में रहते हैं, और अपनी जिन्दगी शरीअत के मुताबिक बसर करते हैं दारुल हरब में रहने वालों की कोई चीज महफूज नहीं, इन की जान व माल मुबाह हैं, इस्लाम के नजदीक उन की कोई हुरमत नहीं ;मगर यह की मुसलमानों के साथ उन को कोई समझौता हो जाये यूँही शरीअत इन हरबियों को अमान देगी ;जब वह दारूल हरब से दारूल इस्लाम की हदूद में जो मुस्लिम हुक्मरान के आधीन हैं ;और मुसलमान हुकमरान वही है जो शरीअत के मुताबिक जिन्दगी गुजारे।[1]

सैयद कुतुब की यह बातें निहायत खतरनाक हैं, आज जितनी भी तकफीरी, उग्रवादी दल हैं, उन की बातें सैयद कुतुब की तहरीर से वाजेह तौर पर उबल रही हैं, जो आज मुसलमानों की पीठ में कांटा बन कर चुभी हुई हैं, जिन्होंने मुसलमानों का खून बहाया, उन के सारे हमले मुसलमानों पर ही जारी हैं, यह तन्जीम मुसलमानों को पहले काफिर करार देती है, फिर उन्हें कत्ल करती हैं, तन्जीम दाअश हो या अलकायदा, सब की यहीं बातें हैं, जो इस किस्म की इबारात से फूट रही है।

इस इबारत में उस ने बयान किया कि हमारे इर्द–गिर्द की दुनिया या तो दारूल इस्लाम है या दारूल कुफ्र, तीसरी कोई हालत नहीं, लिहाजा इस के नजदीक अहले इस्लाम के लिये कोई गुन्जाईश नहीं की वो गैर मुस्लिमों के साथ किसी किस्म का मामला मसलन लेन–देन और खरीद फरोख्त वगैराह कर सकें।

---

[1] फी जलालुल्कुरआन 6, अलमआदा, लहलल अयात :2/873

फिर सब से खतरनाक बात यह है कि दारूल कुफ्र से मुराद उस के अनुसार तमाम मुसलमान मुल्क हैं, पहले उस ने जबरदस्ती उन्हें काफिर करार दिया, फिर उन्हें जमानाये जाहीलियत के लोगों की तरफ ठहराया, और जाहीलियत से मुराद उस के नजदीक यही है कि सब मुसलमान काफिर व मुरतद हो गये।

माजूदा जितने भी मुस्लिम देश हैं, उग्रवादियों के नजदीक उन में से कोई भी दारूल इस्लाम नहीं, तमाम इस्लामी देश उन के नजदीक काफिर व मुरतद हैं, सिवाये यह कि कोई इलाका या प्रदेश मौजूदा इस्लामी देशों से अलग हो जाये और नये सिरे से दारूल इस्लाम होने का दावा करे,

फिर यह कि दारूल कुफ्र और दारूल इस्लाम के दरमियान यह जुदाई अगर मानता है, तो इस जुदाई से मुराद न खतम होने वाली एक लम्बी जंग है, सिर्फ मजहब का अलग होना नहीं, दारूल कुफ्र में विशेष रूप पर वह भी दाखिल हैं जिन पर इन्तहा पसन्दों ने हमला कर के वहाँ के लोगों पर फतवा लगा कर इन्हें जबरदस्ती काफिर करार दिया, और जो उनकी नजर में दारूल इस्लाम है वही जगह ऐसी है जहाँ अमन व शांती होना चाहिए, इसी जगह लोगों के जान व माल और व्यवस्था की हिफाजत होगी।

जब कि दारूल हरब ;(और यह इन्तहापसन्दों के नजदीक मुसलमानों के तमाम मुमालिक हैं, जिन की तकफीर करके इन्हें अहले जाहिलियत ठहराया है, इन्तहा पसन्दों के नजदीक इन मुमालिक का) किसी तरह यह हक नहीं बनता, और ना इन के रहने वालो का यह हक बनता है कि इन की हिफाजत की जमानत दी जाये, और कियामे अमन के बाद वह कुछ फायदा उठा लें, सैयद कुतुब के मुताबिक जो गिरोह मुसलमान हैं, उन के अलावा किसी की कोई हिफाजत नहीं की जायेगी, बल्कि उन की जानें मुबाह है।

यह वह क्रुरतापूर्ण, उलझा हुआ और भयानक कल्पना है की अगर हम उन की एक एक बात एकत्रित करके उस से बनने वाली सूरत का उदाहरण तलाश करें, तो निसंदेह मुकम्मल तौर पर दाअश, अलकायदा और तमाम दहशत गर्द, दण्डनात्मक कार्यवाहियां करने वाली संगठनों की सूरत में हमारे सामने उभर कर आ जाती है।

इमाम मुस्लिम अपनी सहीह में रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैय व सल्लम ने फरमाया : जो मेरे उम्मती पर तलवार उठाये, नेक और बद सब को मारना शुरू कर दे, ना मोमिन की परवाह करे, ना समझौते वाले काफिर की रिआयत करे, तो ना उस का मुझ से कोई संबंध है और न मेरा उस से कोई ताल्लुक।

या रसूल अल्लाह! इस शख्स का क्या अन्जाम होगा जो आप की उम्मत के खिलाफ बगावत करे, उन्हें काफिर करार दें, उन पर शिर्क का आरोप लगायें, उन पर जतलायें, उन की सामूहिक ताकत को तोड़ कर एक अलग समुदाय बना लें, उन में नेक और बद हर एक को मारें, ना उन में किसी मोमिन की परवाह करें, इस लिये कि उन्हें तो काफिर करार दे चुका है, और समझौतों को तोड़ दे, फिर किसी जिम्मी से किया हुआ वादा पुरा नहीं करता, फिर यह समुदाय दावा करता है कि सिर्फ वही मुसलमान हैं, या रहमतल्लि आलेमीन! आप की शरिअत, आप का दीन, जो तमाम जहानों के लिये रहमत बन कर तशरीफ लाया, वो उन के हाथों में आकर तमाम जहानों के लिये अजाब और अभाग्य बन जायेगा।

सैयद कुतुब ने कहा : इस दीन के लिये जरूरी है कि उस पर हमला करने वाले से मुकाबला किया जाये, यह दीन अल्लाह के रब्बुल आलेमीन होने का एलान करता है, इन्सान को अल्लाह के अलावा की बन्दगी से आजाद कराता है, यह उसी वक्त संभव है जब एक संगठनात्मक और प्रेरणात्मक क्षकमा वाली नई पार्टी नेतृत्व संभाले। जो जाहिलियत के नेतृत्व से हट कर हो, एक ऐसा समाज हो जो स्थाई और सब से अलग हो, जो किसी इन्सान की हाकिमियत को कुबूल न करे। क्योंकि हाकिमियत तो सिर्फ अल्लाह के लिये है, इस सूरत में दीन के वजूद के लिये जरूरी है कि जाहिलियत वाले समाजों से मुकाबला किया जाये, जिन की बुनियाद में बन्दों की बन्दगी है, जो उस दीन का बुरा चाहते हैं, इस दीन को बचाने के लिये उनसे टकराव जरूरी है, एक नए मुआशरे के लिये वह निहायत जरूरी है, इस्लाम के वजूद के साथ इस मुकाबला का भी वजूद है, यह लड़ाई फर्ज है, इस के बारे में सोचने का इख्तियार नहीं, यह लड़ाई तो तबीअत का तकाजा

है, ऐसे दो वजूद रखने वालों के दरमियान जो लम्बे समय तक एक साथ जिन्दगी नहीं गुजार सकते।([1])

यह भी कहता है : वह जानते हैं की जहालियत जिस की तरफ वह पलट कर जा चुके हैं, उन की कौम के हालात, नैतिकता और संगठनें उस जाहिलियत की तरफ पलट चुकी हैं, दीने इस्लाम की कभी इस जाहिलियत से समझौता नहीं हो सकता। इस लिये एक ना रुकने वाला युद्ध जरूरी है, यहाँ तक कि इस जमीन से जाहिलियत छट जाये, और दीन की सरबुलन्दी हो, और सारा दीन सिर्फ अल्लाह के लिये हो जाये, यानी अल्लाह की सल्तनत के सामने सरकशी करने वालों को सारी जमीन से धकेल दिया जाये, ऐसा करने के साथ ही दीन सिर्फ अल्लाह के लिये हो जायेगा।([2])

जेलाल में है : अल्लाह तआला कुरआन पाक की आयतों में एक लक्ष्य का एलान कर रहा है, जो लक्ष्य जाहिलियत की उन तमाम जंगों के दौरान रहा जिन का सामना इस्लाम और मुसलमान करते रहे, और शक्ति का ऐलान कर रहा है, जिसे एक लक्ष्य की प्राप्त करनने के लिये लगातार करना है, हर वक्त इस के लिये कोशिश की जाये, किसी जगह किसी वक्त उस से रुका ना जाये, गैर मुस्लिमों से हर हाल में जंग जारी रखी जाये, आयात की तफसीर और उस पक्के कानून को समझे बगैर जिहाद का मकसद नहीं समझ सकते, ना उन लम्बी जंगों का उद्देश्य समझ सकते हैं जो जाहिलियत की सेना और इस्लामी सेना के बीच रहें, ना मुजाहिदीन के प्रारंभिक मकसद समझ सकते हैं, ना इस्लामी जीत का उद्देश्य समझ सकते हैं, ना मूर्ति के पुजारियों से की जाने वाली जंगों और ना सलेबी जंगों के राज समझ सकते हैं, जो चौदह सौ बरस से चली आ रही है, जिसे मुसलमानों की नस्लों के खिलाफ हमेशा से भड़काया जा रहा है, अगरचे बदकिस्मती से यह जंग हकीकते इस्लाम से खाली हैं, उन में सिर्फ इस्लाम का नाम ही रह गया है,मूर्ती पूजन, समाजवाद (socialism), और सलेबी जंगों के शीर्षक से रूस, चीन, योगौसलाविया, जर्मन, हिन्दुस्तान, कश्मीर, हबशा, जन्जबार, केनिया, दक्षिणी अफ्रिका और अमेरिका में होती रही, जहाँ मुसलमान मुजाहिदीन के खिलाफ जानवरो जैसी और भयानक कार्यवाहियाँ होती रही,

---

([1]) फी–जिलालिल कुर्आन 3 / 1441

[2] फी– जिलालिल कुर्आन 2 / 1061

इस्लामी दुनिया (या नाम की इस्लामी दुनिया में) हर जगह समाजवाद, मूर्ती पुजारी और सलेबी ताकतें मुजाहिदीन की अफवाज को कुचलने के लिये इन लशकरों के विरोधियों की सहायता करते रहे, दोस्ती का हाथ बड़ाते रहे, इन्हें इतनी मदद देते रहे जो उन की पालने–पोसने की तरह है, ताकी उन के खिलाफ आवाज को दबाया जा सके, कि इसी तरह उन सैनिकों को हलाक किया जाये, उपर्युक्त में से कोई चीज हमें समझ नहीं आ सकती जब तक हम इस पक्के कानून और इन कीमती चीजों को ना समझें जो इन घटनाओं में रोशन हैं।([1])

जब हम बड़े ओलमा के कलाम देखते हैं तो उन लोगों ने जो दारूल कुफ्र और दारूल इस्लाम का अर्थ, और इन दोनों के दरमियान फर्क, और इन दोनों जगहों के अहकाम बयान किये हैं, उस के दरमियान और सैयद कुतुब के पक्ष के बीच बड़ा फर्क नजर आता है, एक तरफ तो बारीक ज्ञानी रास्ता है, जिस से अल्लाह तआला के दीन में रहमत व राहत नजर आती है, और दूसरी तरफ यह ज्ञानी विलुप्त है। जिस के कारण दीन के मकासद के बर अकस दीन का बिगाड़, टकराव और लड़ाई झगड़ा नजर आता है।

यह दारूल कुफ्र और दारूल इस्लाम की परिभाषा तीसरी और चौथी सदी हिजरी में एक आसान परिभाषा थी। जिस में कोई वर्गीकरण नहीं हुआ करता था और कोई इस में किसी किस्म का खतरा भी महसूस नहीं करता था, मनुष्य के मष्तिक की तरक्की के साथ साथ यह परिभाषा और अलग नाम इख्तयार करती चली गई , जिसे आज कल (अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान) या (अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था) का नाम दिया जाता है।

हजरत सैयदना इमाम अबु हनीफा और दीगर बड़े धर्म ज्ञानी अपने अपने समय में आज से लगभग तेरह सौ साल पहले जिसका उल्लेख दारूल कुफ्र और दारूल इस्लाम के शब्दों से करते, और इस में गौर व फिक्र फरमाते थे, अब हमारे यहाँ वही शब्द एक सम्पूर्ण विषय का रूप धारण कर चुका है, अब इस की अपनी स्थाई परिभाषा, फल्सफा, नियम और कुशल लोग पाये जाते हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के ज्ञान नाम से प्रसिद्ध है, और इसी से अन्तर्राष्ट्रीय संबंधो का ज्ञान निकलता है।

[1] फी–जिलालिल कुर्आन 3 / 1592

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे के साथ समझौता, लिखित दस्तावेज, प्रोटोकोल, संधियों की शर्तों के आधार पर हुआ करते हैं, और यह वही है जिस के बारे में सैयदुना इमाम अबु हनीफा ने चर्चा की है, लेकिन उन्होंने इस का नाम दारूल कुफ्र व दारूल इस्लाम रखा।

मौजूदा जमाने में कई विद्धानों ने जब इमाम मुहम्मद बिन हसन शाबानी की किताब अल–सियरुल कबीर में चिंतन किया, तो मालूम हुआ कि यह किताब इस्लाम के आरंभ,नबुव्वत के ऐलान के समय और उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करती है। इस में गजवात, सराया, युद्धों, संधियों, जंग बन्दी की शर्तों इत्तफाक व मामलात के विभिन्न रूपों का उल्लेख है, इस किताब के धोर अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि यह किताब अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की सब से पहली लिखी हुई किताब है। यहाँ तक की सन् 1968 में पेरिस में एक तन्जीम जमाते शैबानी के नाम से बनाई गई, यह तन्जीम इमाम मुहम्मद शैबानी और उनकी किताब अलसियर अल–कबीर का अध्ययन करने लगी, और इस विषय पर छः सदियों के बाद यूरोप की दुनिया में यह पहली किताब थी, जो प्रकाशित की गई।

इसी लिये नवीन विषयो के आधार पर इस जमानें में शोध करने वालों ने इस विषय पर चिंतन करना शुरू कर दिया, जिस के बारे में पुराने इस्लामी विद्धान चर्चा किया करते थे, चुनान्चे ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ने इसी इस्लामी ने इसी विचारधारा पर आधारित बारह जिल्दो में एक इन्साइक्लोपिडिया आडिट किया, और उस का नाम रखा : इस्लाम में बैन अल–अकवामी ताल्लुकात इन्सायक्लोपिडिया, यह इन्सायक्लोपिडिया उसी नजरिये के बारे में बात करता है जो पुराने इस्लामी विद्धानों की फिक्र थी। जिसे आज हम अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान कहते हैं। और यह इन्सायक्लोपिडिया इस बारे में भी चर्चा करता है कि इस्लाम का अध्ययन करते हुए इस दुनिया का विभिजन दारूल कुफ्र और दारूल इस्लाम से करना काफी नहीं, बल्की यहाँ एक तीसरी किस्म के इजाफे की भी जरूरत है, और वह है दारूल अहद(समझौता का देश)।

नऐ शोघ कर्ताओं में उस्ताद आबिद सुफियानी ने एक इल्मी लेख तहरीर फरमाया है, कि जमीन का विभाजन दारूल कुफ्र और दारूल इस्लाम ही में निर्धारित है, साथ साथ इन्होंने इस बात पर इजमाअ का दावा भी

किया कि पुराने इस्लामी विद्धानों के यहाँ दुनियां की सिर्फ दो किस्में हैं : दारूल कुफ्र व दारूल इस्लाम, इन दोनों के सिवा कोई तीसरी किस्म नहीं।

जबकि इसके मुकाबले में डाक्टर इस्माईल फतानी ने बड़े विस्तार से एक व्यापक लेख लिखा, जिस में इन्होंने दो किस्मों पर उलमा के इत्तिफाक की नकारते हुए कहा है कि इस ज़माना में हम यह नहीं कह सकते की सारी जमीन का बंटवारा सिर्फ दारूल कुफ्र व दारूल इस्लाम से की जाये, क्योंकि इन जमाने में मुसलमान तकरीबन सारी दुनिया में फैल चुके हैं, जहाँ इस्लाम की निशानियों पर अमल भी संभव है, अब यह पुराना विभाजन कुछ बदल गया है। इस की तीसरी किस्म भी हो सकती है, जिसे आज हम दारूल अहद का नाम दे सकते हैं, यह विभाजन तबीयत व फिक्र का प्रकृतिक मांग भी है। क्योंकि वक्त के साथ–साथ मान्यताऐं, अर्थव्यवस्था और संस्थाओं के प्रबंध में फर्क आता रहता है, तो फिर जहनी तकसीम की गुन्जाइश क्यों नहीं हो सकती ?

इस के बाद डॉक्टर मुहीय्युद्दीन अहमद कासिम ने अजहर यूनिवर्सिटी के राजनिति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के विभाग में अपने डॉक्टरेट के थेसेस पेश किया, जिस का शीर्षक था : (आबादी का इस्लामी विभाजन और मौजूदा देशों से उसकी तुलना) विद्धान लोग इस में शोध करते हुए वहीं पहुँचें जो हम कह रहे हैं, यह लेख हमारे पक्ष को और ज्यादा पुख्ता करता है, और हमें इस विभाजन तक पुराने इस्लामी विद्धानों के उस उद्देश्य ने पहुँचाया जो उद्देश्य उन का इस विभाजन दारूल कुफ्र व दारूल इस्लाम से था, इस के मुकाबिल गुजिस्ता अस्सी सालों से उग्रवादी सोच वाले आंदोलनो ने इन विद्धानों के उद्देश्यों को बिल्कुल बदल कर रख दिया, धर्म ज्ञानियों का उद्देश्य तो यह था कि जमीन के उपर इन्सानी जिन्दगी किसी तरह चलती रहे, गैर मुस्लिमों के बीच में रहते हुये इस्लामी जिन्दगी कैसे गुजारी जाये! पूरे संसार के सामने अल्लाह तआला के दीन की हैसियत से अपने उजूद को बाकी रखते हुए, अपनी हिफाजत कैसे की जाये! गैर मुस्लिम समाज में शरीअत की खुबियाँ किस तरह निखार कर सामने लाई जायें, ताकी सारी दुनिया जान ले कि यह दीन सम्पूर्ण खुदा का रास्ता और नैतिकता है।

अभी ओलमा और धर्म ज्ञानी इस मुद्दे पर सोच विचार कर रहे थे कि : दारूल कुफ्र व दारूल इस्लाम का मुद्दा अब अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के नाम से सामने आ चुका है, चुनानचे अब इस पर क्या क्या शरई आदेश लागू हो

सकते हैं! हम इस में कौन–कौन मसला ले सकते हैं ? ओलमा का यह गौर व फिक्र तो एक तरफ रह गया, सैयद कुतुब, मुहम्मद अब्दुस्सलाम फरह, सालेह सरिया और दाईश संगठन और अल्कायदा आदि के दिमाग में यह बात समाई कि : दारूल कुफ्र व दारूल इस्लाम के मध्य सिर्फ टकराव और सुशत्र लड़ाई के संबंध के अलावा कुछ नहीं, ऐसा संबंध जिस में खून बहाना हो, और इस से बदतर सोच यह कि इन्होंने इस खयाली कल्पना को मुसलमानों के बीच फैलाना शुरू कर दिया, हालांकि इससे पहले इन्हीं मुसलमानों को काफिर करार दे चुके हैं, फिर इन्होंने मिश्र को काफिरों का मुल्क ठहराया, तमाम अरब और इस्लामी देशों को काफिर करार दिया, फिर उन्हीं देशों को जिन्हें काफिर बना चुके थे, यहाँ के लोगों को कत्ल करने लगे, उन पर हथियार उठाने लगे, उन का खून बहाने लगे, फिर इस जुर्म का नाम जिहाद रख लिया।

सिर्फ जिहाद ही नहीं, बल्कि न जाने कितनी चीजों के अर्थ को बदनाम किया, प्रकाश को अंधकार बना दिया, अल्लाह तआला ने जिस नूर को जिन्दगी, हिदायत, रहमत बना कर भेजा, जिस नूर से पवित्र शरीअत की हिकमतें जाहिर हैं, उन आयाते कुरआनिया के अर्थ में हेरफेर कर दी। जाहिलाना तावील करके अपनी तरफ से जबरदस्ती झूठा अर्थ ठहरा लिये।

ये मसला उन के नजदीक सिर्फ बहस व मुबाहसा की हद तक नहीं रहा, जिस से उन का मकसद यह हो की वह गैरों में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को नुमाया करें, जिस की जड़ें पुराने धर्म ज्ञान में लगी थीं। बल्की उन का रुख इस्लामी देशों की तरफ था, ज्ञानी और धार्मिक देश मिश्र, जामिया अजहर और इस्लाम की तरफ था, इस मसले को यह लोग इसी लिये चर्चा का विषय बनाए कि दारूल कुफ्र का नारा लगा कर जुल्म व जियादती कर सकें। हथियार उठा सकें, अगर कोई उन से पूछे कि यह आप क्या रहे हैं ? तो आसानी से जवाब दे देते हैं कि : हम तो जिहाद कर रहे हैं।

इब्ने तैमिया के नजरियात को देखें तो उस के यहाँ एक अलग नजरिया है, वह यह कि दारूल कुफ्र व दारूल इस्लाम के सिवा एक ऐसा भू–भाग पाया जाता है जिस पर न तो दारूल कुफ्र के आदेश जारी होते हैं न दारूल इस्लाम के। इसे इब्ने तैमिया दारे महफूज कहता है, इस की मिसाल वह दारूल इस्लाम है जिस पर गैर मुस्लिम हुकमरान कब्जा कर लें, जैसा कि तातारयों के दौर में हुआ, कि सीरिया तक उन का कब्जा हो गया

था, यह वह भू–भाग था कि उस के रहने वाले मुसलमान और हाकिम गैर मुस्लिम था, उसे दारे मुरक्कब भी कह सकते हैं, इब्ने तैमिया के इस मकतूब को फतवा मारदीना कहते हैं, मारदीन वो जगह है जहाँ इब्ने तैमिया पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा, और जब तातारी यहाँ दाखिल हुये तो बचपन में इन्हें वहाँ से निकाल लिया गया था।

इब्ने तैमिया कहता है कि : इस किस्म का इलाका हुक्म के लिहाज से मुरक्कब है, यानी यहाँ दोनों तरह के मिले जुले अहकाम हैं, जिस का खुलासा यह है कि यहाँ मुसलमान के साथ वही मामला किया जायेगा जो उस का हक है, और जो शरीअत से बाहर निकले उस के साथ जंग की जाये जिस का वह मुस्तहिक है। बस फिर क्या था, नाम के जिहादियों तकफीरियों को बहाना मिल गया। उन्होंने किताल का शब्द पकड़ कर खूनरेजी के कारनामे अंजाम देना शुरू कर दिये।

लेकिन यहाँ इस इबारत में बहुत सारे ऐतराज़ हैं, इस फतवे की इबारत साफ नहीं, सब से पहला ऐतराज यह कि, (जो शरीअत के बाहर निकले) उससे क्या मुराद है ? शरीअत से बाहर निकलने का तो एक लंबा–चौड़ा अर्थ है, उस में तो छोटे गुनाह से ले कर पूरे समाज के खिलाफ विद्रोह करके उन्हें तबाह व बरबाद करना तक सम्मिलित है। इस के तो बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, लिहाजा इस इबारत से कोई एक खास अर्थ निकालना सही नहीं।

दूसरा ऐतराज यह कि सवाल पैदा होता है कि यह किताल (युद्ध) कौन करेगा ? यह किस की जिम्मेदारी है ? इस के जवाब में उग्रवादी लोग कहते हैं, यह जंग हम करेंगे, और यह एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आम लोगों का यह हक ही नहीं है कि बड़े अहम काम की अदायगी के लिये खुद दावा करके इस में कूद पड़ें। क्योंकि यह जिम्मेदारी तो शासक और अदालतों की है, और यह जरूरी भी है कि हर समाज में इस किस्म की स्थाई संस्था या विभाग हो जो अमन व अमान कायम करे, और फसाद व फसादियों को उखाड़ फेंके, और यही सारी दुनिया की अच्छी कौमों का तरीका है।

इस इबारत में युक़ातिल(يقاتل) के शब्द फरीजतुल गाएबह नामी किताब में मुहम्मद अब्दुस्सलाम फरज ने भी अपने तकफीरी व खूनरेजी के पक्ष के लिये झूठा सहारा बनाया, इस से उन का मकसद विभिन्न देशों के

लोगों पर जुल्म करना है, जिस का जवाब एक धर्म ज्ञानी शैख अतिया शकर ने भी अपनी किताब नक्ज किताबुल फरीजतुल गाएबह में किया है।

फिर उसके बाद हमारे जमाने के ओलमा ने एक दूसरी तरह से इस फतवे का अध्ययन शुरू किया, वह यह कि इब्ने तैमिया युक़ातिल(يقاتل) को युआमिल (يعامل) के बदले मे लाये हैं। जिस के बाद यह बात सामने आई कि यहाँ जरूर लिखावट की गलती है, क्योंकि यहाँ मामले के साथ युद्ध की कोई संबंध नजर नहीं आता, अतः जब भी कई किताबों में किसी मकसद से इस इबारत को नकल किया गया, जब शोध किया गया तो औलमा ने इब्ने मुफ्लह की किताब से एक इबारत को ढूंड निकाला। यहाँ यह याद रहे कि इब्ने मुफ्लक मजहबे हनाबिला के मुहर्रिर (तहरीर करने वाले) और बड़े योग्य आ़लिम हैं, और वह इब्ने तैमिया के लेखों को अकसर नक़ल भी करते रहते हैं, उसमें भी एक जगह जब इस फतवे को नक़ल किया तो वहां ये इबारत इस तरह थी : (तर्जुमा :) मुसलमान के साथ वही मुआ़मला किया जाएगा जिस का वह हक़दार है, और शरीअ़त से बाहर निकलने वाले के साथ वही मुआ़मला किया जाएगा जिस का वह मुस्तहिक़ है, और ये बहुत बड़ा फर्क़ है, युआ़मल का मअ़ना और है और युक़ातल का मअ़ना और। युआ़मल का मतलब यह होगा कि वहां के समाजी हालात, क़ानून, सभ्यता, देश की विचारधारा और वहां की मान्यताओं की रिआ़यत करते हुए वहां की आ़दात का लिहाज़ करते हुए कोई फैसला किया जाएगा और यह अर्थ सम्पूर्ण रूप से युक़ातल के मतलब से विभिन्न है।

शेख़ रशीद रज़ा ने भी इस इबारत को मुजिल्ला अल—मनार में नक़ल करके सही क़रार दिया था, लेकिन यह ग़लती उसी समय ही हो चुकी थी जब फतावा इब्ने तैमिया पहली बार प्रकाशित हुआ था जिसकी तख़रीज 1327 हि. में फर्जुल्लाह कुर्दी ने की थी, फिर उसके बाद अ़ब्दुर्रहमान बिन मुहम्मद बिन क़ासिम ने इस इबारत को मजमूउ़ल फतावा जिल्द 28 में ज्यों का त्यों शामिल रखा, आगे जाकर ये मशहूर व मारूफ हो गया जिस में ये ग़लत इबारत भी छपी थी।

इल्मी नियमों की अभाव और बिना पुष्टिकरण के जो काम होता है उस से ज्यादातर घटनाऐं ही घटती हैं, क्योंकि इल्म सिरे से न होना इतना ख़तरनाक नहीं जितना आधा इल्म ख़तरनाक होता है, आज इल्मी पुख़्तगी के बग़ैर फतवा बाज़ी ने दुनिया के अमन व शांती के मामले को ख़तरनाक हद

तक पहुंचा दिया है, जिसके कारण नाहक़ ख़ून बह रहा है, इस चीज़ ने शरीअ़त के उद्देश्यों को नष्ट कर रखा है, उक्त फतवा की बिगड़ी हुई इबारत ने इस्लाम और तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त दांव पर लगा रखी है, ख़ास तौर पर इस फतवा का जो अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी तर्जुमा हुआ है, उस में उसी इ़बारत पर भरासा किया गया है जिस में हेरा फेरी की गई है।

बड़े विद्वान शेख़ अ़ब्दुल्लाह बिन बय्या ने इस पर निहायत बारीकी से इ़ल्मी शोध किया है, आप ने इस मामला में विषय ज्ञानियों की मदद से मख़तूत नुस्ख़े तक भी पहुंच हासिल की है, इस फतवा इब्ने तैमिया मख़तूत दिमश्क़ के मकतबए ज़ाहिरिया, मकतबतुल असद, में 2757 नम्बर पर मौजूद है, इस मख़तूत में भी युआमल है युक़ातल नहीं।

रबीउ़स्सानी सन् 1431 हि. में तुर्की के शहर मारिदीन में एक कांफ्रेन्स आयोजित हुई, जिस में दुनिया भर से बहुत सारे उ़लमा व विद्वानों ने हिस्सा लिया, वहां भी इस मसला का स्पष्टिकरण जारी किया गया।

अज़हर शरीफ कांफ्रेन्स में अपने शोध और इ़ल्मी रूप रेखा के साथ शरीक हुआ, जिसे मुफ्तीए दयारे मिस्रिया डॉक्टर अ़ली जुम्अ़ा ने पेश किया, जो मारिदीन कांफ्रेन्स के केंद्रिय बिंदुओं में शामिल था, आपने अपने बयान में उल्लेखित किया कि कुछ दीन की भावना रखने वाले जिन के पास अगरचे भाषा और साहित्यिक ज्ञान हो, मगर उ़लूमे शरीअ़त की महारत से महरूम हैं, ऐसे लोग मुश्किल फिक़ही अहकाम में चिंतन मंथन की कोशिश तो करते हैं, परिणाम स्वरूप में ग़लत और झूठी सोच और दीन से हटी हुई तावीलात में पड़ते रहते हैं, आ़म लोगों के सामने दीन को बिगाड़ कर पेश करते हैं, हालांकि अल्लाह तआ़ला ने हमें दीनी मामलों में इज्तिहादी सलाहियत रखने वाले उ़लमा की तरफ रुजूअ़ करने की तालीम फरमाई है, चुनांचे अल्लाह फरमाता है : (तर्जुमा :) अगर इस में रसूल और अपने बा इख़्तियार लोगों की तरफ रुजूअ़ लाते, तो ज़रूर उन से उसकी हक़ीक़त जान लेते, ये जिस में काविश करते हैं।

याद रहे कि दारुल कुफ्र और दारुल इस्लाम के दरमियान संबंधों का उल्लेख करते वक़्त सिर्फ फिक़ही एतबार से शोध करना एक बड़ी ग़लती होगी, इस विषय की तहक़ीक़ एक और एतबार से भी करना ज़रूरी है, वह एतबार उच्च मान्यताओं और नैतिकता का संबंध है, अगर हम इस मसला को फिक़्ह के साथ साथ उच्च मान्यताओं, रहन–सहन से संबंधित अल्लाह

तआला के सुन्नतों,शरीअत के उद्देश्यों, और सब की रहनुई को सामने रखकर दारुल कुफ्र और दारुल इस्लाम के नज़रिया की तहक़ीक़ करें, तो यह नज़रिया अपनी पूर्ण रूप के साथ हमारे सामने स्पष्ट हो सकता है, जिस से एक मुसलमान बआसानी समझ सकता है कि तबीअ़ते इस्लाम ग़ैर मुस्लिम कौमों, पूरे समाज और ग़ैर मुस्लिम सभ्यताओं के साथ संबंधों के बारे में हमें क्या निर्देश देती है।

हां उच्च मान्यताओं का यहां फिक़ही मामले के साथ गहरा संबंध जरूर है, जिस के बग़ैर हम इस मुद्दे को पूरे तौर पर नहीं समझ सकते कि उच्च मान्यताऐं हमें क्या सीख देती हैं, हम ज़रा अपने आस–पास सारी दुनिया का निरिक्षण करें, यह जो हमें अलग अलग देशों, अलग अलग रंग और नसल के लोग, अलग अलग सभ्यताऐं नज़र आ रही हैं, और दुनिया में जितनी ताक़तें और शक्तियां हैं उन पर ज़रा विचार करें, मगर सिर्फ फिक्ही बुनियाद पर नहीं, जिस के आधार पर हम हलाल या हराम का फर्क़ समझते हैं, सही या ग़लत को पहचानते हैं, इस को नज़र अन्दाज़ करके दूसरी जगहों की तरफ अगर हम देखें तो यहां एक और इ़ल्म भी है, जिसे इ़ल्म सुनने इलाहिया कहते हैं, इस में हम उन सुनने इलाहिया (तरीक़ों) का अध्ययन करते हैं, जो अल्लाह तआ़ला की तरफ से उसके बन्दों में जारी हैं।

सुनने इलाहिया एक गहरा कुरआनी ज्ञान है, ये इ़ल्म हमारे लिये उन नियमों का उल्लेख करता है जो स्थाई रूप से हमेशा से जारी हैं, वह नियम जिन पर अल्लाह तआ़ला ने सारे बह्मांड को बनाया है, यह सुनने इलाहिया बहुत उच्च नियम हैं जो बदला नही करते, उनमें कभी ख़लल नहीं होता, उनमें से एक ज़रूरी बिन्दू यह है कि इन्सानी जानों के बारे में अल्लाह तआ़ला का क्या तरीक़ा है? इन्सानी समाज में सुनने इलाहिया, सभ्यताओं की स्थापना और पतन (गिराने) में सुनने इलाहिया, कायनात में सुनने इलाहिया और नियम क्या हैं?

नये विद्धानों में से शैख़ मुहम्मद अब्दुहु और शैख़ रशीद रज़ा ने अपनी तफ्सीर अल–मनार में और शैख़ मुहम्मद सादिक़ अरजून ने इस इ़ल्म का बहुत ज़िक्र किया है, यह सब हज़रात अज़हर के बड़े उलमा में से हैं, फिर डॉक्टर मुस्तफा शकअ़ा और डॉक्टर मजदी आशूर ने भी इस बारे में लिखा है, फिर डॉक्टर मुस्तफा शकअ़ा के मग़रिबी शिष्यों और ज्यादातर मग़रिबी अ़रबी (मुराकश) और जज़ाइर के उ़लमा ने भी इस जलीलुल क़दर

इल्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उरदुन में एक कांफ्रेन्स में इस इल्म सुनने इलाहिया के बारे में जो शोध आया, उसके बाद शोधकर्ता और उ़लमाए किराम इस नतीजा पर पहुंचे कि : कुरआने करीम में इन्सानी जानों, विभिन्न समाजों और सभ्यताओं से संबंधित साठ के क़रीब सुनने इलाहिया का बयान मौजूद है।

मुसलमान और ग़ैर मुस्लिम के बीच जो संबंध है, उसे समझने के लिये निहायत ज़रूरी है कि हम उन सुनने इलाहिया को जानें जिन का तअ़ल्लुक़ तहज़ीब और समाज से है, उसके बाद ही हम इस बारे में तबीअ़ते इस्लाम को समझ सकते हैं, और ख़ास तौर पर इमाम शाफई अलैहिर्रहमा के नज़दीक उसूले तहज़ीब और उसूले नस (कुरआनो सुन्नत) समझने के लिये सुनने इलाहिया को जानना बहुत अहम है। उन सुनने इलाहिया में एक दूसरे से परिचय का तरीका, एक दूसरे की सहायता का तरीका, बराबरी का तरीका (आपस में अ़दलो इन्साफ) सुन्नते तदाफुअ़ (एक दूसरे की बुराई से हिफाज़त) आदि तरीके दाख़िल हैं।

परिचय का तरीका मुसलमान व ग़ैर मुस्लिम के साथ, बल्कि विभिन्न कौमों और कबीलों के आपसी संबंध के बारे में भी बहुत अहम है, अल्लाह तआ़ला फरमाता है : (तर्जुमा :) ऐ लोगों! हम ने तुम्हें एक मर्द और एक औ़रत से पैदा किया, और तुम्हें मुख़्तलिफ शाख़ों और क़बीलों की शक्ल दी, ताकि आपस में पहचान रखो।

हम इस आयते मुबारका को सिर्फ एक व्यक्ति के लिये समझते हैं जब हम किसी से मुलाक़ात करते हैं, और उस से आपस में हमें जो परिचय हासिल होता है, क्या सिर्फ यही परिचय इस आयते मुबारका का आशय है? हम ने इस आयते मुबारका के दो अर्थों को दो आदमियों के बीच परिचय के लिये ही समझ रखा है, हालांकि अल्लाह तआ़ला ने यहां परिचय के लिये विभिन्न ख़ानदान और कबीलों के विभाजन को आधार बनाया है यानी मफहूमे आयत ये है कि तुम्हें ख़ानदान व क़बाइल की शक्ल में हम ने इसलिये बनाया है कि तुम्हें मजबूत परिचय हासिल हो।

यहां जो बात चिंता का विषय है वह वास्तव में यही है कि विभिन्न कौमों के आपस में संबंध की जो बुनियाद है वह परिचय ही हैं, जंग और टकराव नहीं, यह विचारधारा इस अन्तर्राष्ट्रीय दार्शनिक विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है, जिसका दावा है कि विभिन्न कौमों के बीच जो फर्क़

पाया जाता है उसकी बुनियाद यह है कि एक क़ौम दूसरी क़ौम की दुश्मन है, जब दो क़ौमों के दरमियान किसी वजह से फर्क़ पाया जाएगा, तो उसकी बुनियाद यही होगी कि उन दो क़ौमों के दरमियान लड़ाई और तसादुम पाया जाता है, और उन फलसफियों के नज़दीक उस जुदाई के संबंध की यह मांग है कि एक सभ्यता के लोग दूसरी सभ्यताओं को नष्ट कर दें, यह वो नज़रिया है जिसे सैमुअल्स फिलिप्स हिंटंगून ने अपने लेख सभ्यताओं का टकराव में बयान किया है, और उसी को फुकूयामा ने निहायतुत्तारीख़ में बयान किया है और ये नज़रिया बेऐनेहि वही नज़रिया है जिसे सय्यद कुतुब और दूसरे उग्रवादी आन्दोलन बयान करते हैं बल्कि उन लोगों ने निजी कल्पनाओं को दीन की तरफ मन्सूब कर रखा है, अपनी इछाओं और बीमार सोच को शरीअत पर चसपां करने की कोशिश करते हैं, हालांकि मुख़ालिफीन को मिटा कर रख देना मक़सूदे इस्लाम हरगिज़ नहीं।

अगर हम नाम (सय्यद कुतुब, सैमुअल्स, फुकूयामा) या दूसरी उग्रवादी संगठनों को बीच से हटा दें, तो हम महसूस करेंगे कि हम एक फलसफे, एक कल्पना के सामने खड़े हैं, और वह टकराव और जंग की कल्पना है, सय्यद कुतुब आदि ने इस्लाम, आयाते कुरआन और अहादीसे नबविय्या का नाम ले लेकर उन के अर्थों में फेर—बदल किया, और अपने झूठी विचारधाराओं को इन्तेहा पसन्द तहरीकों की शक्ल दे दी, जबकि वहां फलसफा और तारीख़ की शक्ल में उसी नज़रिया को आगे बढ़ाया गया है, जो हेंगटन टून के नाम से ज़ाहिर हो रहा है, दोनों का नज़रिया एक है, सिर्फ शक्ल और नाम अलग हैं।

स्पेन के बादशाह ने 1997 ई. में मुहम्मद ख़ात्मी और कुछ ईरानी उ़लमा की सहायता से इस आ़लमी कशमकश के मुक़ाबले में जो चीज़ पेश की, उसका नाम तहालुफुल हज़ारात रखा। यअ़नी मुख़्तलिफ तहज़ीबों का इत्तेहाद।

मज़ीद ये कि इ़ल्मे कुरआन जिस में बड़ी गहराई है, वो भी बराबर मुस्लिम व ग़ैर मुस्लिम के बीच और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में उल्लेख कर रहा है, जिन संबंधों का आधार उस सुन्नते इलाहिया पर है जो अ़ज़ीम तर है, और वह सभ्यताओं का एक दूसरे से परिचय है।

आदरणीय पाठकों इस्लाम की शिक्षाओं की क्या शान है! इसके समक्ष उग्रवादियों का तकफीरी आंदोलन और नरसंहार बड़ी आश्चर्यजनक है!

उस्ताज़ ज़की अल—मीलाद ने भी विभिन्न सभ्यताओं के संबंध से लिखा है, जिस बारे में अनेक सेमिनार आयोजित हुए, ताकि विभिन्न सभ्यताओं के परिचय के विषय पर शोध की जा सके, और यह विषय एक व्यापक अर्थ रखता है, इसमें संस्कृति का बाहमी तबादला, एक दूसरे के मामलों का परिचय, ज़िन्दगी के विभिन्न मुद्दों का मिलाप, ख़बरें और ज्ञान—विज्ञान के साधन दाख़िल हैं, इस विषय के तहत जंगों का भी ज़िक्र आता है, लेकिन जंग एक अस्थाई हालत है, बाहमी मामलों के दौरान जंग एक वक़्ती हालत का नाम है, उसकी हैसियत समन्दर के सामने लहर की सी है, और ये समन्दर हिदायत और रहमत का समन्दर है, जो विभिन्न सभ्यतओं के बीच असल लक्ष्य है, जिसे अल्लाह तआ़ला ने तआ़रुफ (परिचय) का नाम दिया है।

इलाही के वादों को सिर्फ अपने लिये ख़ास समझना और उसके द्वारा लोगों पर अनुचित बुलंदी चाहना

इलाही के वादों को सिर्फ अपने लिये ख़ास समझना

सय्यद कुतुब ने हाकिमिय्यत (संप्रभुता) के मसला को बुनियाद बनाकर सारे समाज की एक साथ तकफीर कर डाली, फिर यह कहा कि जाहिलीयत का अंधकार तमाम इस्लामी दुनिया में फैल चुका, यानी तमाम मुसलमान मुश्रिक व मुरतद हो चुके, और साथ साथ उसका ये भी ख़याल है कि तमाम लोग काफिर हैं, इस फैसला का हक़ भी उन्हें ख़ूब है! फिर उनके नज़दीक ये तसव्वुर भी है कि यही लोग इस्लाम की हक़ीक़त समझते हैं, उनके नज़दीक तमाम उम्मत को काफिर क़रार देना बहुत आसान है, इन तमाम गुमराहियों के बाद उन के दिमाग़ में एक बहुत आश्चर्य ख़याल समाया हुआ है, वह ये कि कुरआन की हर वह आयत जिस में अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों के लिये मदद, सहायता और ज़मीन का वारिस बनाने का वादा फरमाया है, उसे उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ फेरकर यह दावा कर रखा है कि यह वादा और खुशखबरी सिर्फ उन्ही के लिए है, इस वहम ने सब लोगों का काफिर कहने और उग्रवाद में उन्हें और बढ़ावा दिया, उनके जुल्म व ज़्यादती और क़त्ल व ग़ारतगरी में और बढ़ोतरी की, फिर जब भी उन उग्रवादियों का टकराव मुसलमानों से, या इस्लामी समाज या इस्लामी देशों, या मुस्लिम संस्थाओं से हुआ, उन्होंने कभी उसे जुर्म नहीं समझा, और हमेशा इस हक़ीक़त का इन्कार करते रहे कि ये भी कोई गुनाह है, क्योंकि उनको यही वहम लगा रहता है कि वादए इलाही सिर्फ उन्ही के लिये है, वह इसी ख़याल में डूबे रहते हैं कि अल्लाह तआ़ला सिर्फ उन्ही की मदद करेगा।

इन उग्रवादियों के यहां ग़लत और झूठी कल्पनाओं की भरमार है, एक गलत ख़याल के साथ दूसरा गलत ख़याल जुड़ा हुआ है, एक झूठे नज़रिये से दूसरा जन्म ले रहा है, इन झूठी कल्पनाओं ने उग्रवादियों के सामने इन्सान को दुश्मनी का केन्द्र बना दिया है जिसके साथ हमेशा युद्ध जारी रहेगी, और उनका मूल लक्ष्य मुसलमान हैं, वह मुसलमानों को मारने के लिये ही उन्हें काफिर क़रार देते हैं, क्योंकि उनके ज़हनों में यह वहम बस हो चुका है कि अल्लाह के तमाम वादे सिर्फ और सिर्फ इन उग्रवादियों के लिये हैं, इसलिये कि कुरआन में मदद और सहायता का वादा मुसलमानों के लिये है, और इन लोगों की नज़र में खुद इनके सिवा कोई मुसलमान नहीं रहा, सिर्फ यही लोग मुसलमान कहलाने के योग्य हैं, अतः इलाही वादों का और

किसी के लिए नहीं, और अल्लाह का वादा बदलता नहीं है, लिहाज़ा अल्लाह की मदद व नुसरत उनके सिवा किसी को हासिल नहीं होगी।

यह उग्रवादी आंदोलन भाषाशास्त्र, साहित्य, पद्यांश, जंगों और बहादुरों के कहानियों के धारे में बहती नज़र आती हैं, वह जंगें जो इन्होंने मुसलमानों पर जुल्म ढाने के लिये लड़ी हैं, जुल्मो ज़्यादती की घटनाओं को यह लोग अपने लिये सब्र और स्थिरता का इतिहास समझते हैं, हालांकि जुल्म के इस धारे में बहकर इन्होंने कितनी आयाते करीमा के अर्थ बिगाड़ दिये हैं, जिन में इस क़िस्म का मज़मून है कि (1) कितने ही छोटे दल ऐसे है जो बड़े गिरोहों पर अल्लाह के हुक्म से ग़ालिब आ जाते हैं,

इन आयतों को पढ़कर इन्होंने अपने लिये यह दावा कर लिया है कि हम अगरचे थोड़े हैं, मगर बहुसंख्यक पर ग़ालिब आ जाऐंगे, और इसमें मिलने वाली मदद का वादा सिर्फ हमारे लिये हैं।

ये उग्रवादी लोग कुरआन और उसकी आयतों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ग़लत व झूठी हेर–फेर करके कुरआन की पवित्रता को रौंद कर रहे हैं, बिना ज्ञान और समझ के कुरआन के सही अर्थ पर हमला करते हैं, ये लोग तकफीर व सरकशी द्वारा समाज को अपनी उग्रवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, विद्राह के ज़रिये मुसलमानों के ख़िलाफ हथियार उठा रहे हैं, विभिन्न संस्थाओं और समाजो को तबाह कर रहे हैं, दिल और दिमाग़ में नफरत के बीज बो रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग़ में ये भूत सवार है कि इस वक़्त सारा समाज काफिर हो चुका है, सिर्फ यही लोग अकेले ऐसे हैं जो पक्के मुसलमान और मदद इलाही के हक़दार हैं।

उनकी इस सोच से यह ख़तरनाक परिणाम इसलिये बरामद हो रहा है कि उन से जब भी कोई बहस व मुनाज़रा करे, उन्हें समझाए, ये लोग अपनी ग़लती मानने के लिये तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके नज़दीक वादए इलाही सिर्फ इन्ही के लिये है, जब आप उनको उनकी कोई ग़लती बताइये फौरन कहते हैं कि आप हमें वादए इलाही के बारे में शक में डाल रहे हैं, उन इन्तेहा पसन्दों के नज़दीक उनका नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त हैं और विपक्ष का नज़रयिा बिल्कुल ग़लत है, अपने ग़लत नज़रिये को उन्होंने कुरआन की हैसियत दे रखी है, अपने नज़रिये में शक को गोया कलामे इलाही में शक के बराबर क़रार दे रखा है, हमने ख़ुद अपने कानों से सुना कि अगर ज़िक्र किया जाए कि फलां शख़्स किसी मुक़द्दमा में कामयाब होगा

या फलां नाकाम हो गया, तो इसके जवाब में लोग कहते हैं कि ऐसा मत कहो, ये तो अल्लाह के बारे में शक करने वाली बात है।

वह लोग अपने विश्वास को योग्यता, किफायत, अनुभव, ज्ञान और शिक्षा के बराबर समझते हैं, विश्वास को अनुभव की गहराई के समक्ष लाते हैं, और गुमान करते हैं कि हमारे एतक़ाद की कुव्वते यक़ीन, अनुभव और ताक़त की कमी को पूरा कर देगी, यहां आकर यह विचारधारा, उक्त तरीके व आदाते इलाहिया और ख़ुदाई नियमों से बाहर हो जाएगा, वह तरीके और नियम जो अल्लाह के बन्दों के बीच जारी हैं, यह लोग विभिन्न चीजों को आपस में ख़ल्त मल्त कर देते हैं, जब भी उन से कहा जाए कि अभी आप के अन्दर अनुभव का अभाव है, आपके पास इस बात का इ़ल्म नहीं, इस पर भाविक होकर सामने वाले पर बरतरी जताने लगते हैं, फिर अपने अन्दर पलट कर झांकते हैं, तो उन्हें अपने अन्दर उस ख़ास वादए इलाही पर पुख़्ता यक़ीन नज़र आता है अपने अन्दर शेरो शायरी और जंगी कहानियों और घटनाओं का उन्हें ज्ञान नज़र आता है, यह लोग बड़े यकीन से अपने आप को सकुशल समझते हैं, और अपनी कामयाबी के उन साधनों को काफी ख़याल करते हैं, हालांकि वो लोग ज्ञानहीन होते हैं, बल्कि वह तो इस इ़ल्म ही के मुन्किर हैं।

इन उग्रवादियों का दिमाग ग़लत अर्थों में उलझकर रह गया है, इस परेशान सोच के कारण कुरआनी आयतों में हेर—फेर करते रहते हैं, उनके नज़दीक इन्सान का काम सिर्फ यही रह गया है कि कायनात को तबाह व बर्बाद करता फिरे, इस के बावजूद ये लोग समझते हैं कि वो हिदायत के लिये कोशिश कर रहे हैं।

सय्यद कुतुब फी ज़िलालिल कुरआन में कहता है : अल्लाह ने जो मदद और सहायता और ज़मीन में अपने बन्दों को बसाने और उन्हें वारिस बनाने का वादा किया है यह वादा अल्लाह तआ़ला की तरफ से कायनात में जो इलाही तरीके जारी हैं, उनमें से एक सुन्नत और आदत है, यह वही सुन्नत व आ़दते इलाही है जो ग्रहों और सितारों में जारी है, जो हमें कायनात के नियमों में नज़र आती है, वक़्त गुज़रने के साथ साथ दिन रात का एक दूसरे के पीछे आना जाना, इसी तरह मुर्दा ज़मीन का पानी बरसने के बाद ज़िन्दा होना, लेकिन ये निज़ामे तक़दीरे इलाही की एहसानमन्द है, जब अल्लाह चाहता है तभी कुछ होता है, इन्सान जब अपनी महदूद उम्र देखता

है तो अल्लाह की कुदरत के आसार ज़ाहिर होने में उसे देरी नज़र आती है, लेकिन जो कुछ अल्लाह ने मुक़द्दर कर रखा है वह होने वाली चीज़ अपने वक़्त से आगे पीछे नहीं होती, कभी तक़दीरे इलाही इस तरह पूरी होती है कि इन्सान को उसके होने का गुमान भी नहीं होता, और वह अपने वक़्त पर हो जाती है, हम अल्लाह की मदद और सहायता का इन्तज़ार उस रास्ते पर करते हैं जो हमें मालूम है, और हमें यह मालूम नहीं होता कि मदद एक नए रास्ते से कुछ देर के बाद आने वाली है, इन्सान अल्लाह के लश्कर और उसके रसूल की पैरवी करने वालों की मदद और ग़लबा एक ख़ास सूरत में चाहता है जबकि अल्लाह किसी दूसरे तरीक़े से मदद व ग़लबा अ़ता फरमाना चाहता है, जो इन्सान की इच्छा वाले तरीक़ा से ज़्यादा संपन्न और पुख़्ता होता है, फिर होता वही है जो अल्लाह की चाहता है, अगरचे लश्कर को ज़्यादा मुद्दत तक मशक्क़त झेलनी पड़े या पहले से ज़्यादा इन्तज़ार करना पड़े। ([1])

फी ज़िलालिल कुरआन में कहता है : यह वो वादा है जो हर उस जंग में पूरा होने वाला है, तो कुफ्फार के दिल भय से भर जाते हैं, ये अल्लाह की तरफ से उनके दिलों में डाला जाता है, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि हक़ीक़ते ईमान मोमिनों के दिलों में मौजूद रहे, और वास्तविक चेतना मौजूद हो, कि मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और उस मदद पर पूरा भरोसा भी हो, इस बारे में किसी तरह के शक न पाया जाए कि अल्लाह की सेना ही विजयी है, न इस बात में संदेह हो कि अल्लाह अपने काम पर ग़ालिब है, जिन लोगों ने कुफ्र किया वह ज़मीन में रहकर अल्लाह तआ़ला को ग़ालिब नहीं कर सकते, न उस से आगे बढ़ सकते हैं, और अल्लाह के इस वादे का मामला चाहे ज़ाहिरी हालात उसके कितने ही मुख़ालिफ क्यों न हों, अल्लाह का वादा उस से ज़्यादा सच्चा है, जिसे आंखें देख रही हैं या अ़क्लें समझ रही हैं। ([2]) –

यह भी कहा कि : मोमिन का मामला अल्लाह के वादा के साथ इस तरह हुवा करता है कि वह अल्लाह के वादे को होने वाली हकीकत समझता है, अगरचे होने वाला मामला छोटा हो, जिस का संबंध सीमित नसल तक या

[1] फी जिलालिल कुर्आन 5/3001–

[2] फी जिलालिल कुर्आन 1/491–

सीमित पड़ाव से हो, और यह मामले उस हक़ीक़त के विपरीत हो, तो ये जो हमें नज़र आ रहा है वो गलत और खतम होने वाला है, अगरचे ये बातिल थोड़ी देर के लिये ज़मीन पर एक ख़ास हिकमत के कारण मौजूद है, शायद वह हिकमत इलाही वादे पूरा होने और बातिल का ख़ात्मा देखकर ईमान की ताज़गी का सबब बन जाए, आज जब इन्सान इस ख़तरनाक जंग को देखता है जो ईमान के दुश्मनों ने अहले ईमान के उपर सवार कर रखी है, जो विभिन्न स्वरूपों में छाई हुई है, पकड़, दबाव, चालबाज़ी और लम्बे समय से होने वाली चालें इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि जिसने मोमिनों को क़त्ल किया, तरह तरह से सज़ाऐं दीं, उनकी रोज़ी छीन लिया, उन को हर क़िस्म की तकलीफ दी, ईमान वालों के दिलों में सिर्फ ईमान ही बाक़ी रह गया है, जिसने उनको गिरने से बचा रखा है, जिसने इस्लाम की निशानी खराब होने नहीं दिया, अनेक कौमों की तरफ से उन पर होने वाले हमलों के सामने उन्हें पिघलने नहीं दिया, सरकशी के सामने उन्हें झुकने नहीं दिया मगर जितना हो सका कुफ्फार ने मोमिनों को नुक़सान पहुंचाया———इन्सान इस लंबे अवधि में इन्तज़ार करता है कि वो अल्लाह के क़ौल की सच्चाई को पाए, ताकि उसे लंबा इन्तज़ार न करना पड़े! जो कुछ भी हो, मोमिन को अल्लाह के किये वादे में शक नहीं करना चाहिये ये एक ऐसी हक़ीक़त है जो ज़रूर ज़ाहिर होगी, और ये कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं वही लोग अंत मे ज़लील होंगे, और अल्लाह व रसूल ही विजयी हैं, और ये वादए इलाही ज़रूर वही है जो पूरा होकर रहेगा, अगरचे जो ज़ाहिर हो रहा है वो इस के ख़िलाफ है। ([1])

सय्यद कुतुब ने कहा : वास्तविक दावत की मशक़्क़त मशक़्क़ते सब्र है, जो सब्र अल्लाह के फैसले के इन्तज़ार पर किया जाए, यहां तक कि उसका वादा आ जाए, उस वक़्त जब अल्लह अपनी हिकमत के साथ चाहता है, इस राह में बहुत सारी परेशानियां हैं, झूठ को झुटलाने और उस पर सज़ाओं की मशक़्क़त, दुश्मनी और गुमराही वालों की तरफ से तकलीफ पहुचाने पर सब्र की मशक़्क़त, ताक़तवर झूठे गिरोह की तरफ से तकलीफ पहुंचाने पर सब्र की मशक़्क़त, गलत को ताज़ा दम व तरक़्क़ी में देखकर लोगों का परिक्षा में ग्रस्त होना और उस मशक़्क़त को झेलना, इन हालात को

[1] फी जिलालिल कुर्आन 6/3513—

देखकर अपने आप को क़ाबू में रखने की मशक़्क़त, हर हाल में अल्लाह की खुशी में खुश रहना, मुस्तक़िल मिज़ाज़ी से अल्लाह के सच्चे वादे की तरफ नज़र रखे मुतमइन रहना, इस में संदेह न करना, राहे सफर में परेशानी बर्दाश्त करते हुए तरद्दुद न करना, ये बहुत सख़्त मेहनत का काम है, इस के लिये संकल्प, सब्र और अल्लाह की तौफ़ीक़ और मदद की ज़रूरत है। ([1])

अब सब से ख़तरनाक बात सुनिये! फी ज़िलालिल कुरआन में कहा : अल्लाह ने उन्हें बुलन्दी दी है जो गुमराह इन्सानियत के काट पीट के बारे में ग़ौर करते हैं, जो जाहिलीयत के इर्द गिर्द भटक रही है, जो सारी ज़मीन में फैली हुई है, फिर वो महसूस करेंगे कि अल्लाह ने उन्हें वो दिया है जो तमाम जहांनों में किसी को नहीं दिया। ([2])

अब ज़रा यह भी सुनिये कि उसने ज़मीन में फैली हुई जाहिलीयत पर बरतरी का संबंध कहां जोड़ा है, फी ज़िलालिल कुरआन में कहा कि : अल्लाह तआ़ला ने कुरआन के द्वारा इरादा फरमाया कि ये हमारा ज़िन्दा अगुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाक़ी रहने वाला है, ताकि इस उम्मत की आने वाली नसलों की अगुवाई करे, उनकी प्रशिक्षण करे, रुश्दो हिदायत वाली उस अगुवाई के लिये उन्हें तैयार करे, जिस का अल्लाह ने उन से वादा फरमाया है, जो भी उस के रास्ता बताने से रास्ता पाए, उसके साथ किया हुआ संकल्प निभाए, अपनी ज़िन्दगी के तमाम मामलों में कुरआन से मदद ले, उसके द्वारा ज़मीन के तमाम रास्तों पर ग़लबा और बरतरी हासिल करे, वह यही हैं जो जाहिलीयत के रास्ते हैं। ([3])

फी ज़िलालिल कुरआन में कहा : यहां तक कि मोमिन की ये इच्छा होनी चाहिये कि उसका विश्वास ग़ालिब आ जाए, अल्लाह के दीन की मदद करने और उसके दुश्मनों पर क़हर ढाने की इच्छा रखे, यहां तक कि अल्लाह भी यही चाहता है कि मोमिन उसके लिये अपने आप को ख़ास कर लें, और मामले को अल्लाह पर छोड़ दें, अपने दिलों को उसके लिये ख़ास कर दें, कि बस यही ख़्वाहिश हो, दुनियावी कोई ग़र्ज़ न हो, ये अ़क़ीदा सिर्फ अ़ता व वफा और अदा है, यूंही हमारा अ़मल इस ग़र्ज़ से न हो कि हमें मदद ग़लबा

[1] फी जिलालिल कुर्आन 6 / 3670–

[2] फी जिलालिल कुर्आन 1 / 252–

[3] फी जिलालिल कुर्आन 1 / 261–

व इख़्तियार और बरतरी हासिल होगी, हर चीज़ का इन्तज़ार करना है, फिर मदद भी आ जाएगी, ज़मीन में इख़्तियार भी दिया जाएगा, बरतरी भी हासिल होगी, ये सब कुछ बैअ़त में शामिल नहीं था, और न ये सौदे का कोई हिस्सा था, यूंही सौदे में दुनिया के मुक़ाबिल कोई चीज़ नहीं थी, यहां फर्ज़ को अदा कर देना है, वफादारी के साथ परिक्षा भी आती रहेगी। ([1])

इन इ़बारतों में सक्रीय रहने वाले को सत्ता मिलने की उम्मीदें दिलाई हैं, अल्लाह के वादे पर भरोसा रखने को शिद्दत से समझाया गया है, साथ ही वफादारी और इम्तिहान को भी तैयार रहने के लिये कहा गया है, ये चीज़ सत्ता व बरतरी की खुशखबरी सुनाएगी, और यह भी हो सकता है कि वह कामयाबी को देखे बग़ैर ही मर जाए, लेकिन संतुष्ट ज़रूर रहे कि बाद वालों को ज़मीन का वारिस बनाया जाएगा, और उन्हें सत्ता ज़रूर मिलेंगे।

जब कोई इन्सान ऐसे लोगों से प्रशिक्षण पाएगा तो उसका दिमाग यही बनेगा कि उन्हें ज़मीन का वारिस बनना है, सत्ता मिलेंगा, अल्लाह के किये वादे उन्हीं के लिये हैं, जबकि उन उग्रवादियों के साथियों में तो नरमी, अच्छी सोच, आसानी पसंद सभ्यता, संस्था बसाना, पारस्पारिक इन्सानी आदर और इज्जत और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने की भावना इत्यादि ख़ूबियां नहीं पाई जातीं, बस उन तमाम कामों के बग़ैर पूरा ज़ोर, केवल इस बात पर है कि उन्हें ज़मीन पर सत्ता दे दिया जाए, उन्हें ज़मीन का वारिस बना दिया जाए।

वास्तव में उन की नज़रों से शरीअ़त के उद्देश्य ओझल हैं कि किसी इन्सानी जान की हिफाज़त कैसे करनी है, लोगों की जान, माल, इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त कैसे करनी है, इन में से कोई भी चीज़ उग्रवादियों के पेशे नज़र नहीं, चाहे पूरा इस्लामी कानून तबाह होकर रह जाए, इस बात की कोई परवाह नहीं, इस्लामी फराइज़, सुनन व आदाब एक तरफ, और उन के उग्रविचार एक तरफ, यानी बस ज़मीन पर सत्ता मिल जाए, राजनीतिक व्यवस्था उनके हाथ आ जाए, यह राजसत्ता सत्ताधारियों से छीनने में कामयाब हो जाऐं, ज़मीन का वारिस बनने का अर्थ उन्हें यही समझाया जाता है कि तुम कुछ भी कर लो, वादए इलाही सिर्फ तुम्हारे साथ है, कामयाबी और मदद सिर्फ तुम्हारी होगी, किसी और की नहीं, इस्लामी सभ्यता और

[1] फी जिलालिल कुर्आन 1/550–

नरमी उनके ज़हनों से बिल्कुल ग़ायब है, और जो सहल पसन्द नहीं,जो अर्थ श्रोतों में ग़ौरो फिक्र नहीं करता, वो दुनिया में अपना और दूसरों का जीना हराम कर डालेगा, ऐसे में उग्रवाद, घमंड और दुश्मनी अपनी जगह बना लेगी, फिर ऐसे लोग हक़ीक़त का इन्कार करेंगे, और अच्छे लोग जब उनके गुनाहों पर चेतना दे, तो वो विरोध में यही कहेंगे कि हमारा अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह ने हम से मदद व कामयाबी का वादा किया है, और आप लोग हमें शक में डाल रहे हैं।

और ये ख़याल कि लोगों ने शरीअ़त छोड़ दी है ये ख़याल उग्रवादियों को सरकशी पर आमादा करता है, इस से बढ़कर ये कि लोग उनके नज़दीक ज़मानए जाहिलीयत में चले गये हैं, लिहाज़ा उन शिद्दत पसन्दों के नज़दीक दुनिया में ग़लबा हासिल करने और जंग करने का वक़्त आ चुका है, फिर ये लोग अपनी उन कारवाइयों को अल्लाह की राह में जिहाद का नाम भी देते हैं।

(5)
जिहाद का अर्थ

हाकिमिय्यत के मुद्दे को बुनियाद बनाकर पहले तो उग्रवादी आंदोलनों ने आम मुसलमानों को काफिर कहने का पाप किया, फिर उन्होंने मुसलमानों पर जाहिलीयत के युग में चले जाने की तोहमत लगाई, जिसका अर्थ भी कुफ्र और शिर्क है, फिर ये दावा किया कि दीने इस्लाम कई सदियों से ख़त्म हो चुका है, इसके बाद तमाम देशों के संविधानों और नियमों को कुफ्र क़रार दिया, फिर शासकों से सत्ता हासिल करने और उनसे शासन छीनने के लिये तैयार हुए, और अ़वाम को भी, ख़ामोश रहने के कारण गुनहगार ठहराया और यह पक्का फैसला किया कि अब हुकूमत और अ़वाम से टकराव ज़रूरी है, और यह भी किया कि इस टकराव और विद्रोह को जिहाद का नाम भी दिया।

जबकि वास्तविकता यह है कि वह जिहाद जिसे अल्लाह तआ़ला ने शरीअ़त में निर्धारित फरमाया, उसका अर्थ बहुत व्यापक और बुलन्द है, युद्ध जिहाद की एक सूरत है, जिहाद को अल्लाह तआ़ला ने एक उद्देश्य के साथ संबंधित किया है, और वह उद्देश्य लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाना और इन्सानी जान को नया जीवन देना है, लोगों का नुक़सान उद्देश्य नहीं, अल्लाह तआ़ला ने जिहाद का हुक्म उसके आदाब और शर्तों के साथ फरमाया है, उन नियमों को मद्दे नजर रखना अत्यन्त अनिवार्य है, और उस का हक़ ये है कि मुजाहिदीन वहां कोई पेड़ न काटें, वहां किसी जानवर, खेतियों, आबादियों को बिला वजह नुक़सान न पहुंचाऐं, गिरजा घरों, में मौजूद किसी राहिब (पादरी) को न डराऐं, वग़ैरह वग़ैरह अल्लाह तआ़ला ने जिहाद के लिये विशेष चीजें और मात्रा निर्धारित किया है, जो इन सीमाओं को लॉघे, या इसकी मात्रा से बढ़ जाए, या जहां जंग और लड़ाई की इजाज़त नहीं वहां जंग करे, ऐसे शख़्स का इस्लामी जिहाद से कोई संबंध नहीं, बल्कि उस का यह करतूत हराम और जुल्म व ज़्यादती है।

हमारे सामने शरई मसाइल और शरीअ़त के उद्देश्यों के साथ लगातार जुल्म व ज़्यादती की जा रही है, लोग अपनी ग़लत विचारधाराओं और बातिल सोच के लिये शरीअ़त का नाम प्रयोग कर रहे हैं, सब से बड़ी दर्दनाक और दुख की बात यह है कि उग्रवादियों ने सारे मुसलमान समाज को काफिर क़रार दे दिया है, जिस के कारण ग़लत कल्पनाओं को इस्लाम पर चसपां करने का एक सिलसिला निकला है, बातिल सोच की ख़ातिर शरअ़ शरीफ की परिभाषाऐं इस्तेमाल की जा रही हैं, यह सब शरीअ़ते मुतह्हरा को बदनाम

करने के बराबर है, जब लोग उन गुमराहों की तशरीह और बदकारियां देखते है तो सोच में पड़ जाते हैं, शक में मुब्तला हो जाते हैं कि क्या शरीअ़त ज़ुल्म और बुराई की शिक्षा देती है, शरीअ़त का स्थान लोगों के दिमाग में बिगड़ने लगता है, हालांकि धर्म और शरीअ़त को अल्लाह तआ़ला ने पूरा का पूरा करुणा, जीवन और इन्सान के लिये आदर व एहतराम का कारण बनाया है।

इमाम बुख़ारी ने सय्यिदुना जाबिन बिन अ़ब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत किया कि आपने फरमाया : एक शख़्स दो ऊंटनियां लेकर आया, रात हो चुकी थी, हज़रत सय्यिदुना मुआ़ज़ रदियल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ाने लगे, वह शख़्स अपनी ऊंटनी छोड़कर नमाज़ में शामिल हो गया, हज़रत सय्यिदुना मुआ़ज़ रदियल्लाहु अन्हु सूरए अल–बक़रह या सूरए अन्निसा पढ़ने लगे, वह शख़्स नमाज़ छोड़कर चला गया, फिर उसे पता चला कि सय्यिदुना मुआ़ज़ रदियल्लाहु मेरे इस काम से नाराज़ हुए हैं, उसने नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत सय्यिदुना मुआ़ज़ रदियल्लाहु अन्हु की शिकायत की, नबीये रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार इरशाद फरमाया : (तर्जुमा :) ऐ मुआ़ज़! क्या तुम लोगों में फित्ने डालना चाहते हो? फिर इरशाद फरमाया : (तर्जुमा :) तुम्हें चाहिये था कि नमाज़ में सूरए अअ़ला या सूरए शम्स या सूरए लैल की तिलावत करते, क्योंकि पीछे नमाज़ अदा करने वालों में कमज़ोर, उ़म्र दराज़ बुज़ुर्ग और काम काज पर जाने वाले लोग भी होते हैं।

इस हदीस शरीफ में नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत खुले शब्दों में स्पष्ट फरमाया कि अगर शरीअ़त को अपने तरीक़े से लागू करके, लोगों पर सख़्ती के साथ अनिवार्य करोगे तो लोगों पर बोझ होगा, और उसका ये अ़मल निहायत ख़तरनाक होगा, ऐसा करने वाले को हुज़ूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फित्ना पैदा करने वाला क़रार दिया है, इस बात को मद्दे नज़र रखा कि : इसके अपने अलग तरीक़े के कारण लोग शरीअ़त के बारे में बदगुमान हो जाऐंगे हालांकि तिलावते कुरआन की फज़ीलत मुसल्लम है, और ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ में लंबी किराअत को पसन्द फरमाया करते, तो उस शख़्स का क्या हाल होगा जो तमाम लोगों को काफिर ठहराए! उन पर हथियार उठाए और उसे जिहाद का नाम दे!

उदाहरण के तौर पर सालेह सरिय्या की बात को रिसालतुल ईमान में देखें : हुकूमतों को तब्दील करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिये हर मुसलमान मर्द व औ़रत पर जिहाद फर्ज़ ऐ़न है, इसलिये कि जिहाद क़यामत तक चलता रहेगा, गलत को बदलने के लिये जिहाद फर्ज़ है, अगरचे वह गलत काफिर न हो, जैसे हज़रत सय्यिदुना हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने यज़ीद के मुक़ाबले में जिहाद किया, और जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : शहीदों में सबसे अफज़ल हमज़ा हैं, और वो शख़्स है जो ज़ालिम हाकिम को नेकी का हुक्म और बुराई से मना करे, इस पर वो ज़ालिम हाकिम उसे क़त्ल कर दे। जिहाद कुफ्र का विलोम है, कोई दो मुसलमान भी इस बारे में मतभेद नहीं करते कि ये तमाम फर्जों में बड़ा फर्ज़ और इस्लाम की उच्चतम चोटी है। हदीस में है : जो इस हाल में मरा कि न उसने जिहाद किया, न उसके दिल में जिहाद का शौक़ हो, वो जाहिलीयत की मौत मरा। जो कुफ्र की हुकूमतों का रक्षा करते हुए इस्लामी शासन स्थापित करने वालों के ख़िलाफ लड़ते हुए मर जाए, ऐसे तमाम लोग काफिर है, सिवाय उनके जिन्हें मजबूर किया गया, वो क़यामत में अपनी नीयतों के अनुसार उठाए जाऐंगे, और ये बड़ा ख़तरनाक मुद्दा है, जिस से आज मुसलमान ग़ाफिल हैं, उन्हें स्थाई रूप पर ये पैग़ाम पहुंचाना ज़रूरी है कि नरसंहार के डर से बहुत सारे इस्लामी आंदोलन हुकूमत के मुक़ाबले खड़ी नहीं होतीं, क्योंकि उनके सामने मसला पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ कि ये हुकूमत काफिर है।

अतः जिहाद का अर्थ उग्रवादियों के हाथों बदल कर लोगों को काफिर क़रार देना और उन से दुश्मनी बनकर रह गया है, लिहाज़ा गहरी अंधेरियों में औंधे गिरते और उस का नाम जिहाद रखते हैं।

जिहादे शरई और उग्रवादियों के गलत कल्पनाओं की तुलना

उम्मत के उलमा के नजदीक जिहाद की सही कल्पना	उग्रवादियों की गलत कल्पना
(1) जिहाद का अर्थ बहुत व्यापक है कि जिहाद का अल्लाह ने हुक्म दिया है वह शराफत और नूरानी काम है, जो विभिन्न रूपों से हासिल होता है, कभी दिल, कभी दावत, कभी दलील, कभी व्याख्या, कभी मत और कभी तदबीर से और जब लड़ने की ज़रूरत हो तो जंग के ज़रिये भी होता है। इस बारे में फुक़हा का कलाम देखने के लिये अ़ल्लामा बहूती की कशफुल क़िनाअ़ किताब अल–जिहाद, 6/36, मतबूआ : आ़लमुल कुतुब सन् 1403 हि., और मतालिबे ऊलन्नुहा, किताबुल जिहाद, 2/503, मतबूआ : अल–मकतबुल इस्लामी पढ़ें। ⁂	(1) जिहाद सिर्फ जंग की सूरत में होगा, और जंग में हर हाल में क़त्ल और नरसंहार भी होगा। ⁂
(2) आ़म उ़लमा के नज़दीक जिहाद एक साधन और ज़रीआ़ है, मूल उद्देश्य नहीं, और जो साधन हो उस से उद्देश्य हासिल किया जाता है, वह ख़ुद उद्देश्य नहीं हुआ करता, बल्कि	(2) जंग उग्रवादियों के नज़दीक मूल उद्देश्य है, जैसा कि शैख़ क़रदावी ने अपनी किताब इब्नुल करिय्या वल किताब, मलामिहु सीरतिन व मसीरतिन 3/59 पर लिखा : जैसा कि मैंने ख़ुद सय्यद कुतुब से

यह दूसरी मक़सूद चीज़ को संपूर्ण रूप से हासिल करने के लिये होता है, जैसा कि शरीअ़त के उद्देश्य जानने वाले, उ़लमा के इमाम ताहिर बिन आ़शूर ने अपनी किताब मक़ासिदुश्शरीअ़ह, स. 148 पर उल्लेख किया है। इसी कारण हर जगह युद्ध के ज़रिये जिहाद ज़रूरी नहीं, बल्कि युद्ध द्वारा जिहाद वहां होगा जहां सिर्फ जंग से उद्देश्य और लक्ष्य हासिल हो, दूसरे किसी साधन से लक्ष्य प्राप्त न हो सके, और कभी ऐसा होगा कि जंग छोड़ने में ही लक्ष्य प्राप्त होगा, और वो इस्लाम के लिये जद्दो जहद का अ़मल है, यहां तक कि सादाते शाफईया के इमाम रमली ने निहायतुल मुहताज, किताबुस्सैर, 8/46 में लिखा कि : जिहाद कभी क़िलों को मज़बूत करने और ख़न्दक़ें खोदने से किया जाता है, (यअ़नी दिफाई हालत में) और कभी हमलावर होकर जंग के ज़रिये होता है। ⁂	इज्तिहाद व जिहाद के बारे में मुनाज़रा किया मैंने उसे निहायत सख़्त मिज़ाज और तंग ज़हन पाया, फिक़हे इस्लामी को तो मानते थे लेकिन तमाम बड़े बड़े फुक़हा व उ़लमाए मुआ़सिरीन के सख़्त ख़िलाफ थे (उनके ख़याल में जो) मुसलमान हैं, उन को ये दावत देना है कि वो सारी दुनिया से मुक़ाबले के लिये तैयार रहें, या तो सब इस्लाम क़बूल कर लें, या ज़लील होकर जिज़या अदा करें। ⁂
(3) उ़लमाए इस्लाम के नज़दीक जिहाद का सबसे बड़ा मक़सद अल्लाह का रास्ता दिखाना है, इमाम तक़ियुद्दीन सुब्की अपने फतावा किताबुल जिहाद, 2/340 में फरमाते हैं : नबीये पाक सल्लल्लाहु अलैहि	(3) उनके नज़दीक जिहाद व क़िताल का मक़सद हिदायत नहीं, हिदायत के लिये जिहाद के अदना असर को भी वो नहीं मानते।

वसल्लम ने जब हज़रत सय्यिदुना अ़ली रदियल्लाहु अन्हु को ख़ैबर की तरफ भेजा तो इरशाद फरमाया (तर्जुमा :) अगर अल्लाह तुम्हारे द्वारा किसी एक को हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिये सुर्ख़ ऊंटों से बेहतर है। इस मौक़ा पर नबीये रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद इस तरफ इशारा कर रहा है कि जंग का मक़्सूद हिदायत है, और हिकमत भी इसी बात की मांग करता है कि मूल उद्देश्य प्राणी को हिदायत पर लाना है, उन्हें तौहीद और शरीअ़त की दावत दी जाए, हमारा मक़्सूद सिर्फ मद्दे मुक़ाबिल नहीं, बल्कि मक़्सूद ये है कि उन की नसलें मुसलमान हो जाऐं, हिदायत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती, और अगर यही काम इ़ल्मी बहस व मुनाज़रा से हो जाए और इस्लाम के बारे में कुफ्फार के संदेह दूर हो जाऐं तो यही सब से अच्छी नेकी है, यहीं से हम ये भी मालूम करते हैं कि उ़लमाए इस्लाम के क़लम की स्याही शहीद के ख़ून के बेहतर है।

अगर जंग के बग़ैर मक़्सूद असली हासिल होना असंभव हो, तब फिर जंग की जाए ताकि तीन में से एक चीज़ हासिल हो जाए, (1) या तो वो हिदायत पाऐंगे, और ये सबसे ऊंचा स्थान है। (2) या हम मुक़ाबले

में शहीद हो जाएं, ये मक़सूदे असली के एतबार से बीच वाला स्थान है, लेकिन जान कुर्बान करना बहुत बड़ा शरफ है, क्योंकि इन्सान को सबसे प्यारी चीज़ जान होती है, और मुजाहिदीन इसी जान को कुर्बान कर देता है, शहादत मक़सूदे असली के हुसूल का एक ज़रिया है, मक़सूद असली नहीं, इसलिये कि शहादत मफजूल है। और मक़सूदे असली अफज़ल है, और वो अल्लाह के नाम की सरबुलन्दी है, और यही मक़सूद असली है।

इमाम इ़ज़्ज़ुद्दीन बिन अ़ब्दुस्सलाम ने अपनी किताब क़वाइदुल अहकाम (1/125 बतसर्रुफ) में फरमाया : जिस ज़रिये से मक़सूद हासिल न हो रहा हो, ऐसा वसीला व ज़रिया छोड़ दिया जाता है।

***

(4) जिहाद एक शरई आदेश है, साहस और जवानी का जोश दिखाने का नाम नहीं, दूसरे शरई आदेशों की तरह जिहाद की भी विभिन्न कामों, हालतों और विभिन्न लक्ष्यों के अनुसार से पांच सूरतें हैं, कभी ये वाजिब, कभी मुस्तहब और कभी हराम होता है, अल्लाह तआ़ला शरई अहकाम बयान फरमा चुका, और ये

***

(4) जिहाद उनके नज़दीक सरकशी वाला अ़मल है, जिस का हुक्म न दीन देता है और न ही अ़क़्ल ऐसा करने के लिये कहती है, बल्कि ये लफ्ज़ के ग़लत अर्थ लेना ओर धोका धड़ी है, होलनाक तरीक़े से इन्सानों को ज़िबह करना, गर्दनें काटना, फिर उन जुर्मों को जिहाद का नाम देना, जिसके परिणाम में लोग दीन से

भी शरई हुक्म है कि किसी हुक्म शरई से अल्लाह तआ़ला रोक दे, कभी–कभी जिहाद बज़ाहिर सूरतन सही होता है लेकिन हक़ीक़त में बातिल होता है क्योंकि जिहाद करने वाला वहां लड़ रहा होता है, जहां अल्लाह तआ़ला ने जंग का हुक्म नहीं दिया, शरई नियमों के बग़ैर जंग कर रहा होता है, और जब जिहादे शरई नियमों के बग़ैर किया जाए तो वो सरकशी क़त्ल व ख़ूनरेज़ी और ज़मीन में तबाही व बर्बादी फैलाना है, नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाबे वजू बयान फरमाने के बाद इरशाद फरमाया (तर्जुमा :) जिसने इस से ज़्यादा किया, उसने बुरा किया, जुल्म किया। मुस्तफा जाने रहमत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू में पानी इस्तेमाल करते वक़्त मुक़र्रर शरई मिक़दार से आगे बढ़ने वाले को जुल्मो बुराई करने वाल ठहराया, हालांकि पानी इस्तेमाल करने में ये उसका अपनी ज़ाती अ़मल है, दूसरे का कोई नुक़सान नहीं, ज़रा ग़ौर कीजिये कि उस शख़्स के गुनाह का क्या हाल होगा जो लोगों की गर्दनें उड़ाए, ख़ून बहाए, अमन व अमान से रहने वालों को डराए, ला क़ानूनियत की हद से गुज़र जाए, ऐसे शख़्स के लिये कोई शरई दलील नहीं जिसका बेज़ार और दूर हो रहे हैं।

***

सहारा लेकर अपने इस अ़मल को शरीअ़त की तरफ मन्सूब करे, दर हक़ीक़त ये लोग अपनी स्वार्थ के हाथों खिलौना बने हुए हैं, बड़ा बनने की हवस में लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, फिर उन जुर्मों को शरीअ़ते मुतह्हरा की तरफ मन्सूब करते हैं, और लोगों को दीन से दूर करते हैं, और उसकी शर्तें न पाई जाए तो हराम भी होता है, तब ऐसा काम जिहाद करने वालों को खूनरेज़ी में मुब्तला कर देता है, जिहाद का मक़सद तो सरकशी की रोकथाम, समाज को अमन व अमान देना, और इज्जत लूटने और ज़िल्लतो रुसवाई से बचाना है, उन लोगों ने अपनी नफसानी ख़्वाहिश के सबब क़त्लो ग़ारतगरी और दूसरों पर मुसल्लत होने का नाम जिहाद समझ लिया है, इमाम क़राफी ने फुरूक़ (अल–फकुल स्सालिस, 1/135) में फरमाया : जिस तरह शरई अहकाम पर अ़मल ज़रूरी होता है, इसी तरह कभी शरीअ़त के हुक्म के कारण उन पर अ़मल करना भी ज़रूरी होता है।	

समस्त उ़लमाए उम्मत और सय्यद कुतुब के बीच जिहाद के अर्थ के मुद्दे पर तुलना

सय्यद कुतुब का मुन्फरिद होना	जम्हूर उ़लमाए उम्मत की राय
जिहाद सय्यद कुतुब के नज़दीक सारी दुनिया से टकराव का नाम है, शैख़ क़रदावी ने किताब इब्नुल करिय्या वल किताब, मलामिहु सीरतिन व मसीरतिन 3/53 में लिखा : जैसा कि मैंने ख़ुद सय्यद कुतुब से इज्तिहाद व जिहाद के बारे में मुनाज़रा किया, मैंने उसे सख़्त मिज़ाज और तंग ज़हन पाया, फिक़्हे इस्लामी को तो मानते थे लेकिन तमाम बड़े बड़े फुक़हा व उ़लमाए मुआ़सिरीन के सख़्त ख़िलाफ थे उनके ख़याल में जो मुसलमान हैं, उन को ये दावत देना है कि वो सारी दुनिया से मुक़ाबले के लिये तैयार रहें, या तो सब इस्लाम क़बूल कर लें, या ज़लील होकर जिज़या अदा करें।	शैख़ क़रदावी ने किताब इब्नुल करिय्या वल किताब, मलामिहु सीरतिन व मसीरतिन 2/61 में लिखा : उस्ताद सय्यद कुतुब में जो बुराई हमें नज़र आई वो ये है कि वो उन उ़लमा मुआ़सिरीन पर दो तरह से तोहमत लगाते हैं जो उनके नज़रियाए जिहाद के कारण विराध करते हैं, पहली तोहमत : वो अपने विराधी उ़लमा को बेवकूफ़,अनुभवहीन, और ग़ाफिल क़रार देते हैं, ये कहकर वो उन उ़लमा की इ़ल्मी व अ़क़्ली शान में तौहीन करते हैं। दूसरी तोहमत : वो अपने विरोधी उ़लमा पर ये तोहमत लगाते हैं कि आज कल के उ़लमा मौजूदा पक्षिमी दबाव और ओरियंटलिस्ट की मक्कारी के सामने साइक्लोजिकल कमज़ोरी व शिकस्त का शिकार हैं, ये कहकर वो अपने मुख़ालिफ उ़लमा के ज़ाती मामलों और जिस्मानी सलाहियत पर टिप्पणी करना चाहते हैं। जिन उ़लमा पर ये तोहमतें लगा रहे हैं वो उम्मत के बड़े बड़े उ़लमा हैं, जिनकी ख़िदमात इ़ल्मे फिक़ह व दावते दीन व फिक्र में

	नुमायां हैं, जिनकी शुरुआत शैख़ मुहम्मद अब्दुहु से होती है, फिर उसके बाद देखते चले जाएं, उदाहरणतः शैख़ रशीद रज़ा, शैख़ जमालुद्दीन क़ासमी, शैख़ मुहम्मद मुस्तफा मराग़ी भी इनमें शामिल हैं, नीज़ दीगर मशाइख़ मसलन : महमूद शलतूत, मुहम्मद अ़ब्दुल्लाह दराज़, अहमद इबराहीम, अ़ब्दुल वह्हाब ख़ल्लाफ, अ़ली ख़फीफ, मुहम्मद अबू जहरा, मुहम्मद यूसुफ मूसा, मुहम्मद फरज सिन्होरी, मुहम्मद मदनी, मुहम्मद मुस्तफा शलबी, मुहम्मद बही, हसन अल–बन्ना, मुस्तफा सबाई, मुहम्मद मुबारक, अली तन्तावी, बही ख़ौली, मुहम्मद ग़िज़ाली, सय्यद साबिक़, अ़लाल फासी, और अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद महमूद आदि मशाइख़े दीन हज़रात अपनी ज़िन्दगियां गुज़ार कर अपने रब के हां जा चुके हैं, बाज़ का हम ज़िक्र कर पाए हैं, उनके अ़लावा भी बहुत अहले इ़ल्म हैं जिन के ज़िक्र की हाजत नहीं।

(6)
तमकीन का अर्थ
जमीन पर काबू दिये जाने का अर्थ

जमाअ़ते इख़्वान और उसकी कोख से पैदा होने वाले तमाम आन्दोलन, जिनके नज़दीक जमीन पर काबू पाना और हुकूमत बनाना एक अहम और बुनियादी विचारधारा है, इसी विचारधारा पर इस पूरी संगठन का दारोमदार है, इसमें हर वह आन्दोलन दाख़िल है, जो इख़्वान की तरह नज़रियात रखती है, इस के अलावा राजनीतिक व तहरीकी निज़ाम और पद्धति में जो दल उसकी तरह है। यानी जिनके नज़दीक तमाम मुस्लिम काफिर हैं, मुस्लिम समाज, मुस्लिम संगठनें, मुस्लिम हुकूमतें, मुस्लिम धर्मगुरू व नेता, मुस्लिम सस्थाऐं, सबके सब काफिर हैं, उनके नज़दीक दीने इस्लाम का वजूद ख़त्म हो चुका है, सारी ज़मीन जाहिलीयत और कुफ्रो शिर्क में डूब चुकी है, उनके नज़दीक टकराव और युद्ध ज़रूरी है, चाहे मुस्लिम समाज के विरुद्ध नरसंहार करनी पड़ें, ये जुल्मो सरकशी उनके नज़दीक जिहाद है, फिर इन तमामतर गुमराहियों के बाद वो लोग जमीन पर काबू परने की विचारधारा की तरफ आए, इस से उनका मतलब तमामतर कारवाहियां, कोशिशें और तदबीरें हैं, जिनके लिये वो योजना बनाते रहते हैं, ताकि किसी तरह सत्ता और राज हासिल कर सकें, अपना राजनीतिक वजूद बना सकें, इन लोगों के नज़दीक यही एक रास्ता रह गया है जिस के ज़रिये दीने इस्लाम स्थापित हो सकता है।

इन लोगों के दिमाग़ में ये भयानक व ज़ालिम कल्पनाऐं इसलिये बन चुकी हैं कि ये लोग कुरआन व हदीस की झूठी व्याख्या करते हैं, आयात व अहादीस का ग़लत अर्थ समझते और बयान करते हैं, इन लोगों की सारी बुनियाद सिर्फ जोश, भाविकता, और साहित्य पर आधारित है, ये लोग इल्म और के साधनों से खाली हैं, वह साधन जिन्हें प्रयोग कर कुरआने अ़ज़ीम से वो अर्थ और मअ़ना निकाला जा सकता है, जो अल्लाह तआला के उद्देश्य के अनुसार हो, जिस से इन्सान उस अर्थ तक पहुंच हासिल कर सकता है जो मअ़ना इस्लाम के आरंभ से अब तक तमाम मुसलमान कुरआन व सुन्नत से निकालते चले आ रहे हैं, उस पर अ़मल करते रहे हैं, उन्ही मअ़ना को स्वीकार करने में तमाम उम्मत के अनुभव का आदर भी है, और वही मअ़ना तमाम उम्मत के अनुकूल भी है।

कारण ये है कि कुरआने करीम से सही अर्थ निकालना, उस से मसाइल का हल निकालना, कुरआन के मतलब को समझना, ये इल्मी कला है, इसके लिये इल्मी हथियार, इल्मी कुंजियां और इल्मी पैमाना और तराजू

की ज़रूरत होती है, ऐसे नियमों का जानना ज़रूरी है, जो सही परिणाम का ज़ामिन हों, इन्सान बग़ैर इल्मी तराज़ू के कुरआन के मक़सद तक नहीं पहुंच सकता, कुरआने अ़ज़ीम के अर्थ में जहां भय और जलाल है, वहीं इन्तेहाई दिक़्क़त भी पाई जाती है, ये वही नियम ही हैं जिनके ज़रिये इन्सानी दख़ल अन्दाज़ी को वहिए इलाही से संबंधित करने से रोका जा सकता है, अगर इन्सानी ख़्वाहिशात और स्वार्थ को रोका न जाए तो कुरआन के अर्थों की सुरक्षा मुश्किल हो जाएगी, लोग कुरआन की ग़लत तर्जुमानी करके मक़सदे कुरआन के ख़िलाफ अपने मन पसन्दी मअ़ना दाख़िल करने की कोशिश करेंगे, फिर ग़लत इन्सानी सोच कुरआन के मुक़ाबले नज़र आने लगेगी, लोग मन की इच्छाओं और ग़लत विचारधाराओं को हक़ समझ बैठेंगे, चूंकि ये कलाम रब्बुल आलमीन का है, इसकी एक पवित्रता है, हर एक का काम नहीं कि कुरआने अ़ज़ीम की सही अर्थ बता सके।

अतः हर दौर में उ़लमाए इस्लाम बड़ी ज़िम्मादारी के साथ इस बात की निगरानी करते रहे हैं कि कोई ग़लत फिक्र व सोच और बातिल नज़रिये वहिए इलाही की तरफ मन्सूब न कर दे, वो इस बात का जाइज़ा लेते रहते हैं कि किसी गिरोह या शख़्स की जानिब से जो नया नज़रिया आ रहा है, वो इस्लामी नियमों के आधार पर है या नहीं? और क्या इस बात की वहिए इलाही में कोई अस्ल भी है? अगर है तो बरक़रार रखा जाए और अगर वो अर्थ और नज़रिया वहिए इलाही के विरुद्ध है, सिर्फ मन की इच्छा और भाविकता पर आधारित है, बात बनाई गई है, कुरआन ने नहीं कही, तो ऐसी सूरत में उसे बरक़रार नहीं रखा जाता? ताकि कोई अपनी नफसानी ख़्वाहिश और मनघड़त ख़याल को वहिए इलाही की तरफ मन्सूब न कर सके।

नज़रियात के आधार को सही तौर पर परखने के लिये (कि ये वहिए इलाही के मुताबिक़ है या नहीं) जिस तराज़ू को इस्तेमाल किया जाता है, वो मीज़ान इल्मी नियम, उसूल फिक़ह, व इल्मे बलाग़त, यअ़नी इल्मे मआ़नी व बयान, क़वाइदे फिक़हिया व मक़ासिदे शरीअ़त का इल्म है, इस बात का इल्म कि किस नज़रिया पर तमाम मुसलमानों की सहमति है, अइम्मए मुज्तहिदीन और अहले इल्म के मदारिक (वो इबारतें जिनसे अहकामे शरीअ़त का अनुमान किया जाता है) का इल्म, ऐतिहासिक अनुभव का ज्ञान जिस से ये मालूम हो कि आयाते कुरआन से इल्म हासिल करके उन्हें किस तरह अमली जामा पहनाया जाए, ऐतिहासिक अनुभव से ये मालूम होगा कि किस मफहूम पर

उम्मते मुस्लिमा सम्पूर्ण रूप से अमल पैरा है, और किस पर सम्पूर्ण रूप से अ़मल नहीं किया गया, इसी अ़मले उम्मत से बसीरत व हिदायत मालूम होती रही है, तारीख़े इस्लाम ही हमें बताएगी कि किस ज़माने में किस मोड़ पर क्या चीज़ उचित है।

दूसरी गलत विचारधाराओं की तरह नज़रियए तमकीन भी उग्रवादी गिरोहों का निकाला हुआ ग़लत नज़रिया है, ये जोशीले व जज़्बाती ज़हन की ऐसी पैदावार है जो हिदायत व बसीरत से ख़ाली है, कोई ऐसी फिक्र नहीं जिसे कुरआने करीम की आयात से लिया गया हो, न वो कोई हुस्ने तरकीब है, न ही उसे किसी आयत के सन्दर्भ से तहक़ीक़ करके बयान किया गया है, और ऐसा भी नहीं कि ये कुरआन के अलावा किसी और श्रोत हदीस शरीफ या इजमाए उम्मत से लिया गया हो, जिसके बाद हम ये कह सकते हों कि विचारधारा सही है, इस में कोई टकराव नहीं।

नियम, कानून और तर्क के न होने के कारण इन उग्रवादियों ने कुरआन की एक आयत लेकर उसके साथ अपनी मन पसन्द कल्पना जोड़ लिया, और दावा करने लगे कि ये जो हमारा नज़रिया है उसे कुरआन बयान कर रहा है, हालांकि कुरआन में तमकीन का ज़िक्र इस मअ़ना में नहीं जिस में इन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर बनाया है, कुरआन जिस तमकीन का बयान करता है उसके अनुसार तमकीन अल्लाह तआ़ला का काम है, इन्सान की मेहनत का फल है, उसे अ़ता फरमाता, जो उसके हुसूल के लिये कर्म करे (इन इक़दामात की तफसील आगे आ रही है) इन कर्मों के बाद सत्ता की राह खुल जाती है, जबकि उग्रवादियों के नज़दीक ये इस्लाम का ऐसा बुनियादी हिस्सा या रुकन है, कि दूसरे अरकाने इस्लाम छोड़कर सबसे ज़्यादा इसी रुकन का हक़ है कि इसे क़ायम किया जाए। बल्कि ये लोग चूंकि अपने सिवा सारी दुनिया के मुसलमों को काफिर और सिर्फ अपने आप को समझते हैं, लिहाज़ा उनके नज़दीक वादए इलाही के मुताबिक़ सिर्फ उन्ही को अल्लाह की मदद हासिल होगी, जबकि दीगर मुसलमान जो इनके नज़दीक काफिर हैं, इस मददे इलाही से महरूम रहेंगे।

तमकीन से संबंधित उग्रवादियों के बनाए हुए मनघड़त कल्पना को अगर एक तरफ रखें, और उस अर्थ की तरफ आयें जिस को कुरआने करीम निर्धारित कर रहा है।

उसके माद्दा (मीम, काफ, नून) से बने हर शब्द को जमा करें, जैसे मक्कना, या नुमक्किनु, या मक्कन्ना आदि, जो अल्फाज़ कुरआने करीम में वारिद हुए हैं, या जो अल्फाज़ तमकीन के अर्थ में किसी और इबारत के साथ कुरआने पाक में हैं, इन तमाम शब्दों को अगर एक जगह जमा करके देखें तो इसकी बेहतरीन दो मिसालें हमें नज़र आती हैं, जिनके साथ अल्लाह तआ़ला ने तकमीन का लफ्ज़ बयान फरमाया है, इन में एक उदाहरण सय्यिदुना यूसुफ और दूसरी मिसाल हज़रत जुल क़रनैन की है, तब हमें ऐसा महसूस होगा कि हम रोशनी में तैर रहे हैं, आसमान के किनारों में उड़ रहे हैं, जहां हमें ये नज़र आएगा कि तमकीन का जो नज़रिया कुरआने करीम बयान फरमा रहा है, वो इन लोगों के नज़रिये से बिल्कुल अलग है, जबकि इन उग्रवादियों ने तमकीन के नज़रिया को बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया है।

इस्लाम के इन दावेदारों ने इस नज़रिया को इस अन्दाज़ से पेश किया है जिस से इन्सान अल्लाह के दीन से दूर हो जाए, दीन के आला व उम्दा उद्देश्यों से उसकी नज़र हट जाए, हालांकि ये दीन तो इन्सानियत की बुलंद मान्यताओं, आबादकारी के लिये हिदायत व रहमत बनकर आया है।

अगर हम नज़रियए तमकीन के अर्थ और इबारत या मफहूम बड़े–बड़े इमामों की किताबों में तलाश करें, तो हमें इसका उल्लेख तक नहीं मिलता, यहां तक कि इख़्वानुल मुस्लिमीन से बहुत ज्यादा प्रेम और संबंध रखने वाले डॉक्टर मुहम्मद सल्लाबी, जो हमारे हम अस्र भी हैं, उन्होंने जामिआ़ सूडान में अपना युनिवर्सिटी थेसिस लिखा, उसका टापिक है : कुरआने करीम में नज़रियए तमकीन का अर्थ, इस लेख में उन्होंने स्वीकार किया है कि तमकीन की विचारधारा एक नई खोज है, इसके आरंभ में कहते हैं : जहां तक इस विचारधारा के बारे में मेरा ज्ञान है, वो ये है कि इसकी बहसें नई हैं, ख़ास तौर पर जब इस इसके बारे में लिखा जाना शुरू हुआ है, इसकी तरफ ध्यान काफी देर से हुई है, (फिर लिखते हैं कि :) मेरी राय में नज़रियए तमकीन का संबंध विशष बहसों और लेखों से है, इसलिए इस पर शोधकर्ताओं को तहक़ीक़ करनी चाहिए। ([1])

---

[1] फिक्हुल नस्र वल तमकीन फिल कुरआनिल करीम, अनवाउहु, शुरूजूहू, असबाबुहू, मराहिलहू व अहदाफुहू पे0 6 प्रकाशनः मुअस्सतु इक्रा, काहिरा, सन् 2014

पुराने विद्धानों में अगर इस विषय का विस्तार नहीं मिलता, तो इसकी कारण यही है कि वह हज़रात तमकीन के विषय को गहराई से समझते थे, और जैसा कि ख़ुद कुरआने करीम बयान कर रहा है कि तमकीन अल्लाह तआ़ला के तमाम अहकाम पर अ़मल करने का परिणाम है, जिसमें ईमान, नैतिकता, हिदायत, जद्दो जहद, अ़मल, आबादकारी, संस्कृति एवं सभ्यता और इन्सानी ज्ञान की व्यवस्था से वही की बुनियाद पर इ़ल्मी शोध करके परिणाम निकालना है, अगर मुसलमान ईमान और उक्त गुणों पर अ़मल पैरा हों, और इन प्रारंभिक चीजों को स्थापित करें, तो अल्लाह तआ़ला उन्हें शोहरत व नेक नामी अ़ता फरमाएगा, तमाम जहान में उनका चर्चा फरमाएगा, सारा जहां उनकी संस्कृति और सभ्यता जानेगा, विभिन्न विभागों में उन्हें केन्द्रीय प्रतिष्ठा हासिल होगी, विभिन्न सभ्यताऐं उनके पास आकर ज्ञान–विज्ञान का भेद तलब करेंगे, अनेक कौमें हमारे देशों की तरफ यात्रा करके आऐंगी, लोग यहां अच्छे और पवित्र नैतिकता देखेंगे, तो ये उम्मत अपने तरीक़ा और जीवन शैली के कारण अल्लाह तआ़ला की तरफ रहनुमाई करने वाली क़ौम बन जाएगी, ये वो असर है, जो तमाम उम्मतों में फैल जाएगा, जिस से विभिन्न सभ्यताऐ मज़बूत और उनका ज्ञान पक्का होगा, यही वह अर्थ है जिसे अल्लाह तआ़ला ने तमकीन का नाम दिया है, इसीलिये शुरू से अब तक मुसलमान तमकीन के शब्द के शोध में व्यस्त नहीं हुए, क्योंकि तमकीन परिणाम का नाम है, किसी कर्म का या कर्म के लागू करने का नाम नहीं।

तमकीन मुस्लिम उम्मत के लिये ख़ास नहीं, बल्कि कुरआने अ़ज़ीम में तमकीन का ज़िक्र उन अनेक कौमों के लिये भी आया है, जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने उनके गुनाहों के कारण नष्ट कर दिया, उनके हक़ में तमकीन ये थी कि अल्लाह तआ़ला ने संस्कृति एवं सभ्यता, कला और विज्ञान उनके क़ब्ज़े में दे दिये थे, उन कलाओं में कुशलता के कारण दूसरी कौमों में उनका बड़ा नाम था, समाज में उनकी बड़ी इ़ज़्ज़त थी, हालांकि वह कुशल कौम ईमान से महरूम थीं, और ये इसलिये कि जमीन पर काबू दिया जाना कभी ईमानी तहज़ीब की बुनियाद पर होती है जो दीन पर अ़मल के कारण हासिल होती है, और कभी काबू दिया जाना ग़ैर ईमानी सभ्यता की बुनियाद पर होती है, जो दीन पर अ़मल से हासिल नहीं होती बल्कि ज्ञान और कला पर शोध और कुशलता और आला तरीक़ए कार पर अ़मल के कारण हासिल होती है, इन कुशल कौमों की जीवन शैली में उलूहियत व तौहीद की फिक्र

का कोई अणु नहीं हुआ करता था, और ये सिर्फ अन्दाज़े से नहीं बल्कि इन्सानी तारीख़ की हक़ीक़त है, गुज़िश्ता अक़्वाम जिन्हें ज़मीन में क़ाबू दिया गया था, उनकी फिक्री व अ़मली जद्दो जहद दो तरह की थी : कोई ईमानी फिक्र से लबरेज़ था, और कोई ईमान से बिल्कुल कनाराकश था।

फिर जब उग्रवादी रुझान आए और आ़म मुसलमानों को काफिर क़रार देना शुरू कर दिया और यह दावा किया कि दीने इस्लाम ख़त्म हो चुका है, और ये कि सारी इन्सानियत जाहिलीयत और कुफ्र व शिर्क में डूब चुकी है, यानी सब काफिर हो गये हैं, तो इन्होंने अपनी समझ के मुताबिक़ दीन को दोबारा स्थापित करने के लिये योजना बनाना शुरू कर दी, हालांकि वहिए इलाही को समझने के लिये जिन उ़लूम व महारत की ज़रूरत होती है वो उनके पास न होने के बराबर थे, उन्होंने तमकीन का अर्थ कहीं से खींच निकाला, और उसे उसी अर्थ पर ढाल लिया जो उनकी अपनी सोच थी हालांकि सुग़रा कुबरा दो मुक़द्दमों को मिलाकर नतीजा निकाला जाता है, उन्होंने एक मुक़द्दमें ही को नतीजा बना लिया, तमकीन यानी ज़मीन में काबू देना तो अल्लाह का काम है, वो जिसे उचित देखता है उसके लिये तमकीन का दरवाज़ा खोल देता है, उन्होंने अपनी कारवाहियों पर पर्दा डालने के लिये इस शिद्दत पसन्दी का नाम तमकीन रख लिया, ताकि सत्ता हासिल करने के लिए लोगों से जंग कर सकें, इस गुमराही की वजह ज़ाहिर है कि उनके पास ऐसे इ़ल्मी साधन नहीं थे जिनकी मदद से वही के अर्थ से पर्दा उठाते और सही मफहूम तक पहुंच हासिल करते।

उग्रवादी आंदोलनों के यहां तमकीन का नज़रिया केन्द्रीय स्थान रखता है, और जो इबारतें इस नज़रिया को फैला रही हैं उन में अ़ली सल्लाबी की ये इबारत भी है जो इसने अपनी किताब फिकहुन्नुसरे वत्तमकीन में कही कि : अल्लाह के दीन की ख़ातिर ज़मीन में काबू हासिल करना सबसे बड़ा लक्ष्य है, इस्लाम के लिये तमाम छोटे छोटे काम इस लक्ष्य के बाद हैं, दावते दीन अपने तमाम पड़ाव, लक्ष्य और श्रोतों के साथ, और हर क़िस्म की धार्मिक आंदालनों और उसके लिये की जाने वाली मेहनत, यत्न

और हर संगठन की दावत और मेहनत व अनुभव के विभिन्न रूप, अहदाफ और श्रोत इसी तमकीन के लिये हैं। ([1])

इसके बाद डॉक्टर अ़ली सल्लाबी एक और बहस की तरफ ध्यान देतें हैं जिसका शीर्षक : तमकीन के मक़ासिद व अहदाफ, है, कहते हैं कि : ऐसे अहम मसाइल जिनके बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है, उनमें से एक अहम विषय तमकीन के लक्ष्य और मक़ासिद हैं, जब कुरआन व सुन्नत की तरफ प्रवृत्त करते हैं तो तमकीन के उद्देश्य में निम्न बातें पाते हैं :

(1) ये कि मुस्लिम समाज अपनी सियासी ताक़त स्थापित करे।([2])

अ़जीब बात यह है कि वह तमकीन के इस पहले हदफ के तहत बहस करते रहे, इससे विभिन्न परिणाम और नतीजे निकालते रहे, फिर किताब के अन्त तक इस एक लक्ष्य के सिवा कोई दूसरा लक्ष्य बयान ही नहीं किया और किताब ख़त्म हो गई, हालांकि उन्होंने तमकीन के बहुत सारे लक्ष्यों का दावा किया था।

फिर उन्होंने तमकीन की मंजिलों की व्याख्या करना शुरू किया, जिसमें से एक मंज़िल का नाम रखा : मरहलतुल मुग़ालिबा, यअ़नी ग़लबा हासिल करने का मरहला, जैसा कि वो कहते हैं कि : ग़लबा हासिल करने के मरहले में ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है जो जिहाद के अर्थ को सामान्यतः समझते हों, एक ऐसा दल हो जिसमें विभिन्न विभाग हों, जिसमें विभिन्न विभाग से संबंध रखने विशेषज्ञ हों, जो हर वक़्त काम के लिये तैयार रहें, मसलन शासन चलाने की योग्यता रखते हों, अल्लाह की शरीअ़त को लागू कर सकें, अल्लाह के दीन के लिये तमकीन यअ़नी क़ाबू हासिल कर सकें, क्योंकि मुसलमानों के ग़लबा हासिल करने से सरकशों के तख़्त व ताज हिल जाऐंगे, ये दावत जब भी अपने मरहले में से कोई मरहला तय करेगी, ज़ुल्मत घबराएगी, जाहिलीयत के क़ानून दम तोड़ने लगेंगे, क्योंकि दावत के तीरों का रुख़ जब सरकशों के तख़्तो ताज की तरफ होगा, उनकी बुनियाद को हिला

---

[1] फिक्हुल नस्र वल तमकीन फिल कुरआनिल करीम, अनवाउहु, शुरूजूहू, असबाबुहू, मराहिलहू व अहदाफुहू पे0 439, प्रकाशनः मुअस्सतु इक्रा, काहिरा, सन् 2014

[2] फिक्हुल नस्र वल तमकीन फिल कुरआनिल करीम, अनवाउहु, शुरूजूहू, असबाबुहू, मराहिलहू व अहदाफुहू पे0 453 प्रकाशनः मुअस्सतु इक्रा, काहिरा, सन् 2014

कर रख देगा, सबसे अहम बुनियादी बात यही है कि उन तख़्तों को उनसे छीन लिया जाए, उनके हाथों से हुकूमत की चाबियां छीन ली जाऐं। ([1])

इन के यहां तमकीन की विचारधारा निम्न बातों पर मुश्तमिल है :

(1) तमाम इस्लामी कामों में सबसे बड़ा हदफ तमकीन (ज़मीन में क़ाबू पाना) है।

(2) तमकीन का लक्ष्य सियासी ताक़त बनाना है।

(3) तमकीन के मराहिल में अहम तरीन मरहला हुसूले ग़लबा है।

(4) हुसूले ग़लबा ख़ारजियों की नज़र में जिहाद है।

(5) हुसूले ग़लबा और जिहाद के आंदोलन से सरकशों के तख़्त व ताज हिल जाऐंगे, जाहिलीयत ख़त्म हो जाएगी, और हुकूमत हुक्मरानों के हाथों से छीन लिये जाऐंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अ़लिय्यिल अ़ज़ीम, इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजेऊन।

ज़मीन पर काबू हासिल करने का रुजहान रखने वाले अपनी दलील की बुनियाद इस आयते करीमा को बनाते हैं : (तर्जुमा :) यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि : मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों पर नियुक्त कर दो! मैं हिफाज़त करने वाला और ज्ञान वाला हूं।([2])

कहते हैं कि : यह कुरआनी आयत हुकूमत स्थापित करने और उसके लिए इच्छा और प्रयत्न पर दलील है, हो सकता है उन्हें मुफस्सिरीन की इबारत में इसका कुछ सबूत मिल जाए लेकिन सत्ता की इच्छा में उनके ज़हनों से कुरआनी दृष्टिकोण ग़ायब हो जाता है, जिसकी व्याख्या सुन्नते इलाहिया करती है, यानी ये तमकीन अल्लाह का काम है, और सय्यद कुतुब ने इस आयत के तहत एक इन्तेहाई ख़तरनाक और संदेह पैदा करने वाली बात कही है, तफ्सीर फी ज़िलालिल कुरआन ([3]) के इस मक़ाम का अध्ययन करने वाला साफ महसूस करता कि ये एक ऐसा नज़रिया है जिसके रद्द में एक तफसीली किताब लिखी जानी चाहिये, ताकि इसकी अ़जीब व ग़रीब बात की मक्कारी ख़त्म की जा सके।

---

[1] फिक्हुल नस्र वल तमकीन फिल कुरआनिल करीम, अनवाउहु, शुरूजूहू, असबाबुहू, मराहिलहू व अहदाफुहू पे0 433 प्रकाशनः मुअस्सतु इक्रा, काहिरा, सन् 2014

[2] प. 13, यूसुफ : 55 –

[3] फी ज़िलालिल कुरआन 4 / 2013–2014

यहां सबसे पहले मैं सय्यद कुतुब के नज़रिये के अहम व नुमायां बिंदुओं का सारांश पेश करता हूं, फिर हम मामूली सी टिप्पणी पेश करेंगे, और ये भी बयान करेंगे कि उस शख़्स ने कितनी दूर तक गोल–माल किया है, शक और संदेह में डालने वाली बातें की हैं, हम ये भी बयान करेंगे कि कुरआने अ़जीम की व्याख्या से हटकर उसने क्या बातें कही हैं, किस तरह उसने इस नज़रियए तमकीन के साथ अपनी काली और झूठी कल्पनाओं को जोड़ दिये हैं, किस तरह उसने कुरआन के अर्थ को बिगाड़ने की नीच कोशिश की है।

सय्यद कुतुब ने अपने इस नज़रिये के बारे में जो कुछ कहा है, उसकी बुनियाद ये है कि फुक़हाए इस्लाम ने इस आयते मुबारका : (मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों पर नियुक्त कर दो [1]) में दावते फ़िक्र दी है, जहां सुनने वाले को वहम होता है कि हज़रत सय्यिदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत हासिल करने की कोशिश और इच्छा की, और उसके मुक़ाबिल हमारे सामने हदीसे मुबारक मौजूद है, जिसमें इमारत व हुकूमत की लालच, और उसके लिये कोशिश से मना किया गया है, इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में हज़रत सय्यिदुना अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरह रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ से फरमाया : (तर्जुमा :) ऐ अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरह! मांग कर हुकूमत हासिल करना, कि अगर मांग कर हुकूमत हासिल की तो अल्लाह तआ़ला की तरफ से तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाएगा, और अगर मांगे बग़ैर तुम्हें हुकूमत मिली तो अल्लाह तआ़ला की तरफ से तुम्हारी मदद भी की जाएगी। ([2])

एक आ़म मुसलमान समझता है कि कुरआन अल्लाह तआ़ला की तरफ से वही है, और सुन्नते नबवी भी अल्लाह की तरफ से वही की एक क़िस्म है, इन दोनों के दरमिया तज़ाद हो ही नहीं सकता, अलबत्ता इ़ल्मी व दक़ीक़ राह चलने वाले उ़लमा ख़ूब जानते हैं कि बज़ाहिर दो मुख़्तलिफ दलीलों का आपस में क्या संबंध है, और कुरआन व हदीस आपस में किस तरह मुवाफिक़ और सहमत हैं।

---

[1] प. 13, यूसुफ : 55 –

[2] सही मुस्लिम, किताबुल एयमान, बाबुन नदबु मन हलफ यमीनन अफराआ ग़ैरहा ख़ैरम मिन्हा अंयातिल्लज़ी हुवा ख़ैरुन व युकफ्फिर अ़न यमीनेहि, र : 4292, 5 / 86–

उ़लमाए किराम ने विभिन्न तरीक़ों से वहिए इलाही के उन अल्फ़ाज़ में संबंध और सहमत बयान की है, कि हज़रत सय्यिदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़ौल (मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों पर नियुक्त कर दो [1]) सुनने के बाद ज़हन जिस तरफ जाता है कि हज़रत सय्यिदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुसूले हुकूमत की कोशिश की, और हदीस शरीफ में हुकूमत हासिल न करने की तालीम दी गई है।

सय्यद कुतब ने इसके जवाब में अ़जीब व ग़रीब नज़रिया बयान किया है, जिस से मालूम होता है कि उन की अ़क्ल किस क़दर अंधेरों में डूबी हुई है, और बग़ैर सोचे समझे उनकी हाथ पैर मारने की आदत का अन्दाज़ा भी ख़ूब हो जाता है, नीज़ उनके वो फिक्री विश्वास भी मालूम होते हैं, जिन पर ये लोग डटे हुए हैं।

सय्यद कुतुब की तमकीन की विचारधारा कुछ तथ्यों का मिश्रण है :

(1) फुक़हाए इस्लाम और फिक़ही सोच पर तोहमत लगाकर तौहीन करते हुए कहता है : गुज़िश्ता अचल और बुझी हुई कई सदियों से फुक़हा की अ़क्लें और फिक़ह की सोच जम और बुझ सी गई है।

(2) फिक़ह का वजूद मुस्लिम समाज की हरकत और अ़मल से हुआ था, समाज ने अपने अ़मल से फिक़ह को वजूद बख़्शा था।

(3) काग़ज़ी फिक़ह और अ़मली फिक़ह में फर्क़ है, जो इस बात को नहीं जानते वह फुक़हा नहीं, ऐसे लोग फिक़ह की प्रकृति नहीं जानते, और असलन दीन की ये प्रकृति नहीं है।

(4) फिक़ह अ़मल से ख़ाली ज़माने में पैदा नहीं हुई और न उसने ख़ाली ज़माने में वक़्त गुज़ारा। सय्यद कुतुब अपनी इस बात से इस तरफ इशारा करना चाहता है कि उम्मते मुस्लिम ख़त्म हो चुकी है, इसलिये कि जो मुसलमान इस ज़माने में मौजूद हैं उन्हें तो वह काफिर समझता है, उम्मते मुस्लिमा के लिये जाहिलीयत और शिर्क व कुफ्र साबित करता है, इसलिए इसकी नज़र में उम्मते मुस्लिम के कारण अहकामे फिक़हिया पाए जाते थे, जब उम्मत न रही तो अहकामे फिक़हिया भी बाक़ी न रहे।

(5) इस्लामी समाज में पद और उहदा पाने के लिये अपनी तारीफ व ख़ूबियां बयान नहीं कर सकता और यह शरई आदेश इस्लामी समाज में इसलिये

[1] प. 13, यूसुफ : 55 –

रखा गया है कि इस्लामी समाज में इस्लाम के अनुसार अ़मल किया जाता है, जब इस्लामी समाज ही न रहा तो अब शरीअ़त के आदेश भी लागू नहीं होंगे।
(6) प्रेरणा और कर्म ही वह तत्व है जिस से समाज बनता है।
(7) जब तक समाज में कर्म बाक़ी है तो ये कर्म ही उच्च मान्यताओं को नुमायां करता है, जितना मुसीबत व सब्र होगा उतना ही उस से लोगों का मुसीबत पर सब्र मालूम होगा, समाज ही इन्सान को पाक व साफ बनाता है।
(8) यह न कहा जाए कि जब इस्लामी समाज बन जाएगा तब लोग पद तलब न करें, और पद और उपाधि के लिए अपनी तारीफ और प्रशंसा न करें, लेकिन लोगों की क्षमता और योग्यता का पता किस तरह चलेगा? इसका जवाब ये है कि जब समाज में अ़मल बराबर जारी होगा तो लोगों को अपनी सलाहियत बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अ़मल की पाबन्दी से ख़ुद उनके पद ज़ाहिर होंगे।
(9) मौजूदा ज़माने का मुस्लिम समाज ज़मानए जाहिलीत वाला समाज है, यअ़नी सब लोग काफिर हैं, ये ख़ाली ज़माना है, इस समाज में अहकामे फिक़्हिया किसी तरह नाफिज़ नहीं हो सकते।
(10) सय्यद कुतुब का दावा है कि वही इस बात का पूर्ण ज्ञान रखता है कि इस खाली चटियल मैदान से किस तरह बाहर निकला जाए।
(11) मौजूदा ज़माने में दीने इस्लाम काफिर व जाहिलीयत वाले समाज की ज़रूरत पूरी नहीं करता, चूंकि इन समाजों की कोई शरई स्थान और वजूद नहीं, इसलिए ज़रूरत पूरी करने के ऐतबार से दीने इस्लाम का संबंध मौजूदा समाज से नहीं, और सय्यद कुतुब के नज़दीक जाहिलीयत वाले समाज यही मुसलमानों के समाज हैं, जिन की वह काफिर कह चुका है।
(12) सबसे पहली ज़रूरत यह है कि सारी दुनिया से जंग की जाए, ताकि एक नया मुस्लिम समाज पैदा हो, फिर जब नया मुस्लिम समाज स्थापित हो जाए, तब उसकी ज़रूरत के ऐतबार से नई फिक़ह बनाई जाएगी।

सय्यद कुतुब का इस इबारत का उद्देश्य यह है कि सारी दुनिया से टकराया जाए, सबसे जंग की जाए और ये जंग इस उग्रवादी के नज़दीक जिहाद है, जिसके लिये उसने सबसे पहले तमाम लोगों का काफिर क़रार दिया, फिर उनके लिये मौजूद फिक़ह को हराम ठहराया, फिर उन्हें अपना

अनुयायी बनाने के लिये उन से जंग करने चला, फिर उनके लिये इसके बाद नई फिक़्ह बनाएगा।
(13) तमाम लोगों को अनुयायी बनाना ज़रूरी है, पहले उन्हें इस दीन में दाख़िल किया जाए, फिर उनके लिये नई शरीअ़त बनाई जाए।
(14) इन तमाम बातों का मतलब यह नहीं कि अहकामे शरईया हक़ीक़त में ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि अहकामे शरईया तो मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम समाज जिसमें यह शरई आदेश लागू हों, वह मौजूद नहीं, इसलिए शरई आदेश क़ायम नहीं।
(15) आख़िर में हमारे लिये एक राज़ से पर्दा उठाकर कहता है कि हज़रत सय्यिदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की तलब के लिये क्यों कोशिश की थी? इस लिये कि वह जाहिलीयत वाले समाज में रहते थे, जिस में इन्सान मन्सब हासिल करने के लिये अपनी तारीफ व ख़ूबियां बयान कर सकता है, जबकि मुस्लिम समाज में अपनी तारीफ और पद ख़ुद तलब करना मना है।

यह वह जुल्म और अंधकार से भरे भावना हैं, जिन्हें जोड़ जोड़ कर सय्यद कुतुब ने फिक़्हे इस्लामी के बारे में अपना ज़हरीली विचारधारा बनाया है, हम आपके सामने जल्द ही हर बिन्दू के साथ उसकी इबारत नक़ल करेंगे, फिर हर इबारत पर टिप्पणी करेंगे, ताकि इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सय्यद कुतुब ने जिन अपराधों को किया है, वह ज़ाहिर हो जाऐं, इस के अलावा कुरआन की आयात और उनके अर्थों में ज़्यादती करके कुरआन को अपमानि किया है, जो हैरान और परेशान कुन मफहूम उस पर चसपां किये हैं, वह भी लोगों को मालूम हो जाऐं।

सय्यद कुतुब की इबारत पर साहित्यक आलोचना और सत्य बयान करने से पहले उचित होगा कि सय्यद कुतब की फिक़्ह (धर्म–ज्ञान) से अज्ञानता पर एक प्रसिद्ध शख़्सियत की गवाही भी सुन ली जाए, चुनांचे डॉक्टर यूसुफ क़रदावी कहते हैं कि : अगर सय्यद कुतुब को फिक़्हे इस्लामी पढ़ने का मौक़ा मिलता, अगर वह फिक़्ह की किताबों का अध्ययन करने में कुछ वक़्त देते, तो शायद अपने उग्रविचार बदल देते, लेकिन उनकी एम0 ए0 की शिक्षा और पद्यांश के रंग ने उन्हें यह मौक़ा ही नहीं दिया, ख़ास तौर पर फिक़्ह की किताबों को देखना, फिक़्ही शैली और तरीक़े से करते तो शायद ये हालत न होती, उनके साहित्यक अभिरुचि ने उन्हें फिक़्ह के ज्ञान से दूर रखा।

अब सय्यद कुतुब की इबारात हरफ ब हरफ और लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर एक मुद्दे और विचारधारा के बारे में (जो पन्द्रह 15 बिन्दुओं के रूप में ऊपर गुज़रा) बग़ौर देखिये :

(1) इस ने फुक़हाए इस्लाम और फिक़ही फिक्र व सोच पर तोहमत लगाते और तौहीन करते हुए कहा कि : कई सदियों से फुक़हा की अक़्लें जम गयी हैं, फिक़ह की सोच बुझ चुकी है, वो कहता है कि : (1) हमारी राय में इस सवाल के जवाब में बहुत ज़्यादा गहराई और विस्तार है, वह यह कि इस पहले जवाब पर ही भरोसा न किया जाए, बल्कि भरोसा करने के लिये दूसरे एतबारात भी हैं जिनका जानना ज़रूरी है इसलिये कि उसूल व नुसूस से इस्तिदलाल को समझना, और उसूले फिक़ह और अहकामे फिक़हिया की प्रकृति में प्रेरणा पैदा करना, ऐसे ही ज़रूरी है जैसे किसी चीज़ का किसी ख़ास रूप में पाया जाना, और ये फिक्ह की प्रकृति फुक़हा की अक़्लों में खत्म हो चुकी है, बुझ गई है, और कई सदियों से इल्मे फिक़ह भी सिर्फ एक ढांचा बन कर रह गया है। ([1])

(2) फिक़ह का वजूद मुस्लिम समाज की हरकत व अ़मल से हुआ था, समाज ने अपने अ़मल से फिक़ह को वजूद बख़्शा, सय्यद कुतुब कहता है कि : फिक़हे इस्लामी को अ़मल से ख़ाली ज़माने में वजूद नहीं मिला, न ही कर्म से ख़ाली ज़माने में उसका वजूद बाक़ी रह सकता है, न उसकी कल्पना किया जा सकता है, फिक़हे इस्लामी मुस्लिम समाज में वजूद में आई, जिस वक़्त इस समय में अ़मल था, तो अ़मल के कारण हक़ीक़ी इस्लामी ज़िन्दगी में जो ज़रूरतें पेश आ रही थीं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिये फिक़ह वजूद में आई, इसी तरह फिक़हे इस्लामी ने मुस्लिम समाज को नहीं बनाया, बल्कि मुस्लिम समाज ने अपने हक़ीक़ी अ़मल के कारण इस्लामी ज़िन्दगी की जरूरत के पेशे नज़र फिक़हे इस्लामी बनाई, यह दोनों वाक़ई ऐतिहासिक तथ्य हैं, ये दोनों अ़ज़ीम दलीलें हैं, इसी तरह फिक़हे इस्लामी और इस्लामी फिक़ह अहकाम पर अ़मल की तबीअ़त को समझने के लिये भी ये दोनों ज़रूरी हैं। ([2])

---

[1] फी ज़िलालिल कुरआन 4 / 2006

[2] फी ज़िलालिल कुरआन 4 / 2006

(3) कागज़ी फिक़ह और अ़मली फिक़ह में बड़ा फर्क़ है, जो इस बात को नहीं जानते वह फुक़हा (धर्म ज्ञानी) नहीं, ऐसे लोग फिक़ह की प्रकृति को नही जानते, सय्यद कुतुब कहता है कि : वह लोग जो शरई अहकाम को मौजूदा समाज के अनुसार बताने की कोशिश करते हैं, शायद उनके नज़दीक शरई निर्देश अ़मल से ख़ाली ज़माने में हुआ करते थे, और शायद उनके नज़दीक आज के दौर में भी बग़ैर अ़मल के शरई निर्देश का वजूद बाक़ी है, ऐसे लोग फुक़हा (धर्म ज्ञानी) नहीं, उन्होंने न फिक़ह को समझा, न फिक़ह की प्रकृति को समझा, न ही दीने इस्लाम की हक़ीक़त को समझा, क्योंकि अ़मली फिक़ह, कागज़ी फिक़ह से बिल्कुल अलग है। ([1])

(4) अहकामे फिक़ह अ़मल से ख़ाली ज़माने में पैदा नहीं हुए, न अ़मल से ख़ाली ज़माने में वक़्त गुज़ारा, सय्यद कुतब कहता है कि : एक भी स्थाई फिक़ही हुक्म ऐसा नहीं जिसने अ़मल और कर्म से ख़ाली ज़माना गुज़ारा हो, जब किसी फिक़ही मुद्दे ने पहली बार वजूद पाया तो वह अपने पर्यावरण, जगह और ऐसी फिज़ा में था जो उसके लिये उचित था, इसलिये फिक़ही हुक्म अनुचित पर्यावरण और अ़मल से ख़ाली ज़माने में नहीं पाया जा सकता। ([2])

(5) इस्लामी समाज में कोई मुस्लिम हुसूले ओहदा और पद के लिये अपनी तारीफ व ख़ूबी बयान नहीं कर सकता, सय्यद कुतुब कहता है कि : कोई भी इस्लामी हुक्म इसलिये आया कि उसके अनुसार इस्लामी समाज में अ़मल किया जाए, इस्लामी हुक्म ने अ़मल व हक़ीक़त में वक़्त गुज़ारा है, अ़मल से ख़ाली ज़माने में वक़्त नहीं गुज़ारा, इसीलिये वह ऐसे इस्लामी समाज के लायक़ है, जहां उसके अनुसार अ़मल हो, वह समाज आरंभ और आज़ाए तरकीबिया के लिहाज़ से इस्लामी हो, पाबन्दी के लिहाज़ से संपूर्ण रूप से उस पर अ़मल किया जाए, हर वह समाज जहां ये ख़ूबियां न पाई जाऐं, वह समाज ख़ाली कहलाएगा, अगर हम इस हुक्मे शरई को देखें तो वह कदपि किसी ऐसे समाज में नहीं रह सकता जहां माहौल इस हुक्म के

[1] फी ज़िलालिल कुरआन 4/2006
[2] फी ज़िलालिल कुरआन 4/2006

लिये उचित न हो, इस के अलावा इस्लामी व्यवस्था के तमाम निर्देशों का यही हुक्म है। ([1])

(6) तहरीक व अ़मल ही वह अंग है जिस से समाज बनता है, सय्यद कुतुब कहता है, कि : हरकत व अ़मल इस्लामी समाज का ऐसा हिस्सा है जिसके बग़ैर इस्लामी समाज का वजूद हो ही नहीं सकता, इस्लामी समाज तो इस्लामी विश्वासों की बुनियाद पर अ़मल ही से जन्मा है।

(7) जब समाज में अ़मल बाक़ी है तो ये अ़मल ही उच्च मान्यताऐं दर्शाता है, समाज ही इन्सान को पाक व साफ बनाता है, सय्यद कुतब कहता है, कि : यहां तक कि अल्लाह उनके और उनकी क़ौम के दरमियान हक़ के साथ फैसला फरमाए, और ईमान वालों को ज़मीन में क़ाबू दे, जैसे मुसलमानों को पहली बार कामयाबी दी थी, फिर जब अल्लाह की ज़मीन के किसी भू–भाग पर इस्लामी शासन स्थापित होगा, उस दिन आंदोलन का आरंभिक का बिन्दू होगा, ताकि इस्लामी निज़ाम की स्थापना हो, और ये हरकत व अ़मल प्रेरित मुजाहिदीन को विभिन्न ईमानी गुटों में बांट दे, उनकी योग्यता और ईमानी अख़लाक़ के मुताबिक़ उन्हें तक़सीम कर दे, उस दिन उन मुजाहिदीन को इस बात की ज़रूरत नहीं होगी कि वो ख़ुद अपने आप को किसी ओहदे के लिये नामांकित करें, या अपनी तारीफ करते हुए अपनी ख़ूबियां बताऐं, इसलिये कि उनका इस्लामी समाज जो जिहाद में उन मुजाहिदीन के साथ रहा, वही उनकी तारीफ व खूबी और नामांकन बयान कर देगा। ([2])

(8) ये न कहा जाए कि जब इस्लामी समाज बन जाएगा... सय्यद कुतुब कहता है कि : इसके बाद ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये तो पहले मरहले में ऐसा होगा, जब इस्लामी समाज स्थापित हो जाएगा, तो उसके बाद हुसूले मन्सब व ओहदा के लिये क्या होगा? ये सवाल वो कर सकता है जो दीने इस्लाम की तबीअ़त से नावाक़िफ है, अरे भई! ये दीन तो हमेशा हरकत में रहता है, कभी अ़मल से रुकता नहीं, इन्सान की आज़ादी के लिये हमेशा हरकत में रहता है। ([3])

---

[1] फी ज़िलालिल कुरआन 4/2007
[2] फी ज़िलालिल कुरआन 4/2008
[3] फी ज़िलालिल कुरआन 4/2008

(9) मौजूदा ज़माने का मुस्लिम समाज ज़मानए जाहिलीयत वाला समाज है, यअ़नी मुश्रिक व काफिर है, ये ख़ाली ज़माना है, इस समाज में अहकामे फिक़्हिया किसी तरह नहीं चल सकते, सय्यद क़ुतुब कहता है कि : अगर हम इस्लामी निज़ाम की तबीअ़त और इसके फिक़्ही अहकाम देखें तो ये मौजूदा जाहिलीयत का समाज अ़मल से ख़ाली ज़माना है, इस मौजूदा समाज में तो ये इस्लामी निज़ाम क़ायम हो ही नहीं सकता, और न इन शरई अहकाम पर अ़मल हो सकता है। ([1])

(10) सय्यद क़ुतुब का दावा था कि : वही इस बात का कामिल इ़ल्म रखता है कि जाहिलीयत के इस ख़ाली चटियल मैदान से किस तरह बाहर निकला जाए, कहा है कि : मुझे मालूम है कि इस चटियल मैदान से हम किस तरह बाहर निकल सकते हैं ये जाहिलीयत का मुआ़शरा जिसमें हम ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं, अगर हम मान लें कि ये इस्लामी समाज है, और इस्लामी निज़ाम के नियम और शरई अहकाम इस जाहिलीयत के समाज के लिये आए हैं, जिस का हर हर हिस्सा जाहिलीयत वाला है, जिस में आमाल व आदात जाहिलीत वाले हैं, क्या इस मुआ़शरे में शरई अहकाम पर अ़मल होगा? यही बात समझने की ज़रूरत है, कामयाबी का प्रारंभिक बिन्दू यह है कि इस चटियल मैदान से बाहर निकले, अगर इस्लाम पर अ़मल का इच्छुक मैदान में चलना शुरू करेगा तो चारों तरफ से मैदान ख़ाली होगा, अगर इस ख़ाली मैदान में चलता रहे तो और अन्दर की तरफ जाता रहेगा, सिवाय इसके कि जहां चलकर पहुंचा है, वहां से घूम कर पलटे और पलट कर बाहर निकल आए, क्योंकि ये जाहिलीयत का समाज जिसमें हम रह रहे हैं, वह मुस्लिम समाज नहीं है, इसे इसी हालत में रखे हुए न ख़ास तौर पर इस व्यवस्था के होते हुए यहां इस्लामी व्यवस्था चल सकता है, न यहां शरई अहकाम पर अ़मल हो सकता है, इसलिये कि इस्लामी व्यवस्था और शरई अहकाम अ़मल से ख़ाली ज़माने में चल ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी प्रकृति ही ऐसी है कि न ये ख़ाली जगह में पैदा हुए हैं, न ख़ाली जगह के साथ चल सकते हैं। ([2])

---

[1] फी ज़िलालिल कुरआन 4 / 2009
[2] फी ज़िलालिल कुरआन 4 / 2009

(11) इस ज़माने में दीन, काफिर जाहिलीयत वाले समाजों की ज़रूरत पूरी नहीं करता। सय्यद कुतुब कहता है कि : हमारे पास दीने इस्लाम के जो अहकाम हैं, वो न जाहिलीयत के मुआशरों के मुताबिक़ हैं, न दीने इस्लाम उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, क्योंकि ये दीन शुरुआत से ही इन जाहिलीयत वाले मुआशरों को न स्वीकार करता है, न उनको बाक़ी रखना चाहता है, इसलिये इन मुआशरों की जाहिलीयत के कारण पैदा होने वाली ज़रूरतों को भी स्वीकार नहीं करता, न इन ज़रूरतों को पूरा करता है। ([1])

(12) सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि सारी दुनिया से जंग की जाए, ताकि एक नया मुस्लिम समाज पैदा हो, जब नया मुस्लिम समाज क़ायम होगा तो नई फिक़्ह भी बन जाएगी, सय्यद कुतुब कहता है कि : इस तहरीक के लिये ज़रूरी है कि परिक्षा और तकलीफ और बलाओं का सामना हो, कोई फित्ने में मुब्तला होगा, कोई दीने इस्लाम से फिर जाएगा, कोई अल्लाह की तसदीक़ करेगा और अपनी उम्र की मुद्दत पूरी करके शहीद हो जाएगा, कोई सब्र करता रहेगा, तहरीक जारी रखेगा, यहां तक कि अल्लाह उसके और उसकी क़ौम के बीच हक़ के साथ फैसला फरमा दे, और उसे ज़मीन में क़ाबू दे, फिर उस वक़्त इस्लामी निज़ाम क़ायम होगा, और इस्लामी प्रेरणा वाले इस्लामी व्यवस्था के अख़लाक़ में ढल जाऐंगे, अपने आला अख़लाक़ के ज़रिये नुमायां हो जाऐंगे, उस वक़्त उनकी ज़िन्दगी की कुछ ज़रूरतें होंगी, कुछ आवश्यकताऐं होगीं, उनकी ज़रूरत व हाजत जाहिलीयत के समाज की ज़रूरतों और हाजतों से बिल्कुल मुख़्तलिफ होंगी, तो अब क़ायम होने वाले इस समाज की तबीअ़त और रोशनी के मुताबिक़ अहकामे कुरआन व सुन्नत से निकाले जाऐंगे, अब इस्तिंबात होगा, हरकत व अ़मल वाली जिन्दा फिक़्हे इस्लामी पैदा होगी, जो अ़मल से ख़ाली ज़माने में नहीं थी, हक़ीक़ी वजूद रखने वाले समाज में मक़ासिद व हाजात और मुश्किलात का हल निकाल कर हद बन्दी की जाएगी। ([2])

(13) तमाम लोगों को अपना आज्ञाकारी करना ज़रूरी है, पहले उनको दीने इस्लाम में दाख़िल किया जाए, उसके बाद उनकी नई शरीअ़त बनाई जाए, सय्यद कुतुब कहता है कि : हमारा गुमान है कि दावते दीन

---

[1] फी ज़िलालिल कुरआन 4/2010

[2] फी ज़िलालिल कुरआन 4/2011

वालों के लिये अब वक़्त आ गया है, कि इस्लाम उनके दिलों में बुलन्द हो, जो लोग (आम मुसलमान) उनसे किसी ख़ास मसअले का जवाब व फतवा तलब करें, तो उनसे साफ साफ कह दें कि तुम पहले इस्लाम क़बूल करो, उसके अहकाम पहले मान लो, दूसरे शब्दों में आओ और अपने आप को अल्लाह के दीन में दाख़िल करो, सिर्फ अल्लाह की बन्दगी का ऐलान करो, गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई ख़ुदा नहीं, इस अर्थ और मअ़ना के साथ कि जिसके बग़ैर ईमान क़ायम नहीं होता, और वह ये है कि वही ज़मीन में ख़ुदा है, जैसे वो आसमान में ख़ुदा है, ज़िन्दगी के तमाम मामलों में उसी को रब यानी हाकिम व सुल्तान मानना, जहां बन्दों का रब बन्दों को न बनाया जाए, जहां बन्दों का हाकिम बन्दों को न बनाया जाए, जहां बन्दों की शरीअ़त बन्दों पर न चलाई जाए, जब लोग इस दावत को क़बूल कर लेंगे, तब जाकर मुस्लिम मुआशरा बनेगा, और अपना पहला क़दम चलेगा, यही हक़ीक़ी ज़िन्दा मुआशरा होगा, जहां हाजात के पेशे नज़र नशो नुमा पाने वाली ज़िन्दा फिक़हे इस्लामी जन्म लेगी, ये वो मुआशरा होगा जो हक़ीक़त में अ़मली तौर पर शरीअ़ते ख़ुदावन्दी को क़बूल करने वाला होगा। ([1])

(14) अहकाम शरईया तो मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम मुआशरा जिसमें ये अहकामे शरईया क़ायम हों, वो मौजूद नहीं, लिहाज़ा अहकाम शरईया भी क़ायम नहीं, सय्यद कुतुब कहता है कि : बहर हाल हमारी ये मुराद नहीं कि अहकामे शरईया जो कुरआन व सुन्नत में हैं, वो शरई एतबार से ख़त्म हो गए, बल्कि हमारा मक़सद ये है कि वो मुआशरा जिसके लिये ये अहकाम बनाए गये हैं, वो मुआशरा जिसमें ये अहकाम नाफिज़ होंगे, वो मुआशरा जिसके बग़ैर ये अहकाम चल नहीं सकते, ऐसा मुआशरा मौजूद नहीं, इसीलिये इन अहकाम का वजूद फेअ़लन इस्लामी मुआशरे के क़याम पर मुअ़ल्लक़ है, इस जाहिलीयत के मुआशरे में रहने वाला हर वो शख़्स जो इन अहकाम को तसलीम करता है, उस पर लाज़िम है कि जाहिलीयत के मुक़ाबिल इस्लामी निज़ाम को क़ायम करने के लिये तहरीक चलाए, उस शख़्स के मुक़ाबिल डट जाए जो रुकावट बन रहा है, ख़्वाह ख़ुदा बनने वाले तागूत शैतान हों, या वो बड़े बड़े लोग जो उन तागूत के सामने सर झुकाए

[1] फी ज़िलालिल कुरआन 4/2011

हों, या वो सरदार जो तागूत का रब (यअ़नी अपना हाकिम) मान कर शिर्क कर रहे हैं। ([1])

(15) हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की तलब के लिये क्यों कोशिश की थी? इसलिये कि वो जाहिलीयत के समाज में रहते थे। सय्यद कुतुब कहता है कि : हमारा ये बयान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले की वज़ाहत कर देगा, क्योंकि वह इस्लामी समाज में ज़िन्दगी नहीं गुज़ार रहे थे, जहां लोगों के सामने अपनी तारीफ व ख़ूबी बयान करना मना होता है, जहां अपनी योग्यता बयान करके पद तलब नहीं किया जा सकता, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हालात देख रहे थे, कि उनके लिये आज्ञा का पालन किया जाने वाला हाकिम बनना संभव है न कि ख़ादिम, जो जाहिलीयत के ज़माने में वक़्त गुज़ार रहा हो। ([2])

***

सय्यद कुतुब के इन ख़ुल्लम ख़ुल्ला ज़ालिमाना सरकश कल्पनाओं के बाद अब उसकी इबारत का साहित्यक टिप्पणी देखें :

पहली टिप्पणी : सय्यद कुतुब ने अब तक जितनी बातें कहीं, वो सब के सब एक ही केन्द्रीय विचार और सोच पर स्थापित हैं, जो सय्यद कुतुब की दिमागी पैदावार हैं, वह नज़रिया है कि सारा समाज काफिर है, जिस पर उसने जाहिलीयत यअ़नी शिर्क व कुफ्र की तोहमत लगाई, और ये कि दीने इस्लाम ख़त्म हो चुका है, और अब मौजूदा पूरे समाज से टकराव और जंग ज़रूरी है ताकि एक नया मुस्लिम समाज का स्थापना किया जा सके।

पिछले पन्नों में हम सय्यद कुतुब की यह बात नक़ल कर चुके हैं, वह अपनी किताब अल–अ़दालतुल इज्तिमाइया फिल इस्लाम में कहता है : जब हम दीने इस्लाम के अर्थ के बारे में इस तक़रीरे इलाही की रोशनी में सारी ज़मीन का जाइज़ा लें, तो हमें इस दीने इस्लाम का कहीं वजूद नज़र नहीं आता, इस दीन का वजूद तो कब का ख़त्म हो चुका है, जब से मुसलमानों

[1] फी जिलालिल कुर्आन 4 / 2013

[2] फी जिलालिल कुर्आन 4 / 2013

की वो आख़री जमाअ़त इस दुनिया से चली गई थी जिन का ये अ़क़ीदा था कि इन्सानी ज़िन्दगी में हाकिम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु है।[1]

अपनी किताब मआ़लिम फित्तरीक़ में कहता है : उम्मते मुस्लिमा का वजूद ख़त्म हो चुका है, जिसको ख़त्म हुए कई सदियां बीत गई हैं। ([2])

अपनी इस बात में उसने एक तो आ़म मुसलमानों की तकफीर की, बल्कि अपनी तरफ से उनके लिये कुफ्र गढ़ लिया, और गुज़िश्ता कई सदियों से तमाम मुसलमानों को काफिर क़रार दिया, दूसरी ख़तरनाक बात यह कि फिक़ही अहकाम अब उठ चुके हैं, इसलिये कि अब वह इस्लामी समाज नहीं रहा, जिस में ये अहकाम जारी हो सकें।

दूसरी टिप्पणी : दूसरी इबारत की बात भी अपने तमाम हिस्सों के साथ पहली बात की तरह अत्यन्त ख़तरनाक है, इस में दीने इस्लाम के ख़त्म होने, हर तरफ जाहिलीयत शिर्क व कुफ्र के फैल जाने, फिक़ही आदेशों और उसके फुरूअ़ ख़त्म हो जाने का दावा किया गया है, इस बात में सरासर दीने इस्लाम व पैग़ामे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ुल्मो ज़्यादती की गई है, जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने ख़ातिमुल मुरसलीन और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, उनकी उम्मत को अल्लाह तआ़ला ने तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत क़रार दिया, इस उम्मत को सय्यद कुतुब ने जाहिलीयत और कुफ्रो शिर्क वाली उम्मत ठहराया, जिसे अल्लाह तआ़ला ने लोगों में बेहतरीन उम्मत बनाया, इसे सय्यद कुतुब ने सदियों से शिर्क व कुफ्र में मुब्तला उम्मत बना डाला है।

तीसरी टिप्पणी : तीसरी इबारत की बात भी सरासर जिहालत का नतीजा है, दरअसल सय्यद कुतुब ने दीने इस्लाम की हक़ीक़त को समझा ही नहीं कि इस दीन की क्या शान है! मुसलमान विभिन्न जगहों और हालतों में दीने इस्लाम के साथ किस तरह ज़िन्दगी बसर कर सकता है, मुसलमानों ने हिजरत (पलायन) से पहले तेरह साल मक्का मुकर्रमा में अपनी ज़िन्दगी इस तरह गुज़ारी कि वह मुआ़शरा मुकम्मल तौर पर इस्लाम और मुसलमानों का विराधी और दुश्मन था, मुसलमानों ने दीने इस्लाम के साथ हब्शा में ज़िन्दगी

[1] अल–अदालतुल इज्तिमाइयह फिल इस्लाम पे0 183 प्रकाशन दारुश शुरूक, अल काहिरा सन 1415 हि0 1995 ई0

[2] मआ़लिम फित्तरीक़, मुक़द्दमा, स. 5–

गुज़ारी, जहां उनके दीन की विरोध तो था, लेकिन वहां के लोग दुश्मन नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुसलमानों स्वागत किया, मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा में हिजरत से पहले काफिरों की बड़ी तादाद के बीच अल्पसंख्यक बनकर ज़िन्दगी गुज़ारी, जहां यहूद, क़बीला ओस व ख़ज़रज भी थे, उस वक़्त अक्सर लोग ग़ैर मुस्लिम थे, फिर मदीना मुनव्वरा में नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ लाए, मुसलमान अपने मदनी युग में ज़िन्दगी बसर कर रहे थे, जहां कुफ्फार की तरफ से जुल्म भी होता, लेकिन मुसलमानों ने अपना दामन खोले रखा, आसानी का दरवाज़ा बन्द नहीं किया, दीने इस्लाम चार मिसालें पेश कर रहा है, दीन के साथ ज़िन्दगी गुज़ारने का विभिन्न शैली, विभिन्न लोगों और विभिन्न पर्यावरण के एतबार से बता रहा है। लेकिन सय्यद कुतुब की सोच और नज़रिया के मुताबिक़ उन सहाबा का दीन भी दीने इस्लाम नहीं रहा, जैसा कि उसके नज़दीक ग़ैर मुस्लिम समाज में दीन चल ही नहीं सकता।

चौथी टिप्पणी : फुक़हाए किराम पर यह तोहमत लगाना कि उनकी अ़क़्लें बुझ गई हैं, रुक गई हैं, यह कहकर उसने उम्मते इस्लामिया की पूरी इल्मी तारीख़ पर जुल्म किया उसकी नज़र से फुक़हाए किराम की हरकत व इल्मो अ़मल सिरे से ओझल हो गये, फुक़हाए किराम हर दौर में हर उठने वाले फित्ना, हादसा और वाक़िआ की निगरानी करते रहे, उसकी छान फटक में व्यस्त रहे, रात–दिन हर दौर की ज़रूरत के मुताबिक़ पुस्तकें उम्मते इस्लामिया को देते रहे, मुसलमानों के इलाक़े में जब भी कोई घटना घटता, नए मुद्दे का सामना होता, यह हज़रात फुक़हा वहीं उसकी सूरते हाल और हालत की तहक़ीक़ करते और मुसलमानों के लिये हुक्मे शरई निकाला करते, क्योंकि उन्हें शरीअ़ते मुतह्हरा के मामले में उच्चस्तरीय ज्ञान हासिल था, वह शरीअ़त के उद्देश्य और दलीलों के श्रोतों पर पूर्ण कौशल रखते थे, शैख़ मुहम्मद अबुल मज़ाया कित्तानी ने एक किताब लिखी जिसका नाम तबक़ातुल मुजाहिदीन है, इस किताब में उन्होंने पांच हज़ार मुज्तहिदीन का उल्लेख किया है, यह वह हज़रात हैं जिन का संबंध सारी उम्मत के विभिन्न स्तर से है, इस किताब के अध्ययन से पता चलता है कि फुक़हा (धर्म–ज्ञानी) और मुज्तहिदीन की ये शान है कि उन का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ, किसी दौर किसी नस्ल में उनका दरवाज़ा बन्द नहीं हुआ।

पांचवी टिप्पणी : अल्लाह तआ़ला के नबी सय्यिदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम के शान और मर्तबा में जुल्म है, कि उनकी जनाब में ये दावा किया जाए कि वो ज़मानए जाहिलीयत में ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे, क्या नबी के होते हुए अहकामे फिक़्हिया उठ सकते हैं? अपना बनाया हुआ क़ाइदा कि फिक़्ह और उसके अहकाम बग़ैर अ़मल के नहीं पाए जाते, इस क़ाइदे को नबी की ज़ात पर लागू करना, उनके स्तर और उपाधि से जाहिल होने की दलील है, नबी के लिये ज़रूरी नहीं कि अपने से पहले गुज़री हुई फिक़्ह के अनुसार हुक्म दे, बल्कि उन के पास तो वहिए इलाही आती रहती है, जो हर आने वाले मुद्दे का हल स्पष्ट कर देती है।

छठी टिप्पणी : सय्यिदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न हुकूमत तलब की, न उसके लिये कोशिश की, उसके लिये अल्लाह तआ़ला के फरमान (اجعلنی علی خزائن الارض)[1] को दलील बनाना बहुत बड़ी भूल है, दलील की जिहत को न समझने के सबब कोई ऐसा कह सकता है, उसने ग़ौर नहीं किया कि इससे पहले कीआयात में क्या मज़मून गुज़रा है! अपने ज़हन में मौजूद परेशान कुन वहमो फहम के बाइस कुरआने करीम की दलालत और अम्बियाए किराम के इख़्तियारात को ग़ैर महल पर महमूल कर रहा है, और ये कुरआने करीम की दलालत और अम्बिया के इख़्तियार को गिराने की नाकाम कोशिश है, कुरआने करीम की तरफ मन्सूब करके वो कुछ कह दिया जो कुरआन ने नहीं कहा, कुरआने करीम को छोड़कर अपने बातिल तसव्वुरात को जो पहले से ज़हन में जमे हुए थे, उन्ही के ज़रिये फैसले करता है, उन्ही को अपना रहनुमा बना रखा है और ये सय्यद कुतुब की सबसे बड़ी ग़लती है।

सातवां तआ़कुब : आयते मुबारका (اجعلنی علی خزائن الارض)[2] का अर्थ समझने के लिये इ़ल्म की चाबी ज़रूरी है, एक के बाद एक कई आयाते मुबारका में अल्लाह तआ़ला ने सय्यिदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम की इ़ल्मी शान बयान फरमाई, जब हज़रत सय्यिदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कृषि विज्ञान का ज्ञान ज़ाहिर हुआ कि आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी कुशलता से ज़रूरत के

---

[1] सूरह यूसुफ आयत नं0 55
[2] सूरह यूसुफ आयत नं0 55

वक़्त के लिये अनाज का ज़ख़ीरा इकठ्ठा फरमा लिया, जब कृषि में गहरी कुशलता रखने वाले मिस्री लोग बादशाह के पास चल कर आए, और हज़रत सय्यिदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी कृषिक कुशलता की गवाही दी, कि उनके पास जो इ़ल्म व अनुभव है वो किसी के पास नहीं, शायद ही किसी के पास ऐसा इ़ल्म होता है, बादशाह कई बार हज़रत सय्यिुदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाता रहा, आप अलैहिस्सलाम इन्कार फरमाते रहे, फिर बादशाह ने आप अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात की तो बादशाह ने सारे पद पेश किये, जो मन्सब चाहे ले लें, उसके लगातार पुनरावृत्ति पर हज़रत सय्यिदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ आर्थिक विभाग का मंत्री या परामर्शदाता बनने पर इक्तिफा फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने हुकूमत तो अ़मलन तलब की ही नहीं, न उसके लिये कोई कोशिश की, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को मन्सब देने के लिये बुलाया गया और तलब किया गया था, क़बूल करने के लिये इसरार व तक़रार किया गया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम इन्कार करते रहे, इसका विस्तार जल्द ही आ रहा है जिसके बाद इस आयते मुबारका को समझने के में सय्यद कुतुब की ग़लती और जाहिर हो जाएगी।

***

अब आपके सामने मसलए तमकीन के बारे में मुकम्मल रिसर्च पेश की जाती है, ताकि वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाए कि इस बारे में अज़हर शरीफ के समझने का तरीक़ा क्या है :

अल्लाह तआ़ला ने कुरआने अ़ज़ीम में विभिन्न स्थान पर तमकीन का शब्द मोमिन और काफिर के हक़ में ज़िक्र किया है, उममे पहले के और आ़म इन्सानों के बारे में अल्लाह तआ़ला ने जब भी कुरआने करीम में तमकीन का शब्द प्रयोग किया, तो उसकी निसबत अपनी तरफ फरमाई, अगर हम कुरआने करीम में देखें, तो यही नज़र आता है कि अल्लाह तआ़ला ने तमकीन को ख़ुदाई काम क़रार दिया है, इन्सानी काम नहीं ठहराया, जिसे इन्सान पर अनिवार्य किया गया हो, लिहाज़ा तमकीन ऐसा अ़मल है जिसे अल्लाह तआ़ला करता है, और ये कोई शरई हुक्म नहीं जिसे बन्दों पर फर्ज़ किया गया हो, अल्लाह तआ़ला फरमाता है : (तर्जुमा :) हम ने तुम्हें ज़मीन में

जमाव (ठिकाना) दिया, और तुम्हारे लिये उस में ज़िन्दगी के साधन बनाए, तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो।[1]

यहां तमकीन का मअ़ना यह है कि अल्लाह तआ़ला ने इस ज़मीनी गृह में गुरुत्वार्षण बल पैदा फरमाई, तापमान और खास अन्दाज़ से मौसम बनाया, उसे अंतरिक्षिक गिलाफ पहनाया, दरख़्त, धुऐं का उठना, और बादल व बारिश पैदा फरमाई, नहरें जारी फरमाईं, ख़ेतियां और फल पैदा फरमाए, अल्लाह तआ़ला ने अपनी इस तख़लीक़ को तमकीन का नाम दिया है, ये सब कुछ ज़मीन पर हमारे लिये बनाया, अल्लाह तआ़ला ने हमारे लिये मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या चंद्रमां पर ऐसे साधन पैदा नहीं फरमाए जिस से ज़िन्दगी संभव हो, क्योंकि इन ग्रहों पर वह साधन नहीं पाए जाते जो ज़मीन में हैं, इस तमाम तख़लीक़ और निज़ाम को जो अल्लाह तआ़ला ने इन्सान के लिये बनाए हैं, तमकीन का नाम दिया है।

बल्कि तमकीन कभी ग़ैर मुस्लिम के लिये भी होती है, अल्लाह तआ़ला इरशाद फरमाता है : (तर्जुमा :) क्या इन्होंने उन्हें नहीं देखा कि हमने उन से पहले कितनी उम्मते हलाक कर दीं, उन्हें हम ने ज़मीन में वो जमाव दिया जो तुम्हें नहीं दिया, और उन पर मूसलाधार पानी भेजा,[2]

इस आयते मुबारका में ग़ौर करें कि किस क़दर नेअ़मत और प्राकृतिक धन का बयान है, जो अल्लाह तआ़ला ने उन्हें दी थीं, उन्हें भारी मात्रा में बारिशें अ़ता फरमाईं, जिस से जंगल पैदा होते हैं, खेती उगती है, भारी माल व दौलत हासिल होता है, अल्लाह तआ़ला फरमाता है : (तर्जुमा :) उनके नीचे नहरें बहाईं,[3]

उनके पास पै दर पै माल व दौलत आता है, तो दौलत का कसरत से मिलना और कुशाइश का हासिल होना, ये सब भी तमकीन की एक सूरत है, लेकिन तमकीन ईमान के साथ मुक़य्यद व मरबूत नहीं, आयत का अगला हिस्सा बता रहा है : (तर्जुमा :) तो उन्हें हमने उनके गुनाहों के सबब हलाक किया, और उनके बाद दीगर अक़वाम पैदा फरमाईं,[4]

---

[1] प. 8, अल–अअ़राफ : 10–
[2] प. 7, अल–अन्आ़म : 6
[3] प. 7, अल–अन्आ़म : 6
[4] प. 7, अल–अन्आ़म : 6

ज़मीन भर की दौलत, प्रोग्रामज़, मन्सूबा बन्दी और अ़मल को लागू करना, इन सब को हम तमकीन कह सकते हैं, लेकिन यह तमकीन कभी ईमान के साथ पाई जाती है, और कभी बेगैर ईमान के भी पाई जाती है, इस आयते मुबारका में उक्त कौम मुसलमान नहीं थी, लेकिन अल्लाह तआला ने उन्हें प्रयोग करने का हक़, पद, राष्ट्रीय एवं कौमी और राजनीतिक बल जो उस समय मे दिया था, उसे यहां तमकीन से जाहिर किया, अल्लाह तआला ही की जात है जिस ने सिर्फ अपनी कुदरत से यह निआमतें अता फरमायीं।

अल्लाह तआला फरमाता हैः (तर्जुमा)वह लोग कि अगर हम उन्हें जमीन में काबू दें, तो नमाज स्थापित रखें, और जकात दें, और भलाई का हुक्म करें, और बुराई से रोकें, और अल्लाह तआला ही के लिए सब कामों का अन्जाम है।[1]

यह भी फरमाया हैः (तर्जुमा) अल्लाह तआला ने वादा दिया उन को जो तुम में ईमान लाए और अच्छे कर्म किये कि जरूर उन्हें जमीन में खिलाफत देगा जैसे उन से पहले वालों को दी, और जरूर उन के लिए जमा देगा उन का वह दीन जो उन के लिए पसंद फरमाया है, और जरूर उन अगले भय के अमन से बदल देगा।[2]

इन आयतों मे जिन लोगों का उल्लेख है, ऐसे लोगों के लिए तमकीन का यह अर्थ है कि अल्लाह तआला उन की मुहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे, और दिलों मे मुहब्बत डालना किसी इन्सान के बस की बात नहीं, यह अल्लाह का काम है, क्या किसी इन्सान को इस बात का पाबंद किया जा सकता है कि हम उस से कहें कि तू अपनी मुहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे, यह भी तमकीन की एक सूरत है, हम उस से कहेंगें कि लोगों के साथ व्यवहार अच्छे रखो, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आवो, अपनी तरफ से इन्साफ करो, जब बन्दा उस पर अमल करेगा तो अल्लाह तआला लोगों के दिलों में उस की मुहब्बत डाल देगा, इमाम बुखारी सैयदुना अबू हुरैरा रजिअल्लाहो अनहू से रवायत करते है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने फरमायाः जब अल्लाह तआला किसी से मुहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहता है कि ऐ जिब्रील! अल्लाह तआला फलां बन्दे

[1] प0 17, अल हज 41
[2] प0 18, अल नूर 55

से मुहब्बत फरमाता है, तुम भी उस से मुहब्बत करो, जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज देते है कि अल्लाह तआला फलां बन्दे से मुहब्बत फरमाता है, तुम भी उस से मुहब्बत रखो, तो आसमान वाले भी उस से मुहब्बत करते हैं, फिर उस की लोकप्रियता जमीन पर उतार दी जाती है।[1]

हम जिस चीज का किसी इन्सान को पाबंद बना सकते हैं, वह सुलूक और अख्लाक वाले निर्देश तो हो सकते है, यह संभव है कि कोई इस कामयाबी वाले तरीके के अनुसार अमल करे, और अल्लाह तआला उस के लिए लोगों के दिलों मे मकबूलियत पैदा कर दे, या कोई गलता रास्ते पर चले जिस से लोगो के दिलों में नफरत आ जाये, क्योंकि ऐसा आदमी बनावट, घमंड, और फखरिया अन्दाज से नेक काम कर रहा होता है।

इसलिए उस आदमी का हाल क्या होगा जो हमारे सामने आये और कहे कि मैं दिलों में अपनी मुहब्बत पैदा करने की कोशिश करूंगा, फिर उस के लिए योजना बनाए, कार्यवाहियां करे, लड़ाई करे, बस इसी तरह का हाल उग्रवादी लोगों का है, वह तमकीन हासिल करने के लिए यही कुछ कर रहे हैं।

अल्लाह तआला ने लोगों को अपनी इबादत, तौहीद और ईमान लाने का आदेश दिया, फिर आबाद कारी, संस्कृति एवं सभ्यता, नरमी, इन्सानियत का आदर, अपनी और दूसरों की जान, धन, इज्जत और आबरू की रक्षा, नरसंहार से बचने, वुद्धि को जिहालत से दूर रखने का आदेश दिया, हम उन आदेशों पर अमल कर के ऐसी कौम बन सकते हैं कि दुनिया की तमाम कौमों में अपना उच्च स्थान ग्रहण कर लें, साथ—साथ हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, हमारी राजनीतिक व्यवस्था मजबूत हो, हमारी शैक्षिक, रचनात्मक सोच में उन्नति हो, तब संभव है कि अल्लाह तआला हमें वह स्थान दे दे कि हमें दूसरी कौमों पर बुलंदी और काबू हासिल हो, इस को हम तमकीन कह सकते हैं।

अगर हम कुर्आन मे गौर करे तो हमें वही सार प्राप्त होगा जो सार तमकीन के मुद्दे में अजहर यूनिवर्सिटी का तरीका बयान करता है, क्योंकि इस शैक्षिक तरीके मे उसूले दीन, सुनने इलाहिया और फिकही नियमों का मद्दे नजर रखते हुए आयाते कुर्आनिया से दलील बयान की जाती है, तमाम

[1] स्हीहे बुखारी, किताबो बदईल खल्क, बाबो जिक्रिल मलाइका नं0 3209/4/111

आयतों के अर्थों को सामने रखने के बाद अन्तर्दृष्टि के साथ अनुमान लगाया जाता है।

इस का उदाहरण सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम की घटना है, अल्लाह तआला ने फरमायाः (तर्जुमा) मिश्र के जिस आदमी ने उसे खरीदा उस ने अपनी औरत से कहा कि उन्हें इज्जत से रखो, शायद उन से हमें कोई फायदा पहुंचे, या हम उन्हें बेटा बना लें, और इसी तरह हम ने यूसुफ को जमीन मे जमाव दिया, और इस लिए कि उसे स्वपनफल का ज्ञान दिया, और अल्लाह तआला अपने काम पर गालिब है, अक्सर लोग नहीं जानते। [1]

बताऐं जमीन पर काबू कैसे हो सकता है उन लोगो ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दास बनाने के खरीदा था, लोग जिसे दास बना ले उसे जमीन पर काबू दिलाना अल्लाह का काम हो सकता है, अल्लाह की मर्जी से उन्हें कुऐं में डाला गया, मिश्र लाया गया, ताकि उन्हें वह लोग मिलें जो बादशाह तक पहुंचने का कारण बनें, सैयदुना यूसूफ अलैहिस्सलाम के ज्ञान और वुद्धि का प्रचार हो जाये, विभिन्न संस्थाऐं चलाने वाले लोग सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आऐं, उन के ज्ञान से फायदा उठायें, उन लोगों का आप के पास आना, बादशाह तक आप के ज्ञान के प्रचार का कारण बने, हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम के बताऐ हुए मालूमात से बादशाह फायदा उठाए, फिर बादशाह का दिल हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ झुक जाये, यही तमकीन है, यही जमीन में काबू देना है।

तमकीन एक शैक्षिक धन है, जो इन्सान की शिक्षा और अनुभव का आदर कराती है, और दूसरा आदमी सामने वाले के अनुभव से फायदा उठाता है, कुर्आन की इन आयतों को देखें:(तर्जुमा) बोले झूठे स्वपन हैं और हम स्वपनफल नही जानते, और बोला वह जो उन दोनों में से बचा था, और लंबे समय बाद उसे याद आया, मैं तुम्हें इस का फल बताऊंगा, मुझे भेजो, ऐ यूसुफ, ऐ दोस्त! हमें स्वपनफल दीजिये, सात मोटी गायों की जिन्हें सात दुबली गायें खाती हैं, और सात हरी बालें और दूसरी सूखी, शायद मैं लोगों की तरफ लौट कर जाऊं, शायद वह जानकार हों, कहा तुम खेती करोगे

[1] प0 12, यूसुफः 21

सात साल तगातार, तो जो काटो उसे उस की बाली मे रहने दो, मगर थोड़ा जितना खा लो।[1]

यानी ऐ अन्तर्राष्ट्रीय खबर और अनुभव रखने वाले, देशों और शासन के मामलो को चलाने वाले! हमारे इस मसला (सात मोटी गायों की जिन्हें सात दुबली गायें खाती हैं, और सात हरी बालें और दूसरी सूखी) का क्या हल है? आप ने उन के सवाल का जवाब विस्तार के साथ दिया, उन्हें उन के काम की योजना बना कर दे दिया, आप के हक़ में तमकीन यह थी कि अल्लाह तआला ने आप को ज्ञान की दौलत से मालामाल किया था, आप पर लागों की नज़रें जम गयीं, भविष्य की व्यवस्था की उम्मीदें आप से संबंधित हो गयीं, आप के ज्ञान से लोग फायदा उठाने लगे, मामलो को सही करने लगे, जब बादशाह ने सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई स्वपनफल को सुना तोः बादशाह बोलाः उन्हें मेरे पास ले आओ कि मैं उन्हें निजी अपने चुन लूं, फिर जब उस से बात की, कहाः यकीनन आज आप हमारे यहां ईज्जतदार और भरासेमंद हैं।[2]

अल्लाह तआला ने सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम की लोकप्रियता लोगों के दिलों मे डाल दी, बादशाह ने सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम के कलाम में नायाब ज्ञान और व्यापक अनुभव महसूस किया, मिलने के इच्छा की, फिर जब आप से बात की तो बादशाह ने सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिमाग को उच्च स्तर के आर्थिक ज्ञान वाला पाया, तुरन्त कह उठाःयकीनन आज आप हमारे यहां ईज्जतदार और भरासेमंद हैं, इसी पर अगली बात स्थापित होती हैः यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे जमीन के खजानों पर नियुक्त कर दो, यकीनन मैं हिफाजत करने वाला, ज्ञान वाला हूं। बताऐं कि किस तरह जमीन पर काबू हासिल हुई!

उग्रवादी लोग आयते मुबारका का सिर्फ एक हिस्साः मुझे जमीन के खजानों पर नियुक्त कर दो। ले लेते है, बाकी संदर्भ छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि यह आयत जमीन में हुकूमत हासिल करने के लिए कोशिश पर दलील है।

---

[1] प012, यूसुफ 44—47

[2] प012, यूसुफ 54

खुलासा यह है कि इन्सान पहले अपने आप को इल्मी रूप से जाहिर करे, अपने अनुभव द्वारा देशवासियों को भरोसे में ले, फिर एक समय ऐसा आयेगा कि लोग खुद उसे कहेंगें कि आप ही हमारी परेशानियों को दूर कर सकते है, लोग उस की क्षमताओं का लोहा मान कर उसे पद और उपाधि पेश करेंगें, और यह स्थान अनुभव, ज्ञान और कला कौशल से प्राप्त हो सकता है।

जमीन पर काबू सिर्फ अल्लाह तआला की कुदरत से प्राप्त हो सकती है, इन्सान के लिए जमीन पर काबू अल्लाह तआला पैदा फरमाता है, हम अमल के मुकल्लफ हैं, जिस में जमीन को आबाद करना, मेहनत और मुशक्कत करना, इल्मी अनुभव बढ़ाना, शहरों और देशों का निर्माण, अल्लाह तआला की इबादत, और मन की सफाई सम्मिलित है, अगर हम उन मंजिलों और इल्मी दरजात को पार कर लें, तो अल्लाह तआला हमारे आस–पास तमाम दुनियां में हमारी शोहरत पैदा कर देगा, उसे भी तमकीन का नाम दिया जा सकता है, विभिन्न समाजों और कौमों को तमकीन देना ऐसा ही है जैसे अल्लाह तआला का किसी इन्सान की मुहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करना, हम सिर्फ जाइज तरीका से उस के साधनों के कोशिश कर सकते हैं।

हजरत सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले मे तमकीन के अर्थ कुंजियों में से पहली कुंजी इल्म है, इस इल्म की कुंजी का उल्लेख हतरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बार–बार आया है, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की बात सुनयेः इसी तरह तुम्हें तुम्हारा रब चुन लेगा और तुम्हें बातों का अन्जाम निकालना सिखाऐगा।[1], बातों का अन्जाम यानी स्वपनफल के लिए इल्म की चाभी महत्वपूर्ण है।

फिर उस के बाद कुर्आन करीम में अल्लाह तआला का यह फरमान हैः मिश्र के जिस आदमी ने उसे खरीदा, उस ने अपनी औरत से कहा कि इन्हें इज्जत से रखो, शायद इन से हमे कोई फायदा पहुंचे, या हम इन्हें बेटा बना लें।, यहां तक कि फरमायाः इसी तरह हम ने यूसुफ को इस जमीन मे जमाव दिया, इस लिए कि उसे सिखाऐं। यहां दूसरी बार इल्म की चाभी का जिक्र है।

[1] प012 यूसुफ 6

उस के बाद अल्लाह तआला फरमाता हैः जब अपनी पूरी कुव्वत को पहुंचा, हम ने उसे हुक्म और इल्म अता फरमाया।[1] उन के बारे मे इल्म की चाभी का बयान एक बार फिर आ गया।

फिर फरमायाः यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुम्हें मिला करता है, उस के आने से पहले मैं तुम्हें उस की ताबीर बता दूंगा, यह उन ज्ञान में से है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है,।[2] इस आयते मुबारका में इल्म की चाभी का बयान चौथी बार आया है।

शायद यही कारण है कि सूरह यूसुफ मे अल्लाह तआला के फरमान (ان ربك عليم حكيم)[3] में इल्म को हिकमत से पहले रखा है, इल्म का जिक्र पहले है, इसी तरह दूसरी दो आयतो मे भी अलीम हकीम से पहले आया है, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमकीन मिलना इल्मे इलाही से है, बर खिलाफ हजरत इबराहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तआला का फरमानः (तर्जुमा) उसे एक इल्म वाले लड़के की खुशखबरी दी, उस पर उन की बीबी चिल्लाती हुई आई, फिर अपना माथा ठोंका और बोलीः क्या बुढ़या बांझ के वलादत होगी? उन्होंने कहाः तुम्हारे रब ने इसी तरह फरमाया है, और वही हकीम जानने वाला है।[4] यहां इस आयत में हिकमज को इल्म से पहले किया गया है, इस लिए कि बड़ी उम्र मे लड़का अता करना हिकमते इलाही का फैज है।

हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाकिये से पूरी दुनिया के सामने उन अनुभवों, अल्लाह के इनामों, योग्यताओं, ज्ञान और जानकारी की दौलत ने मिश्र वालों यह कहने पर मजबूर कर दिया किः आप अपने ज्ञान से हमारी सहायता करें, अपनी जानकारी से हमे भी हिस्सा दें, अपनी पालीसी और याजनाओं द्वारा देश को बड़े आर्थिक खतरे से बचाऐं।

बादशाह सपने मे सात मोटी गायें देख चुका था जिन्हें सात सूखी गायें खा रही हैं, और सात बाली हरी और सात सूखी बालें देखीं, फिर

---

[1] प012 यूसुफ 22

[2] प012 यूसुफ 37

[3] प012 यूसुफ 6

[4] प0 26 अल जारियात 28–30

बादशाह ने कहाः (ऐ दरबारियों! मेरे ख्वाब का जवाब दों।) हमें ऐसे ज्ञानी की जरूरत है जो हमारे लिए खतरनाक भविष्य का भेद खोल दें। (अगर तुम्हें स्वपनफल का ज्ञान हो[1]) उनके पास कोई कुशल ज्ञानी नहीं था इसलिए (उन लोगों ने कहा : परेशान सपने हैं और हम सपने का फल नही जानते) तो उन्होने अपनी ज्ञानहीनता जाहिर कर दी, यह आयते मुबारका भी तमकीन के बारे में कुर्आनी विचारधारा को प्रकाश मे ला रही है और उस की चाभियां हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम के पक्ष में वह थी जिस की बुनियाद इल्म है, जिस से आप ने फायदा उठाया, यह इल्म की निअमत आप पर अल्लाह तआला का इनाम था।

बादशाह के दरबार में उस बुनियाद का न होना जाहिर हो गया, किसी के पास भी यह निअमत और वरदान नहीं था, अल्लाह तआला फरमाता है :(तर्जुमा) और बोला वह जो उन दोनों में से बचा था, और लंबे समय बाद उसे याद आया, मैं तुम्हें इस का फल बताऊंगा, मुझे भेजो, ऐ यूसुफ, ऐ दोस्त! हमें स्वपनफल दीजिये, सात मोटी गायों की जिन्हें सात दुबली गायें खाती हैं, और सात हरी बालें और दूसरी सूखी, शायद मैं लोगों की तरफ लौट कर जाऊं, शायद वह जानकार हों,

आयते मुबारका के आखिरी शब्द(يعلمون वह जानकार हों) में इल्म और ज्ञान का उल्लेख है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से भेजे गये आदमी ने खुले शब्दों में जो कहा, उस से मालूम हो रहा है कि शाही दरबार वालों को यूसुफ अलैहिस्सलाम की सख्त आवश्यकता थी, सिर्फ उस ज्ञान–विज्ञान के भेद के कारण जिसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ही जानते थे, दरबारी अपनी ज्ञानहीनता जानते थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के आश्चर्यजनक ज्ञान को भी छुटकारा पाने वाले कैदी के बताने से जान चुके थे। देखें कि इस संदर्भ में इल्म और ज्ञान शब्द की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है।

हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना आश्चर्यजनक ज्ञान जाहिर करने लगे, आर्थिक घाटे का अच्छा उपाय पेश करने लगेः (फरमाया कि तुम खेती करो सात साल जगातार) पहले सात वर्षीय कृषि योजना पेश कियाः(तो जो काटो उसे उस की बाली में रहने दो, मगर थोड़ा) इस से उन के सामने

---

[1] प012 यूसुफ 42

व्यापक कृषि योजना जाहिर हुआ, जहां अनाज के जमा करने की योजना दिया, वहीं महदूद मात्रा में खर्च करने और गुजारा करने की शिक्षा की।

(फिर उस के बाद सात साल सख्त आयेंगें कि खा जायेंगें जो तुम ने उन के लिए पहले जमा कर रखा था, मगर थोड़ा जो बचा लो [1]) उन को ऐसी योजना बताई कि गेहूं को बाली मे रहने दो, जिस से गेहूं का छिलका भी सुरक्षित रहे, छिलके सहित गेहूं बाली और अपने बाहरी छिलके मे रहेगी, ऐसी राय दी जिस से जरूरत भर उपयोग के साथ–साथ अनाज की कमी के गुजरने और खत्म होने के बाद भी गेहूं बच जाये, और ढेर किया हुआ गेहूं सूखा ग्रस्त वर्षों में काम आये, इस तरह बालियो में रखने के कारण अनाज की कमी को खत्म करने में सहायता मिलेगी, (फिर उन के बाद एक साल आयेगा जिस में बारिश नसीब होगी, और उस में रस निचोड़ेगें[2])

इस में संदेह नहीं कि आप अलैहिस्सलाम का खेती के मामले मे कौम को नसीहत करना उन के लिए एक वैज्ञानिक दस्तावेज थी, जिस पर हो सकता कि प्रश्न उठाने वाले प्रश्न भी उठाये हों, और खेती के मामले में उन के सवालों का आप ने उन को संतुष्ट भी कर दिया हो, जिस में विस्तार से शिक्षा हो, कुर्आने अजीम ने अपने पोख्ता पद्धति के अनुसार सिर्फ परिणाम और सिद्वांत्मक मुद्दों का ही उल्लेख किया हो, जरूरी बातों का सारांश पेश किया हो, विस्तार मे जिक्र न किया हो, खेती बारी का तरीका, खेती का प्रकार, हासिल होने वाली आय आदि, वह तमाम चीज़ें जिन का वर्णन अनाज की कमी को खत्म करने के जरूरी था, इस सात वर्षीय कृषि योजना के लिए कौन सी और कितनी जमीन की जरूरत होगी, जिसे काम मे लाकर लक्ष्य पूरा किया जा सकता है, कहां और कितने मज़दूर और किसान नियुक्त किये जायें, खेती के लिए किन–किन औजारों की जरूरत होगी, सब बयान फरमाया, यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज्ञान था और आप उन्हें समझा रहे थे जिन का संबंध मिश्री समाज से था जो कृषि विज्ञान मे प्रसिद्ध हैं, उन्हें समझा रहे थे, जो सात हजार साल से नील नदी के बासी हैं, मिश्र वालों ने उन की बात सुनी, जिनको अल्लाह की मदद हासिल थी, अनुभव और कृषि विज्ञान के मशवरे सुने, तो आश्चर्य जनक रह गये, हजरत यूसुफ

[1] प,12,यूसुफ 48

[2] प,12,यूसुफ 48

अलैहिस्सलाम बड़े–बड़े कृषि विद्धानों को चैलेंज क्यों न करते, जब कि उन का ज्ञान हासिल किया हुआ नही था बल्कि आप उन्हें यह ज्ञान वही और नबुव्वत के प्रकाश से दे रहे थे।

हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमायाः (तुम सात साल खती करो लगातार) पूरी तैयारी और ज्यादा से ज्यादा सात साल खेती करो, यहां तक कि एक के बाद एक आने वाली फसलों मे गेहूं का ढेर लग जायेगा।

फिर फरमायाः (तो जो काटो) यह कटाई अपनी जगह अलग काम है जो कटाई का अनुभव रखने वाले ही अन्जाम हैं, (उसे उस की बाली में रहने दो) यह अलग निर्देश हैं, जो गेहूं सुरक्षित रखने के लिए थीं (मगर थोड़ा जितना खा लो)

(फिर उस के बाद सात साल सख्त आयेंगें कि खा जायेंगें जो कुछ तुम ने उन की तैयारी के लिए जमा कर रखा था, मगर थोड़ा जो बचा लो) इस में आप ने उन के लिए खास तरीका बयान फरमाया जिस के द्वारा वह सात साल तक के लिए जखीरा कर सकते थे, साथ–साथ जरूरत के हिसाब से उपयोग करने का तरीका भी बता दिया, जिस से पर्याप्त मात्रा मे अनाज वाले वर्षों में भी गुजारा कर सकें, और न सिर्फ मिश्र बल्कि मिश्र के पास पड़ोस के देशों, शाम के इलाके जिन का दारो मदार भी मिश्र की उपजाऊ जमीन पर था उन्हें भी अनाज उपलब्ध किया जा सके, उस के अलावा कुछ जरूरत से ज्यादा मात्रा में अनाज बच जाये।

हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से यह निर्देश जिन्दगी के विभिन्न विभागों और प्रोग्रामों के अनुभव पर मुश्तमिल थीं, अजीब बात यह थी कि सात साल की खेती और सात साल अनाज की सुरक्षा की योजना, इस का अनुभव न मिश्र के कृषि विद्धानों को था, न इतनी कुशलता के साथ कोई खेती की मालूमात दे सकता था, जैसी आप अलैहिस्सलाम ने दी थी, यह विस्तार वही कर सकता था जिसे आर्थिक योजनाओं की मालूमात और अनुभव हो, जिसे जिन्दगी के अनेक विज्ञान और कला का ज्ञान और अनुभव हो, जिसे अनाज की सुरक्षा, खेती बारी और कटाई का अनुभव हो जिस से इस कला के विद्धानों के प्रश्नों का उत्तर भी दे सके।

यह महान ज्ञानी और अल्लाह का नबी जब लोगों के सामने मिश्र के केन्द्रीय इलाके में आया, तो कृषि कला के विद्धान उन की तरफ दौड़े चले आये, उन की शोहरत बढ़ती चली गयी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम लोगों

की जरूरत बन चुके थे, क्योंकि लोगों के पास उन के अलावा कोई दूसरी शख्सियत नहीं थी, जो इनका प्रतिनिधि हो सके।(बादशाह बोलाः उन्हें मेरे पास ले आवो) हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बार भी इन्कार कर दिया, (कहा किः अपने बादशाह के पास पलट जावो, फिर उस से पूछो कि क्या हाल है उन औरतों का?[1])

बदशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए गोया कि बादशाह ने बार–बार कहा, दूसरी बार भी आप को बुलाने के लिए भेजा गया (बादशाह बोला किः उन्हें मेरे पास ले आवो कि मैं उन्हें खास अपने लिए चुन लूं)

हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न हुकूमत मांगी, न उस के लिए प्रयत्न किया, तमकीन (काबू देना) जो अल्लाह तआला ने आप को अता फरमाइ, वह आप के लिए इस तरह थी कि कृषि विज्ञान के विद्धान आप के व्यापक अनुभव को स्वीकार कर चुके थे, आप के जमाने में केन्द्रीय सरकारी इलाकों के लोग आप के मुहताज बन चुके थे, उन्होंने इस बात का खुल्लम खुल्ला मान भी लिया था कि जैसा इनका ज्ञान और अनुभव है ऐसा ज्ञान किसी का नहीं, ऐसा आदमी हमारे पास इनके अलावा कोई नहीं।

इस लिए जब मिश्र का बादशाह आप अलैहिस्सलाम के साथ बैठा, आप से बातचीत की, आप अलैहिस्सलाम के ज्ञान के अनेक विभागों को देखा, आप अलैहिस्सलाम के व्यापक अनुभव को सुना, तो उस ने (कहा किः यकीनन आज हमारे यहां इज्जत दार भरोसे मंद हैं), यह मुलाकात बादशाह के कई बार कहने के बाद हो सकी, आप अलैहिस्सलाम तो मुलाकात से इन्कार कर चुके थे, तब कैसे कहा जा सकता है कि आप अलैहिस्सलाम ने हुकूमत हासिल करने के लिए कोशिश की?!

ऐसा नही था कि आप अलैहिस्सलाम ने उस पद के लिए कोई तैयारी या भविष्य के लिए कोई राय दी थी, बल्कि आप की दूर रस निगाह पूरे यकीन के साथ देख रही थी, आप हिकमत की निगाह वाले थे, अल्लाह तआला ने आप को आने वाले समय के ज्ञान से नवाजा था।

अगर आप यह सवाल करें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कुछ बताई थी वह नबुव्वत का ज्ञान है या उस का संबंध मेहनत, तहकीक

---

[1] प,12 यूसुफ 50

और शिक्षा से है? इस का तवाब यह है कि हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे मे बात कर रहे हैं, जिन्होंनें नबुव्वत के घराने में प्रशिक्षण पाई, जहां चार नसलो से उन के घर मे नबुव्वत की करणें बरस रही थीं, वह नबी पुत्र नबी पुत्र नबी पुत्र नबी हैं, यानी यूसुफ पुत्र याकूब पुत्र इसहाक पुत्र इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में फरमायाः करीम पुत्र करीम पुत्र करीम पुत्र करीम [1] यानी यूसुफ पुत्र याकूब पुत्र इसहाक पुत्र इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम हैं।

यह घराने ज्ञान, वलायत और सरदारी में बड़े महान घराने हैं, उन घरानों में पलने बढ़ने वाला छोटा बच्चा भी अपनी घुट्टी मे ज्ञान पी चुका होता है, बचपन ही से अनुभवों का अभ्यास कर चुका होता है, अल्लाह तआला उन्हें ऐसी फितरत पर पैदा करता है कि अगर यह हजरात नबुव्वत के स्थान दूर रह कर पलते बढ़ते तब भी किसी कौम के सरदार ही होते।

खास तौर पर उस जमाने में खानदानी असर यही हुआ करता था, अगर हम फिरऔनी खानदान को देखें तो हमें वहां भी यह बात नजर आती है, कि बादशाहत का सिलसिला इन्ही की नस्ल में चला आ रहा था, एक फिरऔन जिस का नाम तूत अनख़ आमून था, उस की उम्र बीस या कुछ साल थी, इतिहास के सब से प्रसिद्ध बादशाहों में उस का नाम गिना जाता है, इतनी कम उम्री में बादशाहत और लोकप्रियता का कारण यह था कि उस ने बादशाह और सरदार के घर में परवरिश पाई थी।

फिर उस हस्ती का आलम क्या होगा जिस के पास कम उम्री और बचपन में ही नबियो की नस्लों के ज्ञान एकत्रित हो गये हों! जिन के पूर्वजों के पास तमाम अहले शाम और उस जमाने के तमाम इलाकों के लोग अपने विभिन्न मामलों के फैसले कराने आया करते हों! इस कदर शराफत और इज्जत के साथ–साथ अल्लाह तआला ने उन्हे नबी बना कर भेजा हो!

हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस पर्यावरण मे बचपन गुजारा वहां ज्ञान, सदियों का अनुभव, आप के पुर्वजों की सरदारी विशेष रूप से शामिले हाल थी, लोगों के बीच सत्य और न्याय पर आधारित फैसले का अनुभव जो

---

[1] सहीहुल बुखारी, किताब तफसीरुल कुर्आन नं0 4688,6/76

नस्लों को घेरे हुए था, वहां कायनात मे जारी इलाही तरीकों का ज्ञान मौजूद था।

अनुभव और ज्ञान से भरपूर यह इल्मी और यूसुफी उदाहरण, जहां मिश्री हुकूमत के सत्ता धारी लोग उमड़ आये थे, एक प्रचलित सैद्धांतिक नियम की याद दिलाती है, वह नियम यह है कि: नबियो के कार्य में अस्ल उमूम (सामान्यता) है, सिवाय यह कि खास होने पर कोई तर्क कायम हो जाये, नबियों के कुछ काम ऐसे होते हैं जो नबियों के खास होते है, वही कर सकते है, हम नही कर सकते, और उस खुसीसियत पर दलील भी कायम होती है, इन खास कामों के अलावा दूसरे बाकी काम, मसलन इबादत के तरीके, प्रबंध कार्य और विभिन्न व्यवसाय, बादशाहों से खत व किताबत आदि ऐसे काम जो नबियों के साथ खास नही, इन में अस्ल यह है कि यह काम हजराते अम्बिया से उम्मत की शिक्षा के लिए होते हैं, ताकि उम्मत को इन मामलों से निपटने का तरीका मालूम हो जाये, हम अपने काम, अनुभव और इल्म सीख कर अभ्यास करते है, जबकि हजरात अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अपने कार्य अल्लाह की तालीम से करते हैं।

ऐसे जितने भी मामले हैं जिन का संबंध विभिन्न व्यवसायों, लेन देन के मामले या सरकारी विभागों से है, इन विभागों में एक तरफ सीरते नबवी मे सिफारती संबंधों की झलक मिलती है, तो दूसरी तरफ हमारे समझने का पहलू यह है कि यह नबी का काम जिसे अल्लाह तआला ने हमारे लिए जाहिर फरमाया है, इस में जिन्दगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है, ताकि इस की पैरवी कर के हम कामयाबी हासिल करें, अलबत्ता साथ–साथ हम अपनी कमजोरी के कारण दूसरे साधनों का भी सहारा ले सकते हैं।

यह नियम तमाम नबियों के लिए है, इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी खेती के कौशल को जाहिर फरमाया, जिस ने मिश्र के खेती के विद्वानों को हैरान कर दिया, आप अलैहिस्सलाम ने उन के सामने अपनी तदबीर और फायदामन्द मशवरे पेश किये, जिस ने उन्हें चक्की की तरह पीसने वाले अर्थिक घाटे से बचा लिया, जो कुछ आप अलैहिस्सलाम ने निर्देश दिया वह कहां से हासिल किया? यह नबुव्वत का ज्ञान भी है और आप की खेती की कुशलता भी, आप अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार से हमें काबिले अमल नमूना अता फरमाया कि नबियों के कामों मे अस्ल यही है कि यह सब के लिए सामान्य है, ताकि

लोग उसके अनुसार अमल करें, सिवाय उन कामों के जिन का नबियों के साथ खास होने मशहूर है, जिन पर हम अमल नहीं कर सकते।

यही कारण है कि अल्लाह तआला ने हमारे लिए आप अलैहिस्सलाम की हयाते तैयबा का यह पहलू बयान फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हयाते तैयबा में से चुने हुए यही सीन दिखाए, हालांकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग साठ साल या सत्तर साल की थी, यह संभव था कि आप अलैहिस्सलाम की जिन्दगी के बहुत सारे पहलू हमें बताए जाते, लेकिन अल्लाह तआला ने बाकी उम्र के हिस्से इन्सानों के दिमागों से भुला दिये, सिर्फ यही नूरानी पहलू हमारे लिए बाकी रखे, क्योंकि इसी पहलू मे शिक्षाऐं हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह इल्मी कमालात अल्लाह तआला ने नबुव्वत द्वारा दिया, जबकि हम से कहा गया है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें, इस ज्ञान तक हमारी पहुंच, शिक्षा, इल्म में कुशलता, आलिमों से जुड़े रहने और ज्ञान शोध से हारिल हो सकती है, नबी करी सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने फरमायाः मुझ से इबादत के तरीके सीख लो,[1] यानी हज के तरीके में से कुछ आमाल मैं तुम्हारे सामने प्रेक्टिकल तौर पर इस लिऐ कर रहा हूं कि तुम इन्हें देखो, इस के अनुसार अमल करो, नीज़ अपने अनुभव को काम में लाते हुऐ इन मनासिक तक पहुंच हासिल करो।

ऐसा मालूम होता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हम से यह कह रहे हैं किः सरकारी संस्थाओं के साथ विभिन्न मामलों से संबंधित मेरे अनुभव से फायदा उठा लो, जिन अनुभवों ने सरकारी संस्थाओं में मुझे भरोसे वाला आदमी बना दिया था, फिर अपने हालात, अपने जमाने, अपने समाज के अनुसार मेरे तरीके के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोशिश करो, अगर हम सूरह यूसुफ की इस आवाज पर अमल करें, तो हम भी अपने जमानें में अपनी जिम्मेदारियां पूरे तौर पर अदा कर सकते हैं, जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीं, जिस का असर हमारे सामने जाहिर हो सकता है, इस का नाम भी तमकीन(काबू देना) है।

जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास सपने का फल मालूम करने के लिए एक आदमी आया, कि बादशाह ने सपना देखा है, जिस का यह

---

[1] सुनने कुबरा किताबुल हज नं0 9524,5/204

खुलासा है, क्या आप अपने इल्म से हमारे इस समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं? अपने अन्तर्दृष्टि से तरीकए अमल की रहनुमाई कर सकते हैं? अल्लाह तआला ने आप के लिए नूरे नबुव्वत का जो दरवाजा खोला है, उस मे से कुछ फैज पहुंचा सकते हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि वह खुलासा बता सकते हैं, तरीकए अमल और समस्याओं के हल के लिए तजवीज़ दे सकते हैं।

इन तजवीजों पर सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अमल नही करना था, बल्कि उस पर पूरे समाज को ध्यान देना जरूरी था, जब समाज नें अपने नबी के निर्देशों पर अमल किया ता वह सब कामयाबी से हमकिनार हो गये।

हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिर्फ ज्ञान वाली तमकीन से नहीं नवाजा गया था, बल्कि आप अलैहिस्सलाम की दूसरी बड़ी खूबियां भी थीं, जिन से मिश्री समाज मुतअस्सिर था, आप अलैहिस्सलाम ने मिश्र मे अपनी नायाब कानूनी महारत भी उन लोगों पर जाहिर की, उस जमाने में जो मिश्री कानूनी व्यवस्था था, उस के साथ साथ शरीअत की अदालत को मिला करके भी पेश किया, इस का उदाहरण सूरह यूसुफ में मौजूद है, अल्लाह तआला ने फरमायाः (फिर जब उन का सामान तैयार कर दिया, तो प्याला अपने भाई के कजावे में रख दिया, फिर एक आवाज देने वाले ने आवाज दी कि ऐ काफिला वालो! तुम चोर हो, बोले और उन की तरफ ध्यान हूऐ, तुम क्या नहीं पाते? बोलेः बादशाह का पैमाना नहीं मिलता, जो उसे लायेगा उस के लिए गल्ला से लदा हुआ एक ऊंट है, और मैं उस का जामिन हूं [1]), उस पर आप अलैहिस्सलाम के भाईयों ने इल्जाम को रद करते हुए कहाः (खुदा की कसम तुम्हें खूब मालूम कि हम जमीन में फसाद करने नहीं आये, और न हम चोर हैं, बोले फिर क्या सज़ा है उस की अगर तु झूठे हुए?[2]) यानी तर्कों और गवाहों से यह इल्ज़ाम तुम में से किसी पर साबित हो जाये कि उस ने यह हरकत की है, तो तुम ही बताओ कि उस की सज़ा क्या होनी चाहिए? उस पर हजरत यूसुफ के भाईयों ने बड़े यकीन के साथ कहा कि अगस वास्तव में यह तोहमत हम में से किसी पर साबित हो जाये, तो उस की सजा यही है

[1] प0 13 यूसुफ 70—72

[2] प0 13 यूसुफ 73—74

कि उस चोर के बदले उसी को रख लिया जाये, (बोलेः उस की सज़ा यह है कि जिस की बोरी से मिले, वही उस के बदले मे गुलाम बने [1])

(तो यूसुफ ने भाई की बोरी से पहले उन की बोरियों की तलाशी लेने शुरु कर दी, फिर उस प्याले को अपने भाई की बोरी से बरआमद कर लिया), अल्लाह तआला ने फरमायाः (हम ने यूसुफ का वही तदबीर बताई [2]) इस फरमान का मतलब यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिश्र के आर्थिक मामले चलाने के लिए अपने भाई की जरूरत थी, जब आम अलैहिस्सलाम ने मिश्र के आर्थिक मामले चलाना शुरु किये, तो उस के लिए आप अलैहिस्सलाम एक योजना बना चुके थे, आप को इस योजना को लागू करने के लिए एक ऐसे दल की जरूरत थी जो अपनी कला में कुशल हो।

अब मन्सूबे को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया था, उन मामलों को चलाने के लिए सब से ज्यादा कुशल व्यक्ति आप के भाई थे, आप अपने भाईयों के दल के आने की प्रतिक्षा में थे, भाईयों को देखते ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान गये, जबकि वह लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नही पहचान सके, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिनयामीन को रोकने के लिए ऐसा कानून जारी किया जो मिश्र और उस के आस–पास के विभिन्न इलाकों में मशहूर नही था, उस कानूनी कार्य से लोग नावाकिफ थे।

अल्लाह तआला अपने फरमान में इसी तरफ इशारा फरमाता हैः (शाही कानून के अनुसार वह उसे अपने पास नही रोक सकते थे [3]) यानी उन कानूनों और नियमों में जो मिश्र में उस समय कायम थे, उस मिश्री कानून के अनुसार किसी को चोरी का माल बरआमद होने पर कैदी नही बनाया जा सकता था, चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त वित्त मंत्री थे, इस लिए आप को यह अधिकार था कि योग्य लोगों को अपने साथ शामिल कर लें, लेकिन आप अलैहिस्सलाम यह चाहते थे कि भाई को रोकने का खुद मुतालबा न करें, इस लिए आप ने प्याला भाई के सामान में रखवा दिया।

[1] प0 13 यूसुफ 75

[2] प0 13 यूसुफ 76

[3] प0 13, यूसुफ 76

इस के लिए अब ऐसी सनद और कानूनी दलील की जरूरत थी जिस के आधार पर आप भाई को रोक लेते, आप की नीति से आप के आये हुए भाई खुद ही फैसला कर बैठे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे, यूसुफ के भाई अपने दादा हजरत इस्हाक़ और हजरत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम की शरीअत जानते थे, यही उन की शरीअत मे मशहूर था कि चोर को कैदी बना लिया जाये, आप अलैहिस्सलाम भाईयों को इसी फैसले पर ले आये जिस के अनुसार फैसला कराने पर वह खुद सज़ा इख्तियार करे, फिर जब जुर्म साबित हो जाये, और आरोपी भी इकरार कर ले, तब उस इख्तियार की हुई सज़ा को वहां लागू किया जा सकेगा, अल्लाह तआला का फरमान हैः (शाही कानून के अनुसार वह उसे अपने पास नहीं रोक सकते थे) यानी मिश्र के नियमों में इस तरह की सजा का उल्लेख नही था, फिर उस के बाद अल्लाह तआला फरमाता हैः(हम जिसे चाहें उस के दरजात बुलंद करें, और हर इल्म वाले से उपर एक इल्म वाला है [1]) एक बार फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज्ञान और इल्म की तारीफ की गयी, आप अलैहिस्सलाम के पक्ष में यही ज्ञान और इल्म ही तमकीन का साधन था।

तमकीन की बुनियाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ज्ञान की चाभी है, जिसे आप जाहिर फरमा रहे थे, इस से आप अलैहिस्सलाम मिश्र वालों को मशवरे, खेती करने और उस की कटाई से संबंधित निर्देश दे रहे थे, उस के कारण राष्ट्रीय संस्थाऐं खुद चल कर आप के पास आ गयी थीं, और वह यह कह रही थीं कि हमारा सौभाग्य होगा कि हम आप के साथ संधि करें, ताकि आप विधि अनुसार मंत्री या परामर्शदाता बन जायें, एक तरफ यह संस्थाऐं चल कर आ रहे थे, दूसरी तरफ उस पद की जिम्मेदारी कबूल करने से आप अलैहिस्सलाम बच रहे थे।

खुलासा यह कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न राज की इच्छा की न उस की इच्छा मे आप किसी दरवाजे पर गये, और अल्लाह तआला का फरमान किः (यूसुफ ने कहाः मुझे ज़मीन के खजानों पर नियुक्त कर दो) इस से यह साबित नही होता कि आप ने खुद हुकूमत की इच्छा की थी, बल्कि मिश्र वाले कई बार खुद चल कर आये, मिश्र के मामलों के लिए आप

[1] प013, यूसुफ 76

से सवाल कये, क्योंकि वह आप अलैहिस्सलाम को जान चुके थे कि आप के पास एक विषेश कौशल है, जो वही के नूर से रोशन है, यहां तक कि आप अलैहिस्सलाम ने अनाज की कमी का खत्म करने के लिए उन की मदद फरमाइ, फिर बादशाह ने पैगाम देकर आप को मुलाकात के लिए बुलाया, आप ने इन्कार किया, फिर दूसरी बार पैगाम देकर बुलवाया, जिस के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बार–बार कहने के बाद दावत कबूल की, बादशाह ने उन्हें इख्तियार दिया कि जो पद चाहें कबूल कर लें, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने खजाने के मामले की जिम्मेदारी कुछ हद तक कबूल की, और उसे यह नही कहा कि मै नबी हूं और तू सिर्फ बादशाह है, तू दीने इस्लाम के अलावा किसी और दीन पर है, इसलिए तू हट जा और अपनी जगह मुझे बैठने दे, बल्कि बार–बार कहने के बाद भी अगर कबूल किया तो हुकूमत के वित्त मंत्रालय को कबूल फरमाया।

इस तरह का स्पष्टीकरण कुर्आन में मौजूद होने के बावजूद हैरत है, कि काई आये और आयते मुबारका की तफसीर यह करे, कि यह आयत विभिन्न साधनों से हुकूमत हासिल करने पर दलील है, और अपने इस लक्ष्य की खातिर हर हलाल व हराम रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार हो, हुकूमत हासिल करने को अपने लिए महान लक्ष्य बना ले, ऐसा करना शरीअत पर बड़ी जुरअत की बात है, और एक गलत सोच को कुर्आने करीम पर चिसपां करना है।

कुर्आने अजीम में तमकीन की एक मिसाल भी है, वह मिसाल हजरत जुल करनैन का वाकिया है, उन के लिए अल्लाह तआला ने कई बार तकमीन (जमीन में काबू देने) की खूबी बयान की है, अल्लाह तआला फरमाता हैः (आप से जुल करनैन के बारे मे सवाल करते है, आप फरमा दिजिये कि मैं तुम्हें उस का ज़िक्र पढ़ कर सुनाता हूं, यकीनन हम ने उसे जमीन में काबू दिया [1])

किस बुनियाद पर तमकीन अता फरमाई? अल्लाह तआला फरमाता है : (हर चीज का एक सामान अता फरमाया), उन्होनें खुद बादशाहत मांगी नही थी, बल्कि अल्लाह तआला ने उन्हें हर तरह के साज व सामान अता फरमाया , यानी उन्हे हर तरह के साधन अता फरमाये, जिस से उन के लिए

[1] प0 16, अल कहफ : 83–84

सूरज निकलने की जगह का सफर संभव हुआ, सूरज के निकलने की जगह से तात्पर्य पूरब की तरफ जमीन का वह आखिरी हिस्सा है जहां तक उन का लश्कर अपन साज व सामान के साथ जा सके, उन के सफर का मतलब है समुद्री यात्रा के कुशल, उन की फौज, उन के साथ यात्रा करने वाले लोग, उन की जरूरत के सामान, हथियार की प्राप्ति का प्रबंध, समुद्री सफर में फौज संभालने वाली संस्थाऐं, इसी तरह अल्लाह तआला ने उन्हें पक्षिम की ओर उस जगह सफर के साधन पर्याप्त किये, जिसे बैन–अल– सद्दैन (दो डेम के दरमियानी जगह) कहते हैं, इस का अर्थ क्या है? और वह इस समय कहां पर स्थित है?

कुर्आने करीम इन्सान के उन कार्यों, प्रेणनाओं और पेशकदमियों पर भी बात करता है जो इन्सानी इतिहास में होते रहे, बैन–अल–सद्दैन निसंदेह जमीन पर इस समय भी मौजूद है, लेकिन वह कौन सी जगह है? इस मुहिम पर खलीफा हारून रशीद ने बड़ा माल खर्च किया, एक कुशल आदमी जिस का नाम सल्लाम तर्जुमान था, उसे जमीन के उत्तरी ओर रवाना किया, ताकि उस दीवार की खोज लगाये जिसे जुल करनैन ने तामीर किया था।

आज यह भी एक विषय बन चुका है कि उन जगहों को तलाश किया जाये जिस की तरफ कुर्आने करीम ने इशारा किया है, या दूसरी आसमानी किताबों में जिनका जिक्र मिलता है, यूरोप वाले इस पर विषेश ध्यान देते है कि उन पुरातत्वों की तलाश किया जाये जिन का जिक्र किताबे मुकद्दस में है, इस खोज को आरकियोलोजी(Archaeology) या किताब मुकद्दस के पुरातत्वों का ज्ञान भी कहते हैं, यानी तौरात में जिस किसी खास स्थान, या किसी स्थान की निशानियों का जिक्र है, उस के लिए माल खर्च करके विभिन्न टीमें गठित की जाती हैं, यह टीमें तौरात में उल्लेखित स्थानों की खोज लगाती हैं, वह यह कोशिश करते रहते हैं कि या तो कोई ऐसी जगह मिल जाये, या कोई ऐसी निशानी मिल जाये, या कोई ऐसा निशान ही मिल जाये जिस का संबंध तौरात मे उल्लेखित स्थान से हो, और कुर्आने करीम भी इस की तरफ इशारा करता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे मे मार्ग दर्शन कराते हुए फरमाता है:(हम ने उसे निशानी बना कर छोड़ा, तो

है कोई ध्यान करने वाला [1]) यानी उस नूह की नाव को बाकी रखूंगा ताकि बाद वाली नस्ले आयें, जमीन खोदें और खोज लगा कर उसे पा लें।

अल्लाह तआला फरमाता हैः (यकीनन तुम सुबह व रात उन के पास से गुजरते हो, तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं [2]) इस आयते करीमा में अल्लाह तआला लूत कौम की बस्तियों का जिक्र फरमाता है, कि तुम उन की निशानियों के पास से आते जाते, सुबह–शाम गुजरते रहते हो उन का अन्जाम देख कर पाठ लो।

ओलमाए इस्लाम ने इस पर कहा कि जुल करनैन किस जगह थे, यह मालूम करने के बाद हम यह जान सकते हैं कि उन्हें किस हद तक तमकीन दी गयी थी।

यहां इस ऐतिहासिक और प्रशिद्ध यात्रा का उल्लेख करना उचित मालूम होता है जिस का एहतेमाम हारून रशीद के पोते वासिक बिल्लाह ने किया था, उस में भी उस सफर के लिए सल्लाम नामी तर्जुमान को तैयार किया गया, ताकि क़फक़ाज़(Caucasus) के इलाके की तरफ सफर करे, जो उत्तरी ऐशियाई हिस्से में साइबेरिया (Siberia) के किनारे तक जाकर खत्म होता है, वहां के भौगोलिक स्थिति का जायजा ले, ताकि जुल करनैन की बनाई हूई दीवार के बारे में मालूमात एकत्रित की जा सकें, सल्लाम नामक अनुवादक ने वहां की यात्रा करके मालूमात एकत्रित कीं, उन मालूमात को शरीफ इदरीसी ने अपनी पुस्तक नुज़हतुल मुश्ताक़ फिल इख्तिराक़िल आफाक़[3] में जिक्र किया, फिर इब्ने फजलुल्लाह उमरी ने अपनी पुस्तक अल मसालिक वल ममालिक में उसे स्वीकारनीय बताया, यह किताब ऐतिहासिक लिहाज़ से यकीन के लायक़ है, ओरियन्टलिस्ट में से अनेक लोगों ने जब इस ऐतिहासिक तथ्य का अध्ययन किया, और उन इलाकों और स्थानों में गौर किया जिन का जिक्र इस किताब में मिलता है, और यह लोग चूंकि भूगोल के विद्धान भी थे, इसलिए उन्हे कहना पड़ा कि यह यात्रा अपने वैज्ञानिक स्तर पर पहुंचने के कारण सच्चा है, एक रूसी ओरियनटलिस्ट

[1] प,27, अलकमर 15

[2] प,23, अलसाफात 137–138

[3] नुजहतुल मुश्ताक़ फी इख्तिराकिल आफाक़ अलइकलीम 6 हिस्सा 9, 2/934

जिस का नाम कराचकोस्की(Krachkovsky) है, उस ने इस बारे में शोध की है, मकसद यह है कि इन स्थानों की जानकारी के लिए बड़ा प्रबंध किया गया।

हमारे समकालीन में अबुल कलाम आजाद पूर्व शिक्षा मंत्री–भारत, जो कुर्आन करीम और तौरात की उन निशानियों को मिला कर बयान करने का प्रबंध करते हैं, जो उर्दुन की नहर, (Dead Sea),और फलिस्तीन के इलाकों में पाये जाते है, अबुल कलाम आजाद उन उलेमा पें से हैं जिन्होंने इस तरफ काफी ध्यान दी, जुल करनैन की दीवार के बारे में पूरी चर्चा लिखी, उन चर्चाओं को डाक्टर अब्दुल मुनइम नमर, पूर्व वक्फ मंत्री मिश्र ने अपने विभिन्न लेखों में जमा किया है, अबुल कलाम आजाद के बारे मे उन की एक किताब भी है, जिस में उन्होंनें अबुल कलाम आजाद के जुल करनैन और उन की दीवार से संबंधित मजामीन भी नकल किये हैं।

सऊदी मजलिसे शोरा (साधारण सभा) के मेम्बर, विद्धान और शोधकर्ता हम्दी हमज़ा अबू जैद ने एक किताब लिखी, जिस का नाम फक्के असरारे ज़ील करनैन व याजूज व माजूज रखा, इस किताब में उन्होंने अपनी यात्रा,शोध और चीन की पुरानी दस्तावेजों को देखने का जिक्र किया है, उन की कुछ अलग– थलग बातों के कारण आपत्तिजनक हैं, उन में से यह भी है कि जुल करनैन ही अखनातून है, जो फिरऔनी मुवहिद बादशाह गुजरा है, इस किताब पर बहुत सारे ऐतराज किये गये, मिश्र के फिरऔनो के इतिहास पर शोध करने वाले कहते हैं कि उनकी इस तहकीक में गहरी नजर नहीं, इतिहास मे अखनातून के पूरब और पक्षिम की ओर सफरों को इस रूप से बयान नही किया गया है, लेकिन बहर हाल यह किताब इस बारे में अच्छी कोशिश है।

हमें यहां अहम बात यह समझनी है कि इस महान बादशाह जुल करनैन के बारे में जो तमकीन की खूबी बयान की गयी है, उस का मतलब क्या है? अल्लाह तआला फरमाता हैः (यकीनन हम ने उसे जमीन मे काबू दिया, और हर चीज़ का एक सामान अता फरमाया [1]), यहां जुल करनैन के तमाम कारनामों के मजमूऐ को अल्लाह तआला ने तमकीन करार दिया है, आप के किसी एक काम को तमकीन नही कहा गया, बल्कि उस चुने हुए

[1] प016, अलकहफ 84

शख्स ने एक ऐतिहासिक और एक संस्था के कार्य को अन्जाम दिया, उन के तमाम कारनामों को तमकीन का नाम दिया गया है, अल्लाह तआला फरमाता हैः(तो वह उन असबाब में से एक के पीछे चला, यहां तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा, उसे एक काले कीचड़ के सोते में डूबता पाया, और वहां एक कौम मिली, हम ने फरमायाः ऐ जुल करनैन या तो तुम उन्हें सजा दो या उन के साथ भलाई इख्तियार करो,[1]) यह बयान पश्चिम वालों के लिए है।

फिर फरमाता हैः (फिर उन असबाब में से एक के पीछे चला यहां तक कि जब दो पहाड़ों के बीच पहुंचा, उन से इधर ऐसे लोग पाये कि कोई बात समझते मालूम न होते थे [2]) , बड़े खूबसूरत अन्दाज़ से आयत حتى اذا بلغ مطلع الشمس[3] से उन का अगला सफर बयान किया कि वह पूरब की ओर चले और जहां तक जमीन आबाद थी, और जहां तक जाना संभव था वहां तक गये, फिर उस चीज की खूबी बयान फरमाता हैः (फिर उन असबाब में से एक के पीछे चला यहां तक कि जब दो पहाड़ों के बीच पहुंचा, उन से इधर ऐसे लोग पाये कि कोई बात समझते मालूम न होते थे [4]) यानी वह ऐसे लोग थे जिन के पास न इल्मी महारत थी न अमली, ताकि समझते (उन्होंने कहा कि ऐ जुल करनैन याजूज व माजूज जमीन में फसाद मचाते हैं, क्या हम आप के लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें इस पर कि आप हमारे और उन के दरमियान एक दीवार कायम कर दें, फरमाया कि जिस पर मुझे मेरे रब ने काबू दिया है वह बेहतर है[5]) यानी अल्लाह तआला ने मुझे जो इल्म, हुनर और कला दी है, वह उस से ज्यादा बेहतर और पुख्ता है, हां तुम से यह चाहता हूं कि (मेरी मदद ताकत से करो, ताकि मैं तुम्हारे और उन के बीच एक मजबूत आंड़ बना दूं,मेरे पास लोहे के तख्त लावो [6])

---

[1] प016, अलकहफ 85—86

[2] प016, अलकहफ 92—93

[3] प016, अलकहफ 90

[4] प016, अलकहफ 92—93

[5] प016, अलकहफ 94—95

[6] प016, अलकहफ 95—96

लोहे के लंबे चौड़े टुकड़े उस कौम के पास कैसे हो सकते थे? जो लोग बात को समझ नहीं रहे थे, उस के लिए तो कान की खुदाई करनी होती है, लोहे को कान से निकाला जाता है, फिर लोहे को कारखाने ले जाना पड़ता है, यह कारीगरी और कौशल हजरत जुल करनैन ने उन्हें सिखाई।

फिर फरमाया (यहां तक कि वह दीवार दोनों पहाड़ों के किनारों से बराबर कर दी[1]), यह निर्माण कला है जिस में ईंटों को एक खास तरीके से जोड़ा जाता है, ताकि दो ईंटों के बीच फासला न रहे, यह दोहरे निर्माण कला का बयान है।

फिर फरमाता है:(कहा कि लावो मैं उस पर गला हुआ तांबा उडेल दूं [2]), इन तमाम कलाओं का खुलासा इस में यूं बताया:(मेरी मदद ताकत से करो), मुझे तुम्हारी मानव बल चाहिए, ताकि योजना को पूरा करें, साथ ही तुम मे उन तमाम कुशलताओं के सीखने की हिम्मत भी होनी चाहिऐ।

सूरह कहफ के आखिर मे कार्य बल का भी जिक्र है, फिर एक पेज बाद सरह मरियम के आरंभ में अल्लाह ने फरमाया (ऐ यहया! किताब मजबूती से थामये [3]) इस में शायद यह हिकमत है कि हमारी नजर को कला के बल से यकीन के बल और किसी चीज़ के लागू करने के लिए पक्के इरादे की तरफ फेरा गया है, और तमकीन इन ज्ञान और कलाओं का परिणाम है।

सारांश यह है कि हम कुर्आने करीम में उतरने वाले तमकीन के अर्थ को एक वाक्य में यूं कह सकते हैं कि: तमकीन (काबू देना) आबादकारी, या संस्कृति, या निर्माण के बाद हासिल होती है, कि मुल्क की संस्थाऐं सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा करें, फिर नतीजा हासिल करें, इस तरह कामयाब इल्मी तहकीक के बाद मजबूत नतीजा मिलेगा, हम अपनी सोच यह बनाऐं कि काम करने से बेरोजगारी, निर्धनता और लाचारी का खातमा हो सकता है, राष्ट्र के कल्याण और निर्माण एवं उन्नति का स्थान शिक्षा और और पोख्ता इरादे से मिल सकती है, और ईमानी बल, नैतिक व्यवस्था के

---

[1] प016, अलकहफ 96

[2] प016, अलकहफ 96

[3] प016, मरियम 12

साथ इन्सानियत का आदर और पर्यावरण और श्रोतों की सुरक्षा में सफलता की यात्रा सफल हो सकती है।

उपर्युक्त विस्तार से यह स्पष्ट हुआ कि इख्वानुल मुस्लिमीन और उन से सहमति आंनदोलनों का आयते तमकीन से अपने उद्देश्यों के लिए दलील लाना सही नही, न उन दलील लाना कुर्आन को समझने के सही तरीके पर है, न कुर्आने करीम से अनुमान लगाने के लिए कारगर है, उन की विचारधाराऐं गलत ख्यालात को कुर्आन से जोड़ने के बराबर हैं, इस गलती पर ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि कुर्आन के अर्थों से डगमगाया न जाये, और वह बातें न की जायें, वह विचारधाराऐं न फैलाये जायें जो कुर्आने अजीम का मकसूद नही हैं।

(7)
वतन का अर्थ

वतन

नाम की इस्लामी क्रांतकारी आंदोलनों के नजदीक वतन के अर्थ की बिगड़ी हुई सूरत, और इस्लामी अवधारणा और अजहर यूनिवर्सिटी की अनुसान वतन के अर्थ की सही सूरत के बीच तुलना

⇒ प्रथमः नाम की इस्लामी कांतकारी आंदोलनों के दिमाग़ में वतन की सूरत

विभिन्न नाम की इस्लामी क्रांतकारी संगठनें और उग्रवाद दल, गत अस्सी वर्षों से लोगों में गलत विचारधाराऐं फैला रही हैं, उन गलत विचारधाराओं के कारण समाज में अनेक समस्याऐं और मतभेद जन्म लेते रहते हैं, अगरचे उन भटके हुए लोगों के पास शरीअत का अर्थ समझने के लिए सही और मजबूत ज्ञान और साधन नहीं, उन गलत और झूठे अर्थों के कारण मुसलमानों में बड़े पैमाने पर घुटन और बेचैनी पैदा हुई है, खिलाफते इस्लामिया गिर चुकी, फिलिस्तीन पर कब्जा हो गया, कत्ल व गारतगरी और कैद व बन्द का जहनी दबाव बढ़ता चला गया, उग्रवादियों के दिमागों में हद दर्जे का बिगड़ा हुआ विचार और सोच पैदा हो गया है, इस गलत सोच ने उन के दिमागों मे बहुत सारे मुद्दे बिगाड़कर आधा बल्कि खतम कर दिये है।

उन के सुलगते हुए और खतरनाक मुद्दों में एक मुद्दा वतन भी है, उग्रवाद संगठनों की उस विचारधारा को जो उन के दिमागों मे रचा बसा हुआ है, अगर गौर से देखा जाये, तो मालूम होता है कि यह विचारधारा कुछ अजीब व गरीब खयालों और अवधारणाओं पर आधारित हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- वतन मुट्ठी भर मिट्टी का नाम है, जिस की कोई कीमत नहीं।
- वतन से प्रेम इन्सान का घटिया मनोविज्ञानिक अवधारणा है, जिस का विरोध और उस से छुटकारा हासिल करना जरूरी है, ऐसे ही देश प्रेम से दिल का साफ होना जरूरी है।
- देश प्रेम से जान छुड़ाना इस लिए भी जरूरी है कि देश प्रेम खिलाफत और उम्मत की एकता के खिलाफ है।
- दुनिया में विभिन्न वतनों का पाया जाना भौगोलिक सरहदों के कारण है, जिसका अविष्कार अंग्रेजों ने किया है, इस लिए उन

अलग–अलग वतनों से न हम मुहब्बत करेंगें, न उन से कोई मामला करेंगें

- अलग–अलग वतन बनाना, अपने अपने पसंदीदा घर बनाने की तरह है, अल्लाह तआला ने उस की बुराई बयान फरमाई है।
- शरीअत में कोई आयत या हदीस ऐसी नही जिस से वतन की मुहब्बत का पता चलता हो।
- वह हदीस जिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मुकर्रमा से मुहब्बत का जिक्र है, यह मुहब्बत खास मक्का की वजह से थी, दूसरे वतनों की मुहब्बत उस पर आधारित नहीं की जा सकती।

यहां सब से पहले हम फौरी तौर पर हर उस ख्याल पर एक नोट लगायेगें, जिसे तोड़–मोड़ कर उग्रवादियों ने वतन की विचारधारा बनाई है, फिर उस के बाद हम बड़े ओलमा के उस बड़े गिरोह के कलाम की तरफ आयेगें जिन में मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फोकहा, औलिया और साहित्यकार लोग शामिल हैं, इन हजरात की इबारतों से यह जाहिर होता है कि शरीअत किस तरह वतन की मुहब्बत की प्रेरणा देती है, और ऐसा क्यों न हो!कि जब वतन के बीज को इन्सान के सीने में शरीअत ने ही गाड़ा है, देश प्रेम के पवित्र भावनाओं की इसी शरीअत ने प्रसंशा की है, बहुत सारी आयतें और हदीसें वतन की तरफ अपने आप को मन्सूब करने का तरफ इशारा भी करती हैं।

सैयद कुतुब फी जिलालित कुर्आन में कहता है कि: (वह झंडा जिस की मुसलमान रक्षा करता है, वह उस का अकीदा है, मुसलमान क ावतन जिस के लिए वह जिहाद करता है, वह वह देश है जिस में अल्लाह की शरीअत स्थापित की जाये, मुसलमान की जमीन जिस की वह रक्षा करे वह दारुल इस्लाम है, जो इस्लामी निजाम को अपना निजामे जिन्दगी बनाता है, उस के अलावा किसी भी वतन की कल्पना गैर इस्लामी है [1]) सैयद कुतुब ने यह भी कहा कि गैर इस्लाम वतन की अवधारणा जाहिलियत की अवधारणाओं की पैदावार है, ऐसे किसी वतन को इस्लाम नही मानता, उन के ऊंचे– ऊंचे

[1] फी जिलालिल कुर्आन 2/708–709

पहाड़ों और उन पहाड़ो के निचले–निचले के दरमियान बड़ी–बड़ी चट्टानें हैं, यहां दिखावा है, राजनीति और चालाकी, कौशल और होशियारी, हुकूमत की नीति, राजनीतिक पार्टी की पॉलीसी, बहुत सारे नाम और बहुत सारे शीर्षक हैं, उन सब की बुनियादों में अगर हम गौर से देखें तो कीड़ों मकोड़ों के सिवा कुछ नहीं है।[1]

वह यह भी कहता है कि : जाहिलियत के तसव्वुरात रखने वाले आपस में संबंध का आधार कभी खून और नसब को बताते है, कभी जमीन और वतन को, कभी लिंग को, कभी व्यवसाय और श्रेणी को, कभी आपस की पॉलीसियों और ऐतिहासिक बराबरी को, यह सब जाहितियत वाले अवधारणाऐं है, जाहे उन की बुनियादों में एकता हो या तफरका, यह सारी अवधारणाऐं बुनियादी हकीकी इस्लामी अवधारणा के सरासर खिलाफ हैं।[2]

✲✲✲

पहली बात

वतन मुट्ठी फर मिट्टी का नाम है, जिस की कोई कीमत नहीं

सैयद कुतुब ने फी– जिलालिल कुर्आन में कहा किः(जो लोग इस्लामी जिहाद के सवाब को इस्लामी देश की रक्षा के लिए लड़ने में तलाश करते हैं, उन के नजदीक इस्लामी व्यवस्था से ज्यादा वतन की अहमियत है! यह कोई इस्लामी नजरिया नही, इस्लाम के अनुसार से ही यह एक नया और अजीब नजरिया है, अकीदा और व्यवस्था जो अकीदे की सूरत में है, और समाज जिस में यह व्यवस्था राज करता है, इस्लामी लिहाज से इन सब के आधार एक ही हैं, और जहां तक जमीन का संबंध है तो खुद जमीन का न कोई ऐतबार है, न उस की कोई कदर व कीमत है! [3])

हमारा नोट

उक्त इबारत में वतन की मनघड़त चित्रकारी की गयी है, हालांकि वतन मुट्ठी फर मिट्टी का नाम नहीं, बल्कि वतन कौम, संस्कृति, संस्थाओं, इतिहास, कामयाबियों, नजरियात और राष्ट्रीय और राजकीय भूगोलिक स्थिति का नाम है, वतन फिक्री और राजनीतिक प्रभाव है, जिस का दायरा अरब

---

[1] फी जिलालिल कुर्आन 2 / 753

[2] फी जिलालिल कुर्आन 4 / 1886

[3] फी जिलालिल कुर्आन 3 / 1441

और इस्लामी दुनिया फर में है, योग्य लोग जिन्होंने शरीअत के ज्ञान के मैदान में इतिहास बनाया, जिन्होंने इस देश मिश्र की रक्षा में अपना योगदान दिया, जिस का इतिहास जवांमर्दी से भरपूर है, आर्थिक इतिहास, सैन्य इतिहास, सफारत का इतिहास आदि साहित्य और कला के मैदान में जिन वतन के महान सपूतों नें अपने गुण दिखाए, सैयद कुतुब इन तमाम विशेषताओं से जाहिल बने रहे जो वतन के अर्थ का हिस्सा हैं, और वतन को सिर्फ मुट्ठी फर मिट्टी बना कर देशद्रोह में पड़ते रहे, बड़ी बेबाकी से वतन के अर्थ को बिगाड़ने की कोशिश की, और देश के लिए किये जाने वाले कारनामों को नीचा दिखाने में भी कोई कमी नहीं रखी।

दूसरी बात

वतन से प्रेम इन्सान का एक घटिया मनावैज्ञानिक अवधारणा है, जिस का विरोध और उस से छुटकारा हासिल करना जरूरी है, जिस तरह इन्सान का गुनाहों के मैल से पाक होना जरूरी है, ऐसे ही देश प्रेम से दिल का साफ होना भी जरूरी है।

हमारा नोट

यह बड़ी गलत सोच है कि गुनाह और नाफरमानी वाली बुरी भावना जिन से दूर रहने और बचने का अल्लाह तआला ने हमें हुक्म दिया है, सैयद कुतुब ने उन्हें पाकीजा और पैदाइशी भावना से जोड़ दिया, इन्सान के अन्दर इन पैदाइशी तकाजों की पोख्तगी पर खुद शरीअत इस्लामिया ने भी भरोसा किया, पैदाइशी और तबअी तकाजे दिल में रच बस होते हैं, उन्हें दिल से अलग नहीं किया जा सकता, न इस बात पर किसी का इख्तियार है, इस लिए शरीअत ने भी तबअी तकाजों के लिए कोई कानून और शरीई नियम निर्धारित नही किया है, न शरीअत को उस की जरूरत है, इस लिए कि ठीक ठाक तबीयत के तकाजे इस बात के लिए काफी हैं कि इन्सान को सीधे रास्ते पर चलाते रहें, इन्ही तबअ़ी तकाजों में से यह भी है कि इन्सान अपने आप को वतन की तरफ मन्सूब करे, वतन के साथ वफादार रहे।

इसी अर्थ की तरफ हुज्जतुल इस्लाम अबू हामिद ग़ज्जाली अहयावो उलूमिद्दीन पुस्तक के लेखक ने भी इशारा किया, उन्होंने अपनी किताब अलवसीत में शाफिइयों के बारे में फरमाया कि:(लेकित तबीअत के जज्बात की यह हकीकत है कि उन्हें स्वीकार किये बेगैर कोई चारा नहीं इस लिए

कि दुनिया की स्थापना इन ही साधनों से जुड़ा है, और दीन की स्थापना दुनियावी उमूर और दुनियावी निजाम से जुड़ा रखा गया है [1])

यह अकल ही है जो इन्सान की सोच रोशन करती है, जिस ने शरीअत से रोशनी प्राप्त की है, अल्लाह के उतारे हुए कलाम को अकल में समाया, तब अकल ने भी सही रास्ता पाया, शरीअत विभिन्न तबअी तकाजों (प्राकृतिक मांगों) को स्वीकार करती है, और शरीअत तबअी तकाजों के लिए कानून नही बनाती, शरीअत संतुष्टि है कि ठीक–ठाक तबीअत इन्सान को सीधा रास्ता दिखाने की जिम्मेदार है।

देश प्रेम भी उन बातों में से है तबअी तकाजा और ठीक–ठाक तबीअत जन्म देती है, इसी तरह वतन की तरफ अपने आप को मन्सूब करना, और वतन से वफदारी भी तबअी तकाजों के परिणामों में दाखिल है, दीनौरी अपनी किताब अलमुजालसा मे असमअी से रवायत करते हैं,कि मैंने एक दिहाती को यह कहते हुए सुना कि अगर किसी की सही पहचान करना चाहते हो तो यह देखो कि उस में अपने वतन से मुहब्बत कितनी है। [2]

यह अजीब बात है कि सैयद कुतुब इस पैदाइशी चेतना को कहीं–कहीं स्वीकार भी करते है, कहते है किः जिसे हिजरत की दावत की जाये, उस के दिल में आने वाला सब से पहला ख्याल वतन से जुदाई का ख्याल और ग़म है,(इस गम को दूर करने के लिए अल्लाह तआला ने दो शब्दों से मुहाजिरीन को तसल्ली दी) उन दो शब्दों से हिजरत की दावत सुनने वाले को सुकून और इत्मिनान मिलता है, एक तो बड़ी मुहब्बत से अल्लाह से करीब होने का एहसास दिलाते हुए फरमाया يا عبادى ऐ मेरे बन्दो! और दूसरी तसल्ली जमीन की कुशादगी का जिक्र करके इर्शाद फरमायाः ان ارضى واسعة यकीनन मेरी ज़मीन बड़ी कुशादा है।[3]

सैयद कुतुब ने किसी आलिम के हवाले से नकल किया किः मधुमक्खी जब देखती है कि तेज हवा तिनकों और टहनियों को उड़ा रही है, मधुमक्खी के छत्तों को हिला रही है(मधुमक्खी को भी अपने छत्ते से लगाव

---

1 अलवसीत फिल मजहब, किताबुल सियर 7/7

2 अलमुजालसा व जवाहिरुल इल्म 3/77

3 फी जिलालिल कुर्आन 5/2749

होता है) यूंही वतन वापस लौटने का एहसास इन्सान के मन में अगरचे कमजोर होता है, लेकिन वतन के सुन्दरता को देख कर यह पूरा एहसास हो जाता है, इसलिए इन्सान शिद्दत के साथ पूरे तौर पर वतन लौटने के लिए तड़प उठता है, मगर हमारी अकलें इस चीज़ से रोक लेती हैं।[1]

हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है किः वह मिश्र से वापस क्यों लौटे? हालांकि वह खुद वहां से गये थे, उन्होंने एक किब्ती को कत्ल कर दिया था, जब उसे एक इसराईली से लड़ते हुए देखा था, भागते हुए मिश्र को छोड़ा था, इसी मिश्र में लौटे जहां इसराईलियों को तरह–तरह से सताया जा रहा था, उस मदयन को छोड़ आये जिस मदयन में हर तरह से अमन और इत्मिनान था, जहां इन के ससुर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम भी थे, जिन्होंने इन्हें सहारा दिया था, और दो मे से एक बेटी को उन के निकाह में दिया था।

यह वतन और घर वालों की तरफ खिंचाव था, विभिन्न हालात से हजरज मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, इन हालात के परदे में दस्ते कुदरत कार फरमा था, यूंहि हम अपनी जिन्दगी में भाग दौड़ में व्यस्त रहते हैं, हमें बजाहिर हमारे विवेक की आवाजें लालच और अच्छे उद्देश्य, तकलीफें और उम्मीदें, यातायात करवा रही होती हैं, लेकिन यह सिर्फ जाहिरी असबाब हैं, जिन्हें हमारी आंखें देख रही होती है, लेकिन परदा के पीछे मुदब्बिर, मुहैमिन, कह्हार का दस्ते कुदरत काम कर रहा होता है, जिसे न नजरें देख सकती हैं, न आंखें उस को पा सकती हैं।[2]

सैयद कुतुब यह भी कहता है किः हिजरत इन्सान से हर उस चीज़ को जुदा कर देती है जिस के लिए दिल बेताब हुआ करता है, हर उस चीज़ से अलग कर देती है जिस के लिए इन्सान तड़पता है, या जिस का इन्सान को लालच हुआ करता है, घर बार,शहर, वतन, तमाम यादगारें माल और जिन्दगी के तमाम साज व सामान छुड़ा देती है। [3]

यह भी कहता है किः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप पर होने वाले अल्लाह के इनाम को याद करते होंगें, कि अल्लाह तआला ने उन्हें

---

[1] फी जिलालिल कुर्आन 6/3884
[2] फी जिलालिल कुर्आन 4/2330
[3] फी जिलालिल कुर्आन 4/2438

इस्तिगफार की तौफीक दी, उन का सीना खोल दिया, और उस हालत में भी बेगैर इम्तिहाने के उन्हें नहीं छोड़ा ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस प्रशिक्षण से गुजारे जो अल्लाह के इरादे में है, कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आजमाइश खौफ, और कभी किबती के कतल के कारण फिरऔन की तरफ से अपनी जान का डर था, अल्लाह कभी उन्हें सफर की परेशानियों से आज़माता है, कभी घर और वतन की जुदाई का इम्तिहान, और अल्लाह ने कभी उन्हें खिदमत के काम में लगा दिया, जहां वह बकरियां चराते रहे, यह वही मूसा अलैहिस्सलाम है जो बादशाह के महल में पले बढ़े थे जहां जिन्दगी के तमाम साज व सामान और तमाम आसानियां मौजूद थीं।[1]

यह भी कहता है किः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल ने उन्हें लूभाया, और अवधि खतम होने के बाद मिश्र लौटाया, हालांकि वह मिश्र उसी मिश्र से डरते हुए निकले थे कि उन का पीछा किया जा रहा था, जब पलट कर मिश्र जा रहे थे तो गुजरे हुए जमाने का भय भुला चके थे, कि वह वहां जा रहे हैं जहां किसी को कत्ल कर चुके थे, वह यह भी भूल गये कि वहां फिरऔन है जो अपने इल के साथ मिल कर उन के कत्ल की षड़यत्र कर रहा है।

इस बार जो चीज़ उन के पांव उठा रही थी वह उन के दिल का प्राकृतिक झुकाव था, जो इन्सान के दिल में अपने घर, कबीला और वतन और अपने पर्यावरण के लिए हुआ करता है, वतन से उस दिली लगाव नें उन्हें इस खतरे को भुला दिया जिस के कारण भयभीत अकेले मिश्र से निकले थे, ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुहिम को जीतें जिस के लिए उन्हें पैदा किया गया है, उस कारनामे को करें जिस के लिए उन का प्रशिक्षण हुआ था। [2]

तीसरी बात

देश प्रेम से इसलिए भी जान छुड़ाना इस लिए भी जरूरी है कि देश प्रेम खिलाफत और उम्मत की एकता के विरूद्ध है।

हमारा नोट

[1] फी जिलालिल कुर्आन 4/2335

[2] फी जिलालिल कुर्आन 5/2691

अपने आप को वतन से संबंधित करना इन्सानी फितरत है, यह दिल की एक भावना का नाम है, यह उस फितरते खुदावन्दी का असर है जिस पर उस ने तमाम इन्सानों को पैदा फरमाया है, शरीअत ने इस भावना की तारीफ भी की है उसे बाकी रखा है, उस पर भरोसा भी किया है, शरीअत ने उसे जड़ से नहीं उखाड़ा, न उस से अन्जान रही, बल्कि इस प्राकृतिक भावना को निखारा है, और साथ–साथ उसके संबंधित हदबंदी के लिए बुलंद निशानियां भी निर्धारित की हैं, ताकि यह भावना कहीं इन्सान को फिसला कर खत्म न कर दे, क्योंकि यह भी संभव है कि इसी भावना में कोई गलती और अन्याय कर बैठे।

इस देश प्रेम का एक दायरा जरूर है, उस दायरे के अन्दर रहते हुए तमाम भावनाऐ स्वीकरनीय है,शरीअत के दायरे में देशप्रेम की प्रसंशा की गयी है, इस दायरे के महदूद भावनाओं को बाकी रखा जायेगा, जिन के हमराह इन्सान पैदा हुआ, अपनी जिन्दगी गुजार रहा है, जिस वतन की मुहब्बत दीन की मुहब्बत का एक हिस्सा है, हां अगर यह देशप्रेम बढ़ कर इस्लाम और उम्मत की मुहब्बत पर गालिब आ जाये तो अब यह मुहब्बत पक्षपात में बदल जायेगा, अगर कोई मुसलमान लोगों से सिर्फ देशप्रेम के कारण दुश्मनी कर ले तो ऐसे देशप्रेम से दीने इस्लाम का कोई संबंध नहीं, शरीअत के दायरे में रहते हुए ही देशप्रेम को अच्छा कहा गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मुहब्बत रखते थे, उस के प्रेम का इजहार करते थे हालांकि आप मदीना मुनव्वरा में रहते थे।

उम्मते मुहम्मदिया और दीने इस्लाम की मुहब्बत का दायरा बहुत व्यापक है, जबकि वतन की मुहब्बत का दायरा खास और महदूद है, वतन की मुहब्बत का दायरा दीन की मुहब्बत के दायरे का एक हिस्सा है, देशप्रेम को दीन के दायरा क विरूद्ध उस समय कहते जब दीन के दायरे से बाहर होता, इसलिए यहां खास इल्मी व फिकरी और तहकीकी ध्यान की जरूरत है, देशप्रेम हिस्सा है पूरा नही, जैसे एक इमारत कई खंबों से मिलकर बनती है कि हर खंबा अपनी–अपनी जगह इमारत को सहारा देये होता है, इसी लिए शरीअत ने भी मना किया है कि इस हिस्से को आधार समझ कर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से पक्षपात के कारण दुश्मनी करे, तो उस से दीन की इमारत को नुकसान पहुंचेगा, इन्सान अपने जिन्दगी में जितनी भी निस्बतें रखता हो उन के बीच बैलेंस रखना जरूरी है, यह अनेक निस्बतें रंग,नस्ल,

वतन और भाषा आदि दीने इस्लाम के विरोधी नहीं हैं इसी लिए दीन में रहकर राय और मत, रंग और नस्ल की विभिन्नता बिल्कुल संभव है, जबकि इन निस्बतों को आधार बना कर पक्षपात का सहारा लेकर, आपस में दुश्मनी अपनाने वाला दीन का विरोधी ठहरेगा, ऐसी विचारधारा के लिए दीन में कोई गुन्जाइश नही।

विभिन्न निस्बतों की मिसाल विभिन्न दायरों की तरह है, कोई दायरा ज्यादा व्यापक होता और कोई उस से भी बड़ा होता है, बड़ा दायरा छाटे को खतम नही करता, इसी तरह छोटे दायरे के अस्तित्व को मान लेने से बड़े दायरे का अस्तित्व खत्म नहीं होता, बड़े दायरे के छोटे दायरे वालों से संबंध नहीं टूटते।

अगर कोई अरबी मसलन मिश्र वाले अपने आप को मिश्री कहें, यमन वाले अपने आप को यमनी और शाम वाले शामी कहें, तो वह उस निसबत के सबब अरब होने से बाहर तो नहीं हो जायेंगें! इसी तरह अरब दुनिया का दायरे से ज्यादा व्यापक और बड़ा दायरा इस्लामी दुनिया का दायरा है, इसलिए कोई अपने आप को मिश्री, यमनी या शामी कहे तो वह भी मुसलमान होने से बाहर हरगिज़ नहीं निकलेगा, क्योंकि जितने भी छाटे दायरे हैं, सब एक बड़े दायरे के अन्दर दाखिल हैं, जैसा कि पीछे उल्लेख हुआ।

देशप्रेम के संबंध से सीमा से आगे बढ़ना और बिल्कुल न बढ़ना दोनों बुरी बात है, या इन्सान अपने वतन की मुहब्बत का सिरे से इन्कार कर देतो ऐसा आदमी नफरतों का केन्द्र बन जायेगा बिना वजह अपने वतन, कौम और घर वालों से अलग–थलग हो जायेगा, इसलिए देशप्रेम को पूर्ण रूप से नकारना भी अच्छा नहीं, या फिर दूसरी सूरत में देश प्रेम में इन्सान इस हद तक बढ़ जाये कि पक्षपात का शिकार हो जाये इस का यह काम उस संबंध को खराब कर देगा, जो हमारे अपने दायरे से बाहर दुनिया के दूसरे लोगों का दायरा है, हम जिस देशप्रेम सराहना कर रहे हैं वह संतुलन और संयम पर आधारित है, जिस में रहते हुए अपने वतन के लोगों से न नफरत और न दायरे से बाहर इन्सानो से संबंध टूटता हो, न अपने घर वालों से नफरत, न बाहर वालों से संबंध तोड़ना, ऐसा आदमी हर एक का हक़ अदा करता है, हम भी इसी बीच के रास्ते पर चलते हुए देशप्रेम की बात कर रहे हैं, जिस में पक्षपात न हो, जो इन्सान को अपने दायरे के लोगों के उग्रवादी न बना

दे, अपने दायरे के अलावा तमाम लोगों को दुश्मन समझने लगे, सब से हर तरह का रिश्ता नाता तोड़ बैठे।

मैंने इस अर्थ की लम्बा उल्लेख इसलिए कर दी, कि उस की गलती को सही कर दिया जाये जो मौजूदा जमाने में कुछ लोगों के यहां बहुत फैल रही है, जो यह समझ बैठे हैं कि दीन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक वतन की मुहब्बत से छुटकारा हासिल न कर लिया जाये, और अइम्मए कराम के पिछले कलाम से वाजेह हो जुका कि वतन की मुहब्बत एक निस्बत का नाम है,जिस का तकाजा फितरत भी करती, और शरीअत भी उस की रिआयत करती है, इस निस्बत और दूसरी निस्बतों के बीच जो इन्सान अपनी तरफ करता है, उन के बीच इन्साफ का तराजू कायम करना जरूरी है, वह इस तरह कि कोई निस्बत एक दूसरे पर जयादती न करे, और इन्सानियत को नुमायां करे।

चौथी बात

दुनिया में विभिन्न वतनों का पाया जाना भौगोलिक सरहदों के कारण है, जिसका अविष्कार अंग्रेजों ने किया है, इस लिए उन अलग–अलग वतनों से न हम मुहब्बत करेंगें, न उन से कोई मामला करेंगें

हमारा नोट

दुनिया में जितने भी वतन है वह कोई भौगोलिक इलाके नहीं जिसे अंग्रेजों ने बनाया हो, बल्कि वतन तो उन इलाकों का पुराना नाम है जो साम्राजी ताकतों से हजारों साल पहले अपना वजूद रखते थे, उन सीमाओं की मौजूदा हालत, उन की रक्षा और उन की सुरक्षा की मांग करती है, हंगामा करने और उछल कूद द्वारा इन सीमाओं को खत्म नही किया जा सकता, बल्कि अच्छे संबंधो द्वारा इस सीमाओं के फायदे हासिल कर सकते हैं, जैसे यूरापी यूनियन वाले करते है, उदाहरण के तौर पर उन्होंनें इंगलैंड, स्पेन आदि और अमरीकी देशों ने अपने अपने देशों का नाम खत्म नही किया, लेकिन उन की सीमाओं को यातायात, लेन देन आदि कार्यों के लिए रुकावट भी नही बनने दिया और यह उसी वक्त संभव है कि हर देश का आदर करे, उस की सुरक्षा की कोशिश करे, दूसरे देश को क्षति न पहुंचाए, उस की किसी तरह हकतलफी न करे, वतन की हैसियत सिर्फ सीमाओं से नहीं, बल्कि वतन की हैसियत उस की एतिहासिक और इल्मी, प्रदेशीय और अन्तराष्ट्रीय स्थिति से है, मिश्र ही को देख लें, उस का कमाल और शाहकार

उस के ऐतिहासिक दौर, स्थिति और इन्सानी संस्कृति और सभ्यता की देन है।

सैयद कुतुब ने वतन को साम्राजी ताकतों का ढांचा कह कर वतन के अर्थ को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की, जिस से दिमाग में वतन के बारे में अजीब रूप रेखा बन जाता है, उस के बाद वतन और उस के ऐतिहासिक कारनामे सब बेकार होकर रह जाते है, वतन की अवधारणा के बारे में इन्सानी भावनाओं से खेल किया जाता है, फिर उस के बाद वतन के अर्थ के साथ साम्राजी सोच को जोड़ दिया जाता है, फिर वतन के हवाले से दिमाग में जैसे ही कोई ख्याल आता है, दिमाग तुरन्त साम्राजी षड़यत्रों की तरफ चला जाता है, फिर दिमाग में आता है कि साम्राज से नफरत की मांग यह है कि हम अपने ही वतन से नफरत करने लगें, इस लिए कि वतन की अवधारणा साम्राज का बनाया हुआ है!!!

पांचवी बात

अलग अलग वतन बनाना,अपने–अपने पसंदीदा घर बनाने की तरह है, जबकि अल्लाह तआला ने इस की निंदा की है।

हमारा नोट

जिस आयत की तरफ इस इबारत में इशारा किया गया है, वह सूरह तौबा की यह आयत है:(ऐ हबीब! आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी औरतें, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी कमाई के माल, वह सौदा जिस के नुकसान का तुम्हें डर है और तुम्हारे पसंद का घर, यह चीजें अल्लाह और उस के रसूल और उस की राह में लड़ने से ज्यादा प्यारी हों, तो रास्ता देखते रहो! यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए और अल्लाह फारिको का राह नही देता! [1])

उग्रवाद संगठनों ने वतन के बारे में अजीब अवधारणा स्थापित कर लिया है कि हमारे वतने वह मकान हैं जिन से अल्लाह राजी नहीं, यह मकान अगर हमारे नजदीक अल्लाह और रसूल और उस की राह में जिहाद से ज्यादा प्यारे हो जायें, तो यह खुला गनाह है।

इस आयते मुबारका से यह अर्थ निकालना बहुत बड़ी गलती है, कुर्आन करीम के बारे में गलत सोच रखने के बराबर है, कुर्आने करीम के

[1] प010 तौबा 24

उद्देश्य के विपरीत बल्कि सरासर विरुद्ध है, उग्रवाद संगठनो के गुमराह होले का असल कारण उन ज्ञान और साधनों का न होना है, जिन के द्वारा कुर्आने करीम के सही अर्थ तक हम पहुंच सकते है, कुर्आने करीम का सही अर्थ समझने के लिए साधन वह ज्ञान है जिन्हें सिखाने के जामिया अजहर विद्यार्थी की उम्र के कई साल खर्च कराती है, वह उलूम इल्मे बलागत, इल्मे नहव, इल्मे उसूले फिकह और उसूले तफसीर हैं, इस लिए कि कुर्आने करीम अरबी भाषा में है और यह अपने अर्थ वाजेह करने वाली किताब है, लेकिन कुर्आने करीम को समझना उन साधनों के बेगैर संभव नहीं, और जो इन साधनो के बेगैर कुर्आन समझने का दावा करे वह कुर्आन से कुछ नही समझेगा, बल्कि कुर्आन पर अपनी समझ में आने वाली सोच थोपने की कोशिश करेगा, अपनी विशेष विचारधारा कुर्आने करीम पर चिसपां करेगा, इसलिए बन्दा वह बातें कुर्आन की तरफ मंसूब करेगा जो कुर्आन ने नहीं कहीं, और उस का यह तरीका खतरनाक रूप ले लेगा।

अब हम इस अर्थ के उदाहरण की तरफ आते हैं:

यह आयते मुबारका उस आदमी के बारे में है जो अपने निजी मामलों और ख्वाहिशों को बड़े और सामूहिक मामलों और फायदों से बड़ा माने, तो जो अपने बाप या बेटे या माल या अपने घर से ऐसी मुहब्बत और लगाव रखे, कि यह सब चीजें उस के लिए बड़े सामूहिक मामलों में रुकावट का कारण बन जायें, उस के रिश्तेदार या माल और दौलत उस बीच में बाधा डालने लगें, और बन्दा बड़े सामूहिक मामलो की तरफ बढ़ने में चुस्ती न दिखाए, बल्कि अपने निजी फायदों को आगे रखे, तो यह काम शरीअत के खिलाफ है, इस आयते कुर्आनिया में बुराई उस आदमी की है जिस ने अपना संबंध अपने घर बार से इस तरह जोड़ लिया है, कि उस के नजदीक उस का घर, या महल, या बाग, या कंपनियां और माल अल्लाह और रसूल से ज्यादा प्यारे हैं, इस तरह कि जब हम उस से कहें कि तुम्हारा वतन खतरे में है, और जब देश और वतन को खतरा हो तो अल्लाह तआला ने तुम पर उस की रक्षा करने के लिए जिहाद अनिवार्य करार दिया है, अपने घर बार को छोड़ो और अपने वतन के लिए निकलो, ऐसा आदमी पीछे हट जायेगा, वतन की सहायता नहीं करेगा, क्योंकि उस का निजी मकान वतन की रक्षा के मामले से बढ़कर है, इस महान कर्तव्य से बढ़कर है जिसे अल्लाह ने جهاد فی سبیل اللهका नाम दिया है।

इस आयते मुबारका का संक्षिप्त यह है कि शरीअत हमें विभिन्न चीजों में एक क्रम का पाबंद बनाती है, वह इस तरह कि निजी मामलों को सामान्य सामूहिक मामले से आगे न किया जाये, आयते मुबारका हमें यह पाठ दे रही है कि अपने आप को निजी फायदों में डूबने से सुरक्षित रखो, अपने काम काज में ऐसे डूब न जावो कि उन बड़े जरूरी कामों को भुला बैठो, जो पूरी उम्मत को चैलेंज कर रह हैं।

कहां इस आयते मुबारका का सही अर्थ और कहां इस आयत से खिलवाड़ करने वाली विचारधारा!! छरअसल उग्रवादी लोग कुर्आन करीम के अर्थों को बदलना चाहते है, ताकि सुनने वाले का यह दिमाग बन जाये कि अल्लाह तआला ने मकानों और घरों की मुहब्बत एक पलड़े में रखी है और अल्लाह की मुहब्बत और उस की राह में जिहाद का दूसरे पलड़े में रखा है, हालांकि आयते मुबारका का सही अर्थ यह है कि अल्लाह तआला की मुहब्बत और वतन की मुहब्बत एक पलड़े में है, और निजी फायदों का लालच दूसरे पलड़े में है, इसी संदर्भ में जो बाकी आपत्तियों का जवाब रह गया है वह आने वाले पेजों में आ रहा है।

⇒द्वितीयः इस्लामी विचारधारा में वतन की सही सूरत और अजहर यूनिवर्सिटी

● कुर्आने करीम और मुफस्सिरीन में देशप्रेम–

इमाम फखरुद्दीन राजी ने कुआने करीम से दलील लेते हुए देश प्रेम का बड़ा प्यारा नक्शा खींचा है, क्योंकि यह एक ऐसी भावना है जिस का संबंध दिल की गहराइयों से है, जिस की तरफ उन्होंनें अल्लाह तआला के फरमानः (अगर हम उन पर फज्र करते कि अपने आप को कत्ल कर दो, या अपने घर बार छोड़ कर निकल जावो [1]) की तफसीर करते हुऐ इशारा फरमाया : अल्लाह तआला ने इस आयते मुबारका में किसी को उस के वतन से दूर करने को किसी को कत्ल करने बराबर ठहराया है [2]

गोया अल्लाह तआला फरमाता है कि दुनिया की सब से बड़ी दो परेशानियां उन पर लागू कर देता, तो उसे बर्दाश्त न कर पाते, और सब से बड़ी दो परेशानियों में से पहली परेशानी किसी को कत्ल करना, उस के समक्ष दूसरी परेशानी वतन की जुदाई है, तो किसी को कत्ल की परेशानी एक पलड़े में और पूरा का पूरा वतन की जुदाई दूसरे पलड़े में।

वतन से जुदाई का मामला विद्धानों के नजदीक बड़ा सख्त मरहला है, इसलिए इसे कत्ल जैसी चीज के साथ जिक्र फरमाया, इस से मालूम होता है कि वतन से प्रेम दिल की गहराई में छुपी हाती है।

अल्लामा अली कारी मिरकातुल मफातीह में फरमाते हैं कि जिस वतन से मुहब्बत हो उस से जुदाई बड़ी सख्त परिक्षा है, उस के बाद अल्लाह तआला के फरमानः([3]والفتنة اشد من القتل) की तफसीर में फरमाते है कि यहां फित्ना व फसाद से तात्पर्य किसी को उस के वतन से दूर कर देना है, क्योकि अल्लाह तआला ने फित्ने के जिक्र अपने फरमानः واخرجوهم من حيث

---

[1] प05 सूरह निसा 66

[2] अल तफसीरुल कबीर 15/515

[3] प02 अलबकरह 191

اخرجوكم[1] के बाद फरमाया,,[2] यानी किसी को वतन से निकाल देना बहुत बड़ा फित्ना है।

इसी से मालूम होता है कि जितनी आयतों से हिजरत की फजीलत मालूम होती है, उन की असल यह आयत है, इन्सान हिजरत करके सख्त सब्र और अपने आप की मुखातफत करता है, अपने पसंदीदा वतन को दीने इस्लाम की खातिर छोड़ता है, महान मुसीबत झेलता है, इसी लिए हिजरत मे बदला और बहुत सवाब है, वतन के मरतबा के कारण ही हिजरत का मरतबा बुलंद है।

अरबी कवि कहता है जिस का अर्थ यह हैः तीन स्थान पर सब्र बहुत मुश्किल होता है, उस समय हर मुहब्बत करने वाले का दिमाग खो जाता है, प्रिय वतन से दूरी की तकलीफ, दास्तों की जुदाई और महबूब की जुदाई।

- **देशप्रेम हदीसे नबवी की रोशनी में, और उस पर शारेहीन का कलाम**

इमाम बुखारी व इब्ने हिब्बान और तिरमिजी हजरत सैयदना अनस रजियल्लाह अनहू से रवायत करते हैंः (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफर से वापस आते तो जैसे ही मदीना मुनव्वरा की दीवारों पर नजर पड़ती, आप अपनी ऊंटनी को तेज कर देते, और अगर किसी और सवारी पर होते तब भी मदीना पाक से मुहब्बत के कारण उसे तेज चलाने के लिए हरकत देते)

इस हदीस में नबी पाक ने अपनी नबवी निर्देश से देशप्रेम जाहिर फरमाइ, जिन की शान यह है कि आप का हर काम गुनाह से सुरक्षित है, जिन का हर काम अल्लाह की उतारी हुई वही की रोशनी में है, इस देशप्रेम के लिए नबी का दिल सक्रिय है, जिन के हर काम के पीछे खुली हुई वही और सच्चा इल्हाम है, वह नबी मदीना मुनव्वरा की दीवारों को जब सफर से वापसी पर देखते थे, तो आप का दिल वतन की तरफ खिंच जाता, इसलिए आप अपनी सवारी को तेज कर देते।

---

[1] प0 अलबकरह 191

[2] मिरकातुल मफातीह 7/582

इसी लिए हाफिज इब्ने हजर फतहुल बारी शरह बुखारी में फरमाते है किः यह हदीस मदीना मुनव्वरा के फजायल, देशप्रेम के जायज होने और दिल में वतन का शौक रखने को बताती है [1], इसी तरह अल्लामा बदरुद्दीन अैनी ने उमदतुल कारी [2]में फरमाया

यह हदीस रसूल अल्लाह की सुन्नतों में से एक ऐसी सुन्नत की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाती है, जिस के द्वारा मुसलमान अपनी शख्सियत को अच्छी और कामिल बना सकता है, सुन्नते नबवी का एक व्यापक अर्थ है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिन्दगी के हर मोड़ के रहनुमा है, चाहे उस का संबंध इबादात,आदाब और अख्लाकियात से हो,या सनअत व हिरफत से, संस्कृति और सभ्यता से हो, अन्तराष्ट्रीय मामलों से या किसी आदमी के निजी मामलों से हो, हुजूर सैयदुल मुरसलीन का किरदार और अमल पूरे निजामे जिन्दगी के बेहतरीन नमूना और उदाहरण है।

इमाम जहबी सियरो आलामिन्नुबला में फरमाते हैं किः आप सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजियल्लाहो अनहा से मुहब्बत रखते थे, उस के वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहो अनहू हजरत ओसामा और अपने दोनो नवासों हसनैन से मुहब्बत करते थे, हलवा और शहद पसंद फरमाते थे, उहद पर्वत से मुहब्बत करते थे, अपने वतन से मुहब्बत फरमाते थे, अंसार से मुहब्बत करते, और उन बेशुमार चीजों से आप को मुहब्बत थी जिन से मुहब्बत किये बिना एक मोमिन नही रह सकता [3]

बल्कि ओलमाए कराम ने देशप्रेम को सफर की परेशानी का कारण करार दिया है, कुछ शारेहीन इसी तरफ गये हैं, जब उन्होंने इस हदीस की व्याख्या की जिसे इमाम अहमद और तिबरानी ने अकबा बिन आमिर जुहनी से रवायत किया, कि सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने फरमायाः(तीन तरह के लोगों की दुआ कबूल होती है, वालिद की अपनी औलाद के लिए, मुसाफिर की, और जालिम के विरुद्ध मजलूम की दुआ) कुछ शारेहीन ने मुसाफिर की दुआ कबूल होने का कारण बताया है कि मुसाफिर फाका, मजबूरी और वतन से जुदाई के गम और घर वालों से दूरी का सामना करता

---

[1] फतहुल बारी 3/621

[2] उमदतुल कारी 10/135

[3] सियरो आलामिन्नोबला 15/394

है, अल्लामा मुनावी फैजुल कदीर में इसी हदीस की व्याख्या करते हुए फरमाते हैं किः मुसाफिर की दुआ इसलिए कबूल होती है कि सफर में इन्सान का दिल वतन और घर वालों से दूरी के कारण टूटा होता है, और दिल का टूटा हुआ होना दुआ के कबूल होने के बड़े कारण में से है।[1]

कुछ विद्वान कहते हैं कि वतन का शौक दिल की नरमी से कारण होता है, और दिल की नरमी लोगो की रिआयत रहमत के कारण, और रहमत प्राकृति के कारण और प्राकृति का वरदान अन्तर्रात्मा की पवित्रता के कारण है।

अल्लाह तआला ने अपनी तमाम प्राणियों के दिलों में अपने–अपने वतन के लिए एक अच्छा झुकाव और पवित्र प्रेम पैदा किया है, अल्लाह तआला ने तमाम मौजूद चीज़ों की सही प्राकृति में अपने–अपने वतन के लिए करार, सुकून और संतुष्टि पैदा किया है, और हम गौर करें तो हर तरह के प्राणी में यह प्राकृतिक अमल नजर आता है, शेर अपने जंगल में वापस आता है, ऊंट का दिल अपनी जगह में लगा रहता है, चूंटी अपने बिल में रहती है, परिंदे अपने घोंसलों में वापस आकर सुकून पाते हैं, इन्सान की फितरत में ही वतन से मुहब्बत रख दी गयी है, इब्ने जौज़ी ने मुशीरुल ग़रामिस् साकिन में कहा किः वतन हमेशा महबूब हुआ करते हैं।[2]

अरब वालों ने विभिन्न जानदारों के अनुसार हर एक के वतन का अलग–अलग नाम रखा है, हाफिज़ इब्ने हजर फतहुल बारी मे कहते हैं कि अरब वतन का नाम रखने में फर्क करते हैं, इन्सान के रहने की जगह को वतन, ऊंट के रहने की जगह का अतन,शेर के रहने की जगह को अरीन व गाबा (जंगल), हिरन के घर का कन्नास, गोह के घर को वेजार, पक्षियों के घर को उश्श(घोंसला), भिड़ के घर को कोर(छत्ता), कहते हैं, चूहे के घर को नाफिक, और चूंटी के घर को क़सियह कहते हैं।[3]

मैं कहता हूं किः यह तमाम चीजें अपने–अपने वतन का शौक रखती हैं, रबीआ बसरी ने इस विषय पर एक किताब लिखी, जिस का नाम हैः हनीनुल

---

[1] फैजुल कदीर 3 / 317

[2] मुशीरुल गरामिस्साकिन इला अशरफिल अमाकिन पे, 75 प्रकाशन दारुल हदीस अलकाहिरा 1415हि0–1995ई0

[3] फतहुल बारी 6 / 358

इबल इलल औतान (ऊंट का अपने वतन से इश्क) तो इन्सान को अपने वतन से इश्क क्यों नही होगा?!!

चारों तरफ पाये जाने वाले बेजान जानवर जो अपना दुख दर्द बयान नही कर सकते, उन की तबीअत और हालत हमें बताती है कि उन्हें भी अपने वतन से बहुत प्यार है, जब जानवर का यह हाल है तो इन्सान इस बात का ज्यादा हकदार है , इन्सान की खुबियां तो सब से अलग हैं, हर अच्छी खूबी की जगह इन्सान हुआ करता है, वफादारी, लिहाज, मुरव्वत में वह सब से ऊंचा स्थान रखता है, अहमद शौक़ी कहते हैं किः हर आजाद आदमी खून के मामले मे अपने वतन का कर्जदार होता है, यह एक ऐसा फर्ज है जिस का हकदार वतन है।

इसी तरह यह कहना चाहुंगा कि इन्सान अपने इन्सानियत की खूबियो के कारण वतन वफा के मामले में तमाम चीजो से ज्यादा हक रखता है, यूंही अपने इन्सानियत की खूबियों के कारण ज्यादा मुहब्बत का हक भी रखता है, कि तमाम जानवरों और चीजों से ज्यादा अपने वतन की सुरक्षा करे, और दिल व जान से उस से प्यार रखे।

फोकहाए कराम के नजदीक देशप्रेम

फोकहाए कराम ने हज की हिकमत और उस के सवाब की अजमत का कारण यह बयान फरमाया किः इन्सान वतन की जुदाई और पसंदीदा चीज की विराध करके अपने आप का अल्लाह की इबादत का आदी बनाता है, इमाम कराफी जखीरा में फरमाते हैं किः हज की मसलिहतों में से यह भी है कि इन्सान वतन की जुदाई बर्दाश्त करके अपने आप को अदब सिखाता है। [1]

देशप्रेम औलिया और नेक लोगों के नजदीक

वतन से मुहब्बत हमेशा औलिया का तरीका रहा है, अबू नईम ने हुलियतुल औलिया में अपनी सनद से हजरत इब्राहीम बिन अदहम का कौल नकल किया है किः मैंने जितनी भी चीजे छोड़ीं, उन में सब से ज्यादा वतन से जुदाई है। [2]

वतन की मुहब्बत विद्धानों के नजदीक

---

[1] अल जखीरा 3/194

[2] हुलियतुल औलिया 7/380

असमई ने कहा किः हिन्दा का कौल है कि तीन तरह के जानवारों में तीन खूबियां पायी जाती हैं, ऊंट को अपने पुराने घर का शौक होता है, चाहे वह उस जगह से दूर चला जाये, या बीच में लम्बा समय गुजर जाये, पक्षियों को अपने घोसले से इश्क होता है, चाहे वह ऐसी जगह हो जहां पानी न मिले, इन्सान को भी अपने वतन की याद आती है, अगरचे जहां वह रह रहा है वह ज्यादा फायदा बख्श जगह हो।[1]

दिनौरी ने अलमुजालसा मे असमअी के हवाले से रवायत किया, वह कहते हैं किः मै ने एक आराबी को कहते हुए सुना कि : अगर तुम चाहो कि किसी की अच्छाई या बुराई मालूम कर लो, तो उस में यह बात देखो कि उसे अपने वतन का कितना शौक है, उस में अपने भाईयों से मिलने की कितनी चाहत है, और गुजरे हुए जमाने पर उस के रोने का देखो कि कितना रोता है।

कवियों और साहित्यकारों के नजदीक वतन की मुहब्बत

कवि हमेशा से रोते और रुलाते चले आये हैं, इस से दिलों में जोश और उत्तेजना पैदा होती है, उस के बाद भव्य शब्द जुबान पर आना शुरु कर देते है, ताकि वतन की याद और शौक की शिद्दत को बयान किया जा सके, अगर कोई इस विषय की कविताओं को तलाश करना शुरु करे, तो एक बड़ा पद्यांश तैयार हो सकता है, इस तरह एक न खतम होने वाली यात्रा का आरंभ हो जायेगा, इस बारे में बहुत अच्छी–अच्छी पंक्तियां और कविताऐं दिखाई देंगीं, जिन में इस भावना को बयान किया गया हो, जो इन्सान वतन से जुदाई के समय पेश आने वाली सख्ती का अनुभव करता है।

बल्कि कभी–कभी इन्सान मुहब्बत के साथ ऐसे इलाकों के लिए गुनगुनाता है, जहां की न हवा अच्छ, न पानी मीठा, न उहां रहने का प्रबंध अच्छा होता है, लेकिन उस के बावजूद वह वतन होता है, वतन की मुहब्बत गालिब हो जाती है, किसी कवि ने कहा किः

हमें अपने शहरों से मुहब्बत है, हालांकि वह जाहिरी सुन्दरता और खूबसूरती के ऐतबार से ऐसे नहीं कि उस से प्यार किया जाये, मगर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिन से मुहब्बत हो जाती है, अगरचे वहां कोई खूबसूरती

[1] अलमकासिदुल हसनह 294

न हो, कभी उस जमीन से मुहब्बत हो जाती है जहां का पर्यावरण भी अच्छा न हो, लेकिन उस की खूबी यह है कि वह वतन है।

दिल की गहराइयों में छुपे इस प्राकृतिक भावना के कारण ही अल्लाह तआला ने हिजरत और हिजरत करने वालों शान बढ़ाई है, क्योंकि इस कार्य में इन्सान अपने आप के लिए वतन से जुदाई की तकलीफ बर्दाश्त करता है, जहां उस के बचपन व जवानी के दिन गुजरे हैं, इस लिए हिजरत पर सवाब रखा गया है, जिस का जिक्र कुर्आने अजीम में कई जगहों पर है।

इब्ने बस्साम ने जखीरा में कहा किः वतन से हर हाल में मुहब्बत होती है, जहां इन्सान पैदा हो उस जगह से मुहब्बत होती है, अच्छा इन्सान इन जगहों से बवफाई नही कर सकता जहां उस की यादें हों, और उस शहर को भुला नहीं सकता जहां बचपन के दिन गुजारे हों, पहले ने कहा किः अल्लाह तआला के आबाद किये हुए शहरों में मुझे सब से ज्यादा प्यारा वह है जो नरम और अच्छी जमीन के बीच है, जहां बारिश बरसती है, यह वह इलाके हैं जहां जवानी ने आकर हमारे बंधे तावीज खोले थे, जहां हम बड़े हुए थे, सब से पहली वह मिट्टी जिसने मेरे चर्म को छुआ था। [1]

दीवानुल मआनी के लेखक ने कहा किः इब्ने रूमी ने इस कारक का उल्लेख किया है जिस के कारण वह अपने वतन से मुहब्बत करते हैं, और यह कोई आम आदमी नहीं, इमाम अहमद बिन इस्हाक मूसली हैं, वह कहते हैं किः

मेरी पसंदीदा जमीन वही है जहां मेरी तबीअत लगती है, अगरचे वहां की वादियां पानी से खाली है, मै किसी जमीन की मिट्टी से मुहब्बत नहीं करता, लेकिन उस जमीन की मिट्टी से मुझे मुहब्बत है जहां मेरा महबूब रहता है।

इब्ने रूमी ने कहा किः मैंने अपने वतन के लिए कसम उठाई है, कि उस का किसी कीमत पर सौदा नही करुंगा, मैं अपने सिवा सारे जमाने में किसी को उस का मालिक नहीं समझता, जहां जवानी के दिन गुजरे, जहां वरदान मिले, ऐसे वरदान जो साये में रह कर मिला करती है, मेरे दिल को उस से ऐसी मुहब्बत है जैसे यह मेरे बदन का प्राण हो, कि उस के बेगैर मैं जिन्दा नही रह सकता, लोगों को अपने वतन से मुहब्बत होती है जहां

[1] अलजखीरा फी महासिने अहलिल जजीरह 1 / 343

जवानी के दिन गुजरे हों, जब वतन की याद आती है तो उस के साथ जवाने के वह दिन भी याद आते हैं जो वहां गुजरे है, अगर कोई कमीना आदमी वतन पर जुल्म करे और मुझे धोका दे, तो मुझे वतन का हाथ सहारा दे देता है, जहां एक तरफ नेअमत न मिले तो क्या हुआ! दूसरी तरफ से कोई नेअमत और वरदान मिल जाता है। [1]

देशप्रेम से संबंधित कुछ पुस्तकें

पुराने ओलमा ने इस विषय पर पूरी की पूरी पुस्तकें लिखी हैं जिन कुछ निम्न हैं:

1– जाहिज ने हुब्बुल वतन नामक इस बारे में किताब लिखी है, और वह छप भी चुकी है।

2– सालेह बिन जाफर बिन अब्दुल वहाब हाशमी सालेही हलबी काज़ी, जिन के बार में इब्ने असाकिर ने तारीखे दिमश्क में कहा कि : उन्होंने वतन की मुहब्बत के विषय पर किताब लिखी है।

3– हाफिज अबू सअद अब्दुल करीम बिन मुहम्मद समआनी ने अलअन्साब में फरमाया किः मैं ने अपनी किताब अलनुजूउ इलाल औतान में जुल करनैन का किस्सा और उस के निर्माण का जिक्र किया है।

4– अबू हातिम सहल बिन मुहम्मद सजिस्तानी की किताब : अश्शौक इलल औतान है।

5– अबू हैयान अली बिन मुहम्मद तौहीदी की किताब अल हनीन इलल औतान है।

6– अबू मुहम्मद हसन बिन अब्दुल रहमान बिन खल्लाद रामहरुमजी की किताब अल मनाहिल वल औतान वल हनीन इलल औतान है।

7– मुकव्वमातो हुब्बिल वतन फी जौए तालीमिल इस्लाम डा0 सुलेमान बिन अब्दुल्लाह बिन हमूद अबू खलील की किताब है।

8– हुब्बुल वतन मिन मन्जूरिन शरइन डा. जैद बिन अब्दूल करीम अल जैद की किताब है।

9– अलवतन वल इस्तीतान यह डा. मुहम्मद बिन मूसा बिन मुस्तफा अल दाली का एक फिकही मकाला है। इसी तरह और बहुत सी किताबें हैं जो विषेश रूप से इसी बारे में लिखी गयीं हैं।

[1] अलजखीरा इला महासिने अहलिल जजीरा 1/343

इस्लामी आदेशपत्र और योजना
हकीकत या बनावट

कुछ वर्षों से अलमरूउल इस्लामी(इस्लाम योजना) चर्चा का विषय बना हुआ है, एक अर्से से उसे लेकर आपस में तकरार, लड़ाई और सर्द जंग जारी है, कुछ लोगों ने इसे प्रचलित किया और कुछ लोगों ने उसे छोड़ दिया, इसी को आधार बना कर आपस में एक दूसरे पर तोहमत लगाई जा रही है, कोई कहता है कि: जो इस योजना को न माने वह अल्लाह व रसूल का दुश्मन है, और जो इस इस्लामी योजना को मान ले वह दीन का मददगार है।, लेकिन मानने वालो और न मानने वालों में से कोई भी अवाम के सामने यह स्पष्ट नही करता, कि कम से कम लोगों को यह मालूम हो कि सही क्या है और गलत क्या है, इसलिए उचित मालूम होता है कि सब से पहले हम यह जान लें कि इस्लामी योजना की हकीकत क्या है, उस के बाद इस बारे में शरअी आदेश और उस से संबंधित चीजों पर चर्चा की जायेगी, इस लिए कि किसी भी चीज के बारे में कोई फैसला करने से पहले जरूरी है कि उस चीज का अर्थ स्पष्ट हो, यह लेख जो आप के सामने पेश किया जा रहा है, यह जामिया अजहर की गहरी सोच व विचारधारा का सारांश है, उस माहौल की विचारधारा का निचोड़ है जो न सिर्फ ज्ञानी लोगों का माहौल है, बल्कि इस बात की भी यहां जानकारी है कि कौन सा आदेश कहां लागू होगा, इल्मी चर्चा के कठिन रास्तों पर उन की कुशलता के साथ पकड़ है, अहकाम के कारक को खूबी को वह बहुत अच्छी तरह जानते हैं,जिन्हें काम में लाकर बेगैर किसी परिणाम पर पहुंचना संभव नही, जामिया अजहर के उक्त तरजे अमल के बेगैर शरई ऐतबार से अर्थ व मअना धुंधला ही रहेगा, किसी परिणाम तक पहुंचे बगैर बहस व तकरार बढ़ती चली जायेगी, संदेह के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा,, आइऐ इस मुद्दे से संबंधित बहस के नुमाया पहलुओं पर गौर करते हैं।

अलमश्रूउल इस्लामी यानी इस्लाम योजना यह है कि मौजूदा ज़माने और उस की कठिनाइयों के ऐतबार से सिफारती, संस्थागत, राजनीतिक, आर्थिक, समाजी, दार्शनिक और इल्मी प्रश्नों का विस्तार के साथ जवाब पेश किया जाये, जिस में विशेष कार्यों से लेकर साधारण कार्यों तक, उठने वाले तमाम सवालों के जरूरी जवाब भी शामिल हों।

इस्लामी व्यवस्था को उदाहरण द्वारा पेश किया जाये, यह लिखित मजमूआ कुर्आन और सुन्नत और उस के उद्देश्य, इजमाए उम्मत, शरीअत के

निर्देश और मसायल, अखलाक व आदाब, फिकही व उसूली कायदे, सुनने इलाहिया और दूसरे उलूम व फुनून को प्रयोग में लाकर तैयार किया जाये।

यह सब उसी सूरत में हो सकता है जब उलूमे इस्लामिया और इस्लाम के आरंभ से लेकर अब तक तमाम मुसलमानों के अमल के अनुसार व्यवस्था इस तरह पेश किया जाये, जिस पर अमल भी संभव हो, और यह आदेशपत्र पूरी उम्मत के विरुद्ध भी न हो, जिस के बाद विभिन्न संस्थाओं को चलाया जा सके।

इस इस्लामी योजना का उद्देश्य विभिन्न संस्थाओं को बनाना और मजबूत करना हो, संस्कृति एवं सभ्यता को संवारना हो, उस में शरीअत की आत्मा जारी हो, जहां इन्सानी जान सुरक्षित हो, लोगों के धर्म, धन, इज्जत व आबरू सुरक्षित हों, जहां आबादकारी और उस की उन्नति से मुहब्बत पायी जाती हो, इन्सानियत का आदर, नैतिकता की प्रसंशा हो, तमाम जहां के लोगों के साथ लेन–देन और उन लाभ हासिल करने और पहुंचाने की गुंजाइश हो जहां औरतों, बच्चों और पर्यावरण की सुरक्षा और दुनिया के हुकूक यानी इन्सान,पसु, पंक्षी और बेजान चीजों तक के हुकूक सम्मिलित हों, एक ऐसा माहौल जहां खुदाई झलक हो, जो इन्सान को अपने रब तआला से मिला दे, जहां मुसलमान,ईसाई यहूदी और बौद्धमत से संबंध रखने वाले, कम्यूनिस्ट विचारधारा रखने वाले, चाहे वह सेकुलर गैर धार्मिक हों या लिबरल हों, इस्लाम को मानने वाले हों या न मानने वाले काफिर हों, हर दीन और धर्म से संबंध रखने वाले की जान व माल, इज्जत व आबरू के हुकूक हासिल हों, जहां बसने वाला हर आदमी किसी मामले में अपने आप को मजबूर, मजलूम, और घृणा का निशाना न माने, ऐसे इस्लामी माहौल में रहने वाला या न रहने वाला सभी को दीने इस्लाम की रहमत, शफकत और इन्साफ की छावं नसीब हो, ऐसा आदेशपत्र यकीनन भव्य और उम्दा मान्यताओं का वजूद देने वाला है, और समाज के तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने वाला हो सकता है।

इस इस्लामी आदेशपत्र की आधार, अस्ल और उद्देश्य और धुरी नैतिक व्यवस्था और इन्सानियत की उम्दगी है, इन्सानी इज्जत और आला मान्यताऐं और इन्सानियत का ऐहतराम उस की बीज है, यह आदेशपत्र हर इन्सान की दुनिया और आखिरत संवारने का मकसद लेकर आया है, इस आदेशपत्र का नारा(जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने फरमायाः मै अच्छी नैतिकता

को पूरा करने के लिए भेजा गया हूं), अब हर वह कार्य, हर वह तरीका जो उस मकसद को खत्म कर दे, या उस मकसद को बिगाड़ दे, या नैतिक मकसद से हट जाये, नैतिक मान्यताओं से दूर हो जाये, वह गलत है।

संक्षिप्त यह है कि नवीन युग के अनुसार इस्लाम आदेशपत्र तैयार करना, उसे एकत्रित करना, उलमा और फोकहा का काम है, हजरात फोकहा नियमानुसार बातों को निकाल सकते हैं, यही दल उलमा व फाकहा इस्लामी नियमों के जानकार होने के कारण फिकही मुद्दे, समाजिक विज्ञान, विभिन्न संस्थाओं को चलाने और आर्थिक मामलों को संवारने का इस्लामी व्यवस्था पेश कर सकते हैं, उस की इल्मी और शरई उदाहरण बयान कर सकते हैं, यही फोकहा का दल शरई और अकली तर्कों से नए मुद्दों का भरासेमन्द अनुमान भी लगा सकते हैं।

इस व्यवस्था की तैयारी के लिए जरूरी है सब से पहले शोधकेन्द्र, चर्चा हेतु संस्थाऐं, और वर्कशाप स्थापित किये जायें, फिकह और शरीअत के उद्देश्य और मौजूदा जमाने के हालात जानने वाले फोकहा और शोधकर्ताओं को जमा किया जाये, साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजसंबंधों का अनुभव रखने वाले कुशल लोग भी एकत्रित किये जायें,उस के बाद जिस आदेशपत्र को हम राष्ट्रीय संविधान बनाने जा रहे हैं, उस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय राजसंबंधों का अनुभव रखने वाले कुशल लोगों से मशवरा किया जाये, कि हमारे इस योजना पर अमल करने से क्या प्रभाव हो सकता है? और उस बनने वाले नये संविधान से हमारे पड़ोसी देशों के साथ राजसंबंधों को कहां तक लाभ या हानि हो सकता है? उस के बाद उलमाऐ कराम इस बात का फैसला करें कि यह नया संविधान इस्लाम सिंद्धांतों के अनुसार है या नहीं, अगर शरीअत का दायरे में रहते हुए नये संविधान से देश को फायदा हो तो उसे आखिरी कानूनी शक्ल दी जाये, अगर शरीअत के खिलाफ हो या उस में कौमी नुकसान का संदेह हो तो उसे रद्द कर दिया जाये, नये बनने वाले किसी भी कानून के लिए जरूरी है कि वह शरीअत से टकराता न हो, हर तरह की राय देने में यह लिहाज़ रहे कि न इस्लाम के मकसदों का विराध हो, न इस्लामी नैतिक शिक्षा पर आंच आये, तभी तमाम उठने वाले सवालों के जवाब में इस्लामी सिद्धांत और नियमों के अनुसार अनुमान और मसला निकालना संभव है।

जो भी चर्चा किया जाये या अमली पेशकदमी की जाये, उन मे विचार विमर्श भरोसेमंद लोगों के द्वारा ही हो सकता है, सच्ची भावना के साथ प्यारे वतन की बुनियाद मजबूत की जाये, उस में देश के हर गिरोह से संबंध रखने वाले लोग शरीक हों, देश के हर स्तर से संबंध रखने वाले विभिन्न संस्थाऐं मिलकर इस काम को पूरा कर सकते हैं।

अच्छी राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए मौजूदा राजनीति और पुरानी राजनीतिक विचारधाराओं को भी मिलाया जाये, इस के लिए थॉमस हाब्ज, जॉन लॉक और हेगेल आदि के नजरियात को भी शामिल किया जा सकता है, उस व्यवस्था के हर हिस्से को शरीअत के कान से निकलने वाले मोती से मिलाया जाये, शरीअत के सोते से निकलने वाले साफ पानी से इसे धोया जाये, उदाहरणतः इमामुल हरमैन की पुस्तकें, मावरदी और इब्ने खल्लदून का पुस्तकों को भी सम्मिलित किया जाये, ताकि तमाम फुरूउ को शरीअत के उसूल व मकासिद के अनुसार देख लिया जाये, इस तरीकए कार से एक व्यापक इस्लामी आदेशपत्र और योजना तैयार किया जा सकता है, इस के बाद ही उठने वाले हर छोटे बड़े सवाल का जवाब संभव होगा, इसी तौर पर विभिन्न विचारधाराओं चाहे राष्ट्रीय हों या हमार आस पास विभिन्न देशों के अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा हों, इन्हें मिलाकर हम एक मजबूत राज व्यवस्था बना सकते हैं,हमारा यह काम इमाम शाफई के उस कौल जैसा है कि आप ने फरमायाः मैं बीस साल तक लोगों के हालात और उन के गुजरे हुए दिनों का अध्ययन करता रहा, और उस इल्म द्वारा इल्मे फिकह में सहायता हासिल करता रहा।

ऐसी तमाम विचारधाराऐं जो इल्मी, अमली, परेक्टिकल, आर्थिक और संस्था से संबंधित और देश और राष्ट्र की सेवा के लिए पेश किये जायें, हमारे द्वारा उल्लेखित तरीका के अनुसार उन की पूरी तरह जांच पड़ताल करके जो आखिरी परिणाम निकाला जाये, उसे हम इस्लामी आदेशपत्र का नाम दे सकते हैं।

उस का उदाहरण यह है कि हमारे एक दोस्त एडवाइजर मुस्तफा सअफान ने एक लेख लिखा, जिस का विषयः वह कौन से कारण और रुकावटे हैं जिन के कारण कुर्आन पर अमल नही हो रहा है, और कुर्आन को हम किस तरह परेक्टिकल जीवन में लागू कर सकते हैं, इस लेख में उन्होंने सात सौ सवाल और आपत्तियां पेश किये है, उन के जवाब और हल की

जरूरत है, उन्होंने जो कुछ लिखा है वह उन की पूरी जिन्दगी का सारांश है, जो उन्होंने देश के कानूनों और अदालत के फैसलों में गुजारी है, हम अभी तक उन के इस लेख को पढ़ नहीं सके, न उन के उठाये हुए प्रश्नों के उत्तर दे पाये हैं, न उन की आपत्तियों का हल पेश कर सके हैं, हालांकि हमारे पास फिकही, कानूनी, और अदालती मामलों के हल के लिए कई गुना बड़ा इल्मी और किताबी खजाना मौजूद है, जो हमें वरासत में मिला है, उस की तह में उतर कर वह मोती निकाले जा सकते हैं जिन के द्वारा इस मुस्लिम उम्मत के मसायल अच्छे से हल किये जा सकते हैं।

इस में भी कोई हरज नही कि इस्लामी आदेशपत्र कई बनाए जायें, इस लिए कि हमारे कुछ सिद्धांत संदेह वाले होते हैं, जिन के आधार पर इस्लामी आदेशपत्र बनाएगें, या कुछ अनुमान के तरीके संदेह वाले होंगे, जितने भी फूरूआी मसायल होते हैं, उन मसायल पर अमल करने की विभिन्न सूरतें इसी लिए होती है कि इन्सान अपनी सुहूलियत के अनुसार किसी भी एक पर अमल कर ले, इसी तरह किसी एक मुद्दा के हल के लिए कई लेख लिखे जा सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमारे मुद्दे के हल के लिए शरीअत में किस तरह व्यापकता है, और शरीअत में अल्लाह तआला ने कितनी आसानी रखी है।

फिर यह जो इस्लामी आदेशपत्र होगा वह कई सदियों में मुसलमानों के कुर्आन करीम में इज्तिहाद से वजूद में आयेगा, जिसे उन्होंने हमारे जमाने के लिए तैयार किया होगा, इस के द्वारा मुसलमान अपने जमाने की जरूरी चीजों को अदा करेंगे, शरीअत का आरंभ से यही तरीका रहा है कि संभव घटनाओं के शरई हल पहले ही पेश कर देती है, और साथ–साथ उस शरई हल पर अमल न कर सकने की सूरत में अक्सर उस का विकल्प भी देती है, या शरीअत के विरुद्ध काम करने वाले को सुधारने के लिए उसे सीधा रास्ता बताती है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम नये पेश आने वाले मुद्दों का समाधान निकालते हुए बदलते हुए कारकों का भी लिहाज रखा जाये, क्योंकि कारक और सबब बदलने से शरीअत का आदेश भी बदल जाता है, ताकि शरीअत का हुक्म किसी विशेष परिस्थिति के साथ ही स्थिर न हो जाये, जैसे–जैसे कारक बदलने से किसी मसले मे बदलाव होता रहे, साथ–साथ हमारा इस्लाम आदेशपत्र नये जवाब के लिए तैयार रहे, ताकि जिन्दगी के विभिन्न विभागों में जिन्दगी की भाग–दौड़ जारी रहे, शरीअत की

अहम निशानियों और विशेषताओं में से यह भी है कि शरीअत में साबित और बदलने वाली चीजों के बीच फर्क किया जाता है, बदलने वाली चीज के बदलने की दिशा देखते हुए कि इस दिशा के बदलाव से हुक्म भी बदल जाते हैं, इसी तरह कुछ मुद्दों में समय, स्थान, परिस्थिति, और लोगों का फर्क करना भी जरूरी होता है, स्थिर और बदलने वाली चीजों के बीच फर्क खत्म कर देना, या दोनों को आपस में मिला देना, या एक को दूसरे की जगह रख देना, शरीअत को किसी विशेष जमाने के साथ खास कर देने के बराबर है, हालांकि शरीअत हर जमाने और हर स्थान के लिए है।

अब तक इस्लामी आदेशपत्र और संविधान के बारे में जो कुछ बयान किया गया, वह ऐसी जमीन और देश मे लागू हो सकता है जो मानव विज्ञान और शोध के मैदान में आगे—आगे हो, ताकि इस्लामी संविधान की व्यवस्था को अच्छी तरह से समझने वाले लोग मौजूद हों, जहां वरियताओं के आधार पर निजी योग्यता और सामूहिक कार्य पर अमल हो, जहां चुनाव मिश्री अरबी आदि सब के लिए हो, लेकिन अफसोस कि हम अभी तक ऐसी जमीन स्थापित नहीं कर सके हैं।

इस्लाम के नाम पर बनने वाली कुछ व्यवस्थाऐं ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरे देश के राजसंबंधित दबाव या विदेशी सभ्यता की रिआयत में बनाया जाता है, जिस फलसफा हमारे पर्यावरण से बिल्कुल जुदा होता है, इस में कुछ बातें अपनी और कुछ दूसरे देशों की शामिल कर ली जाती हैं, फिर उस कानून को खूबसूरत बनाने के लिए कुर्आन की आयतों और हदीसों का सहारा लिया जाता है, कुछ मुहावरे प्रयोग कर के दावा किया जाता है कि यह इस्लामी कानून है, इस की जाहिरी शक्ल व सूरत इस्लाम होती है, लेकिन इस्लाम की हकीकत से इस का कोई संबंध नही होता, इसका फल्सफा हमारी पहचान और हमारी सभ्यता के विरूद्ध होती है, इस तरह का दावा वास्तव में इस्लाम के साथ बड़ा खेलवाड़ और जुम्र है, जो यकीनन नाकामी की तरफ ले जाने वाला रास्ता है, इस तरह के कार्य से परेशानियों में बढ़ोतरी ही होती है, जिसे इस्लाम ने आसान बनाया हम ने नये—नये कानून बना कर उसे मुश्किल बना देते है, या फिर बिल्कुल आजाद छोड़ देते हैं, यहां इस बात को समझना जरूरी है कि दीने इस्लाम की राह और लोगों के बनाये हुए नियम में बड़ा भारी फर्क है, दीन को सिर्फ संविधान और कानून बना कर लिखा नही जाता, बल्कि उस का वजूद पुस्तकों में लिखे

जाने से पहले हुआ करता है, पुस्तकों से पहले उसे दिल और इन्सान की आत्मा में लिखा जाता है,इसी द्वारा इन्सानी नैतिकता के रास्ते पर चला जा सकता है।

हम वैज्ञानिक शोध की तरक्की के बेगैर कोई चीज़ तैयार नही कर सकते, एक व्यापक और बड़ी वैज्ञानिक शोध की जरूरत है, जिसके द्वारा आलसी और काहिल दिमागों को तेज किया जा सकता है, जिन का दम मायूसी में घुट रहा है, लम्बा समय गफलत में गुजारने के कारण नाउम्मीदी में पड़ गये हैं, इल्मी मामलों में पेचीदगी का शिकार हो चूके हैं, इस्लामी कानून दरअसल हमारा कौमी कानून है, इस के साथ विद्धानों और शोधकर्ताओं का जुड़ा होना भी जरूरी है, इस कानून की कामयबी के लिए एक बड़े फंड की भी जरूरत है, आर्थिक तबाही की हालत में कोई भी योजना कामयाब नही हो सकता, इस समय सब से पहले जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सारी ताकतें आर्थिक विकास में लगायें, आर्थिक मजबूती के बाद ही हम वैज्ञानिक शोध पर खर्च कर सकतें हैं, जिस के बाद समाजी विकास हासिल हो सकता है, और विभिन्न विभाग भी सक्रिय हो सकते हैं।

इस्लामी आदेशपत्र और कानून को कुर्आन व सुन्नत से निकाले बिना लिखित रूप में फैलाना, मश्हूर करना, लोगों को उस को कबूल करने की दावत देना, बहुत खतरनाक है, हम लोगों को इस्लाम के नाम पर कहीं जमा करें, फिर उन की मुश्किलों का समाधान पेश न कर सकें, उन के सवालो के उलटे सीधे जवाब देते रहें, तो उस अमल से दी को कोई फायदा नहीं हो सकता, बल्कि लोग आगे किसी भी मामले से नफरत करने लगें, उनका ऐतबार उठ जायेगा, लोग दीन के बारे संदेह में पड़ जायेंगे, हर हक बात को झुठलाना शुरू कर देंगे, उन का दिमाग यही बन जायेगा कि कोई भी दीनी व्यवस्था इन्सानी जिन्दगी और समाजी भाग–दौड़ चलाने की योग्यता नही रखती, जब वह एक इस्लामी नियम से नफरत करने लगेंगें, उस के बाद किसी दूसरे आदेशपत्र और संविधान को भी स्वीकार नही करेंगे।

इस की मिसाल ऐसी ही है कि कोई दल एक बड़े पैमाने पर करोड़ो रुपये खर्च करके प्रचार करे, और विभिन्न टीमें जगह–जगह ऐलान करके लोगों को मिश्र की बनी हुई कार खरीदने के लिए तैयार करें, जब लोग उन की दावत कबूल करके कार खरीदने के लिए एकत्रित होना शुरु हों, तब उन से कहा जाये कि हम एक लम्बी अवधी बाद आप को कार बेचेंगे पहले जरा

हम खदान खोद कर उस में से लोहा निकाल लें, मजदूरों को बुला लें, जिन को खदान की खुदाई और कच्चा माल निकालने के लिए जरूरी है, क्योंकि कच्चा माल भारी मात्रा में जमीन के अन्दर मौजूद है, हम उस के बाद कारखाने बनाऐंगे विदेशों से माहिरीन को बुलाऐंगे, लगभग तीस साल बाद हम आप को कार बेचेंगे, जब किसी काम में लंबा काम बाकी हों तो आखिर इसी वक्त प्रचार पर इतनी रकम खर्च करने की क्या जरूरत थी?! किसी चीज़ को बनाने से पहले उस के बेचने का आमंत्रण देना भी खतरे से खाली नहीं।

हमारी यह सारी बाते अफगानिस्तान, सोमालिया, सूडान और ईरान आदि में बनी स्थिति के अनुभव के तहत हैं, इन देशों में बड़े पैमाने पर तबाही फैलने बाद अब हाल यह हो गया है कि विद्वान लोग हर उस पार्टी से नफरत करने लगे है जो इस्लामी व्यवस्था की बात करे, और हम अभी तक दार्शनिक और फिक्री लिहाज से विचारधारा और उन के अनुसार कार्य करने के किसी ऐसे परिणाम तक नही पहुंचे जिस के आधार पर हुकूमत स्थापित की जा सके, अगरचे इस दीन के तमाम सिद्धांतों पर हम हद से ज्यादा भरोसा रखते हैं, जब हम दीन के सिद्धांतों के बारे में सोचते हैं ता हमारे दिमाग उन सिद्धांतों के सातों की तरफ चले जाते हैं, हम ने यही समझ रखा है कि कामयाबी के यह सिद्धांत कुर्आन व सुन्नत में मौजूद हैं, हम इसी को काफी समझे हुए है, उन सिद्धांतों पर अमल करके उन को प्रचलित करने की कोशिश नही करते, हम इस बात से निश्चेत हो जाते हैं कि हमें उन सिद्धांतों पर अमल भी करना है, उन सिद्धांतों की पुख्तगी को इस तरह जाहिर करना है कि लोग हमारा इल्म और अमल देख कर उसूले इस्लाम की बुनियादों पर मौजूदा जमाने की मुश्किलात और मसायल हल कर सकें।

उक्त बयान की रोशनी में एक तरफ तो उम्मत के अन्दर इस बात की सख्त कमी पाई जाती है कि एक लंबे समय से दीन के खिलाफ किये जाने वाली आपत्तियों का जवाब देने में हम सुस्ती का शिकार हो गये, दूसरी तरफ इस दीन के अखलाक़ और उच्च मान्यताओं को जाहिर करने में हम बड़े ढीले नजर आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वह जब लागों के सामने इस्लामी योजना या आदेशपत्र पेश करते है, तो इस कदर बद अखलाकी का मुजाहरा करते हैं कि उन की यह बद सुलूकी लोगों के दीन से नफरत और हिलाकत का कारण बन जती है, हालांकि वह दीन छोटी–छोटी बातों से भी

अज्ञान होते हैं, फिर जिस समाज के सामने वह दीन का प्रचार करते हैं, अपनी बद अखलाकी और सख्त मिज़ाजी के कारण लोगों के सामने दीन की शक्ल व सूरत बिगाड़ कर रख देते हैं, फिर लोग अल्लाह तआला और उस के रसूल को झूठलाने की तरफ बढ़ते हैं, और आखिर में बेदीन बन जाते हैं।

शरीअत ऐसा खान है जिस ने अपने अन्दर कीमती हीरे इकट्ठा कर रखे हैं, लोगों तक खजानो को पहुंचाने के लिए कुशल लोगों की जरूरत है, जिस में खुदाई और तलाश के लिए बड़े स्टाफ की जरूरत है, खजाना निकालना, कारखानों तक ले जाना, और फिर कारखानों में खास औजारों की जरूरत है, औजार इस मरहले की आखिरी जरूरत हैं, उन के बिना खान से कारखाने तक की मेहनत बेकार हो जायेगी, हमारे पूर्वजों ने सारी मेहनत कर रखी है, इस दौर की आपत्तियों का जवाब देना, इस मरहले की आखिरी जरूरत औजार की तरह है, हमें तो सिर्फ इंजन को गेयर लगाना है, बने बनाये कारखाने को सिर्फ चलाना है, यह कारखाने, कच्चे माल से उत्पादित वस्तु तैयार करेंगे, यानी कुर्आन व सुन्नत कच्चे माल की तरह हैं, पूर्वजों के बनाये हुए इस्तिमबात के कारखाने में नये मुद्दों के जवाब और आपत्तियों का समाधान तैयार होंगे, इस कारखानए इस्तिमबात से वह उत्पाद तैयार हो सकती है जो नये दौर की जरूरियात पूरी कर सकतीं हैं।

हमारे लिए मुश्किल यह है कि वह और जिन से हमें चीज बनानी है, उन्हे जंग लगा हुआ है, लंबा समय हुआ हम ने उन्हें प्रयोग ही नही किया, इस की तरफ आयते कुर्आनी इशारा फरमा रही है, अल्लाह तआला फरमाता हैः(अगर वह मामले को रसूल अल्लाह और अहले इख्तियार की तरफ लौटाते, तो उन से इस्तिमबात करने वाले इसे जान लेते[1]), इस्तिम्बात और अनुमान बड़ा भारी और जिम्मेदारी का काम है, इस के द्वारा मौजूदा जमाने के सवालों का जवाब और मुश्किलों का समाधान निकाला जा सकता है, इस पर अमल करके हम शरीअत के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, इन्सानों के लिए आसानी और दुनिया व आखिरत में उन की मदद कर सकते है, हर मैदाने अमल में हम इल्म की रोशनी फैला सकते हैं, वह इल्म जिसे अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर रहमत और आसानी के लिए उतारा, हम जिस कमी और

[1] सूरह निसा 83

घाटे से गुजर रहे हैं, वह दर असल आयते करीमा (يستنبطونه منهم) पर अमल न करने के कारण है।

बड़ी शिक्षण संस्थान अकादमियां जैसे अजहर यूनिवर्सिटी है, इस तरह की संस्थाऐं कोई इस्लामी योजना तैयार कर सकती हैं, उन तमाम शर्तों के साथ जिन जिक्र गुजरा, यानी जरूरी धन, शैक्षिक पर्यावरण और शैक्षिक मान्यताऐं परवान चढ़ाकर यह कामयाबी हासिल कर सकते हैं।

गुजरे हुए जमाने में लोग अपने अनुभव से फायदा उठाते हुए अपनी डयूटी करते रहे, हमें भी जरूरत है कि उन नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, पूर्वजों का तरीका अपनाने की जरूरत है, पूर्वजों के जमाने में पाये जाने वाले मुद्दों में उलझने में फायदा नहीं, क्योंकि उन के जमाने के मुद्दे उस दौर के हालात के कारण थे, मौजूदा दौर के मुद्दों का समाधान उन के जमाने के मुद्दों से तअल्लुक नही रखते, हां मुद्दों से निपटने के लिए उन का तरीका हमारे लिए रहनुमा जरूर है, अगरचे हमारे मुद्दे उन के मुद्दों से भिन्न हैं, लेकिन उन की जिन्दगी में हमें देखना यह है कि वह हजरात किस तरह हर हाल में कुर्आन व सुन्नत का दामन थामे रहते थे, ऐसे ही हमें हर हाल में कुर्आन व सुन्नत से जुड़ा रहना है, खास तौर पर अपने पूर्वज उलमा के अनुभव से भरपूर फायदा उठाना है, जैसे अल्लामा कदरी पाशा, कानून और संविधान के कुशल फकीह सदहूरी, अल्लामा मख्लूफ मुनयादी, शेखुल इस्लाम हसन अत्तार, डा0 मोहम्मद उस्मान नेजाती, शेख तनतावी जौहर, अल्लामा शेख अली जुमआ और की तरह बीसों उलमा हैं जो इस राह पर चल रहे हैं, यह हजरात अपने जमाने में जहां तक संभव है अपने डयूटी को अच्छी तरह से अदा करते रहे।

अपने पूर्वजों के अनुभव से फायदा उठाना,एक ऐसा अमल है जो हर समाज और संस्कृति में पाया जाता है, जो तरक्की के रास्तों को पार करने के लिए सहायक रहा है, हर प्रगतिशील कौम, हर देश, हर संस्कृति के इतिहास का हिस्सा रहा है, अपनी पहचान और संस्कृति को बाकी रखने के लिए पूर्वजों की इज्जत कौमों की वरासत है, वह अपने अनुभव रखने वाले उलमा के ज्ञान से फायदा हासिल करते रहे हैं, हम भी अपने पूर्वजों के अनुभवों से फायदा उठा कर दीन और मिल्लत, देश और कौम की प्रगति का रास्ता पार कर सकते हैं।

वह नियम और सूत्र
जो उग्रवाद दलों के दिमाग से गायब हैं
जिस के कारण उन से ऐतिहासिक गलतियां हुयीं

1– किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श से पहले और कुर्आन व सुन्नत से रहनुमाई प्राप्त करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, वह यह हैं

- प्रथमः– उस मुद्दे से संबंधित सब से पहले तमाम आयतों और हदीसों का जमा किया जाये, यहां तक कि हमें किसी भी मुद्दे में हर छोटी बड़ी व्याख्या के साथ पूर्ण उल्लेख प्राप्त हो जाये, कुर्आन से एक आयत लेना, और उस से संबंधित दूसरे आयत को जो पहली आयत के अर्थ को पूरा कर रही हो,छोड़ देना, ऐसा है जैसे कोई आदमी समुद्र से एक मछली पकड़े और यह समझे या दूसरों का समझाये कि समुद्र में बस यही एक मछली थी, सिर्फ फिकही तौर पर कुर्आनी आयतों से मुद्दा निकालने का काफी न समझा जाये, बल्कि उस मसला से संबंधित तमाम आयतों कों एक जगह जमा करने की कोशिश की जाये, जिस से अर्थ और आदेश के ऐतबार से मसला निकालना संभव हो, अब चाहे उस में कोई फिकही आदेश हो या पहले उम्मतों के किस्से या खबरें हों या इस के अलावा कुछ और हो।

  तूफी ने कहा किः शरीअत के अहकाम जिस तरह आदेश देने वाली और किसी चीज से रोकने वाली आयतों से निकाले जाते हैं, ऐसे ही किस्सों और नसीहत वाली आयतों और उन की तरह दूसरी आयतों से भी निकाले जाते हैं, कुर्आन करीम में लगभग हर आयत से काई न कोई हुक्म जरूर निकाला जाता है।[1]

  इब्ने दकीकुल ईद ने फरमाया कि : कुर्आने करीम से आदेश प्राप्त करना कुछ आयतों पर निर्भर नही, आप ने फरमाया किः आदेश वाली आयतो की यह संख्या सीमित नहीं, बल्कि कुर्आनी आयतें लोगों के विभिन्न दिमागों के अनुसार विभिन्न हैं, अल्लाह तआला एक आयत के विभिन्न अर्थ अपने बन्दों पर जाहिर फरमाता है, जिन उलमा और मुफस्सिरीन ने आदेश वाली आयतों की संख्या बयान की है, उन का तात्पर्य वह आयतें हैं जो देखते ही बिज्जात किसी मसले पर दलालत करती हैं, जो इस्तिदलाल और इस्तिमबात से जिमनन और

[1] शरह मुख्तर अल रौजा 3/577

इलतिजामन साबित हुए हैं, उनकी संख्या बयान करना उनका तात्पर्य नहीं।[1]

- द्वितीयः— अर्थ बताने में आयतों की तरतीब की सुन्दरता का खयाल रखा जाये, जिस शब्द का स्थान पहले है उसे तफसीर में भी पहले रखा जाये, जो बाद में है उसे बाद में रखा जाये, ताकि खास, आ़म, मुतलक,मुकैयद का फर्क बाकी रहे।
- तृतीयः— अर्थ बताने के ऐतबार से आयतों की खूबसूरती के विभिन्न दिशाऔ को खयाल में रखा जाये, इस के लिए शब्दो के अर्थ जानने की कुशलता जरूरी है, अरबी भाषा, अरबी उलूम पर गहरी नजर अनिवार्य है, शौकानी ने अपनी किताब अलउरफ अलनिदा में कहा किः अब कोई अल्लाह की किताब और रसूल अल्लाह की सुन्नत अरबी जुबान के तकाजों के अनुसार समझना चाहे तो वह शब्द के अर्थ को पूर्ण रूप से उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक इल्मे लुग़त न सीख ले, अरबी शब्दों की अस्ल उस समय तक नहीं समझ सकता जब तक इल्मुस्सर्फ ने पढ़ ले, वाक्य के ऐराब समझना इल्मुन्नहव पढ़े बिना संभव नहीं, अरब लुगत के भेद समझना उस समय तक संभव नही जब तक इल्मे मआनी व बयान न जान ले, और अरबी नियमों की पहचान इल्मे उसूल के बिना नही हो सकती, यह तमाम उलूम इजतिहाद के लिए जरूरी हैं, अगरचे कुछ विद्धानों ने कुछ उलूम के जरूरी होने या न होने मे मतभेद भी किया है, लेकिन सत्य यह है कि उर्पयुक्त तमाम उलूम इजतिहाद के लिए बहुत जरूरी हैं, इस लिए कि इन उलूम के बिना अरबी जुबान समझना संभव नहीं, क्योंकि कुर्आन व सुन्नत के भेद जुबान के भेद समझने के बाद ही समझे जा सकते है, और कुर्आन व सुन्नत के भेद द्वारा शरअी आदेश निकाले जाते हैं, जैसा कि आयतों के जाहिर से इस्तिमबात हुआ करता है।[2]

---

[1] जरकशी ने इस को अलबहरुल मुहीत में नकल किया 6/199

[2] अलफतहुल रब्बानी मिन फतावा शौकानी 11/5648

2– कुछ लोग अपने दिमाग में एक विचारधारा बना कर कुर्आन में गौर करते हैं, चाहते हैं कि कुर्आन उन के अनुसार बात करे, तहकीक से पहले विचारधारा नही बनती, बल्कि तहकीक के बाद विचारधारा बनाना चाहिए, हमें अपने आप को इस बात से बचाना है कि पहले से दिमाग में कोई विशष विचारधारा रख कुर्आन का अध्ययन किया जाये, गौर व फिक्र पोख्ता अन्दाज में किया जाये, लेकिन गौर व फिक्र को आजाद रख कर, कुर्आने करीम का लीडर बना कर कुर्आन से हिदायत ली जाये, कुर्आन के नूर से अपनी अवधारणाओं एवं विचारों का सुधारा जाये, न यह कि अपने विचारों के लिए कुर्आने करीम को प्रयोग किया जाये, बड़े अदब व एहतराम के साथ बन्दा यह देखता रहे कि मुझे कुर्आने करीम से क्या फायदा हासिल हो रहा है, मुझे क्या रहनुमाई मिल रही है, अपने बनाये हुई विचारधाराओं को साबित करने के लिए कुर्आने करीम से तर्क तलाश न किये जायें, जब कुर्आने करीम से विचार लिए जायें, तो तर्क तलाश करने की जरूरत नही पड़ेगी, कुर्आने अजीम खुद हमारा तर्क बन जायेगा।

3– इस बात से भी बचना जरूरी है कि कुर्आने करीम से ऐसा इस्तिमबात या अनुमान किया जाये जो कुर्आन के उद्देश्यों पर हमला करे, या कुर्आने करीम के सामान्य अर्थ को गलत करार दे, इस लिए कुर्आने करीम की किसी आयत या शब्द के सामान्य अर्थ के शरयी दलील से खास या आम ठहरा सकते हैं, लेकिन ऐसा इस्तिमबाद कदापि जायज नहीं कि सामान्य अर्थ गलत करार पाये, इमाम इब्ने हजर हैतमी अलफतावा अल कुबरा में फरमाते है किः इमाम शाफअी के नियमों में से यह भी है किः नस्स में से ऐसे अर्थ ले सकते है जो नस्स को खास या आम कर दे, लेकिन नस्स में से ऐसे अर्थ ले नहीं सकते जो नस्स ही को गलत ठहराये।[1]

तो उस आदमी के बारे में क्या ख्याल है जो कुर्आने करीम से जबरदस्ती ऐसे अर्थ ले जिस से पूरी उम्मत को काफिर ठहराये, उम्मत का जाहिलियत और कुर्फ व शिर्क में गिनाये, मुस्लिम उम्मत के विरूद्ध बगावत की कोशिश करे, फिर उस कोशिश का जिहाद का नाम दे, और दावा करे कि यह दीने इस्लाम कई सदियों पहले रुक चुका है, इस समय सारी उम्मत काफिर हो चुकी है, कुर्आने करीम से यह मनघड़ंत इस्तिंबात खुद कुर्आन को

[1] अलफतावा अलफिकहिया अलकुबरा 1 / 210

गलत ठहराने के बराबर है, इसलिए कि सदियों से इसी कुर्आन व हदीस और दीन के ज्ञान को हम तक नकल करके पहुंचाने वाली नसलें अगर काफिर और गलत हैं तो उन का नकल किया हुआ कुर्आन भी गलत ठहरेगा, इसलिए यह इस्तिंबात पूर्ण रूप से गलत है।

4– मुस्लिम उम्मत से हासिल होने वाली इल्मी वरासत का एहतराम भी जरूरी है, उस की तौहीन से बचना भी जरूरी है, अगर किसी फकीह का कोई फतवा समझ में आये तो उस मसला को उसी की तरफ मन्सूब कर दिया जाये कि फलां ने यूं कहा है और बस, उस मसले को लेकर उस की टोह में न पड़ा जाये, हो सकता है कोई खास कारण हो जिस की वजह से उन्होंने फतवा दिया हो, उन्होंने अपने वक्त में खास सूरत और हालत में गौर करके कोई मसला बयान कर दिया, गौर व खौज़ के सही तरीके को प्रयोग करते हुये अपने जमाने में मकासिदे शरीअत को पूरा करने के लिए ऐसा कहा हो, यह भी हो सकता है कि अगर यही सूरत हमारे जमाने में पाई जाती, तो हम भी अपने जमाने में मकासिदे शरीअत को पूरा करने के लिए उस के खिलाफ कोई दूसरा फतवा देते, इसलिए हमें भी चाहिए कि फोकहा का तरीका अपनाऐं, उन के बयान किये हुए मसले पर अड़ न जायें, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे अर्थों और विचारधाराओं का निकालना शुरू कर दें, ऐसे इस्तिंबात न करें जो फोकहा के सारे काम से टकराते हों, इस से तो यह लाजिम आयेगा कि फाकहाए इस्लाम का वही शरीफ से संबंध ही न रहा, और ऐसा कभी नही हो सकता कि फोकहाए इस्लाम का दीने इस्लाम से संबंध ही खत्म हो जाये।

5– हम से पहले जो इस्तिंबात होते रहे हैं, उन्हें भी देखा जाता रहे, ताकि हम किसी ऐसे इस्तिंबात या सोच व फिक्र के दलदल में न फंस जायें, कि बाद में मालूम हो कि यह कौल खारिजियों या उन की तरह किसी गुमराह समुदाय का है,इस बात का ख्याल हर हाल में रहे कि इस्तिंबात करने वाले की कोशिश और गौर व फिक्र दीन से हटे तरीके पर हो, वरना होगा यह कि नये तरीके से इस्तिंबात करने वाला गड़े हुए मुर्दे उखाड़ता रहेगा।

6– सही अर्थ लेना हर हाल में जरूरी है, ताकि हमारा इस्तिंबात कुर्आने करीम और उस के उलूम का अमीन रहे, उलूमे कुर्आन के तीन बड़े स्तंभों का लिहाज रहेः पहला वही की पहचान, दूसरा कुर्आन की समझ के नियम और कायदों की पहचान, तीसरा होने वाले मामले की सही पहचान, इस बात से

बचना बहुत जरूरी है कि किसी अर्थ के लिखे हुए होने का दावा कर बैठे, या फहमे कुर्आन के तरीके से आगे बढ़े या मामले का सही समझ ही न रखे।
7– सोच व समझ, लेख और इस्तिंबात जो भावनाओं के दबाव के तहत रह कर वजूद में आये हों, या जो जेल की दीवारों के साये में लिखे गये हों या भाविक होकर लिखे गये हों, ऐसे मजामीन गलत सोच के अलावा कुछ नहीं, उसे लिखते समय सही से गौर ही नही हो सकता, ऐसे माहौल में इन्सान लेख कला के माहिरीन की राह पर हो ही नही समता, इमाम बुखारी रवायत करते हैं किः अबू बकरह ने अपने बेटे को खत लिखा–उन के बेटे सजिस्तान में थे–आप ने लिखा किःगुस्से की हालत में कभी दो आदमियों बीच फैसला मत करना, इस लिए कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम का यह फरमाते हुए सुना है : कोई फैसला करने वाला गुस्से की हालत में फैसला न करे, [1] उस का कारण यह है कि गुस्से, नाराजगी और भड़के हुई हालत में अक्ल को गौर का मौका नही मिलता, वह मजमून लिखते वक्त नियमों और सूत्रों को पूरे तौर पर प्रयोग में नही ला सकता, अगर इन्सान गुस्से से भरा हो, या किसी से नाराज हो या ख्याले गम का दिमाग में बसाये हो, तो वही शरीफ से अच्छी तरह से इस्तिंबात कैसे कर पायेगा?

हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज्जाली अलैहिर्रहमा ने मुस्तफा में फरमाया किः इस का उदाहरण अल्लाह के नबी का फरमान हैः न्यायमूर्ती और काजी गुस्से की हालत में फैसला न करे,इसमें इस बात की चेतावनी है कि गुस्से के वक्त तारी होने वाली वह हालत है जो दिमाग को गौर व फिक्र से रोक देती है, जैसे सख्त भूख, सख्त पेशाब, और सख्त दर्द, सिर्फ गूस्से की हालत में फैसला करने से मना पर इस का दारो मदार नहीं, बल्कि गौर व फिक्र में रुकावट बनने वाला हर सबब मुराद है। [2]

एक और जगह पर फरमाया किः जैसे आप अलैहिस्सलाम का फरमानाः(काजी गुस्से की हालत में फैसला न करे) यहां गुस्से को सबब ठहराया गया है, क्योंकि गुस्सा अक्ल पर पर्दा डाल देता है, सोच व विचार

---

[1] सहीहे बुखारी 6739

[2] अलमुस्तफा 309

से रोक देता है, इसलिए गुस्से पर कयास करते हुए हर किस्म के खलल की मौजूदगी में फैसला से मना किया जायेगा।[1]

अर्थ यह हैं कि हर वह चीज जो अक्ल पर पर्दा डाल दे, इन्सान को परेशान और बेचैन कर दे, गौर व फिक्र से मना कर दे, जिस के कारण फैसला के बारे में पूरी जानकारी हासिल न हो सके, बिल्कुल इसी तरह फिकह और तफसीर किसी सूरत में पूरे तौर पर गलती से महफूज नहीं रह सकते, जब तक इन्सान जेल में या भावनाओं के दबाव में हो, और वह विचारधारा और लेख जो जेल में जन्म ले, खास तौर पर जब उस का संबंध तफसीरे कुर्आन से हो, कुर्आन के अर्थ और मतलब से हो, फिर उन लोगों का हाल क्या होगा जो बिल्कुल इल्मे उसूले फिकह, उलूमे बलागत,और उलूमे अरबिया और मकासिदे शरीअत खाली हों??

8– अच्छाईयों और बुराइयों के बारे में इज्तिहाद उस वक्त तक दुरुस्त नही हो सकता, जब तक मकासिदे शरीअत का पूरे तौर व्यापक रूप से जान न लिया जाये, इमाम शातबी अलैहिर्रहमा अलमुवाफिकात में लिखते हैं कि: नुसूस से इज्तिहाद करने वाले के लिए जरूरी है कि अच्छाइयो और बुराइयों के मामले में उस पूर्ण ज्ञान हो, इस के लिए सिर्फ उलूमे अरबिया काफी नहीं, बल्कि शरीअत के उद्देश्यों को संक्षिप्त या व्यापक रूप से जानना भी अनिवार्य है। [2]

9– शरीअत के उद्देश्यों की पहचान और अल्लाह के तरीकों का ज्ञान छोड़ देने से दीन की समझ के मामले में बहुत बड़ा खलल रह जाता है, जिसे यह उलूम हासिल न हों, वह फहमे नस्स और जिस मसले में नस्स आया है उसे समझने में बहुत बड़ी कोताही कर सकता हैं।

10– सीरते नबवी से अनुमान और हदीसों की घटनाओं से हुक्म निकालने के लिए भी कुछ नियम और कायदे है, जो कोई अहादीसे नबविया में अपनी तरफ से बढ़ा करके अपने बनाये हुए कामों को इस पर कयास करे, ऐसा आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम पर झूठ बांधता है, शरीअत के विरुद्ध मामले को नबी सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम की तरफ निस्बत देने वाला सख्त धमकी का हकदार है,जो कोई उन पर झूठ बांधे उसे चाहिए कि अपना

---

[1] अलमुस्तफा 330

[2] अल मुवाफिकात 4/162

ठिकाना जहन्नम बना ले, इमाम जरकशी बहरे मुहीत में फरमाते हैं किः अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद रवायत में आयी हुई ऐसी घटना जिस में किसी सहाबी के फतवा देने का उल्लेख हो, उस पें यह भी संभव है कि यह फतवा रवायत में उक्त घटना के अलावा किसी और घटना का फतवा हो, रवायत करने वाले ने फतवा को दूसरी घटना से मिला दिया हो, इस लिए कि अक्सर ऐसा होता है कि गलती से एक घटना को दूसरी घटना से मिला दिया जाता है, और यह फिकह का सब से सख्त मरहला होता है कि गहरी नजर के साथ दो घटनाओं को अलग किया जाये। [1]

इसी पर यह पुस्तक कृपा करने वाले अल्लाह की सहायता से संपूर्ण हुई।

وصلّى الله تعالىٰ على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

[1] अल बहरुल मुहीत 4／577

विषय सूची

- प्रस्तावना 04
- हाकिमियत का मुद्दा ———————————— 15
- समस्त उलमाए उम्मत के समक्ष सैयद कुतुब——— 29
- नबीए करीम ने उम्मत को खबरदार कर दिया—— 30
- हजरते इब्ने अब्बास का खारजी समुदाय से मुनाजरा 38
- जाहिलियत,दीने इस्लाम के खत्म होने————————— 51
- दारुल कुफ्र और दारुल इस्लाम का अर्थ——————— 69
- इलाही वादों को सिर्फ अपने लिए खास समझना 93
- जिहाद का अर्थ 103
- जमीन पर काबू दिये जाने का अर्थ 117
- वतन का अर्थ 167
- इस्लामी आदेशपत्र या योजना————————————— 191
- नियम और सूत्र 203